खण्ड-405, अंक-4
बृहस्पतिवार, 20 चैत्र, शक संवत् 1914
(9 अप्रैल, 1992 ई0)

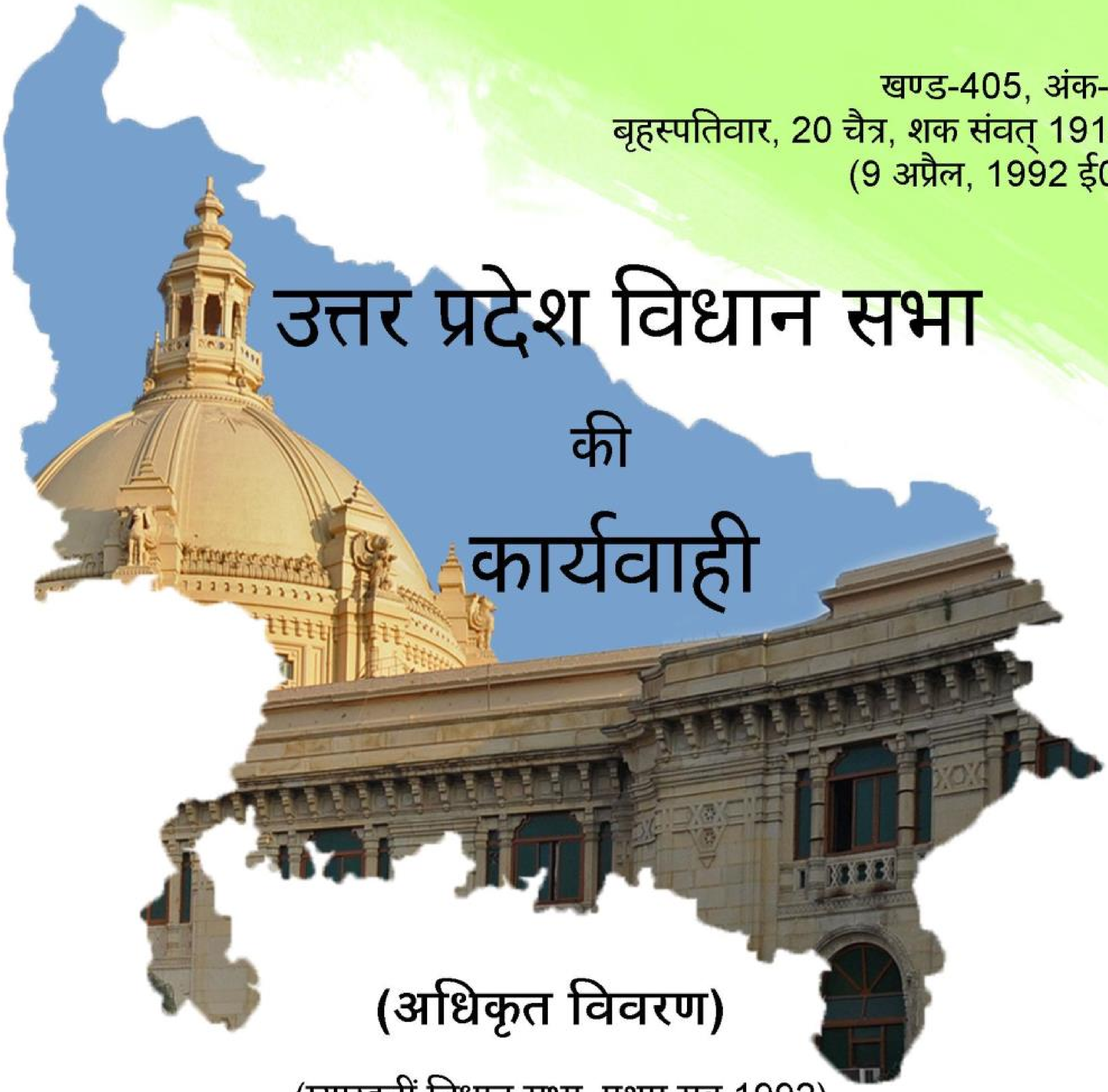

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	1-120
हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ मेले में तीर्थ यात्रियों को सुविधा देने संबंधित व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	120-124
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	124
लखनऊ के कई मुहल्लों/कालोनियों में सफाई तथा सीवर व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
वन विभाग टिहरी गढ़वाल द्वारा गजा तमियार शिवपुरी मोटर-मार्ग का अधूरा निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
यमुना नदी की जलधारा के बहाव में परिवर्तन होने से जनपद जालौन तथा जनपद कानपुर देहात के किसानों के मध्य उत्पन्न भूमि विवाद के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
अलीगढ़ के बरौली क्षेत्र में नयी पुलिस चौकियां स्थापित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
टिहरी गढ़वाल के कन्ज्यूमर रिडेसल फोरम के लिये नामित सदस्यों को भी अन्य जनपदों की भांति मासिक मानदेय निर्धारित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
बांदा जसपुरा तिन्दवारी तथा बड़ोखर खुर्द विकास खण्डों के सभी गांवों में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	127
बांदा जनपद के लखनपुर, भदावल, बघेल में पम्प कैनालों के निर्माण व संचालन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें.. (जारी)	128-130
सदन में कहे गये आपत्तिजनक शब्दों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	130
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	130-131
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	131-132
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान परिषद् में धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	132-138

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	138
मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना ..	138-140
नियम 311 एवं 56 की सूचनाओं को समेकित रूप से लिये जाने की सूचना	140
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	140-180
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण...(स्वीकृत)	180-246
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	246-247
जनपद फैजाबाद के नगरपालिका क्षेत्र अकबरपुर में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ..	248
जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल के लिये अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर भू-स्वामियों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	249
जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद की पुलिस चौकी सहनिन्दा की पुलिस द्वारा कथित रूप से फर्जी मुकदमें कायम करने के संबंध में वक्तव्य का स्थगन	250
जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में मेनहोलों के ढक्कन पत्थर के लगवाने तथा खराब हैण्ड पम्पों को शीघ्र ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	250-251
सदन में कोरम के अभाव की सूचना	251
नत्थियां	252-262

अनंत प्रकाशन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1992

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अजय प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद
अतीक अहमद, श्री	गाजीपुर
अरविन्द कुमार, डा0	ललितपुर
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
ऊदल, श्री	वाराणसी
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर
कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
कृष्णं किंकर सिंह, श्री	बस्ती
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घुरहू, श्री	बलिया
चन्द्र भान सिंह, मौर्य, श्री	आगरा
चरन सिंह, श्री	मेरठ
जगदीश मुनि आचार्य, श्री	हरिद्वार
जी0एस0विनोद, डा0	मुजफ्फरनगर
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर-खीरी
देवेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात
दौलत राम, श्री	सीतापुर
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पूरन चन्द्र शर्मा, श्री	अल्मोड़ा
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रमोद कुमार, श्री	पीलीभीत
बंशीधर राज, श्री	लखीमपुर-खीरी
बाबू खां, श्री	हरदोई
बालचन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर देहात
बृजभान यादव, डा0	इलाहाबाद
बृजेश कुमार शर्मा, श्री	प्रतापगढ़
भागीरथी, श्री	इलाहाबाद
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मदन भैया, श्री	मेरठ
महक सिंह, श्री	मेरठ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मोहम्मद हसन, श्री	सहारनपुर
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
योगेन्द्र चन्द्र, श्री	वाराणसी
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रसाद सिंह, श्री	बांदा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी वर्मा, श्री	फैजाबाद
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सन्त श्री राम द्विवेदी, श्री	फैजाबाद
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सुरेन्द्र शुक्ला, श्री	देवरिया
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

अवर सचिव सभा

विधान सभा प्रदेश मध्य

गुरुवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बकाये किराये की वसूली

**1.-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का 29 फरवरी, 1992 तक किराये के रूप में विभिन्न अवसरों पर ली गयी बसों का कितना किराया बकाया है ? क्या यह सही है कि यह धनराशि कई करोड़ रुपये में है ? क्या वसूली प्रक्रिया के विरुद्ध कोई अदालती स्थगनादेश प्रभावी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो वसूली में निष्क्रियता के लिये दोषी कौन है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल (आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री)-

दिनांक 29-2-1992 तक उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी पर परिवहन निगम का किराये के रूप में रु0 2,67,20,214-05 बकाया है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त बकाये की वसूली हेतु समय-समय पर प्रयास किये जाते रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विरुद्ध उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु नोटिस भी जारी की गयी है । बकाया की वसूली में कोई निष्क्रियता नहीं बरती गयी है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, उसकी यह हमेशा से नीति रही है कि जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है उस पर गुलछर्रे उड़ाये और ऐश करें और विधान सभा के अन्दर आदर्श, चरित्र और नीति की बात करें । मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं आपको कल की बात बताना चाहूंगा । माननीय सदन के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने बी0जे0पी0 की सरकार...

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, कहिये यह अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री अध्यक्ष-

आप भी याद रखियेगा आगे के लिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह तो सुन नहीं सकते, आप तो कृपा करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ताकि हम लोगों को भी बोलने का अवसर मिले ।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, आप अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, अभी कल ही माननीय सदन के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने एक सान्ध्य दैनिक अखबार है, उसके ऊपर जो बकाया था, उसकी वसूली की बात कही और उसके विरोध में कई सदस्यों ने काफी हो-हल्ला मचाया । मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि उनका विश्वास क्वालिटी बिफोर ला में है तो यह जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उस पर 2,67,20,214.05 रुपये बकाया है, वह कब से बकाया है ? किन-किन मन्त्रियों के कार्यकाल में बकाया है ? उसको वसूलने के लिये क्या प्रक्रिया की गयी ? जिस तरह से अखबार के कार्यालय को सील करने की बात है, उसी तरह से इनके कमेटी कार्यालय को भी सील करके, अटैच करके उसके खिलाफ आर0सी0 निर्गत करने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि यह रुपया कब से बकाया है ? मान्यवर, यह रुपया 1981 से 1989 तक आठ वर्षों के बीच में 21 बार समय-समय पर बसें, टैक्सियां, जो उन्होंने मांगीं और निगम ने उनको दी । उसका कुल मिलाकर इतना रुपया बकाया है और इस पूरे काल में 1981 से 1989 की जिस आखिरी तारीख को पैसा बकाया है इसमें कांग्रेस पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में रहा है जहां तक मान्यवर, वसूली का संबंध है इन्होंने पूछा है इसके लिये कोशिश की जा रही है । समय-समय पर पत्र गये हैं । पत्र के उत्तर भी मिले हैं लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं है, वायदा किया है । जो पत्र भेजे गये हैं उनकी अगर सूची सुनाऊं तो बहुत लम्बी हो जायेगी कितने ही पत्र महामंत्री कांग्रेस को दिये गये । पहला पत्र जो दिया गया है 24-9-87 को दिया गया है । उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को दिये गये 11-11-87 को....

श्री अध्यक्ष-

इतनी व्यापकता में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

सब मिलाकर मान्यवर, 14 बार सन् 1987 से लेकर अब तक उनको पत्र दिये गये । अन्त में 5-3-92 को नोटिस दिया गया है कि परिवहन निगम का पैसा अदा कर दें, अब अगर इसमें उत्तर नहीं आयेगा तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

अन्तिम प्रश्न इन्होंने किया था कि समानता के आधार पर प्रतिदिन का कार्यालय सील हुआ है तो क्या ऐसे ही कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी सील करेंगे ?

(हंसी)

क्या उत्तर आयेगा मुझे इससे मतलब नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, मैं यह उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी केन्द्र में सरकार है और जिसके लोग बहुत ही नैतिकता की बातें करते हैं। हमें उम्मीद भी है कि इस दल के लोग जो यहां बैठे हैं वह अपनी पार्टी के अधिकारियों से कहेंगे कि नैतिकता की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से पैसा दे देना चाहिये । हमने नोटिस दिया है सकारात्मक उत्तर अगर नहीं मिलता है तो कानून संबंधी जो कार्यवाही पैसा वसूली के लिये होगी, वह की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मंत्री जी ने कहा कि मुझे उम्मीद है पेमेंट होगा, पता नहीं किस आधार पर पेमेंट की उम्मीद है जब आज तक पेमेंट नहीं हुआ है सन् 1981 से आज तक पेमेंट नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी के तमाम पत्र लिखने के बाद, एक भी पेमेंट क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया ? दूसरी बात, क्या भाजपा पर भी कोई बकाया है या किसी और पार्टी पर कोई बकाया है या केवल कांग्रेस पार्टी पर ही बकाया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जनहित में क्या कांग्रेस की स्थिति पेमेंट न करने की है ?

श्री अध्यक्ष-

अन्तिम प्रश्न का उत्तर मंत्री जी कैसे दे पायेंगे? पहले प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किये, एक तो यह किया कि जो पैसा बकाया है उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि वह 1981 से 1989 तक का है । मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 1989 तक तो इसी पार्टी की सरकार रही इसके बाद जब सरकार बदली तो उस तारीख से आज की तारीख तक जो सरकारें रही उसमें कांग्रेस सरकार ने उधार लेने की कोशिश नहीं की, न उन्होंने मांगा न हमने दिया। दूसरा प्रश्न यह है कि भाजपा तथा अन्य किसी दल पर कोई पैसा बकाया है ?

मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी भी राजनैतिक दल पर चाहे वह जनता दल 'अ' या 'ब' हो या समाजवादी जनता पार्टी हो या ब0स0पा0 हो या भा0ज0पा0 हो, किसी दल पर परिवहन निगम का एक पैसा भी बकाया नहीं है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मैंने पूछा है कि किस उम्मीद से माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह बकाया जो है इसका पेमेंट हो जायेगा ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, जब किसी पर पैसा बकाया होता है तो कहीं न कहीं यह भरोसा रखकर चलना पड़ता है कि बिना कोई कठोर कार्यवाही किये पैसा वसूल हो जायेगा। मैं आशा करता हूं कि यह दल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो नाम है और जो साख है, मुझे अब भी उम्मीद है, कि महत्वाकांक्षी, पूज्य बापू के नाम की रट और चरित्र की यह रात दिन नारा लगाते हैं, अगर थोड़ी नैतिकता उनमें बची होगी तो पैसा जरूर चुकायेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कानून सम्मत हर कार्यवाही हम पैसे को वसूल करने के लिये करेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना रुपया बाकी है ? दूसरी चीज मंत्री जी ने कही कि 14 बार में इतना रुपया बाकी हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि 14 बार में कितनी बार कांग्रेस के नेताओं की ओर से लिखित आदेश पर निगम की बसें दी गयीं और कितने बार अधिकारियों के आदेश से जो बसें दी गयीं उसका कितना रुपया बाकी है और इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल ने यह प्रश्न करके हमारी मदद कर दी। मैं बताना चाहूंगा और मुझे कहते हुए तकलीफ है कि कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार का काम किया और किस प्रकार का आतंक का उनका राज रहा और किस प्रकार से उन दिनों में अधिकारियों को दबा कर और गुंडागर्दी करके काम कराते थे।

मान्यवर, 15-2-81 परिवहन मंत्री के आदेशानुसार 746 बसों की मांग की गयी। 9-2-82 को परिवहन मंत्री जी के आदेश के अनुसार 18 बसों की मांग की गयी। 1-5-83 को परिवहन मंत्री जी के आदेशानुसार 10 बसों की मांग की गयी। इसी तरह से 20-10-84, 9-11-84, 7/8-11-85, 15-1-86 को बसों की मांग की गयी। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री के निर्देशानुसार 5358 आर0डब्लू/142 आर0डब्लू0/86 दिनांक 12-6-86 के जरिये 444 बसों की मांग की गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार पत्र संख्या 314 एम0डी0/पी0ए0/87 दिनांक 27-7-87 द्वारा 970 बसें महामंत्री उ0प्र0 कांग्रेस (आई) के पत्र दिनांक 27-10-88 के तहत 1760 बसें, श्री जगतपाल सिंह महामंत्री कांग्रेस (आई) कमेटी के पत्र दिनांक 24-8-88 के तहत 918 बसें। श्री सरजू प्रसाद रस्तोगी स्थायी मंत्री कांग्रेस (आई) के पत्र दिनांक 27-10-88 के तहत 1729 बसें। जब-जब ये पत्र आते रहे, उनकी सरकारें थीं, उनको लगातार बसें दिलवायी गयीं, उनका एक भी पैसा नहीं आया।

डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर, इतने शर्मदार तो हैं नहीं कि पैसा दे देंगे। एक परिवहन राज्य मंत्री पहले थे, शर्म के मारे आये नहीं। उनकी यही नीति है। मैं दो सवाल जानना चाहता हूं। एक यह कि क्या कांग्रेस कमेटी ने, यह लिखा है कि पेमेंट

नहीं दिया, कभी इतिहास में पेमेंट किया है, तारीख बता दें ? दूसरे इस तरह से ये पेमेंट कभी करेंगे नहीं, इसलिये कोई कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये । मेरा सुझाव है कि मंत्री जी एग्री करें तो माननीय नरेश अग्रवाल जी की तनख्वाह से काटना शुरू कर दें ।

श्री अध्यक्ष-

इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने अभी कांग्रेस दल की गतिविधियों का हवाला देते हुए आतंक और जबर्दस्ती का पर्याय बताया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वसूली में ढिलाई क्या आप अपने और कांग्रेस कमेटी से गुप्त समझौते के तहत कर रहे हैं या केन्द्र सरकार के भयवश कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश की दयनीय स्थिति को देखते हुए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश के विकास हेतु जो कांग्रेस कमेटी पर बकाया धनराशि है, उसको कब तक वसूल कर लेंगे ? तिथि बता दें ? कोई सीमा तो होगी, दस साल होने को आये बीस साल और चला जायेगा । मैं अंतिम तिथि जानना चाहता हूं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा प्रकट की मैंने बार-बार कहा कि हमने नोटिस दिया है । ऐसा पहली बार हुआ । अब तक नोटिस जारी नहीं किया गया । मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं आज भी यह उम्मीद करता हूं कि इनके दल के नेता आज यहां मौजूद नहीं हैं, वह भी परिवहन मंत्री रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

इतना उत्तर पर्याप्त है । समाप्त करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

इनके नेता परिवहन मंत्री भी रहे हैं, उनसे मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा प्रकट की है कि कैसे वसूली की जायेगी, हमने नोटिस दिया है । इसका अगर सकारात्मक उत्तर नहीं मिला तो कानून सम्मत वसूली करने के लिये हर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, कोई स्पष्ट तिथि बता दें ? कोई समय दे दें ? कोई अंतिम तिथि दिलवा दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे पास राजस्व विभाग रहा है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वसूलयाबी के लिये अक्सर सख्ती से काम लिया जाता है और अगर ऐसा न किया गया, तो इस धन से जो सरकारी मशीनरी चलती है, वह नहीं चल पायेगी, गरीब किसान या अन्य व्यक्ति से तो वसूलयाबी सख्ती से होती है, लेकिन इतनी बड़ी रकम जिसकी वसूलयाबी किन्हीं कारणों से नहीं की जा सकी है, जिस पर मैं एतराज नहीं करता, लेकिन मैं चाहूंगा कि यही सहूलियत जो सरकार किन्हीं कारणों से कांग्रेस पार्टी को दे रही है, उस गरीब किसान और ऐसे बकायेदारों को भी देगी, क्योंकि वसूलयाबी, वसूलयाबी है, उसका एक नियम होना चाहिये ?

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर घोर-व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

इस प्रश्न को मान्यवर, चर्चा के लिये स्वीकार कर लीजिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लिख कर दे दीजियेगा, मैं उस पर विचार कर लूंगा ।

(घोर व्यवधान)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी/बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अहेतुक सहायता दिये जाने की मांग

*2-श्री रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आगजनी/बाढ़ से प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा भवन निर्माण, पशुओं की खरीद एवं जीवन बसर करने हेतु सहायता राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी (राजस्व राज्य मंत्री)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली अहेतुक सहायता, गृह अनुदान तथा अनुग्रह अनुदान की दरों में शासकीय आदेश दिनांक 24 जुलाई, 1990 द्वारा संशोधन किया जा चुका है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज गांवों में गर्मी के सीजन में खलिहान में, खेत में आग लग रही है, जानवर जल रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है और उसमें जो सहायता दी जाती है, वह बहुत कम दी जाती है । मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अहेतुक सहायता, गृह अनुदान और अनुग्रह अनुदान दिया जाता है और

24 जुलाई, को जो आपने संशोधन किया है, उसके अनुसार क्या सहायता दी जा रही है और जो वृद्धि सहायता में की गयी है, उसका आधार क्या है ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, यह जो सहायता दी जाती है, यह कोई क्षतिपूर्ति नहीं है, जिन परिवारों पर दैनिक आपदा का प्रकोप होता है, उन परिवारों को भोजन के लिये कुछ ऐसे साधन जुटाने के लिये, कपड़े के लिये ऐसी सहायता शासन की तरफ से है, यह क्षतिपूर्ति नहीं है कितना नुकसान हुआ है, बल्कि यह फौरी सहायता के लिये ऐसी व्यवस्था किया है ।

मान्यवर, 23-8-86 को शासनादेश हुआ था जिसमें अहेतुक सहायता 500 रुपये थी और 24-7-90 का जो शासनादेश हुआ था उसको बढ़ाकर इस अहेतुक सहायता को 750 रुपये कर दिया गया है । गृह अनुदान की मद में जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें वर्ष 86 के शासनादेश के अनुसार 200 रुपये और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आवासों के लिये 1000 रुपये की व्यवस्था थी लेकिन 90 के शासनादेश द्वारा जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान हो गये उसको 400 रुपये और जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान को 250 रुपये और जो पूर्ण रूप से उसमें क्षतिग्रस्त हो गये मकान उसके लिये एक हजार की सहायता निर्धारित की गयी है । मान्यवर, अनुग्रह अनुदान की मद में प्रत्येक मृतक व्यक्ति को 5 हजार रुपये परन्तु एक परिवार को अधिकतम 15 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी और 24-2-90 के बाद प्रत्येक मृतक को 10 हजार रुपये किन्तु परिवार में अधिकतम 30 हजार रुपये और 86 में जिनको डिसएबिलिटी हो जाय उसको 2500 रुपये की सहायता दी जाती थी और 90 के बाद वह 2500 ही रखा गया है । बड़े पशुओं की मृत्यु के मामले में पूर्व में एक हजार रुपये की सहायता दी जाती थी उसको 1250 रुपये कर दिया गया है, छोटे पशुओं की मृत्यु के मामले में पहले 250 रुपये थी उसके अब 300 रुपये तक कर दिया गया है ।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी सहायता की राशि बताई तो मान्यवर, जब बाढ़ आती है तो सारे के सारे खेत नष्ट हो जाते हैं घर नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं रह जाता है तो उसको इतनी कम राशि दी जाती है। मान्यवर, अभी पहाड़ों पर भूकम्प आया था उस भूकम्प में सारे के सारे खेत और घर तो नष्ट नहीं हो गये थे कुछ आंशिक रूप से भी क्षतिग्रस्त हुये थे तो वहां तो कुछ और दिया गया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बाढ़ में घर और खेत सब कुछ नष्ट हो जाता है और पहाड़ में जो भूकम्प आया है इसमें जो सहायता दी गयी है इन दोनों में भेदभाव क्यों किया गया है क्या पहाड़ के अनुरूप यहां भी सहायता देंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, जो पहाड़ों पर भूकम्प आया उसमें भूकम्प से प्रभावित लोगों की संख्या प्रकोप की गम्भीरता और मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए पहाड़ों के लिये जो सहायता दी गयी है वह अलग है और उसके लिये एक अलग से शासनादेश जारी किया गया और वह सहायता की राशि बढ़ाई गयी तो वह केवल पहाड़ों के भूकम्प के लिये थी ।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर यह भेदभाव क्यों किया गया है जिस प्रकार की आपदा पहाड़ पर आयी थी क्या उस प्रकार की यहां पर नहीं आती है ? तो क्या वही पहाड़ों वाला शासनादेश यहां भी लागू किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें । उत्तर आ गया है ।

श्री अरविन्द प्रताप सिंह-

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जलने से तथा बाढ़ से जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन्हें 30 हजार रुपये की राशि दी जायेगी तथा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये जो राशि निर्धारित है इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद फर्रुखाबाद में अभी हाल ही में अनुसूचित जाति के परिवारों में 24 घर एक साथ जले थे विकास खण्ड सेहरन जनपद फर्रुखाबाद में तो उसमें मात्र 200 रुपये और कुछ परिवारों को 500 रुपये की सहायता दी गयी है । एक छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह से जलकर मर गया था उसको कोई पैसा नहीं दिया गया है । एक जानवर भी मर गया था, कोई पैसा नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप किसी विशेष घटना का उल्लेख कर रहे हैं ।

श्री अरविन्द प्रताप सिंह-

उन परिवारों को उन जगहों पर निर्धारित धनराशि जो सरकार की तरफ से देय है, दिलवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, माननीय सदस्य घटना का पूरा-पूरा विवरण देंगें अगर देय होगा तो विचार कर लेंगे ।

श्री अखिलेश-

जो फसलें जल रही हैं जो खलिहानों में आग लग रही है उनकी क्षतिपूर्ति के लिये उन किसानों को सहायता देने के लिये इनकी तरफ से कोई व्यवस्था रखी गयी है ?

(व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, दैवी आपदा में जितने भी प्रकरण आत हैं उन पर जिलाधिकारी के विवेक के अनुसार दैवी आपदा में सहायता का विवरण होता है ।

श्री अखिलेश-

जो खलिहानों में आग लग रही है उनको कोई क्षतिपूर्ति शासन के द्वारा नहीं दी जा रही है वहां के प्रशासन का कहना होता है कि शासन के स्पष्ट निर्देश नहीं हैं तो व्यवस्था को लागू करने के लिये जिलाधिकारियों को कोई परिपत्र अपने स्तर से लिखेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपने क्षतिपूर्ति का हवाला दिया माननीय राजस्व राज्य मंत्री ने कहा कि क्षतिपूर्ति नहीं सहायता दी जाती है ।

(व्यवधान)

श्री राम लखन-

मान्यवर, अहेतुक सहायता देने का मापदण्ड क्या है ? दूसरे कोई समय निश्चित होगा कि दुर्घटना के कितने घंटे बाद सहायता मिल जानी चाहिये अगर उसमें विलम्ब होता है तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि अगर देरी होगी तो क्या करेंगे, अगर आपकी जानकारी में कोई प्रकरण है वह ज्ञान में लायेंगे तो अगर ढिलाई पायी जायेगी तो कार्यवाही की जायेगी ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं एवं पूंजी की जानकारी

*1-श्री राम खिलाड़ी सिंह तथा श्री बी0आर0वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम के पास इस समय कौन-कौन सी मुख्य योजनायें हैं और शासन द्वारा उक्त निगम को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या पिछड़ी जातियों के लोगों को लाभान्वित कराने में उक्त निगम की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिये शासन द्वारा कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा पिछड़ी जाति के लोगों के लाभार्थ स्वत: रोजगार योजना व प्रशिक्षण योजना संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस निगम की चुकता अंश पूंजी । करोड़ रुपया है ।

जी हां ।

शासन द्वारा निगम में आवश्यक पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है व तैनाती प्रारम्भ कर दी गयी है । प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ एवं पिछड़ी जाति के लोगों के लिये अन्य लाभकारी योजनायें तैयार की जा रही हैं । पिछड़ी जाति के सर्वोन्मुखी विकास हेतु स्वतः रोजगार योजना व विशिष्ट प्रशिक्षण योजनाओं को स्वरूप दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता । यह पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी और उद्देश्य क्या है ? जब से स्थापित हुआ आज तक प्रगति क्या है? और क्या इसके कार्यालय जिला स्तर पर खोले गये हैं क्या इसके लिये बजट में धनराशि एलाट की गयी है ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, उ0प्र0 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम का पंजीकरण 26 अप्रैल, 1991 को कम्पनी अधिनियम के तहत किया गया था । इसका मामला वैसे ही पड़ा रहा । जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है फिर हमने इसको वास्तविक रूप दिया, हमने एम0ई0 की नियुक्त कर दी, प्रदेश कार्यालय खोल दिया, इसके पदों की स्वीकृति की व्यवस्था कर दी है तथा एक करोड़ रुपया अंश पूंजी के रूप में दिया है और अन्य कोई योजना नहीं है ।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, मैंने उद्देश्य पूछा था । मैंने पूछा था कि क्या जिला स्तर पर इसका कार्यालय खोला गया है और दूसरा क्या इसके लिये बजट में कोई धन दिया गया है ?

श्री रमापाति शास्त्री-

मान्यवर, जो पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम स्थापित है उसके लिये एक करोड़ रुपया अंश पूंजी के रूप में अलग दिया गया है और उसके लिये जिला कार्यालय अभी तक नहीं खोले गये हैं ।

श्री राम खिलाड़ी सिंह -

मान्यवर, जो पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम का कार्यालय खोला गया तो फिर मण्डल में विकास निगम की स्थापना क्यों नहीं की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री-

यह सारी योजना भारत सरकार के माध्यम से चलायी जा रही है और इस संबंध में अभी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री राम खिलाड़ी सिंह -

मान्यवर, जब स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो फिर एम0डी0 की नियुक्ति क्यों की गयी ? और 22 पदों का सृजन क्यों किया गया ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, यह योजना भारत सरकार सें आयी थी । 1991 में भारत सरकार की योजना के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके बाद से लगातार भारत सरकार से सहायता मांग रहे हैं जब तक उनकी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक इसमें कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री किशोरी लाल यादव-

क्या हरिजन छात्रों की तरह पिछड़ी जाति के छात्रों को भी कोचिंग क्लासेज चलाये जाने की कोई योजना है ?

श्री रमापति शास्त्री-

ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री पुरन प्रकाश-

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि आवश्यक पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से पद हैं और उनका क्या डेजीगनेशन है ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, यह केवल मुख्यालय के लिये है और जिले की स्वीकृति अभी नहीं मिल पायी है । इसमें पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम में एम0डी0 की नियुक्ति हो गयी है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि यह योजना केन्द्र सरकार से चालू होती है और एक करोड़ रुपये दे दिया गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एक करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का है या केन्द्र सरकार का है । अगर केन्द्र सरकार का है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितना दिया और यदि उत्तर प्रदेश सरकार का है तो केन्द्र सरकार ने कितना दिया और इसमें पिछड़ी जातियों एवं जनप्रतिनिधियों को स्वरोजगार देने के लिये योजना बनायी है तो उसमें जितने लोग हैं उन सभी को देंगे या इसके लिये कोई अलग से नियमावली बनायी है ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश सरकार की अंश पूंजी है और भारत सरकार से इस संबंध में अभी तक कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

जितने भी आवेदक होंगे, अनुसूचित जाति के पिछड़ी जाति के क्या सभी को यह सुविधा देंगे या उसका कोई क्राइटेरिया आपने बनाया है ?

श्री अध्यक्ष-

इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश दिवाकर-

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत जो अनुसूचित जाति के लोगों को 5 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है, समाज कल्याण के अधिकारी उसकी लूट मचाते हैं, जिससे लोगों को सब्सिडी का रुपया नहीं मिलता है ।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिये आप अलग से प्रश्न करिये ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

बांदा जनपद में कुम्हारों को बरतन बनाने हेतु चकबन्दी में भूमि उपलब्ध कराने की जानकारी

*1. -श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जनपद में मिट्टी के बरतन बनाने हेतु कुम्हारों को जो भूमि चकबन्दी के मध्य दी गयी है उसमें कुम्हारों को मिट्टी इसलिये नहीं मिल रही है क्योंकि उस भूमि पर सामन्तशाहों का कब्जा है ? क्या यह सही है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर कुम्हारों को बरतन बनाने की मिट्टी लेने हेतु भूमि दी ही नहीं गयी ? यदि हां, तो क्या जनपद के प्रत्येक गांव कस्बे व नगर में जो भी भूमि कुम्हारों को बरतन बनाने हेतु सरकार द्वारा दी गयी है उसमें कुम्हारों को कब्जा दिलवाया जावेगा ? जिन गांव में भूमि कुम्हारों के लिये नहीं दी गयी है उन्हें क्या भूमि गांव सभा की भूमि में दी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी नहीं ।

बहुत से ऐसे गांव हैं जहां कुम्हारों की मिट्टी के बरतन बनाने हेतु चकबन्दी से भूमि नहीं दी गयी परन्तु मिट्टी के बरतन बनाने हेतु कुम्हार मिट्टी गांव सभा की भूमि से प्राप्त करते हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा नियम है, जिस नियम के तहत कुम्हारों को बरतन बनाने के लिये भूमि उपलब्ध करायी जायेगी, यदि हां, तो उसका जबाव में उल्लेख नहीं किया गया है, कृपया अवगत करा दें ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, जनपद बांदा में सवाल पूछा गया था कुछ क्षेत्रों में कुम्हारों को बरतन बनाने के लिये मिट्टी हेतु भूमि आवंटित की गयी थी । आपने प्रश्न में यह कहा कि भूमि सामंतों के कब्जे में है, उसके जवाब में उत्तर दिया गया, जी नहीं । सामंतों के कब्जे में कोई भूमि नहीं है । जो भूमि कुम्हारों को आवंटित हुयी थी, वह उससे बरतन बना रहे हैं और जिन स्थानों पर भूमि आवंटित नहीं हुई है, वहां कुम्हार ग्राम समाज की भूमि से मिट्टी लेकर बरतन बनाते हैं ?

श्री सुखदेव-

मान्यवर, चकबन्दी प्रक्रिया जिन गावों में चल रही है, उस चकबन्दी अधिनियम या उसके रूल में यह प्राविधान जरूरी है कि हर गांव में कुम्हारों को मिट्टी के लिये जमीन सुरक्षित की जायेगी, जिन जगहों पर ऐसा नहीं किया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, सहायक चकबन्दी अधिकारी को गांव की चकबन्दी सलाहकार समिति यदि इस तरह का परामर्श देगी तो भूमि आवंटित कर दी जायेगी, यह चकबन्दी नियम 8 में है ।

श्री दलबीर सिंह-

मान्यवर, जहां चकबन्दी पहले हो चुकी है और मिट्टी हेतु जमीन उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, क्या वर्तमान सरकार राजस्व विभाग की तरफ से कोई अन्य व्यवस्था करना चाहेगी ? माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्राम समाज की भूमि से कुम्हारों को बरतन बनाने के लिये मिट्टी निकालने की छूट दी गयी है मान्यवर, ग्राम समाज की ऐसी जमीनें कहीं नहीं हैं, अधिकतर कुम्हार पोखर के करीब से मिट्टी लेते हैं, जो सिंघाड़ा आदि के लिये एलाट हो जाती है तो मेरा निवेदन है कि क्या वर्तमान सरकार कुम्हारों को बरतन बनाने के लिये मिट्टी निकालने हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी, इस संबंध में अवगत करायें ?

श्री अध्यक्ष-

यह सुझावात्मक अनुपूरक है ।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि प्रबन्ध समिति की जो भूमि होती है और उसमें बरतन बनाने के लिये जो उपयुक्त मिट्टी होती है, वहां से वह उस मिट्टी को ले जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि जहां चकबन्दी के दौरान कुम्हार वर्ग को भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है, वहां क्या उन्हें भूमि उपलब्ध कराने के लिये आपके पास कोई योजना है ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, चकबन्दी की धारा-8 में इसका प्राविधान है । माननीय सदस्य से विचार विमर्श कर लेंगे । अगर किसी गांव में इस तरह की भूमि बरतन बनाने हेतु उपलब्ध हो जाती है, तो उसे आवंटित कर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि जहां चकबन्दी के दौरान कुम्हार वर्ग के लोगों को बरतन बनाने हेतु भूमि का आवंटन नहीं हुआ है, क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे उन्हें भूमि उपलब्ध हो सके ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, कुछ दिन पहले इस प्रजापति वर्ग का एक प्रतिनिधि मण्डल मुझसे मिला था । जिस प्रकार की समस्या माननीय सदस्य ने रखी है, ठीक इसी प्रकार की समस्या की ओर उन्होंने शासन का ध्यान आकृष्ट कराया । यह सब जानते हैं कि जहां चकबन्दी हो जाती है तो काफी अन्तराल के बाद वहां पर चकबन्दी होती है । अगर किसी गांव सभा में जमीन नहीं है तो अलग से भूमि का आवंटन करने के लिये एक प्रक्रिया होती है । हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इसका परीक्षण करा रहे हैं । और जिन गांव सभाओं में जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां पर भी इन कुम्हार भाइयों को मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाय। ऐसे कमजोर वर्ग का हित शासन की नजर में सबसे पहले है । उनको सुविधा मिले, यह हमारी प्राथमिकता है ।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां पर चकबन्दी के दौरान प्रजापति वर्ग के लोगों को भूमि का आवंटन नहीं हो पाया है, वहां पर हम भूमि उपलब्ध कराने के लिये परीक्षण करा रहे हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका यह परीक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ? साथ ही वह एक निश्चित तिथि भी बता दें कि इस तिथि के बाद उन्हें भूमि उपलब्ध हो जावेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, उनके प्रतिनिधियों, शासन के अधिकारियों तथा उद्योग राज्य मंत्री जी के साथ एक बैठक हो चुकी है । इस सत्र की समाप्ति के बाद हमं पुनः बैठक करेंगे और इसका निस्तारण कर देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, जहां पर चकबन्दी हो चुकी है, वहां पर तो भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है परन्तु जहां चकबन्दी चल रही है, वहां पर इस वर्ग के लोगों को भूमि उपलब्ध हो जाय, क्या सरकार इस आशय का यहां से एक जी0ओ0 निर्गत करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है । इस पर विचार कर लें ।

(गुरुवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश को वर्ष 1989-90 व 90-91 में विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं भारत सरकार आदि से प्राप्त अनुदानों व वाहनों की जानकारी

*1-श्री दुर्गा प्रसाद यादव (अनुपस्थित)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उ0प्र0 को वर्ष 89-90 व 90-91 में विश्व खाद्य कार्यक्रम व भारत सरकार आदि से कुल कितना अनुदान एवं जीपें प्राप्त हुईं ? क्या प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान का सदुपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों तथा इसके लिये उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1989-90 व 1990-91 में निम्न प्रकार विश्व खाद्य कार्यक्रम व भारत सरकार आदि से अनुदान व जीपें प्राप्त हुईं । विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 12749.25 मै0टन एस0एस0बी0 डब्ल्यू 1282.938 मै0टन, एस0एस0आयल प्राप्त हुआ । भारत सरकार से 4661.65 लाख की धनराशि तथा 114 जीपें प्राप्त हुई हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया)

जनपद बांदा के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों की निर्माण योजना

*3-श्री राम प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जनपद बांदा इस समय सबसे अधिक दस्यु प्रभावित क्षेत्र है तथा दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में जंगली क्षेत्र एवं बीहड़ स्थल दस्युओं की शरणस्थली है ? यदि हां, तो क्या आवागमन के साधनों के अभाव को दूर करने के लिये दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों का निर्माण के लिये कोई विशेष योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या इससे जनपद बांदा के सबसे अधिक दस्यु प्रभावित क्षेत्र कर्वी को प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (डा0 सरजीत सिंह डंग)-

प्रदेश के दस्युग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्र सहायतित सड़कों एवं पुलों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत जनपद बांदा के लिये रु0 979.00 लाख की एक योजना तैयार की गयी है, जिसमें 179 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग तथा 10 सेतुओं के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है । इसमें कर्वी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 76 कि0मी0 मार्गों तथा 5 सेतुओं को निर्माण प्रस्तावित है ।

प्रदेश में साढ़े आठ वर्ष सपरिवार सजा काटे हुए कैदियों को विशेष छूट देने की मांग

*4-श्री निर्वेन्द्र कुमार(अनुपस्थित)-

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि जुलाई 1987 में हरियाणा सरकार व पंजाब सरकार ने एक वर्ष का परिहार (विशेष छूट) देते हुए साढ़े आठ वर्ष सपरिवार की सजा काटे हुये सभी कैदियों को सजा से मुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या इसी भांति उ0प्र0 सरकार द्वारा भी ऐसे कैदियों की मुक्ति पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री उमानाथ सिंह)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद के राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2 व 3 को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण एवं आवंटित धनराशि की जानकारी

*5-श्री विजय सिंह राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-1414/ई/23 सा0नि0 अनु0-11-162 ई/88, दिनांक 24 मार्च, 1990 के द्वारा जनपद आगरा में "राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2 व 3 को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक करने के संदर्भ में माह जुलाई, 1991 तक कुल कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है ? कितने कि0मी0 मार्ग का अब तक निर्माण कार्य हुआ है ? शेष भाग कब तक पूरा कर लिया जावेगा ? यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है, तो उसका क्या कारण है ? कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माह जुलाई, 1991 तक प्रश्नकर्ता कार्य हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है । राष्ट्रीय मार्ग संख्या-3 की ओर से प्रथम कि0मी0 में इण्टर कोट स्तर तक का कार्य पूर्ण है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है लेकिन सम्प्रति संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण कार्य अवरुद्ध है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आपसे संरक्षण चाहता हूं वर्ष 90 में यह सड़क स्वीकृत हुई तब से आज तक एक पैसा वहां के लिये आवंटित नहीं किया गया । सवाल का सीधा उत्तर दे दिया गया है कि संसाधनों की कमी के कारण नहीं दिया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 90 से आज तक आगरा जिले की नयी सड़कों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी और किस किस मार्ग के अगेन्स्ट की गयी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रश्न केवल एक विशेष मार्ग से संबंधित है । अगर आगरा के बारे में माननीय सदस्य सूचना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरे प्रश्न को देखने का कष्ट करें जिसका उत्तर दिया गया है संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है और उसके नीचे कहा है कि "सम्प्रति संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण कार्य अवरुद्ध है" और ऊपर लिखा है "कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है ।" तो मेरा सीधा प्रश्न है आगरा जिले के लिये वर्ष 90 से लेकर आज तक नये मार्गों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी और किन किन मार्गों के अर्गेस्ट की गयी । मैं साफ बता दूं कि आगरा में दूसरा कोई मार्ग इसके अलावा आज तक स्वीकृत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न नये मार्गों का किया है और मूल प्रश्न एक मार्ग के लिये है ।

श्री विजय सिंह राणा-

वर्ष 90 में एक ही मार्ग स्वीकृत हुआ कोई दूसरा मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ । एस0एन0डी0 में । मैं जानना चाहता हूं जब कोई दूसरा मार्ग स्वीकृत नहीं है तो इसमें भी संसाधनों की उपलब्धता बताई गयी और आगरा के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी तो यह हमारे साथ पक्षपात क्यों हो रहा है आगरा जिले के लिये 90 से आज तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी ?

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना यह है कि इसके अतिरिक्त कोई मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ इसलिये जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से मार्ग हैं ?

श्री सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यदि प्रश्न इस प्रकार का होता आगरा के संदर्भ में कि जो नये मार्ग स्वीकृत हुये हैं तो उनकी सूचना मंगा लेते । जिस मार्ग की चर्चा चल रही है है इसके संबंध में माह जुलाई, 1991 के बाद 2 लाख 6 हजार रुपये की धनराशि आवंटित हुई उसमें इंटर कोट स्तर तक निर्माण भी हुआ है ।

श्री अध्यक्ष-

(श्री नन्द राम का नाम पुकारे जाने पर), केवल इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न करें ।

श्री नन्द राम-

माननीय मंत्री जी से इसी प्रश्न के माध्यम से पूरे प्रदेश के वे मंत्री हैं हमारे यहां बरेली ...

श्री अध्यक्ष-

माननीय नन्दराम जी इसका संबंध इस प्रश्न से नहीं है (व्यवधान) इसमें बरेली कहां से आ गया ? बरेली आगरा का क्या रिस्ता है ?

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दस्युओं के कारण छितौली...

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं, यह मूल प्रश्न में नहीं है । आप बैठ जायं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आगरा, बरेली, और सरदार जी से बचाइये । वैसे भी 12.00 बज गये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

(प्रश्न संख्या 7 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

(स्वामी नाथ यादव के खड़े होने पर)

मैंने कहा कि यह मूल प्रश्न से बाहर का है, इसलिये अनुमति नहीं है। राणा जी अगर इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मैं माननीय मंत्री जी से राणा जी के प्रश्न के संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि दो वर्ष अगर इसकी स्वीकृति के हो गये और एक किमी0 इन्टर कोट तक काम हो चुका है। शासन का पैसा बर्बाद न हो जाये इसलिये शेष सड़क का निर्माण तीसरे साल में करवा देने का आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, यही सवाल तो मेरा भी था ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि दो किमी0 तक लेपन स्तर पूरा किये जाने का निर्णय हमने लिया है ।

(श्री स्वामी नाथ के बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, योजनाओं के पुनरीक्षण की जो योजना चल रही है उसमें पुराने स्वीकृत मार्गों को निरस्त किया जा रहा है और मान्यवर, कल जैसा कि मैंने स्वयं मंत्री जी को निर्दिष्ट किया था कि जो आय-व्ययक लोक निर्माण विभाग का दिया है उसमें पुनरीक्षण के नाम पर निरस्तीकरण के लिये प्रमुख अभियन्ता ने पत्र लिखा है । मान्यवर, यह तो पहले का स्वीकृत मार्ग है, कहीं पुनरीक्षण के नाम पर निरस्तीकरण की योजना तो नहीं बन रही है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, कल चूंकि आय-व्ययक की चर्चा हुई है । मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि किन-किन मापदण्डों को लेकर हम उपयोगिता के साथ उस मार्ग और पुल के लाभ, विशेष आर्थिक प्रभाव, संसाधनों की उपलब्धता, इन सारी चीजों पर विचार करते हुए ही हमने निर्णय लिया है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मार्ग का संदर्भ आज लिया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 3 को जोड़ेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 3 पहले से जुड़े हैं और उसमें यातायात चल रहा है। 2 किमी0 तक लेपन स्तर की बात है उसे हम पूरा करा देंगे ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यह तो दूसरा जबाब हो गया । स्थिति बिल्कुल भिन्न हो गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राणा जी, आप मुझसे बात कर लेंगे, मैं स्पष्ट कर दूंगा ।

*6-श्री यदुनाथ सिंह-

(दिनांक 12-3-92 को अता0प्र0सं0 130 द्वारा उत्तरित)

सेतु निर्माण खण्ड, कानपुर में हुई कथित शासकीय हानि के विरुद्ध कार्यवाही

*7-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सेतु निर्माण खण्ड कानपुर में वर्ष 4/86 से 1/91 की अवधि में लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार सेन्ट्रल चार्जेज कम दरों से वसूल करने पर रुपये 73 लाख 22 हजार, पांच सौ एक, पक्के पुल पर पथ कर वसूली की नीलामी पर कम स्टाम्प शुल्क लगाये जाने पर रुपये 12 लाख 91 हजार 690 रुपये खाली ड्रमों की नीलामी में रुपये दो लाख 9 हजार 222/- तथा खाली मैक्सफाल्ट ड्रमों को विभागीय दरों से कम पर बेचे जाने से बिक्रीकर न पहुंचने पर रुपये 33,569/- कुल शासकीय हानि रुपये 88,56,985/-

की हुई थी ? यदि हां, तो इस शासकीय हानि की वसूली तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? पूर्ण प्रकरण क्या था तथा शासकीय हानि की वसूली न करने का क्या औचित्य है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

भारत सरकार के भूतल एवं परिवहन मंत्रालय के आदेश के अनुसार ही माह 4/86 से 1/91 तक की अवधि में 9 प्रतिशत सेंटेज चार्जेज लिये गये हैं । अतः कथित कम वसूली नहीं की गयी है और कोई हानि नहीं हुई है । 16-10-86 से 15-10-87 तक तथा 23-11-87 से 22-11-90 के अवधि के लिये पथकर वसूली के पट्टे के लिये स्टाम्प शुल्क का निर्धारण स्टाम्प एक्ट में विहित अधिकारी (अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व) के द्वारा किया गया है एवं तद्नुसार ही स्टाम्प शुल्क लिया गया है । 9-12-91 से 8-2-94 के लिये गंगा नदी पर जाजमऊ में बने पक्के पुल पर पथकर वसूली का पट्टा रु0 6/- के स्टाम्प पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बनाया गया है । खाली ड्रमों की नीलामी से जो आय राष्ट्रीय मार्ग खंड में प्राप्त हुई वह भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धन से उनके कार्यों पर लगाये गये विटूमिन के खाली ड्रमों से संबंधित थी तथा इस आय को भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय मार्गों के कार्यों को ही क्रेडिट किया गया, इसमें कोई शासकीय हानि नहीं हुई है ।

खाली मैक्सफाल्ट के उपयोगी एवं अनुपयोगी ड्रमों की नीलामी विभागीय दरों से अधिक पर ही स्वीकृत की गयी थी । स्क्रैप की नीलामी की दर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत है । खाली ड्रमों की नीलामी से प्राप्त धनराशि पर 8.8 प्रतिशत की दर से रु0 15,876.08 बिक्रीकर वसूला जाना था जो नहीं वसूला गया। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

पूर्ण प्रकरण 4/86 से 1/91 तक की अवधि का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन था । कथित शासकीय हानि की स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है।

प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन अनुदान एवं विधवा भरण-पोषण सहायक अनुदान की जानकारी

*8-श्री छेदी लाल (अनुपस्थित)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन हेतु कोई नियमावली शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब से लागू की जायेगी ? क्या लागू तिथि के पूर्व जिन विधवाओं ने पुनर्विवाह किया है उनको भी प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि दी जायेगी ? क्या मंत्री जी भी बतायेंगे कि विधवा भरण पोषण सहायक अनुदान लागू होने के वर्ष 1972 के पूर्व की विधवाओं को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन अनुदान विधवा भरण पोषण अनुदान की भांति लागू होने की तिथि के पूर्व से दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

शासनादेश सं0 2361/26-2-91/200(1)/91, दिनांक 25 मार्च, 92 द्वारा नियमावली जारी की जा चुकी है ।

25 मार्च, 1992 से ।

35 वर्ष से कम आयु की विधवा से शादी करने वाले पुरुष (पति) को जिसने विवाह के एक वर्ष के अन्दर अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हो, अनुदान के रूप में धनराशि दी जायेगी ।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पात्र विधवाओं को भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है ।

विधवा से शादी करने वाले पुरुष (पति) को, जिसने विवाह के एक वर्ष के अन्दर अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हो, अनुदान के रूप में धनराशि दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद शा0पुव0 से ढाई घाटमार्ग पर रामगंगा बहगुल नदीपर पीपे के पुल के निर्माण में कृत फर्जी कार्य की जानकारी

*9-श्री राम मूर्ति सिंह (अनुपस्थित)-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जलालाबाद शा0पुव0 से ढाईघाट मार्ग पर अभी अक्टूबर माह में राम गंगा नदी पर पीपों का पुल व रास्ता अस्थाई तौर पर बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या इसमें सारी विभागीय लेबर ने काम किया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि फर्जी नाम मस्टररोल बनाकर पैसे का भुगतान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता व विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है ? क्या सरकार उक्त कार्यों की विवरणवार जांच कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुआ है । इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के थाना कोतवाली देहात के ग्राम टेढ़वा के भींटा एवं तालाब को भूमिधरी में दर्ज किया जाना

*10-श्री भागवत पाल-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम समाज की सम्पत्ति भीटों एवं

तालाब को भूमिधरी दर्ज किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो ग्राम टेढ़वा थाना कोतवाली देहात, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर का भीटा एवं तालाब किन परिस्थितियों में और किसके आदेश से भूमिधरी में दर्ज कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी शीघ्र इसकी जांच करायेंगे ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

सामान्यतः नहीं किन्तु यदि कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विधिवत् दावा दायर करके अपना स्वत्व न्यायालय से घोषित करा लेता है तो न्यायालय के आदेशानुसार संक्रमणीय या असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 बी (3) के अन्तर्गत श्री रामनाथ पाण्डेय पुत्र श्री सीताराम पाण्डेय निवासी ग्राम टेढ़वा द्वारा असिस्टेंट कलेक्टर मिर्जापुर के न्यायालय में वाद संख्या ।।3 दिनांक 2-8-76 को प्रस्तुत किया गया था । प्रश्नगत वाद में अपर परगनाधिकारी सदन मिर्जापुर के आदेश दिनांक 23-12-76 द्वारा श्री रामनाथ, अम्बिका प्रसाद, दया शंकर व पारसनाथ पुत्रगण सीताराम के नाम भूमिधरी दर्ज किया गया है ।

जी नहीं, क्योंकि भूमिधरी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दर्ज हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विधिवत् दावा दायर करके अपना स्वत्व न्यायालय से घोषित करा लेता है तो न्यायालय के आदेशानुसार संक्रमणीय या असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जायेगा तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा क्या वह ऐसा प्राविधान करेंगे कि अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कब्जों के लिये वाद आ रहे हैं तो उसमें प्राथमिकता होगी ? क्या ऐसा कोर्ट में प्राविधान है ? (व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी-

जमींदारी खात्मा ऐक्ट में यह प्राविधान है कि 1984 के पूर्व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कब्जे में जो भूमि है, उसमें उनको बेदखल नहीं किया जायेगा नियमों से आवंटन में इनको प्राथमिकता दी जायेगी और इनकी प्राथमिकता की सूची बनी हुई है ।

प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की स्थापित दुकानों के निलम्बन/निरस्तीकरण आदि की कार्यवाही की जानकारी

*।।-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले चीनी आदि का व्यवसाय करने वालों के बारे में जिलाधिकारी या जिलापूर्ति अधिकारी

द्वारा जारी किये गये आदेशों के विरुद्ध मण्डलायुक्तों के यहां अपील किये जाने पर मण्डलायुक्तों द्वारा मामले की सुनवायी पूर्ण होने तक स्थगनादेश जारी करने संबंधी मण्डलायुक्तों के अधिकार को सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी करके समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मण्डलायुक्तों द्वारा राशन दुकानदारों की अपीलों पर अब तक जारी स्थगनादेशों को भी इस शासनादेश के जरिये निरस्त कर देने की प्रक्रिया अपनायी गयी है ? यदि हां, तो मण्डलायुक्तों के स्थगनादेश जारी करने के अधिकार पर रोक लगाने और जिलाधिकारी या जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को ही सही और अंतिम कार्यवाही माने जाने के एक तरफा अधिकार दिये जाने के क्या औचित्य है ?

खाद्य एवं रसद तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)-

जन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये उचित दर की दुकानों की स्थापना और इस प्रकार स्थापित दुकानों के निलम्बन/निरस्तीकरण से संबंधित कार्यवाही पूर्णतः व्यवस्थात्मक कार्यवाही है । इस प्रकार के निर्णयों के विरुद्ध किसी प्रत्यावेदन का कोई विधिक प्राविधान नहीं है । फिर भी प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से शासन द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार और निर्णय की व्यवस्था है । शासन ने यह अधिकार मण्डलायुक्तों को वर्ष 90 में प्रतिनिहित कर दिये । इस बात की जानकारी होने पर कि कतिपय मामलों में ऐसे प्राविधानों के निस्तारण में वही प्रक्रिया अपनायी जा रही है जो कि किसी अधिनियम के अन्तर्गत दायर अपीलों के निस्तारण के लिये निर्धारित है, स्थिति को एक शासनादेश जारी करके स्पष्ट कर दिया गया क्यों कि इस प्रकार के प्रत्यावेदन सुनने की व्यवस्था केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था है अतः इसके दौरान स्थगन आदेश जारी न किये जाये यह प्रशासनिक निर्देश मण्डलायुक्तों को दिये गये हैं ।

जी हां ।

ऐसे आदेशों के विरुद्ध प्रत्यावेदन सुनने और उन पर निर्णय लेने के अधिकार पूर्व की भांति मण्डलायुक्तों में निहित है ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, व्यवस्थात्मक कार्यवाही सरकार ने की है । शान्ति व्यवस्था अधिकारी डी0एम0 होता है उससे बड़ा अधिकारी कमिश्नर होता है तो डी0एम0 के आदेशों के विरुद्ध कमिश्नर से अपील करने का अधिकार वापस क्यों ले किया गया है ?

श्री एजाज रिजवी-

हमारी व्यवस्था प्रणाली चुस्त दुरुस्त हो और भ्रष्टाचार दूर हो इसके लिये ऐसा किया गया है ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या आपका विश्वास कमिश्नर से उठ गया है जो आपने डी0एम0 को अधिकार दे दिये हैं ?

श्री एजाज रिजवी-

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक प्रश्न दिनांक 27 फरवरी, को उठाया गया था. यह माननीय सदस्य श्री नरेश अग्रवाल, माननीय हृदय नारायण दीक्षित, माननीय बलराम जी, माननीय अरविन्द प्रताप, माननीय इन्द्रपाल सिंह और माननीय बाबूराम यादव तथा श्री अशोक कुमार आदि माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया था । मान्यवर, उस समय इसका पूरा उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, अगर कहीं किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो संविधान में जो अधिकार हैं उसके अनुसार वह उससे उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि राशन की दुकानें देने का और निरस्त करने का अधिकार किस सक्षम प्राधिकारी को दिया गया है जो अधिकारी यह कार्यवाही करता है उसके विरुद्ध अपील करने का किस न्यायाल को अधिकार दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

अपील की व्यवस्था नहीं है केवल प्रत्यावेदन देने की व्यवस्था है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, आप तो एक वकील हैं । आपको सब चीजों का पता होगा । जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील कमिश्नर के यहां करते थे उसके बाद हाईकोर्ट जा सकते थे । क्या कारण है कि जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध कमिश्नर के यहां अपील में नहीं जा सकते हैं । इसमें अपील के प्राविधान को न रखने का क्या कारण है ?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, राशन की दुकानों का चयन करने के लिये एक कमेटी है जिसके चेयरमैन जिलाधिकारी हैं । जिलाधिकारी को दुकानों को निरस्त करने का अधिकार है उसके खिलाफ कोई विधिक प्राविधान अपील का नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । मंत्रियों का अन्यायपूर्ण संरक्षण होगा तो हमारी आस्था आपमें कैसे रहेगी संविधान में अधिकार दिया गया है, चाहे न्यायिक आदेश हो या एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश हों, उसमें अपील करने का अधिकार है। सुप्रीमकोर्ट में है और राष्ट्रपति तक है । इसमें मान्यवर, जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध कमिश्नर के यहां अपील करने का अधिकार था । इसको वापस क्यों ले लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

सस्ते गल्ले की दुकानें देने के संबंध में कोई भी अधिनियम नहीं है, किसी अधिनियम के अन्तर्गत यह दुकाने आवंटित नहीं की जाती हैं । सर्वमान्य सिद्धान्त है "अपील इज ऐ क्रियेशन आफ स्टेट्यूट" अपील का अधिकार किसी अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाता है सस्ते गल्ले की दुकानें देने के संबंध में किसी अधिनियम में व्यवस्था नहीं है । जब तक शासन अधिनियम न बना ले तब तक अपील की व्यवस्था कैसे हो सकती है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, पूर्व की सरकार में कमिश्नर के यहां अपील की व्यवस्था थी तो वह किसी अधिनियम के अन्तर्गत थी । क्या वह गलत व्यवस्था थी ।

श्री अध्यक्ष-

कमिश्नर के यहां प्रत्यावेदन देने की बात थी । प्रत्यावेदन और अपील में अन्तर होता है । आप यह प्रश्न देख लें और उसका उत्तर देख लें, सारा उत्तर इस आधार पर है कि यह एक प्रशासनिक व्यवस्था है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह पुरानी व्यवस्था चली आ रही है कि आपके बताने से पहले यह समझा जाता था कि अपीलेट अधिकारी कमिश्नर होना चाहिये । आपके माध्यम से साफ हुआ कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर था और अपील नहीं हो सकती । लेकिन सामान्य जीवन में कोई समझौता है कि यहां पर इन्साफ नहीं हो रहा है तो बड़े अधिकारी के पास जाता है । क्या सरकार इस सिस्टम को बहाल रखते हुए कि जिलाधिकारी को अधिकार है कि बेरोजगार को रोजगार दे उसका रोजगार खत्म होने पर समझता है कि अन्याय हो रहा है तो क्या इसमें यह व्यवस्था हो सकती है जिलाधिकारी से निचले स्तर के अधिकारी एस0डी0एम0, सिटी मजिस्ट्रेट आदि को एप्वाइंटिंग अथारिटी बनाया जाय और जिलाधिकारी को अपीलेट अधिकारी मान लिया जाय ?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधि के ज्ञाता हैं, अधिवक्ता भी हैं, उनकी स्वयं की जानकारी में बात होगी कि बड़े अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध सुनवायी करने के लिये छोटे अधिकारी को अधिकृत किया जाना उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं है । आपका सुझाव है कि जिलाधिकारी से नीचे के स्तर के अधिकारी को यह अधिकार दे देंगे और उसका जो भी फैसला हो, उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही में उसका प्रतिवेदन सुनने का अधिकार जिलाधिकारी को दे देंगे तो जिलाधिकारी स्तर पर विवाद का निपटारा हो जायेगा ।

श्री एजाज रिजवी-

इस तरह की कोई बात शासन के सामने नहीं आयी ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपसे अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है ? आप निर्णय ले सकते हैं । अब बात सामने आ गयी है । आपका निर्णय हम मान लेंगे ।

श्री एजाज रिजवी-

जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उसको दिखवा लिया जायेगा कि क्या यह व्यवस्था संभव हो सकेगी ।

श्री अध्यक्ष-

विचार कर लें ।

जनपद आजमगढ़ एवं सहारनपुर को मण्डल मुख्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव

*12-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल ने जनपद आजमगढ़ तथा सहारनपुर को मण्डल बनाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इन जनपदों में मण्डल मुख्यालय कब बनाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां ।

उक्त मण्डलों को बनाये जाने के मामले में अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय मंडल/जिला/तहसील सृजन/पुनर्गठन समिति की आख्या/संस्तुति मांगी गयी है । समिति की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा । विलम्ब का कारण प्रस्तावित मंडलों में मिलाये जाने वाले क्षेत्रों तथा मंडल मुख्यालय के प्रश्न पर मा0 क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों में मतैक्य नहीं हो सकना तथा इसी बीच जनगणना प्रारम्भ होना तथा उच्च स्तरीय समिति की अंतिम आख्या न प्राप्त होना है ।

श्री अंगद सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कब-कब आख्या मांगी गयी और तबसे अब तक क्या प्रगति हुई ? जन प्रतिनिधियों की राय हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, 16 जून, 1987 को मंत्रि-मण्डल ने अनौपचारिक रूप से निर्णय किया था कि इन दो मण्डलों का गठन करें । उसके बाद राजस्व विभाग अनुभाग-5 ने 29-7-87 को इस संबंध में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति से आख्या मांगी थी और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन 7-9-87 को प्राथमिक तौर पर दिया था । लेकिन इस बीच दो जिलों का, पड़रौना और भदोही का सृजन हो

जाने के कारण और अनेक प्रशासनिक कठिनाई होने के कारण इस विषय पर दोबारा विचार किया गया और जिलाधिकारी, जो संबंधित जिलों के थे, जिनको मिला कर मण्डलों के पुनर्गठन का मामला विचाराधीन था, उनसे भी आख्या मांगी गयी थी ।

श्री अंगद सिंह यादव-

मान्यवर, कब-कब जनप्रतिनिधियों से राय ली गयी और कब-कब आख्या मांगी गयी थी ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, 7-9-87 को आख्या आई थी, इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। मान्यवर, राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कहा है कि जिन तहसीलों, जिलों के गठन की घोषणा हो चुकी है, पहले उन भवनों और आवासीय स्थलों के निर्माण के लिये साधन उपलब्ध कराये जायं, तब मण्डलों के पुनर्गठन पर निर्णय करना उचित होगा ।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा यह प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल ने जनपद आजमगढ़ तथा सहारनपुर को मण्डल बनाने का निर्णय लिया था, इसका उत्तर आया कि "जी हां" । मान्यवर, जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, उनके मंत्रि-मण्डल ने निर्णय लिया था, आज उसमें क्या चेंजिंग आ रही है, जिसके नाते पुनः आख्या मांगी जा रही है, अब तक जो आख्या आई है, क्या उसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ? मान्यवर, दूसरा सवाल यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कब तक, कोई निश्चित तिथि बतायेंगे, उस तिथि तक सहारनपुर और आजमगढ़ को कमिश्नरी (मण्डल) बना दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मण्डलों के पुनर्गठन, मण्डलों, जिलों और तहसीलों के संबंध में एक प्रक्रिया निर्धारित है, जितने सारे आवेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी को प्रस्तुत किया जाता है, वह भौगोलिक व प्रशासनिक दृष्टि से कितने गांव, कितनी तहसीलें आदि मिला कर बनाया जायेगा, इसका परीक्षण करते हैं और अपनी आख्या उक्त कमेटी देती है, उस आख्या के बाद शासन स्तर पर विचार होता है और वित्त विभाग वित्तीय संसाधनों के बारे में आख्या प्राप्त की जाती है, तब निर्णय किया जाता है । मान्यवर, जब रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बाद यह पत्रावली मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत की गयी, तो 27-9-89 को मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसमें अभी निर्णय रोका जाय ।

श्री अब्दुल ए0 सलाम-

मान्यवर, मण्डलों में मिलाये जाने वाले क्षेत्रों तथा मण्डल, मुख्यालय के प्रश्न पर माननीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में मतैक्य नहीं हो सकना, इसमें लिखा है ।

श्री अध्यक्ष-

इनके सम्पर्क की बात नहीं है ।

श्री अब्दुल ए0 सलाम-

मान्यवर, मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधयों से कब-कब सम्पर्क किया गया ? मान्यवर, जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, तो उस समय आजमगढ़ और सहारनपुर को मण्डल बनाने का निर्णय लिया गया था, आज मंत्री जी बता रहे हैं कि इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, भौगोलिक दृष्टिकोण से आख्या मंगाई जा रही है । तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, तत्कालीन मुख्य मंत्री के मंत्रि-मण्डल ने यह निर्णय लिया था कि आजमगढ़ और सहारनपुर को मण्डल बना दिया जाय, तो क्या उन्होंने भौगोलिक दृष्टि से यह तय नहीं किया था ?

परगनाधिकारी एटा द्वारा भूदान यज्ञ समिति तथा सीलिंग अधिकरण के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि का आवंटन

*13-श्री पूरन प्रकाश-

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन परगनाधिकारी, एटा द्वारा जनवरी, 1989 से मई, 1990 के मध्य भूदान यज्ञ समिति तथा सीलिंग अधिकरण के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का आवंटन अपात्र व्यक्तियों को किया गया था ? यदि हां, तो क्या उनको उक्त भूमि आवंटित किये जाने का अधिकार था? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)-

जनवरी, 1989 से मई, 1990 तक की अवधि के मध्य तत्कालीन परगनाधिकारी एटा द्वारा भूदान यज्ञ समिति को भूमि का आवंटन नहीं किया गया था । उक्त अवधि के मध्य सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि क्षेत्रफल 4.09 एकड़ का आवंटन दिनांक 25-4-90 को चार पात्र व्यक्तियों को किया गया था ।

जी हां, उन्हें सीलिंग की उक्त भूमि आवंटित करने का अधिकार था ।

सीलिंग भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सरकारी आदेशानुसार सस्ते गल्ले की दुकानों को राशन दिये जाने की जानकारी

*14-श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सरकारी आदेशों के अनुपालन में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को

नोटः- नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

उतना ही राशन दिया जा रहा है, जितना प्रति माह उन्हें मिलना चाहिये, यदि नहीं, तो प्रति यूनिट कितना राशन दिये जाने के आदेश हैं और हर राशन डिपो से संबंधित यूनिटों पर कितने राशन की कटौती करके सामग्री दी जा रही है ? इस कटौती का क्या कारण है ? क्या इसके लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

जी नहीं ।

निर्धारित स्केल के अनुसार मैदानी क्षेत्रों को 8 किलोग्राम गेहूं एवं 6 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट प्रतिमाह दिये जाने के आदेश हैं ।

राशन के दुकानदारों को उनसे सम्बद्ध यूनिटों की मांग का लगभग 30 प्रतिशत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

भारत सरकार से प्रदेश को खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का आवंटन उक्त निर्धारित दरों से बहुत कम प्राप्त होने के कारण इस कटौती के लिये कोई दोषी नहीं है । आवश्यकतानुसार आवंटन के लिये भारत सरकार से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*15-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(दिनांक 2-4-92 को ता0प्र0सं0 3 द्वारा उत्तरित)

लखनऊ जनपद की मोहनलाल गंज तहसील में कार्यरत सीजनल अमीनों की संख्या एवं सर्वाधिक वसूली क्रम में नियुक्ति की मांग

*16-श्री सन्त बख्श रावत-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में जनवरी, 1991 में कितने सीजनल अमीन कार्यरत थे ? उनमें से प्रत्येक ने अलग-अलग कितनी वसूली की थी ? क्या दिनांक 5-2-92 को बिना किसी चयन के उन्हीं अमीनों में अधिक वसूली का क्रम बताकर 8 सीजनल/एडहाक अमीनों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नियुक्त किये गये अमीनों में मात्र 4 अधिक वसूली वाले क्रम से तथा 4 को कम वसूली करने पर भी नियुक्त कर दिया गया है जिसके कारण अधिक वसूली करने वाले पूर्व के सीजनल अमीनों में भारी असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो अनियमित ढंग से कम वसूली करने वालों की नियुक्ति का अधार क्या है ? क्या मंत्री जी कम वसूली करने वालों के स्थान पर अधिक वसूली गत वर्ष करने वाले अमीनों को सर्वाधिक वसूली क्रम में नियुक्त कराने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनियमित ढंग से नियुक्त करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी संग्रह अमीनों का विनियमितीकरण एवं नियमित नियुक्ति की मांग

*17-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि पर्वतीय अंचलों (उत्तरांचल) में सरकारी देयकों की वसूली का कार्य संग्रह अमीनों से विगत वर्षों से लिया जा रहा है ?यदि हां, तो दैनिक वेतन भोगी संग्रह अमीनों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जोखिम पूर्ण कार्य को करने के उपरान्त भी आज तक क्यों विनियमित नहीं किया गया है ? क्या इससे राजस्व वसूली का कार्य भी प्रभावित हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा संग्रह अमीनों को नियमित नियुक्ति देने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय होगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मामले का परीक्षण कराया जा रहा है ।

*18- श्री किशन गोपाल-

(9 वें शुक्रवार में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद टिहरी में स्थित प्रताप नगर तहसील मुख्यालय का प्रतापनगर में स्थानान्तरण एवं उप तहसील धनोल्टी (घ्त्युड़) एवं जखोली को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने की मांग

*19-श्री लाखी राम जोशी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी में स्थित प्रतापनगर तहसील मुख्यालय को प्रतापनगर में स्थानान्तरित किया जा रहा है ? क्या उप तहसील धनोल्टी (घ्त्युड़) एवं उप तहसील जखोली को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*20-श्री विजय सिंह-

(6 वें बुधवार में ता0प्र0सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जनपद में घाघरा नदी पर निर्माणाधीन पक्के पुल को पूर्ण करने की मांग

1-श्री हरिवंश सहाय-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत घाघरा नदी पर पक्का पुल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? उस पुल के निर्माण पर अभी तक कितना धन लगने की संभावना है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

मुख्य सेतु के निर्माण में लगभग 6 करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी ।

जनपद लखीमपुर (खीरी) के तहसील गोला गोकरननाथ के कतिपय गांवों में हरिजनों को आवंटित भूमि का पट्टा दिलाये जाने की मांग

2-श्री राम सरन-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी लखीमपुर, तहसील गोला गोकरननाथ के गांव सुरयनपुर सुवाआ बीज एवं सखानी नगर, कन्हैयापुर आदि गांवों में हरिजनों को लगभग 300 पट्टे 1972 में आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या आज तक अधिकारियों की मिली भगत से उन सबको अपने पट्टों पर कब्जा नहीं दिलाया गया है ? यदि हां, तो पट्टेदारों का कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बादां जनपद में बादा-इलाहाबाद-मिर्जापुर मार्ग पर कतिपय स्थानों पर गति अवरोधकों पर लगी पाबन्दी हटाने की मांग

3-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत बांदा इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग में पयस्वनी नदी के पश्चिम मोड़ एवं ऊंची नीची सतह पर ग्राम कप्सेटी के सामने अनेकों सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए गति अवरोधक लगाये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के दिनांक 12-12-91 को कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0 कर्वी के पत्र में दिनांक 31-12-91 को दिये गये उत्तर में बताया गया है, कि शासन एवं मुख्य अभियन्ता के निर्देशों के अन्तर्गत राज्य मार्ग एवं जिला मुख्य मार्गों में गति अवरोधक लगाये जाने में रोक लगा दी गयी है ? क्या पुराने अवरोधों को हटाने के लिये जिला अधिकारियों से सहायता मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या आबादी के स्थानों एवं मोड़ों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु गति अवरोधक लगाने पर पाबन्दी हटाई जायेगी ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

जी हां ।

पूर्व निर्मित गति अवरोधकों को हटवाने में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की सहायता करने के लिये जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है

ताकि यातायात और विशेष रूप से लम्बी दूरी तय करने वाले वाहन उचित गति से निर्विघ्न रूप से चल सकें तथा समय एवं ईधन की बचत हो सके ।

जी नहीं । गति नियंत्रण के लिये वैकल्पिक व्यवस्थाओं जैसे अतिक्रमण का निदान, वैधानिक गति सीमा चिन्ह, प्रकाशमान संकेतक तथा विभिन्न प्रकार के मार्ग चिन्हों का प्राविधान है ।

जनपद आजमगढ़ के कारागार में बन्दियों को उपलब्ध सुविधा

4-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कारागार में बन्दियों के बैरक में विद्युत/पानी/शौचालय मिट्टी का तेल/स्नान गृह की सही तरीके से व्यवस्था है ? यदि नहीं तो क्यों ? कब तक यह व्यवस्था पूर्ण की जायेगी ?

श्री उमानाथ सिंह-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 के निजामाबाद से मोहम्मदपुर मार्ग की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

5-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग खण्ड नं0 1 के निजामाबाद से मोहम्मदपुर मार्ग पर वर्ष 1985-86, 1986-87, 19887-89, 1989-90 व वर्ष 1990-91 में शासन द्वारा मार्ग की मरम्मत हेतु कितना धन दिया गया है ? मार्ग की स्थिति आज भी अति दयनीय क्यों है ? इसका क्या कारण है ? कब तक मार्ग को ठीक स्थिति में लाया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद आजमगढ़ में निजामाबाद से मोहम्मदपुर नाम से कोई मार्ग नहीं है । यदि प्रश्नकर्ता का अभिप्राय कप्तानगंज-तहबरपुर मोहम्मदपुर मार्ग से है, तो उस पर साधारण मरम्मत तथा मानसून क्षति की विशेष मरम्मत मदों में कुल दी गयी धनराशि निम्नवत् है:-

वर्ष	धनराशि (लाख रु0 में)
1985-86	5.10
1986-87	1.84
1987-88	1.46
1988-89	1.00
1989-90	0.98
1990-91	2.52

मार्ग की स्थिति दयनीय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बस्ती के पायल ब्रिजों के टेण्डरों के निरस्तीकरण एवं घपले की जांच

6-श्री राम ललित चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश चौधरी जनपद बस्ती का एक शिकायती-पत्र दिनांक 16-12-92 जो अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बस्ती एवं अधीक्षण अभियन्ता- छठवां वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा जनपद बस्ती में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बस्ती के अन्तर्गत हुये तथा होने वाले पायल ब्रिजों के टेण्डरों के निरस्तीकरण एवं भारी घपलेबाजी की जांच के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतें सही नहीं पायी गयी । अतः कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है ।

उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील में भूमि प्रबन्धक समिति बिसरा द्वारा भूमि का आवंटन

7-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में भूमि प्रबन्धक समितियों/ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित भूमि आवंटन की कितनी पत्रावलियां परगनाधिकारी के अनुमोदनार्थ लम्बित है ? इनमें से कितनी पत्रावलियां एक वर्ष से, कितनी लगभग 6 माह से लम्बित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम गिसारा का पत्रावली तहसील को अनुमोदन हेतु कब प्राप्त हुई ? अनुमोदन न किये जाने/कोई भी निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

परगनाधिकारी पुरवा के स्तर पर कोई भी भूमि आवंटन की पत्रावली अनुमोदन के लिये लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि प्रबन्धक समिति बिसरा द्वारा प्रस्तावित भूमि आवंटन की पत्रावली दिनांक 23-5-91 को परगनाधिकारी पुरवा को प्राप्त हुई थी जिसका नियमानुसार परीक्षणोपरान्त अनुमोदन किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

8-श्री राम मूर्ति सिंह-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग से सड़क और पुल निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन

9-श्री विजय सिंह राणा-

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 व 1991-92 में लोक निर्माण विभाग से सड़क और पुल पुलिया बनाने हेतु जिलेवार कुल कितनी धनराशि स्वीकार की गयी और संबंधित धनराशि किस-किस को मिली ? क्या क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से इस वर्ष की योजना में उपेक्षित जिलों को अधिक धनराशि का आवंटन किया जायेगा ? यदि हां, तो जिलों को धन वितरण किस आधार पर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

वर्ष 1990-91 व 1991-92 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों को राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" के रूप में संलग्न है । +

योजनाओं की स्वीकृति निर्धारित मापदण्डों के आधार पर की जाती है ।

राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों, अवशेषों एवं नई स्वीकृतियों के परिमाण के आधार पर ।

श्री गिरीश चन्द्र गर्ग, अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड नं0-2 लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जांच रिपोर्ट की जानकारी

10-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जी0सी0गर्ग (गिरीश चन्द्र गर्ग) तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड नं0-2 लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर के विरुद्ध श्रीमती शशि बाला पुंडीर, ग्राम मनठ, जि0 मुजफ्फरनगर का शिकायती-पत्र जिसकी जांच तत्कालीन मुख्य अभियन्ता मुख्यालय, लो0नि0वि0 लखनऊ श्री धर्मबीर द्वारा वर्ष 1983 में की गयी थी क्या वह जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि जांच पूरी हो गयी है तो क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच वर्ष 1983 में पूर्ण हो गई थी । जांच में सभी शिकायतें निराधार पाई गई थीं । संबंधित पत्रावली वर्ष 1989 में नष्ट की जा चुकी है । अतः जांच रिपोर्ट का सदन के पटल पर रखा जाना संभव नहीं है ।

+ छापी नहीं गयी ।

श्री जी0सी0गर्ग अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 के विरुद्ध हरिद्वार में तैनाती के कार्यकाल में प्राप्त शिकायतों की अधिष्ठान द्वारा जांच

11-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जी0सी0गर्ग तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 के विरुद्ध वर्ष 1978-79 में जब वे डी0सी0यू0 हरिद्वार, अस्थायी खण्ड नं0 2 मुजफ्फरनगर एवं अस्थाई खण्ड थथुड़ जिला टेहरी में तैनात थे (अवधि 1978 से 1985-86 तक) तो इनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उन सब शिकायतों की जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

श्री जी0सी0गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध उनकी हरिद्वार तैनाती के कार्यकाल में प्राप्त शिकायतों की जांच सतर्कता अधिष्ठान से करायी गयी जो परीक्षणाधीन है । देहरादून के कार्यकाल की कतिपय शिकायतों की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराई जा रही है । प्रश्न में वर्णित अवधि में इनके विरुद्ध शिकायतों की प्राप्ति के संबंध में विस्तृत छानबीन की जा रही है ।

12-श्री यदुनाथ सिंह-

(दि0 2-4-92 को अता0 प्र0सं0 90 द्वारा उत्तरित)

13-श्री यदुनाथ सिंह-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

14-श्री यदुनाथ सिंह-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

सीतापुर के विकासखण्ड महमूदाबाद के ग्राम कलुआपुर का नाम बदलने के प्रस्ताव की जानकारी

15-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कलुआपुर, विकास खण्ड महमूदाबाद, जनपद सीतापुर का नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू रामाधीन सिंह के नाम पर करने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम कलुआपुर का नाम बदलकर बाबू रामाधीन सिंह के नाम पर करने का प्रस्ताव क्षेत्र समिति, महमूदाबाद, द्वारा किया गया था, किन्तु भारत सरकार द्वारा विहित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण मण्डलायुक्त लखनऊ तथा राजस्व परिषद् द्वारा उसे स्वीकार करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

गोण्डा जनपद के तहसील मनकापुर के ग्राम मनीपुर ग्रेन्ट में चकबन्दी के संबंध में जिलाधिकारी गोण्डा के पत्र पर कृत कार्यवाही

16-श्री छेदी लाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मनीपुर ग्रेन्ट तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा में चकबन्दी करवाने के लिये जिलाधिकारी गोण्डा ने चकबन्दी आयुक्त को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है । अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र करने हेतु आवश्यक निर्देश चकबन्दी आयुक्त को दिये गये हैं ।

लोक निर्माण विभाग फैजाबाद अस्थाई खण्ड 1, की गोदाम से अनियमित ढंग से तारकोल गायब करने के विरुद्ध न्यायिक जांच

17-श्री राम लखन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग फैजाबाद अस्थाई खण्ड-एक के गोदाम से 22-5-90 को 80 ड्रम तारकोल ट्रक पर लादकर ले जाया गया और स्टोर रजिस्टर के पन्ने फाड़े गये थे ? इस संबंध में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या इसमें कोई विभागीय अधिकारी भी दोषी है ? यदि हां, तो उसे क्या दंड मिला ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

विभागीय जांच आख्या एवं न्यायालय के निर्णय पर कार्यवाही निर्भर है ।

लोक निर्माण विभाग फैजाबाद, अस्थाई खण्ड-2 में कार्यरत रोलरों की चालित अवधि एवं उनके मरम्मत पर व्यय

18-श्री राम लखन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद, अस्थाई खण्ड-2 में कार्यरत रोलर नं0 1784 एवं 90 तथा 1254 अक्तूबर, 91 से 25-1-92 तक अलग-अलग कितने घंटे चले ? इनकी मरम्मत पर कब-कब कितना खर्च आया ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

अस्थाई खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग फैजाबाद में कार्यरत रोलर संख्या 1784 एवं 90 तथा 1254 अक्तूबर, 91 से 25-1-92 तक क्रमशः 21.5 घंटे 73 घंटे तथा 266.5 घंटे चले ।

उक्त रोलरों की मरम्मत पर अक्तूबर, 91 में रु0 9844.00, दिसम्बर, 91 में रुपये 8734.00 तथा जनवरी, 92 में रु0 3852.00 व्यय आया ।

प्रदेश में अभियन्ताओं के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

19-श्री अंगद सिह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता के स्थानान्तरण की नीति शासन द्वारा प्रत्येक जनपद स्तर पर कितने वर्ष की है ? क्या उक्त नीति के अनुसार ही उनके विभाग में स्थानान्तरण इस वर्ष किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रदेश में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति प्रत्येक जनपद स्तर पर 5 वर्ष की है तथा सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता के मामले में लखनऊ से भिन्न जनपदों में एक जिले में भिन्न पदों पर पांच वर्ष एवं जनहित तथा प्रशासनिक आधार पर अल्पावधि में स्थानान्तरित करने का प्राविधान है ।

वर्ष 1991-92 में अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण सत्र शून्य रहा । केवल स्वेच्छा/प्रशासनिक हित/समायोजन के आधार पर कुछ स्थानान्तरण किये गये हैं तथा सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण निर्धारित नीति के अनुसार किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया ।)

महमूदाबाद जनपद सीतापुर के कतिपय निरीक्षण भवनों की जमीन का मुआवजा देने की मांग

21-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद, सीतापुर के अन्तर्गत निरीक्षण भवन, रामपुर, मथुरा, व कितूरीपुर की जमीन का मुआवजा आज तक किसानों को क्यों नहीं दिया गया ? यदि दिया जायेगा, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

निरीक्षण भवन रामपुर मथुरा की भूमि किसानों की भूमि नहीं है । अतः इसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाना है ।

कितूरीपुर नामक किसी स्थान पर निरीक्षण भवन जनपद सीतापुर में नहीं है । अतः इसका मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । निरीक्षण भवन रामपुर मथुरा की भूमि संस्था "ठाकुरद्वारा महाराजा मुरलीधर" की है जिसे भुगतान हेतु शर्तों का निर्धारण विचाराधीन है ।

कितूरीघाट स्थित सेतु के पहुंच मार्ग के संबंध में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है । प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भुगतान सम्भव है।

प्रदेश में सड़क व पुल निर्माण हेतु स्वीकृत धन एवं मापदण्ड

22-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1991-92 में सड़क पुल निर्माण की कितनी व किन क्षेत्रों में नई स्वीकृतियां जारी की गई हैं? उनका मापदण्ड क्या है ? यदि स्वीकृतियां जारी नहीं की गईं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

(क) उ0प्र0 के मैदानी क्षेत्रों हेतु वित्तीय वर्ष 1991-92 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्वीकृतियां प्रदान की गईं:-

(1) राज्य सेक्टर रुपये 96.69 करोड

(2) जिसे सेक्टर रुपये 32.86 करोड़

इसके अतिरिक्त अर्द्धकुम्भ हरिद्वार से संबंधित कार्यों हेतु आयोजनेत्तर मद में 572.29 लाख तथा आयोजनागत मद में 102.05 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं ?

माघ मेला इलाहाबाद से संबंधित कार्यों के लिये आयोजनेत्तर मद में 121.00 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं ।

राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं जनाकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृतियां प्रदान की गईं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के मकरीपहरा में सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी के कोटेदार पर अनियमितता करने का आरोप

23-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी के अंतर्गत ब्लाक चित्रकूट के गांव मकरीपहरा के लोगों ने दिनांक 7-10-91 को पत्र लिखकर परगनाधिकारी कर्वी से सस्ते गल्ले व चीनी के कोटेदार द्वारा वितरण न करने तथा ब्लैक करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत पत्र सहित आरोपों की गम्भीरता को देखते कार्यवाही के लिये उनसे अनुरोध किया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा सालों से खाली राशन कार्डों को सबूत में

प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन खाली राशन कार्डों पर भी सामान की बिक्री रजिस्टर में वितरित होना दर्शाया गया था ? यदि हां, तो उक्त दुकानदार को राशनिंग का कोटा दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या इस प्रकरण की जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के पौहार से लमेहटा मार्ग का निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

24-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा, अंतर्गत पौहार से लमेहटा मार्ग 4 कि0मी0 के निर्माण के प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव के संबंध में पत्र संख्या 11401/799सी-19/90, दिनांक 7-12-90 अधीक्षण अभियन्ता, 19वां वृत्त, लो0नि0विभाग, झांसी व प्रश्नकर्ता को संबोधित एवं जिला अधिकारी बांदा, मुख्य अभियन्ता व क्षे0लो0नि0वि0 झांसी को पृष्ठांकित कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0 कर्वी द्वारा जिला अधिकारी बांदा को अपने पत्र संख्या 2489/सी पर दिनांक 3-11-90 लागत 18.40 लाख जिला योजना 1990-91 में शामिल करने हेतु दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक निर्माण पूरा हो जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

कार्य जिला योजना की परिधि में आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

विभागीय निर्माण इकाई/प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोण्डा के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता एवं लिपिकों के स्थानान्तरण की जानकारी

25-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्माण इकाई/प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गोण्डा में विगत तीन वर्ष से 10 वर्ष के बीच कौन-कौन सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/लिपिक कार्यरत हैं ? शासन के स्थानान्तरण नीति के अनुसार किस-किस सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/लिपिक का जुलाई 91 के बाद स्थानान्तरण किया गया और किस-किस सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/लिपिक ने स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन किया और किसका-किसका स्थगित और निरस्त किया गया ? क्या सरकार भविष्य में शासन की नीति के अनुसार तीन वर्ष से 5 वर्ष के बीच कार्यरत सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/लिपिकों के स्थानान्तरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत अवधि में विभागीय निर्माण इकाई/प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोण्डा में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं तथा लिपिकों की सूची संलग्न है ।

स्थानान्तरण सत्र 1991 में जुलाई के बाद किसी सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण नहीं किया गया । 3 अवर अभियन्ताओं सर्वश्री सलाउद्दीन, कृष्ण गोपाल गुप्ता व सुदर्शन प्रसाद सिन्हा को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया था जिनमें से श्री सलाउद्दीन का स्थानान्तरण आगामी शिक्षा सत्र तक स्थगित किया गया था । लिपिक वर्ग का स्थानान्तरण नहीं किये गये ।

वर्ष 1991-92 की सामान्य स्थानान्तरण नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रगति में है जिसके जारी होने के उपरान्त नीति के अनुसार ही स्थानान्तरण पर विचार करना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 252-253 पर)

अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोण्डा के स्थानान्तरण का निरस्तीकरण

26-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0एन0सिंह अधिशासी अभियन्ता/श्री जे0बी0सिंह सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गोण्डा का स्थानान्तरण 15 जून, 1991 के बाद किया गया और बाद में बिना कारण के स्थगित कर दिया गया ? यदि हां, तो स्थानान्तरण स्थगित किये जाने का कारण क्या था ? क्या सरकार भविष्य में पुनः स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

बाद में प्रशासनिक दृष्टिकोण से उक्त स्थानान्तरण निरस्त कर दिये गये । फिलहाल मध्य क्षेत्र में स्थानान्तरण को कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद आगरा में चकबन्दी के दौरान रिंग रोड के लिये जगह छोड़ने की मांग

27-श्री विजय सिंह राणा-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद आगरा में आगरा तहसील के अन्तर्गत चकबन्दी कार्यक्रम चल रहा है और इस चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता ने रिंग रोड के लिये स्थान छोड़े जाने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो क्या रिंग रोड के लिये स्थान छोड़े जाने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब कितनी चौड़ी जगह छोड़ी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

रिंग रोड के निर्माण से राजस्व विभाग संबंधित नहीं है । उक्त पत्र निस्तारण हेतु नगर विकास विभाग को प्रेषित किया गया है । सूचना एकत्र की जा रही है।

सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता (सिविल) विधान भवन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार टी0 ए0 सी0 से जांच की मांग

28-श्री विक्रमादित्य मौर्य तथा मो0 रिजवानुल हक-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्याम विहारी सिंह, विधायक का कोई शिकायती पत्र दिनांक 29-11-91, जो सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता (सिविल), अनुरक्षण खण्ड-1, विधान भवन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में है इन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इसकी जांच टी0ए0सी0 से कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत पत्र की पुष्टिं नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया)

जनपद बांदा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवासीय भवन का आवंटन

30-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में राज्य कर्मचारियों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आवासीय भवन (राजकीय) डी0-टाइप व टाइप-2 तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने आवास हैं ? उक्त आवासों में से अधिकारी स्तर को कितने आवास आवंटित किये गये हैं क्या स्वास्थ्य कर्मचारी/अधिकारी/निगम कर्मचारी/अधिकारी उक्त आवासों के आवंटन प्राप्त करने के पात्र हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें आवास आवंटित क्यों किया गया है ? क्या इन्हे खाली कराया जायेगा ? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी आवासों में से तृतीय श्रेणी कार्मिकों को कितने आवास आवंटित किये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि चतुर्थ श्रेणी कार्मियों के प्रार्थना-पत्र लम्बित करते हुये तृतीय श्रेणी कार्मिकों को चतुर्थ श्रेणी आवास आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद बांदा में राज्य कर्मचारियों के लिये श्रेणी दो के 100 एवं श्रेणी एक के 88 आवास हैं, जिनमें से 8 आवास अधिकारी स्तर को आवंटित किये गये हैं। निगम के अधिकारी/कर्मचारी पूल्ड आवासों के आवंटन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी/अधिकारी राजकीय कर्मचारी हैं जो नियमानुसार आवंटन के पात्र हैं । अतः आवास खाली कराये जाने का औचित्य नहीं है ।

चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के 88 आवासीय भवनों में से 15 आवास तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार आवंटित हैं ।

संगत नियमावली के नियम 11 के अन्तर्गत अर्हता श्रेणी का आवास उपलब्ध न होने की दशा में उसके नीचे की श्रेणी का आवास आवंटित करने की व्यवस्था है।

जनपद लखनऊ में रिंग रोड का निर्माण कार्य पूर्ण करने की मांग

31-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ में रिंग रोड का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि नही, तो क्यों ? रिंग रोड के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं ।

प्रश्नगत रिंग रोड का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के निम्नलिखित कारण हैं:-

1-रिंग मार्ग का कुछ भाग स्वीकृत नहीं है ।

2-रिंग मार्ग के स्वीकृत भाग में एक स्थान पर भूमि विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

3-हरदोई के कानपुर मार्ग में आ0डी0एस0ओ0 के निकट उपरिगामी सेतु का कार्य पूर्ण न होने के कारण ।

विलम्ब के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

उ0प्र0 खाद्य एवं रसद विभाग की शाखाओं एवं स्थानान्तरण नीति की जानकारी

32-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य एवं रसद विभाग में कितनी शाखायें हैं तथा उनमें एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या स्थानान्तरण नीति में भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

खाद्य तथा रसद विभाग में निम्नलिखित तीन शाखायें हैं:-

(1) आपूर्ति शाखा ।

(2) विपणन शाखा ।

(3) बाट तथा माप शाखा ।

वर्ष 1991-92 की स्थानान्तरण नीति के अनुसार उपर्युक्त शाखाओं के

मण्डलीय स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण एक मण्डल से दूसरे मण्डल में मैदानी क्षेत्र में तीन वर्ष अथवा पर्वतीय क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर किये जाने का प्राविधान है ।

उक्त शाखाओं के निरीक्षण, वरिष्ठ निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों का अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण निम्नलिखित अवधि पूर्ण हो जाने पर किये जाने की व्यवस्था है:-

(क) वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक एवं वरिष्ठ बांट माप निरीक्षक-

मैदानी क्षेत्र में विगत 6 वर्ष अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 4 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर ।

(ख) पूर्ति निरीक्षक एवं बांट माप निरीक्षक-

मैदानी क्षेत्र में 10 वर्ष अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 7 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर।

(ग) वरिष्ठ विपणन निरीक्षक एवं विपणन निरीक्षक-

मैदानी क्षेत्र में 10 वर्ष अथवा पर्वतीय क्षेत्र में वरिष्ठ विपणन निरीक्षक एवं विपणन निरीक्षक के लिये क्रमशः 2 वर्ष एवं 3 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर।

(घ) सहायक विपणन निरीक्षक-

मैदानी क्षेत्र में 10 वर्ष अथवा पर्वतीय क्षेत्र में 3 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर।

संवेदनशील विभाग होने के नाते स्थानान्तरण हेतु प्रशासनिक आधार पर निर्धारित उक्त अधिकतम सीमा अवधि में परिवर्तन करके स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

जी हां । खाद्य विभाग की प्रत्येक शाखा का कार्य पृथक-पृथक है तथा प्रत्येक शाखा की संवेदनशीलता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुये स्थानान्तरण नीति में कुछ भिन्नता रखी गई है ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर निर्वाचन क्षेत्र में सड़क निर्माण का प्रस्ताव

33-श्री छेदी लाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण के लिये मंत्री जी को अपना प्रस्ताव माह दिसम्बर, 1991 में दिया गया था ? उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

प्रश्नकर्ता द्वारा मा0 मंत्री जी को निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया गया था :-

1- अमवां-तामापार, वीरपुर, मछलीगांव, सादुल्लानगर
2- वमन जोतिया खजुरी-वीरपुर घारीघाट मार्ग,
3- सकदरपुर-मकोइया कोट खास महाराजगंज मार्ग
4- छपिया-गोन्दही मार्ग,
5- मसकनवां से चुरिहापुर दुरियापुर से जलपुर पायर खास मार्ग,
6- चिरैया से चौखट घाट मार्ग,
7- झिलाही-वजीरगंज मार्ग,
8- मंझरिया-वक्सरा-कुन्जलपुर मार्ग,
9- बालेश्वर राज्य बंध्वा, कर्दा मनकापुर-फैजाबाद मार्ग,
10-महछली गांव-चौबेपुर मार्ग ।

प्रश्नगत प्रस्ताव में उल्लिखित कार्य जिला योजना की परिधि में आते हैं, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलबधता पर निर्भर है । इस हेतु जिलाधिकारी गोण्डा से अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग पर नगर क्षेत्र फैजाबाद में बाई-पास बनाये जाने का प्रस्ताव

34-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ने वाले जनपद फैजाबाद के नगर क्षेत्र फैजाबाद के भीतर से होकर जाने वाले उक्त मार्ग के लगभग 7 कि0मी0 लम्बाई के किनारे, अनेक प्राइमरी, हायर सेकेन्डरी, इन्टरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों सहित औद्योगिक आस्थान स्थापित होने से वहां पर आये दिन दुर्घटनायें होने और नगर क्षेत्र में आवागमन अवरुद्ध होने की घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या व्यापक जनहित में निर्माणाधीन बाई-पास मार्ग शीघ्रातिशीघ्र पूरा करके जन सामान्य की कठिनाइयों को दूर किये जाने के बारे में सरकार कोई कार्यवाही करा रही है ? यदि हां, तो बाई-पास मार्ग का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

फैजाबाद बाई-पास के निर्माण कार्य का आगणन स्वीकृत हेतु जल भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जा चुका है ।

प्रश्नगत आगणन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात ही मार्ग को पूरा कराने के संबंध में कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित किया जाना सम्भव होगा।

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही के ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर के आराजी नं088 रकवा 3 बिस्वा पर से अवैधानिक कब्जा हटाया जाना

35-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 88 रकवा-3 बिस्वा गांव भिखारीपुर, गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर परगना भदोही, तहसील भदोही, जिला वाराणसी की है ? क्या माल कागजात में यह नवीन पर्ती दर्ज है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस पर एक धनी व्यक्ति ने अवैध निर्माण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या इसके बारे में एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, भदोही, जिला वाराणसी को दिनांक 4-9-91 को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि तहसीलदार, भदोही ने तारीख 12-9-91 को उक्त अवैध निर्माण गिरवा दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार आराजी नं0 88 की जांच करायेगी, जिस पर पुनः अवैध निर्माण एक धनी व्यक्ति ने करा लिया है ? क्या सरकार उक्त भूमि की सुरक्षा करेगी ? क्या अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के संबंध में सरकार जिलाधीश, वाराणसी को भी आदेश देगी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां, ग्राम सभा का नाम लखनपुर उर्फ अभयनपुर है ।

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि पर श्री राजकरन, राज नारायण, राजमनि, रामराज, काशीनाथ, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण राम खेलावन व श्रीमती बरमदेवी पत्नी शिवकरन निवासी पिपरी ने अवैध निर्माण किया है ।

जी नहीं, अपितु दिनांक 12-9-91 को तहसीलदार भदोही, जिला वाराणसी को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ।

अवैध निर्माण दिनांक 15-9-91 को हटाया गया है ।

जी नहीं, श्री राजकरन आदि द्वारा पुनः अवैध रूप से कब्जा कर लेने के पश्चात् दीवानी न्यायालय-ज्ञानपुर से इस भू-खण्ड के संबंध में स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है, जिसके विरुद्ध जवाबदेही दाखिल करके प्रभावी पैरवी की जा रही है।

प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही में आवास संबंधी आवंटित भूमि को अवैध रूप से बेचे जाने की जांच

36-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवंटित कृषि योग्य भूमि एवं

आवास संबंधी आबंटित भूमि को बेचने पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है? यदि हां, तो क्या गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर परगना भदोही, तहसील भदोही, जिला वाराणसी को पूर्व में आवंटित आराजी नं0 454, रकवा 6 विस्वा को उक्त भूमि के आवंटी ने बेच दिया है ? यदि हां, तो क्या गांव सभा की उक्त सम्पत्ति पर दूसरे को कब्जा करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और गांव सभा की सम्पत्ति की रक्षा हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी को आदेशित करायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

आबंटित कृषि योग्य भूमि को विक्रय करने से शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार आराजी संख्या-454 रकबा 6 विस्वा बलई पुत्र दुबरी को आवंटित है । उक्त भूमि के विक्रय किये जाने की बात राजस्व अभिलेखों से प्रमाणित नहीं है किन्तु जांच करने से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि गाटा संख्या 454 के क्षेत्रफल एक विस्वा का बैनामा रजिस्ट्री श्री बलई द्वारा दिनांक 1-10-91 को श्रीमती विद्यावती पत्नी जयकृष्ण बरनवाल व सुरेन्द्र व वीरेन्द्र पुत्रगण जयकृष्ण बरनवाल के हक में किया गया है ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी, वाराणसी को इस संबंध में निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

जनपद वाराणसी की भदोही तहसील में ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर में कथित फर्जी आवंटन की जांच के सम्बन्ध में

37-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गांव भिखारीपुर, गांव सभा लखनपुर उर्फ अमपनपुर प0 भदोही त0 भदोही वाराणसी की आ0नं0 63 व 13/489 व 13/493 जो ऊसर है और गांव सभा की सम्पत्ति है इसका फर्जी आवंटन पत्रावली निरस्त करके 13 वर्क एस0टी0 नं0 2114 दिनांक 38-91 को ए0आर0 के भदोही के यहां दाखिल दफ्तर कर दी गयी थी ? क्या यह सही है कि कानूनगो भदोही चार्ज चौरी प्रेम शंकर लाल तथा माया शंकर लेखपाल हल्का सुरियांवा भदोही से फर्जी आवंटन पत्रावली तैयार कराकर उसी पत्रावली का जो निरस्त हो गयी थी, का 5-9-91 को परगना हाकिम नागेन्द्र लाल श्रीवास्तव भदोही वाराणसी से स्वीकार कराया है ? क्या सरकार इस जाल फरेव की जांच करायेगी और दूसरे लेखपाल से पत्रावली तैयार कराने की भी जांच करायेगी ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा अपर जिलाधिकारी, ज्ञानपुर, वाराणसी को दिये गये पत्र दिनांक 17-7-91 पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर के आराजी नं0 63, 13/489 व 13/493 के संबंध में आवंटन प्रस्ताव परगनाधिकारी भदोहीं ने दिनांक 3-8-91 को निरस्त करते हुये पुनः कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये थे ।

भूमि प्रबन्धक समिति लखनपुर उर्फ अभयनपुर के प्रस्ताव दिनांक 25-8-91 को श्री प्रेमशंकर लाल भू0 ले0 नि0, भदोही जिनके पास क्षेत्र चौरी का भी चार्ज था, ने दिनांक 1-9-91 को अपनी संस्तुति प्रदान करते हुए परगनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे परगनाधिकारी ने दिनांक 3-9-91 को स्वीकृत किया। श्री माया शंकर, लेखपाल द्वारा उक्त आवंटन की कोई संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार/तहसीलदार से कराई जा चुकी है।

प्रार्थना पत्र दिनांक 17-7-91 में वर्णित तथ्यों की जांचोपरांत भूमि प्रबन्धक समिति लखनपुर उर्फ अभयनपुर द्वारा पारित आवंटन प्रस्ताव दिनांक 24-4-91 को परगनाधिकारी, भदोही द्वारा दिनाक 3-8-91 को निरस्त किया गया, साथ ही लेखपाल श्री राम नरेश को उक्त क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया।

जनपद बांदा के बलखण्डी नाका में हजरत सालार जंग की मजार शरीफ की जमीन पर अवैध निर्माण के विरुद्ध जांच की मांग

38-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री को ज्ञात है कि बांदा के बलखण्डी नाका में हजरत सालार जंग की मजार शरीफ की जमीन पर जो नगरपालिका के खसरे में कब्रिस्तान दर्ज है जिसका नं0 1698 है पक्का मकान तामीर करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या जिस स्थान पर नाजाइज पक्का मकान बनवाया जा रहा है उसका नं0 गलत प्लाट नं 1691 दर्शाया गया है ? इसकी जांच करवा कर क्या वक्फ की इस भूमि को मुक्त करवाया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के अतर्रा रूलर पुरवा में पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जाना

39-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार को ज्ञात है कि फौजदार के पुरवा में जो मजरा अतर्रा रुलर जिला बांदा में आता है ? उस पर अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे किये गये थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अभी तक इन पट्टेदारों को न तो पट्टे की भूमि नापी गयी है न ही कब्जा दिलवाया गया है ? यदि हां, तो इन पट्टेदारों की पट्टे की भूमि को नापकर कब्जा न दिलवाये जाने का क्या कारण है ? क्या शीघ्र ही इन पट्टेदारों को कब्जा दिलवाया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां। प्रश्नगत ग्राम में 72 पट्टे किये गये थे। ग्राम चकबन्दी प्रक्रियाओं के अधीन होने के कारण अभी तक कब्जा नहीं दिलाया जा सका। चक

परिवर्तन व चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पट्टेदारों के नाम अंकित भूमि पर कब्जा नियमानुसार दिया जाना सम्भव होगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल में हाट निरीक्षक एवं वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के कार्य में भिन्नता होने के आरोप

40-राम कुमार शुक्ल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुमायूं व गढ़वाल मंडल में हाट निरीक्षक और वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के कार्य में कोई भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर नगर क्षेत्र में स्टेट सेक्टर से बाई-पास मार्ग बनवाने की मांग

41-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर नगर क्षेत्र में स्टेट सेक्टर से बाई पास मार्ग बनवाने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना स्वीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त फैजाबाद-वाराणसी मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले तथा आजमगढ़ सुल्तानपुर जनपदों से आने वाले मार्गों के मिलने से व्यस्त आवागमन के कारण नगर क्षेत्र में आये दिन वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों को बचाने के लिये, सरकार अकबरपुर नगर क्षेत्र में स्टेट सेक्टर से बाई-पास मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत करके शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

संसाधनों की कमी के कारण ।

42-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

(6 ठे मंगलवार में अतो0प्र0सं0 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

43-श्री छेदी लाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990 से जनवरी, 92 तक कुल कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गयी ? कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया ? किन निलम्बित कर्मचारियों ने अपने

आरोप पत्र का उत्तर दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ? निलम्बित कर्मचारियों के प्रति कब तक निर्णय किया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री-

दो अधिकारियों तथा 6 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है ।

वर्तमान में कोई कर्मचारी निलम्बित नहीं है ।

दो अधिकारियों तथा पांच कर्मचारियों ने आरोप पत्र का उत्तर दे दिया है । दो अधिकारियों एवं एक कर्मचारी के संबंध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

वर्तमान में कोई कर्मचारी निलम्बित नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में निराश्रित विधवा एवं विकलांगों के आवेदन पत्रों का निस्तारण

44-श्री राम कृष्ण-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में कितने विधवा एवं विकलांगों के फार्म कार्यालयों में कितने दिनों से पड़े हुए हैं? उन लोगों को अब तक पेंशन क्यो नहीं स्वीकृत हुई ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद सीतापुर में निराश्रित विधवा भरण पोषण के 4347 तथा निराश्रित विकलांग भरण पोषण के 763 आवेदन पत्र वर्ष 89-90 से लम्बित हैं ।

वित्तीय संसाधन की कमी के कारण ।

45-श्री राधेश्याम वर्मा-

(दिनांक 12-3-92 को अता0 प्र0 सं0 98 द्वारा उत्तरित)

जिलाधिकारी, हरदोई के कार्यालय एवं आवास में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुर्ननियुक्ति/सेवा विस्तार देने का आरोप

46-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, हरदोई, के कार्यालय एवं आवास में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पुर्ननियुक्ति/सेवा विस्तार दिया गया है ? क्या इसके लिये शासन से पूर्वानुमति प्राप्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसके लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवारत कर्मचारियों को सेवामुक्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जिला हरदोई में राजस्व विभाग के अन्तर्गत जिलाधिकारी के कार्यालय या आवास पर सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी कर्मचारी को न तो नियुक्त किया गया है और न किसी कर्मचारी को सेवा विस्तार दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा नगरपालिका में स्थित थिरुवां पुल का निर्माण

47-श्री बलराम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद, टाण्डा नगरपालिका में स्थित थिरुवां पुल निर्माण हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में लुम्बिनी-दुद्धी राजमार्ग संख्या 5 पर टाण्डा के समीप घाघरा नदी पर सेतु निर्माण एवं शिलान्यास पर व्यय

48-श्री बलराम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद, टाण्डा के अन्तर्गत महरीपुर कलवारी सरयू नदी पर स्व0 जयराम वर्मा पुल निर्माण हेतु 1988 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा शिलान्यास किया जा चुका है ? यदि हां, तो शिलान्यास एवं अन्य मदों पर कितना व्यय किया गया ? क्या 1990-91 में उक्त पुल निर्माण हेतु एक करोड़ रुपया राज्य सेक्टर से स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद फैजाबाद में लुम्बिनी-दुद्धी राजमार्ग संख्या 5 पर टाण्डा के समीप घाघरा नदी पर सेतु का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 7-11-87 को किया गया था ।

सेतु के प्रारम्भिक कार्यों जैसे माडल स्टडीज, भूमि परीक्षण सर्वेक्षण, कार्य-स्थल पर स्थान की व्यवस्था एवं शिलान्यास पर कुल 6.89 लाख रु0 व्यय किया गया।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद में पवई बागबहार-कोहड़ा राजमार्ग की पटरी एवं सोलिंग का रख-रखाव

49-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में निर्माण खण्ड नं0 1, लो0 नि0 वि0 के अन्तर्गत बागबहार-कोहड़ा मार्ग की पटरी एवं सोलिंग क्षतिग्रस्त है ? इसका क्या कारण है और कब तक मार्ग को ठीक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद आजमगढ़ में बागबहार-कोहड़ा नाम का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि पवई बागबहार-कोहड़ा के नाम से मार्ग है जिसकी सोलिंग व पटरी क्षतिग्रस्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्ग अनुरक्षण के अन्तर्गत है जिस पर सामान्य अनुरक्षण कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार कराया जाता है ।

जनपद बांदा कलेक्ट्रेट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

50-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा कलेक्ट्रेट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में क्या ग्यारह लोग चयनित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन ग्यारह लोगों में अनुसूचित जाति के श्री सन्तोष कुमार श्रीवास का भी चयन किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र संख्या ध0नं0 449712 दिनांक 13-1-92 के द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को लिखा गया था? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति न होने का क्या कारण है ? क्या ,निकट भविषय में इनकी नियुक्ति की जावेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां । अनुसूचित जाति/ जन जाति का कोटा पूर्ण करने हेतु चयनित सूची दिनांक 4-2-91 को बनाई गई थी ।

चयनित उक्त सूची में श्री सन्तोष कुमार श्रीवास का नाम क्रमांक 10 पर था।

जी हां ।

उक्त चयनित सूची की वरीयता क्रम के अनुसार क्रमांक 1 से 9 तक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा 21.87 प्रतिशत हो चुका है ।

वर्तमान में अनुसूचित जाति/जन जाति का चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त न होने के कारण श्री सन्तोष कुमार श्रीवास की नियुक्ति फिलहाल सम्भव नहीं है।

बांदा जनपद की कर्वी तहसील के ग्राम रमोली के चकबन्दी की स्थिति

51-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अंतर्गत तहसील कर्वी के गांव रमैली में चकबन्दी कराये जाने संबंधी तत्कालीन राजस्व मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-7-90 प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रश्नकर्ता को यह सूचित किया गया है कि आवश्यक निर्देश के साथ दिनांक 11-7-90 को चकबन्दी आयुक्त को उक्त पत्र भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ? क्या चकबन्दी अब कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

तहसील कर्वी के 49 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गयी है । शेष ग्रामों को, जिसमें ग्राम रमोली भी है, निर्धारित मानक अनुसार चकबन्दी योग्य पाये जाने पर ही चकबन्दी प्रक्रिया में लिया जाना सम्भव हो सकता है ।

52-श्री राम प्रसाद सिंह-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

बांदा जनपद में सन् 1991-92 के बाढ़ राहत कार्य हेतु आवंटित धनराशि एवं व्यय की जानकारी

53-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1991-92 में बांदा जनपद को बाढ़ राहत कार्य हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ? आवंटित धन का व्यय किस प्रकार, किस-किस मद में और कहां-कहां हुआ ? क्या उपलब्ध धन बाढ़ राहत कार्य में व्यय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

वर्ष 1991-92 में जनपद बांदा बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ और न ही बाढ़ राहत कार्यों हेतु कोई आवंटन हुआ ।

अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कसया, देवरिया के मृतक के आश्रित की नियुक्ति की जानकारी

54-श्रीमती शारदा देवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 अलगू, बेलदार, लोक निर्माण विभाग, कसया, जनपद देवरिया की मृत्यु दिनांक 6-4-91 को ड्यूटी के दौरान हुई थी ? यदि हां, तो क्या मृतक कर्मचारी के आश्रित पुत्र श्री फेकू की एवज में नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कसया (जनपद देवरिया) में श्री अलगू नहीं बल्कि श्री फेकू पुत्र श्री अलगू, बेलदार के पद पर कार्यरत थे, जिनकी दिनांक 6-4-91 को मृत्यु हुई थी ।

स्व0 श्री फेकू के आश्रित पुत्र श्री शम्भू नाथ की नियुक्ति बेलदार के पद पर मृतक आश्रित के रूप में की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद की तहसील रसड़ा के ग्राम खण्दवा में श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह दत्तक पुत्र श्री हर नरायन सिंह के विरुद्ध अधिकतम जोत सीमा रोपणान्तर्गत जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

55-श्री राधे श्याम वर्मा, श्री छोटे लाल यादव तथा श्री अवध पाल सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के अन्तर्गत ग्राम व पो0 खण्दवा में श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह दत्तक पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह के पास भूमि अधिक है जो सिकमी प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है ? इस सम्बन्ध में वर्ष 1991 में भूमि गरीबों में बांटने की पूरी कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी थी जो इस समय भी लम्बित है ? क्या सरकार उक्त भूमि संबंधी प्रकरण की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद बलिया, तहसील रसड़ा के ग्राम खन्दवा में श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह दत्तक पुत्र विजय बहादुर सिंह नामक कोई व्यक्ति नहीं है जो अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत आता है। बल्कि वीरेन्द्र बहादुर सिंह दत्तक पुत्र हर नरायन सिंह निवासी ग्राम खन्दवा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं ।

वर्ष 1991 में भूमि आवंटन की कोई कार्यवाही नही की गयी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र हर नरायन सिंह, निवासी ग्राम खन्दवा के भूमि के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, रसड़ा से जांच करायी गयी । जांच के पश्चात् श्री सिंह सीलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उपयुक्त पाये गये । फलस्वरूप खातेदार के विरुद्ध अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 10(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दी गयी ।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के ग्राम सभा चितहरी में कृषि भूमि के आवंटन के समय में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

56-श्रीमती शारदा देवी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, तहसील चौरी चौरा, परगना हवेली तथा राजधानी के भ्रमण सभा चितहरी में कृषि भूमि आवंटन की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 24-8-90 को जिला प्रशासन से की गयी थी ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां, भ्रमण सभा चितहरी नहीं है, बल्कि ग्राम सभा चितहरी है ।

शिकायत की जांच करायी गयी तथा अपात्र व्यक्तियों के पक्ष में हुये कृषि भूमि आवंटन को निरस्त करते हुए जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198(4) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के ग्राम असरेवा में सार्वजनिक आबादी को इन्दराज करने एवं अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

57-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की बीकापुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा असरेवा स्थित भूमि संख्या 567/2, 738, 743, 740, 741, 742 आदि को ग्रामवासियों द्वारा प्राचीन काल से बतौर आबादी प्रयोजन में लाये जाने के दौरान ही गांव के कुछ लोगों द्वारा अपने खाते में इन्दराज करा लेने की शिकायत पर ए0डी0ओ0 कार्यालय द्वारा अभिलेखीय त्रुटि को ठीक किये जाने के बाद, चकबन्दी विभाग द्वारा, सार्वजनिक हित की भूमि को सी0एच0 18 घोषित कर दिये जाने के कारण, इस गांव के लगभग 20 अनुसूचित जाति के परिवारों के निकलने का रास्ता बन्द करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि को फर्जी तौर पर अन्य व्यक्तियों के खाते में दर्ज करके उक्त परिवारों का उत्पीड़न कराने के लिये विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ शहर के तेली बाग क्षेत्र में खारिका वार्ड में छात्रों को निर्धारित मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाना

58-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शहर के तेलीबाग क्षेत्र के खरिका वार्ड के छात्रों को उनके परिचय पत्र पर प्रति माह 5 लीटर मिट्टी का तेल दिये जाने के आदेश क्षेत्रीय खाद्याधिकारी, हजरतगंज, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-मेमो/क्षे0 खा0अ0/पे0 उ0, दिनांक 9-1-91 को, शिवानन्द गुप्त, रा0उ0 दर विक्रेता, तेलीबाग को किये थे ? यदि हां, तो छात्रों को उक्त आदेश के बाद अब तक कितनी मात्रा में तेल दिया गया है ?

श्री एजाज रिज़वी-

जी हां ।

उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत 9 मार्च, 1992 तक कुल 405 लीटर मिट्टी का तेल दिया गया है ।

वाराणसी जनपद के पिंडरा ब्लाक में कतिपय मार्गों का पूर्ण निर्माण कराने की मांग

59-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रामनगर से अमौत मार्ग तथा राजपुर में वनझुलियावारी से नयेपुर-बड़वापुर मार्ग, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में लोक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा एक कोट गिट्टी डाल कर कुटाई की गई है ? यदि हां, तो क्या इसका लेपन कार्य धान की कमी के की वजह से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त दानों मार्गों के लिये धन देकर उन्हें पूर्ण कराने का आदेश देगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत दोनों मार्गों की कुल लम्बाई 2.55 कि0मी0 में से 1.35 कि0मी0 में दो कोट गिट्टी की कुटाई करके खड़ंजा स्तर तक मार्ग का निर्माण किया गया है।

प्रश्नगत मार्गों पर लेपन का कार्य स्वीकृत नहीं है ।

विषयगत दोनों मार्गों पर लेपन का कार्य कराया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति, स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

वाराणसी जनपद में पिंडरा-पिंडराई बर्जी मार्ग को बड़ागांव-नमईपुर-रामपुर मार्ग में मिलाये जाने की मांग

60-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा-पिंडराई-बर्जी मार्ग, त0व जिला वाराणसी सिर्फ डेढ़ किलोमीटर तक ही बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिंडराई से पश्चिम नहर की पट्टरी तक उक्त मार्ग का निर्माण कराकर बड़ागांव वाया नमईपुर-रामपुर मार्ग में मिलाने की आज्ञा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो इस कार्य के लिये धन की व्यवस्था कब तक सरकार करेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां,

प्रश्नगत मार्ग के 1 1/2 कि0मी0 के आगे का भाग लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। उक्त मार्ग को बड़ागांव वाया नमईपुर-रामपुर से मिलाया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति, स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़-जौनपुर मार्ग से मझगांवा मार्ग पर घटिया स्तर की गिट्टी की आपूर्ति का आरोप

61-श्री अंगद सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग खण्ड (1) जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मझगावां मार्ग पर घटिया किस्म की मिट्टी की

आपूर्ति हुई है ? यदि हां, तो क्या उसकी जानकारी शासन को है ? यदि हां, तो क्या उसकी टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मझगांवा नाम का कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है, किन्तु आजमगढ़-जौनपुर मार्ग से मझगांवा मार्ग स्वीकृत है, जिसमें गिट्टी की आपूर्ति नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग के मुण्डीयार से दुर्वासा मार्ग पर स्वीकृत अधूरी पुलिया का निर्माण

62-श्री अंगद यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग के मुण्डीयार से दुर्वासा मार्ग के कि0मी0 5 से 100 मीटर के चैनेज में आर0सी0सी0 की पुलिया अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? यदि पुलिया स्वीकृत है, तो कब तक निर्माण पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग

जी हां ।

धन आवंटन न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका तथा इसे यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा ।

जिला आगरा में रा0 मार्ग नं0-2 से रा0 मा0 नं0-3 को जोड़ने वाले गढ़ी महावन पर बने पैण्टून पुल पर टोल टैक्स हेतु नोटिफिकेशन जारी किया जाना

63-श्री विजय सिंह राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में राष्ट्रीय मार्ग नं0-2 को राष्ट्रीय मार्ग नं0-3 से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर गढ़ी महावन पर बने पैण्टून पुल से टोल टैक्स वसूल किये जाने हेतु नोटिफिकेशन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज एवं देवरिया को जोड़ने वाले सिसवा-खडडा मार्ग पर यादवेन्द्र सिंह मार्ग का बोर्ड लगाये जाने की जानकारी

64-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज एवं देवरिया को जोड़ने वाले सिसवा-खड्डा मार्ग को शासन और लोक निर्माण विभाग के

स्पष्ट आदेशों के बावजूद "यादवेन्द्र सिंह मार्ग" नाम शिला पट्टिका, मार्ग के दोनों छोरों पर न लगाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त मार्ग की शिलापट्टिका किसी निर्धारित तिथि तक लगवाना सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मार्ग के दोनों छोरों पर "यादवेन्द्र सिंह मार्ग" का बोर्ड लगा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में स्वीकृत बीकवा जीतपुर-महरुआ मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराने एवं टोंस नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग

65-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत बिकवाजीतपुर-महरुआ मार्ग स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, यदि हां, तो इस सड़क के लिये कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ? उसमें से कितना धन खर्च करके सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है ? अभी कितना निर्माण कार्य अवशेष है ? क्या यह भी बतायेंगे कि सरकार इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा कराकर, जनता को आवागमन हेतु साधन सुलभ कराने की स्थिति में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

प्रश्नगत सड़क के लिये 20.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं ।

इस सड़क पर माह फरवरी, 1992 तक रुपये 3.81 लाख खर्च करके 2 कि0मी0 में मध्य सतह की कुटाई एवं 3 कि0मी0 में ऊपरी सतह के पत्थर के एकत्रीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है ।

4 कि0मी0 मध्य सतह का कार्य 6 कि0मी0 में ऊपरी सतह का कार्य एवं सम्पूर्ण 6 कि0मी0 लम्बाई में लेपन का कार्य अवशेष है ।

अवशेष निर्माण कार्य की पूर्ति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

66-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत बिकवाजीतपुर-महरुआ मार्ग पर बसाहेरी घाट के पास समसा नदी पर पक्का पुल बनाये जाने के बारे में प्रदेश सरकार द्वारा राजाज्ञा जारी की गई है ? पुल की अनुमानित लागत उसमें क्या दर्शायी गई है ? उक्त पुल के निर्माण कार्य पर कितनी धनराशि व्यय करके, कितना कार्य पूरा कराया गया है और कितना कार्य शेष बचा है ? शेष बचे हुये निर्माण कार्य को कब तक पूरा करके जनता के उपयोगार्थ इस पुल को खोल दिया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

राजाज्ञा दिनांक 7-11-1990 को जारी की गई है ।

पहुंच मार्गों सहित पुल की अनुमानित लागत 69.80 लाख रुपये दर्शायी गई है। मुख्य सेतु के निर्माण पर माह फरवरी, 1992 तक 26.85 लाख रुपये व्यय करके 51 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है तथा 49 प्रतिशत कार्य अवशेष है ।

पुल के अवशेष कार्य की पूर्ति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में राजभर/भर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग

67-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 मार्च, सन् 1932 ई0 में उ0प्र0 सरकार ने राजभरों/भर जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिये केन्द्र सरकार को अपनी प्रवल संस्तुति के साथ सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक अनुसूचित जाति की श्रेणी में न रखे जाने का क्या कारण है ? कब तक इसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की राजभर/भर जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने की संस्तुति पत्र दिनांक 18 मई, 1982 द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई थी ।

इस संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर स्मरण करया गया है । अनुसूचित जाति की श्रेणी में किसी जाति को सम्मिलित करने की कार्यवाही केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है ।

स्थानीय अभियन्ता, बी0बी0 सिन्हा, अ0वि0नि0ई0, बहराइच के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

68-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय अभियन्ता, बी0बी0 सिन्हा, अ0वि0नि0ई0, बहराइच के विरुद्ध जांच के संबंध में कैसरगंज, जनपद बहराइच के सांसद तथा नानपारा एवं बहराइच के विधायकगण का शिकाती-पत्र दिनांक 18-8-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच विभागीय माध्यम से कराई गई । जांच आख्या विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवर अभियन्ता, रामवृक्ष यादव, अ0नि0नि0ई0, लोक निर्माण, बहराइच पर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

69-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता, रामवृक्ष यादव, अ0नि0नि0ई0, लोक निर्माण, जिला बहराइच के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कापी पुस्तिका की छाया प्रति सहित कैसरगंज, जनपद बहराइच के सांसद एवं विधायक, गण का शिकायती-पत्र दिनांक 18-8-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त के संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां, परन्तु प्रश्नांकित माप पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त नहीं हुई थी।

प्रारम्भिक जांच विभागीय मध्यम से करायी गयी । जांच आख्या विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर के ग्राम खाखादेई में अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध लम्बित वादों का निस्तारण

70-श्री बाला प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील तुलसीपुर के ग्राम खाखादेई के अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-115 सी के अन्तर्गत कितने मुकदमें कितने समय से तहसीलदार, तुलसीपुर के न्यायालय में लम्बित हैं? लम्बित रहने का कारण क्या है ? उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

पांच मुकदमें लम्बित हैं जिसमें से एक वाद वर्ष 1986, तीन वाद वर्ष 1989 तथा एक वाद वर्ष 1991 से लम्बित है । अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण प्रतिवादी का साक्ष्य पूर्ण न होने के कारण इन वादों का निस्तारण नहीं हो सका । प्रतिवादीगणों का साक्ष्य समाप्त होते ही वादों का निस्तारण कर दिया जायेगा ।

जनपद मिर्जापुर नगर क्षेत्र में स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों का निर्माण एवं रा0 मार्ग नं0 7 से कतिपय मार्गों का लेपन स्तर तक बनाये जाने की जानकारी

71-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट सेक्टर से मिर्जापुर नगर क्षेत्र में कितनी धनराशि के किन-किन पुलों व सड़कों को निर्माणार्थ लिया गया है ? उसकी तुलना में चुनार विधान सभा क्षेत्र में कितनी धनराशि को किन-किन सडकों एवं पुलियों को निर्माणार्थ किया गया है। यदि कोई विषमता है, तो उसका क्या औचित्य है ? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 7 से जलालापुर माफी गोरखपुर तक,

कलिहट-अदलहाट-आंडी-गरीलातक, नरायनपुर- इमिलिया-चट्टी मार्ग, गोगापुर, रामरायपुर-परसबंधा-सोनई-देवलासी तक, भाईपुर- चकिया -देवरा-भथउरा-डवक तथा चुनार घाट से मिश्रपुरा-कठेरवा जोगी, थोगी- सीखड़ होते हुए रामगढ़ प्रभापुर-फुलह-धनैता-विदापुर होते हुए बलना की मठुई तक के मार्ग पर सड़कों की पेंटिंग (लेपन स्तर) इसी वित्तीय वर्ष में करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मिर्जापुर नगर विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत फरवरी, 1992 तक स्वीकृत हुई है:-

मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रुपये में)
1-मिर्जापुर शहरी मार्ग की राइटिंग क्वालिटी में सुधार	12.00
2-लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग राज्य मार्ग संख्या-5 पर शास्त्री सेतु मिर्जापुर के दोनों ओर ऊंचे तटबंध वाले मार्ग पर रिटेलिंगवाल सहित ट्रक ले वाई का निर्माण,	20.00
3-चील्ह-कमासिन मार्ग	9.00
4-टाण्डाफाल मार्ग के पूरे भाग का निर्माण	10.00
5-राष्ट्रीय मार्ग से गंगहरा कला मार्ग	4.00

चुनार विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें स्वीकृत हुई हैं :-

मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रुपये में)
1- खानपुर-कठेरवा मार्ग	4.05
2- मगरहां-सीखड़-रामगढ़ प्रेमापुर-हांसीपुर-खैरा मार्ग	10.50
3- वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर एशियन डेवलपमेंट बैंक परियोजना के अन्तर्गत अदलहाट उप मार्ग हेतु भूमि अध्याप्ति का कार्य ।	25.00

विषमता नगण्य है । यायायात एवं कार्य के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त स्वीकृतियां विभिन्न वर्षों में जारी की गयी हैं ।

प्रश्न में वर्णित मार्गों की स्थिति निम्नवत् है:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग-7 से जलालपुर-माफी-गंगपुर तक कुल लम्बाई 10.75 कि0मी0 है, जिसमें केवल 7.75 कि0मी0 लेपर स्तर तक स्वीकृत है जो लेपित हो चुकी है । शेष 3.00 कि0मी0 लेपन हेतु स्वीकृत नहीं है ।

(2) कैलहट अदलहाट-औड़ी गौरिल्ला मार्ग इस मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 22.00 किमी0 है, जो लो0नि0विभाग के अधीन नहीं है और न ही लो0नि0विभाग में लेपन हेतु स्वीकृत है ।

(3) नरायनपुर इमिलिया चट्टी मार्ग की कुल लम्बाई 17.50 कि0मी0 है जिसमें से 14.00 कि0मी0 लेपन हेतु स्वीकृत है शेष लेपन हेतु स्वीकृत नहीं है । स्वीकृत भाग में 5.00 कि0मी0 लेपित हो चुका है ।

(4) गांगपुर-रामरायपुर-परसबंधा-सोनई देवलासी मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 10.00 कि0मी0 है जिसमें परसबंधा-बघेड़ी, लम्बाई 2.00 कि0मी0 एवं परसबंधा-गांगपुर 1.00 कि0मी0 ही लेपन हेतु स्वीकृत है ।

(5) भाईपुर-चौकिया-ढेवरा-ममऊरा-डवक मार्ग की कुल लम्बाई 15.60 कि0मी0 है, जो लेपन हेतु स्वीकृत नहीं है ।

(6) चुनारघाट से मिश्रपुर-जोगी-भोगी सीखड़-रामगढ़-प्रेमापुर-धनैती-बिदापुर होते हुए बलना की मड़ई तक मार्ग की लम्बाई लगभग 20.00 कि0मी0 है जिसमें से 13.00 कि0मी0 भाग लो0नि0विभाग के अधीन है शेष भाग अन्य विभाग के अन्तर्गत है । लो0नि0विभाग के अधीन मगरहा-सीखड-हांसीपुर मार्ग 3.00 कि0मी0 लम्बाई में लेपित है ।

प्रश्नगत मार्गों में लेपन हेतु स्वीकृत लम्बाई पर लेपन का कार्य सीमित संसाधनों के कारण वित्तीय वर्ष 1991-92 में पूर्ण नहीं कराया जा सका है। लोक निर्माण विभाग से संबंधित मार्गों के जो भाग लेपन हेतु स्वीकृत नहीं है, उन्हें लेपित किया जाना स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के ग्राम मुड़ेरी में अवैध ईंट भट्ठा चलने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जानकारी एवं उन पर कार्यवाही

72-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी सदन जनपद महराजगंज को प्रश्नकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से दिये हुए दिनांक 9-12-91 के पत्र संख्या 472225 के द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिसवा स्थित तहसील महराजगंज के ग्राम सभा मुंडेरी की भूमि पर अवैध ईंट भट्ठा चलाये जाने की शिकायत में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इस शिकायती-पत्र में मुख्य शिकायत के बिन्दु क्या थे ? परगनाधिकारी ने इस संबंध में 31 जनवरी, 1992 तक कुल कितने बार जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार किया ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सीतापुर में परिक्रमा मार्ग को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने एवं गोमती नदी पर पुल निर्माण

73-श्री राम कृष्ण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में परिक्रमा मार्ग कितना पक्का हो चुका है ? क्या यह भी बतायेंगे कि सीतापुर को हरदोई जिले से परिक्रमा मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर गोमती नदी का पुल व पूरा मार्ग कब तक पेन्टेड कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद सीतापुर में पड़ने वाले परिक्रमा मार्ग की लगभग 117 कि0मी0 लम्बाई में से वर्तमान में 22.50 कि0मी0 में लेपन तथा 25.50 कि0मी0 सोलिंग (खड़ंजा/कंकड़) स्तर तक निर्मित है । गोमती नदी पर ककरघटाघाट एवं द्रोणाचार्य घाट पर पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है । द्रोणाचार्यघाट से लगभग एक कि0मी0 नीचे की ओर दधनामऊघाट पर दीर्घ सेतु स्वीकृत है, जिसे पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । परिक्रमा मार्ग का 12.5 कि0मी0 भाग लेपन स्तर तक निर्माण हेतु वर्ष 89-90 एवं 90-91 की जिला योजना में स्वीकृत हुआ है किन्तु पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण लेपन का कार्य नहीं किया जा सका है । मार्ग की अवशेष लम्बाई में कार्य कराया जाना स्वीकृत एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2 जिला आजमगढ़ के स्वीकृत रानी की सराय सोनवारा कोइलारी मार्ग पर मिट्टी आपूर्ति की जांच

74-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड (2)ई, आजमगढ़ के अन्तर्गत कोईलाड़ी मार्ग पर घटिया किस्म की मिट्टी की आपूर्ति हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर ली गयी मिट्टी की टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड (2), आजमगढ़ के अन्तर्गत कोईलाड़ी नामक कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है । रानी की सराय सोनवार कोईलारी मार्ग स्वीकृत है । इस मार्ग में आपूर्ति की गयी मिट्टी स्वीकार्य विशिष्टता की है ।

प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ ने माह सितम्बर, 1991 में जनपद के दौरे के समय इस मार्ग की सामग्री की भी जांच की थी । इनके द्वारा बतायी गयी कटौती ठेकेदारों से कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शहर बाईपास व भदली एप्रोच मार्ग पर कार्यों की जांच रिपोर्ट की जानकारी

75-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में निर्माण खण्ड (1) लो0नि0वि0 के अन्तर्गत शहर बाईपास व भदली एप्रोच रोड के कार्यों पर कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन में आ गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जांच अधिकारी द्वारा प्रश्नगत जांच पूर्ण कर ली गयी है । जांच आख्या प्राप्त हो गयी है । गोपनीय होने के कारण उसे पटल पर नहीं रखा जा सकता ।

जनपद बांदा में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के आवासों के आवंटन में आरक्षण कोटा की जानकारी

76-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के आवासों के आवंटन में अनूसूचित जाति का कोटा पूरा है ? क्या सरकारी आवासों में जिस अनुपात से अनुसूचित जाति के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवास मिलना चाहिये, वह दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बांदा के सभी सरकारी आवासों की सूची आवंटी के नाम, पद नाम व जाति सहित उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी की तहसील राम सनेही घाट के ग्राम पूरे पूरन तिवारी मजरे खरिका कूल में त्रुटिपूर्ण गाटों पर कब्जा दिलाने तथा चकरोड खुलवाने विषयक प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

77-श्री दीना नाथ सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पूरे पूरन तिवारी मजरे खरिकाकुल, तहसील-राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी के बारे में प्रार्थना-पत्र उन्हें दिनांक 27-7-91 को प्राप्त हुआ है, जो कि सेक्टर 13 के गाटा संख्या 620, 621 व अन्य की पैमाइश कराकर, कब्जा दिलाने संबंधी था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

उक्त पत्र जांच एवं उचित कार्यवाही हेतु बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के यहां भेजा गया । सेक्टर 13 के स्थल निरीक्षण के गाटों के क्षेत्रफल में त्रुटियां पायी गयीं । त्रुटियों के निवारणार्थ संदर्भ बनाकर उप संचालक, बाराबंकी के यहां प्रस्ताव बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

78-श्री दीना नाथ सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पूरे पूरन तिवारी, मजरे खरिकाकुल, तहसील-राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी के किनारे से पूरब की ओर जाने वाला चकरोड निकालने के लिये ग्रामवासियों का प्रार्थना पत्र उन्हें दिनांक 27-7-91 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

स्थल निरीक्षण के बाद चकरोड निकालने के लिये ग्रामवासियों से भी बात-चीत की गयी और ग्रामवासियों की प्रार्थनानुसार कार्यवाही की जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में तुलसीपुर से उतरौला रोड पर राप्ती नदी पिपराघाट पर पुल निर्माण की मांग

79-श्री बिन्दु लाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में तुलसीपुर से उतरौला रोड पर राप्ती नदी के पिपराघाट पर पुल के निर्माण हेतु स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो उस पर कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

प्रश्नगत स्वीकृति शासनादेश दिनांक 17-4-86 द्वारा जारी की गयी थी जिस के 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर कार्य प्रारम्भ न होने के कारण वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-6 के प्रस्तर-380 के अनुसार स्वीकृति स्वतः समाप्त हो गयी ।

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोण्डा के अधिशासी अभियन्ता, सहायक एवं अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध टी0ए0सी0 जांच की मांग

80-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25 जनवरी, 1992 से 29 जनवरी, 92 के बीच में कोई शिकायती पत्र श्री आर0एन0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा तथा उनके अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध धन का दुरुपयोग करने के संबंध में दिया था और टी0ए0सी0 से जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच विभागीय माध्यम से कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

फर्रुखाबाद जनपद के शमशाबाद ढाईघाट मार्ग पर पीपे के पुल के निर्माण की मांग

81-श्री इजहार आलम खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष शमशाबाद, जनपद फर्रुखाबाद में गंगा नदी पर पीपों का पुल न बनाये जाने का क्या कारण है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद फर्रुखाबाद में शमशाबाद ढाईघाट मार्ग पर ढाईघाट स्थान पर पीपे का पुल दिनांक 1-2-92 से यातायात हेतु सुलभ है ।

जनपद आजमगढ़ की सदर तहसील के ग्राम सेठवल में कार्यरत लेखपाल के स्थानान्तरण की मांग

82-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ तहसील सदर विकास खण्ड रानी की सराय के अन्तर्गत ग्राम सेठवल में कार्यरत लेखपाल किस तिथि महीने और सन् में वहां कार्यरत हैं ? यदि उक्त लेखपाल उक्त ग्राम में ज्यादा दिनों से कार्यरत हैं, तो उसका स्थानान्तरण अब तक किन परिस्थितियों में नहीं किया गया ? यदि उक्त लेखपाल का स्थानान्तरण किया जायेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

प्राप्त सूचनानुसार जनपद आजमगढ़ तहसील सदर, विकास खण्ड-रानी की सराय के अंतर्गत ग्राम सेठवल में कार्यरत लेखपाल श्री देव नाथ दूबे, दिनांक 1-8-90 से कार्यरत हैं ।

लेखपाल के लिये एक लेखपाल मण्डल में 5 वर्ष तक लेखपाल के कार्य करने की अवधि नियमों में निर्धारित है । उक्त लेखपाल प्रश्नगत हल्के में ज्यादा दिनों से कार्यरत नहीं है और न इनके स्थानान्तरण का प्रशासनिक आधार है। अतः उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 के अन्तर्गत शमशाबाद में मझुई नदी पर स्वीकृत सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में जानकारी

श्री अंगद सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र में शमशाबाद में मझुई नदी पर सेतु

(पुल का शिलान्यास) तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा किया गया था ?यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

प्रश्नगत पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की अवधि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में सड़कों, पुलों एवं पुलियों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत धन एवं नये मार्गों के निर्माण की जानकारी

84-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1990-91 में व 1991-92 में लोक निर्माण विभाग, बांदा की सड़कों, पुलों एवं पुलियों के रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि दी गयी है ? नये मार्गों के निर्माण हेतु किस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद बांदा में सड़कों, पुलों व पुलियों के रख-रखाव हेतु वर्ष 1990-91 एवं वर्ष 1991-92 में क्रमशः रु0 176.36 लाख एवं रु0 147.38 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है ।

नये मार्गों के निर्माण हेतु वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में जिला योजना के अन्तर्गत क्रमशः रु0 282.66 लाख एवं रु0 169.55 लाख तथा आर0एल0ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत रु0 5.50 लाख (पिछले वर्ष की अवशेष धनराशि) शून्य धनराशि उपलब्ध करायी गयी ।

अपर जिलाधिकारी, जिला मुजफ्फरनगर हेतु आवासीय सुविधा की जानकारी

85-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-10-91 को अपर जिला अधिकारी, मुजफ्फरनगर की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिये भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा कब्जा दिलाने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह आश्वासन पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर जिला परिषद् के आवास में और अपर जिलाधिकारी (विकास) मुजफ्फरनगर राईफल क्लब के आवास में पहले से ही रह रहे हैं । दोनों अपर जिलाधिकारियों के लिये किसी आवासीय भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इस विषय में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही नहीं की जानी है । अतः कब्जा दिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फ़र्रुखाबाद में कतिपय मार्गों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने की मांग

86-श्री अरविन्द प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये भवतपुर से मुखड़ा तक ईंट सोलिंग, मढ़पुरालाखा-बहांसी कंकड़ मार्ग, इन्दरगढ़ में बहोसी कंकड़ मार्ग पर ईंट सोलिंग मार्ग तथा गिट्टी मार्गों पर पेंटिंग न कराने के कारण उक्त सभी मार्ग कट रहे हैं ? यदि हां, तो इन मार्गों पर पेंन्टिग का कार्य कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है । इनके लेपन का कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रदेश की बाल निकेतनों में रहने वाली संवासिनियों को संवासी भरण पोषण में बढ़ोत्तरी किये जाने पर विचार

डा0 बृजभान यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की महिला कल्याण की आवासीय संस्थाओं (बालिका निकेतनों) में संवासिनियों हेतु 150 रु0 प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से प्राप्त हो रहा है जबकि इसी प्रकार की समाज कल्याण की आवासीय संस्थाओं में 312 रुपये प्रति माह प्रति संवासी दिया जा रहा है ?यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

बालिका निकेतनों में रहने वाली संवासिनियों को रु0 312 प्रतिमाह प्रति संवासिनी की दर से भरण-पोषण दिये जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

इलाहाबाद जनपद में होलागढ़ मार्ग को आबादी से बाहर निर्मित कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

88-श्री प्रभाशंकर पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिचरण यादव, एम0एल0ए0 का राज्य मंत्री लोक निर्माण को संबोधित तथा इलाहाबाद जनपद के ब्लाक चतुरीपुर, सराय लाल, सांतु दादूपुर इत्यादि होते होलागढ़ मार्ग की आबादी से बाहर निर्मित किये जाने विषयक पत्र दिनांक 24-1-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्या शीघ्र ही आबादी के बाहर सड़क का निर्माण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सड़क के प्रस्तावित नक्शे में ए0ई0एन0/इलाहाबाद के श्री एस0एन0यादव द्वारा फेरबदल करके श्री जय प्रकाश यादव के मकान की नींव एवं दरवाजे से

सटाकर सड़क का निर्माण पूर्वनिर्माण राज्य मंत्री के आदेशों की अवहेलना करके कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

समाज कल्याण विभाग के शीध्र संस्थान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जानकारी

89-श्री अनिल कुमार-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उनके विभाग के शोध संस्थान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भुगतान शासन द्वारा स्वीकृत 02 (मजदूरी मद) न होने पर भी किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस बारे में निदेशक महोदय ने शासन को यह स्पष्टीकरण भेजा है कि केवल मा0 उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर्मियों को ही भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या अन्य मद में स्वीकृत धन को बिना शासकीय अनुमति के पुनर्विनियोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो सर्वश्री भगवती प्रसाद, सुभाष कुमार, रामप्रीति, रामबचन यादव, गिरीश कुमार आदि को पुनः किस प्रकार नियुक्त किया गया ? क्या शासकीय नियमों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में स्थगनादेश न होने पर भी इनको भुगतान किया जा रहा है ? क्या गलत तथ्य शासन के संज्ञान में लाने के लिये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निदेशक, शोध संस्थान समाज कल्याण विभाग पर कथित दुर्वव्यवहार का आरोप

90-श्री अनिल कुमार-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग के शोध संस्थान के निदेशक के विरुद्ध दिनांक 14-12-90 की रात्रि 11.15 बजे संस्थान के भवन में जाने तथा चौकीदारों द्वारा आपत्ति करने पर दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली थी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच हुई ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह भी सत्य है कि उन चौकीदारों में से अनुसूचित जाति के एक चौकीदार श्री राम नन्दन पासवान को सेवा से निंकाल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दूसरे चौकीदार का भी उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस संबंध में कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

जी हां ।

जांच में उसे निराधार पाया गया ।

चौकीदार का कोई पद स्वीकृत नहीं है । श्री राम नन्दन पासवान दैनिक मजदूरी पर कार्यरत थे और वे अनुपस्थित हैं ।

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 के कतिपय मार्गों की मरम्मत/निर्माण हेतु स्वीकृत धन की जानकारी

91-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बूढ़नपुर दीदार मार्ग, कप्तान गंज-अहिरौला मार्ग, बसही-सोफीपुर मार्ग पर सन् 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90 में शासन द्वारा मरम्मत/निर्माण हेतु कितना धन दिया गया है ? क्या आज भी मार्ग की स्थिति दयनीय है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर-दीदारगंज-बरदह मार्ग तथा कप्तानगंज-अहरौला मार्ग पर प्रश्नगत वर्षों में निर्माण हेतु कोई धन नहीं दिया गया है । उक्त मार्गों पर मरम्मत हेतु दिये गये धन का वर्षवार विवरण संलग्न है।

बसही सोफीपुर नाम का कोई मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 254 पर)

92- श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

(6ठे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में पैलानी गलौली मार्ग से चन्दवारा मार्ग के निर्माण में फर्जी भुगतान का आरोप

93-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में ब्लाक जसपुरा के क्षेत्र में गलौली से चन्दवारा मार्ग को किस वर्ष बनाया गया है ? उक्त मार्ग की लम्बाई क्या है ? क्या मार्ग की वास्तविक लम्बाई को छिपाकर, 7.00 कि0मी0 मार्ग की लम्बाई दिखाकर भुगतान किया गया है यदि हां, तो क्यों ? क्या उच्च स्तरीय जांच कराकर अधिक मार्ग बनना दिखाकर सरकारी धनराशि के गबन पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर सरजीत सिंह डंग-

विकास खण्ड जसपुरा क्षेत्र में पैलानी-गलौली मार्ग से चन्दवारा मार्ग वर्ष 1988 में बनाया गया । 7.00 कि0मी0 स्वीकृत लम्बाई के समक्ष वास्तविक लम्बाई 5.50 कि0मी0 में मार्ग बनाया गया एवं तद्नुसार भुगतान किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण की वास्तविक स्थिति के अनुसार भुगतान किया गया है । अतः जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ की घोसी तहसील में ग्राम लखनी से मऊ बलिया तक जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग

94-श्री घुरहू तथा राम लखन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद की घोसी तहसील के ग्राम लखनी की मुख्य हरिजन बस्ती से बनही पुरवा होते हुए मऊ बलिया तक जाने वाली चौड़ी सड़क किसानों द्वारा जोत ली गयी है और जनता को आने जाने की भारी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनता की परेशानियों को ध्यान में रखकर उक्त सड़क को शीघ्र बनवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है ।

कार्य जिला योजना के परिधि में आता है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधान सभा क्षेत्र में हिन्डन नदी पर सेतु निर्माण की मांग

95-डा0 जी0 एस0 विनोद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरथावल विधान सभा क्षेत्र, मुजफ्फरनगर में कसौली, बुट्ढ़ाखेड़ा के बीच हिन्डन नदी पर पुल बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सेतु निर्माण की कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है । वर्तमान में अपूर्ण सेतुओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण ।

96-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।)

जनपद गोण्डा में तहसील तुलसीपुर के लेखपालों के विरुद्ध शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

97-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक तथा 1 जनवरी, 1992 से 25 जनवरी, 1992 तक जिलाधिकारी,

गोण्डा को तथा मुख्य राजस्व अधिकारी, गोण्डा को एवं परगना मजिस्ट्रेट, तुलसीपुर को तथा तहसीलदार, तुलसीपुर को किस-किस विधायक का तथा अन्य किन-किन लोगों का शिकायती-पत्र तहसील तुलसीपुर के किस-किस लेखपाल के विरुद्ध प्राप्त हुए ? जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और कितने शिकायती-पत्रों की जांच लम्बित है ? कितने शिकायती-पत्रों में लेखपाल दोषी पाये गये ? दोषी लोगों के विरुद्ध कौन-कौन आरोप पाये गये ? सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 1 जनवरी, 1991 से 25 जनवरी, 1992 के मध्य जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, गोण्डा, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, तुलसीपुर को कुल 100 शिकायती प्रार्थना-पत्र कतिपय लेखपालों के विरुद्ध प्राप्त हुए, जिनमें से एक पत्र मा0 श्री जसवन्त सिंह, सदस्य विधान परिषद् का तथा शेष सभी प्रार्थना-पत्र श्री अब्दुल अजीज, ग्राम प्रधान आदि के थे ।

कतिपय शिकायती-पत्रों की जांच संबंधित क्षेत्रीय नायब तहसीलदार एवं भूलेख निरीक्षकों से करायी गयी ।

जांच के दौरान भू-अभिलेखों में जालसाजी करने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के लिये दो लेखपाल दोषी पाये गये ।

दो लेखपालों (श्री छोटे लाल व श्री बुधेश्वर सिंह) को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

जनपद बलिया में त्रिवेदी एवार्ड के बंटवारे के क्रम में बिहार से हस्ताक्षरित ग्रामों के कास्तकारों को पर्चियां उपलब्ध कराने की जानकारी

98-श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री राज नारायण विन्द-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 में त्रिवेदी एवार्ड के बंटवारे के क्रम में उमरपुर दियारा बड़का खेत, बिहार के भोजपुर जनपद से काटकर उ0प्र0 के बलिया जनपद में समाजोजित कर दिया गया ? क्या यह सही है कि त्रिवेदी एवार्ड के अंतर्गत तय किया गया था कि भूमि की जो स्थिति पूर्व प्रदेश में रही है वही स्थिति नये प्रदेश में होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जनपद के किन-किन मौजों में बिहार से आने के बाद सर्वे और पर्चियां कितने-कितने कास्तकारों को वितरित की जा चुकी हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जी हां, यदि हस्तान्तरित भू-अभिलेख की स्थिति सक्षम न्यायालय द्वारा अन्यथा न सिद्ध कर दी गयी हो ।

बिहार के हस्तांतरित 99 ग्रामों में से 80 ग्रामों का सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है । शेष 19 ग्रामों में से 13 ग्रामों के काश्तकारों को पर्चियां दे दी गयी हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 255 पर)

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित जनजाति विकास परियोजना एवं थारू विकास परियोजना के कतिपय पदों को निदेशालय में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

99-श्री बिन्दु लाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विशुनपुर, विश्राम, गोण्डा के विकास कार्यों तथा समस्त कर्मचारियों के जनजाति विकास निदेशालय में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं के संचालन हेतु वर्ष 1990-91, 1991-92 में स्टाफ के वेतन हेतु कोई धनराशि आवंटित की गयी ? यदि की गयी तो कितनी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

दोनों परियोजनाओं के कतिपय पदों को निदेशालय में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है ।

परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

वेतन मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते के लिये आवंटित राशि:-

मद का नाम	1990-91	1991-92
एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी ।	5.44	5.55
थारू विकास परियोजना, विशुनपुर विश्राम, गोण्डा ।	1.04	1.06

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम भीखरपुर के अभिलेखों में हेरा फेरी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की मांग

100-श्री तीरथ राज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में अंकित पत्रांक-

वी0आई0पी0 3676 दिनांकित 7-12-91 की विषय वस्तु क्या है ? क्या मंत्री जी ने जिलाधिकारी, बाराबंकी को कथित पत्र के संबंध में कोई निर्देश दिये थे ? क्या जिलाधिकारी, बाराबंकी ने उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है ? यदि हां, तो क्या कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां । पत्र में गांव भीखरपुर के अभिलेखों में हेराफेरी की शिकायत की गयी है ।

जी हां । "कृपया आवश्यक कार्यवाही करें ।"

जी हां ।

जांच में यह पाया गया कि सारी गड़बड़ियां चकबन्दी अभिलेखों में हुई हैं । वर्तमान समय में गांव में द्वितीय चक्र की चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है इसलिये राजस्व न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र न रहने के कारण अभिलेखों की दुरुस्ती हेतु प्रकरण उप संचालक, चकबन्दी, बाराबंकी को भेजा गया है । उप संचालक, चकबन्दी के आदेश दिनांक 9-3-1992 द्वारा संबंधित चकबन्दी अधिकारी को मामले की जांच करके अभिलेखों की दुरुस्ती हेतु बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के माध्यम से आख्या भेजने को कहा गया है । मामले में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वांछित दुरुस्ती करा ली जायेगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी, सुल्तानपुर सदर से बहराइच में स्थानान्तरित लेखपालों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के विरुद्ध कार्यवाही

101-श्री शिवचरण प्रजापति-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कार्यालय बन्दोबत अधिकारी, चकबन्दी सदर, सुल्तानपुर के कतिपय लेखपालों का स्थानान्तरण चकबन्दी आयुक्त के पत्र संख्या 7341/ई0-1402/90, दिनांक 2-6-90 द्वारा सुल्तानपुर से बहराइच किया गया था ? यदि हां, तो उन स्थानान्तरित लेखपालों में से कितने लेखपाल ऐसे हैं जिन्होंने उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया और क्यों ? स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में उन लेखपालों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

सुल्तानपुर सदर से बहराइच स्थानान्तरित किये गये लेखपालों में से केवल एक लेखपाल ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है । उन्हें निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में चकबन्दी विभाग के लेखपालों व चपरासियों को हड़ताल अवधि का वेतन ड्यूटी अवधि का वेतन मानकर भुगतान करने का आरोप

102-श्री शिव चरण प्रजापति-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आज तक राज्य कर्मचारियों को, उनकी हड़ताल अवधि का वेतन, ड्यूटी अवधि का वेतन मानकर दिया गया है? यदि नहीं, तो जनपद मिर्जापुर में चकबन्दी विभाग के कुछ लेखपालों व चपरासियों को दिनांक 21-12-90 से 15-1-91 तक हड़ताल अवधि का वेतन, ड्यूटी अवधि का वेतन मान कर क्यों प्रदान किया गया है ? क्या यह सही है कि इस अनियमितता के संबंध में, उनकी विभागीय यूनियन द्वारा लिखा पढ़ी करने के बावजूद शासन द्वारा कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि करेगी तो कब तक ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

जी नहीं । भुगतान अंतर्ग्रस्त अवधि को ड्यूटी मानकर नहीं किया गया है। इस मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के राजकीय आवासीय टाइप एफ-7 से एफ-18 में विद्युतीकरण

103-श्री शिवचरण प्रजापति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के राजकीय आवास टाइप एफ-7 से एफ-18 में, शासनादेश संख्या 2350/सी0बी0-91-23, लो0नि0वि0-8-91, दिनांक 26-6-91/8-7-91 द्वारा रुपया 0,253 लाख उक्त आवासों में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत होने के बाद उनमें विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि विद्युतीकरण होगा तो कब तक ? क्या अब तक विद्युतीकरण कराने हेतु दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत शासनादेश द्वारा विशेष मरम्मत मद से उल्लिखित कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

धनाभाव के कारण ।

रु0 25,000 का आवंटन वित्तीय वर्ष 91-92 में मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र द्वारा किया जा चुका है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना संभावित है ।

किसी का दोष न होने के कारण कार्यवाही का औचित्य नहीं है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मड़ियाहूं जिला जौनपुर से सरकारी कार्य न लिये जाने का आरोप

104-श्री भागीरथी-

क्या खाद्य एवं रसद् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्ति निरीक्षक, मड़ियाहूं, जौनपुर से दिनांक 14-10-91 से कोई भी सरकारी कार्य नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या श्री जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है कि उनसे दिनांक 14-10-91 से सरकारी कार्य नहीं कराया जा रहा तथा वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो शासन की इस राजस्व हानि के लिये दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एजाज रिज़वी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

राजस्व को क्षति नहीं हुई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

105-श्री मो0 रिजवानुलहक-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद सहारनपुर में लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड में सड़क के चौड़ीकरण के प्राविधान की जानकारी

106-श्री राम सरन-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर के प्रान्तीय खण्ड में 1987-88 से 91-92 तक सड़क के चौड़ीकरण के लिये कितने कि0मी0 का प्राविधान था ? कितना कार्य वास्तविक तौर में हुआ ? क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य के प्रत्येक कि0मी0 की थिकनेस में भिन्नता है ? यदि हां, तो इसके लिये किसको जिम्मेदार ठहराया गया एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

विभिन्न मार्गों के कुल 57 कि0मी0 लम्बाई के भाग में चौड़ीकरण के कार्य कराये जाने का प्राविधान था ।

35 कि0मी0 लम्बाई के भाग में लेपन स्तर/ऊपरी सतह तक के कार्य पूर्ण हैं। 21 कि0मी0 लम्बाई के भाग में मार्ग के एक ओर लेपन स्तर/ऊपरी सतह तक के कार्य पूर्ण हैं । विभिन्न मार्गों पर चौड़ीकृत भाग में तकनीकी आधार पर निर्धारित क्रस्ट की मोटाई में भिन्नता है ।

क्रस्ट की मोटाई आगणन में प्राविधान के अनुसार है । अतः कोई उत्तरदायी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लखनऊ पूर्व नियुक्ति जनपद सीतापुर को अदालत में सजा एवं जुर्माना होने के विरुद्ध स्थगनादेश

107-श्री राम सरन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी अधिकारी/कर्मचारी को अदालत में सजा होने पर उसे निलम्बित कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जनपद सीतापुर में पूर्व में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता जो वर्तमान में मध्य क्षेत्र में लखनऊ में कार्यरत हैं, को अदालत द्वारा एक माह की सजा व 1,000 रुपये जुर्माना हुआ था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध शासनादेश के अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां, यदि वह फौजदारी या अन्य किसी अपराधिक मामले में 48 घंटे से अधिक हवालात में बन्द रहा हो । कलेक्ट्रेट लेबर ऐक्ट की धारा-7(2), 35(2) (सी) उ0प्र0 कन्ट्रैक्ट लेबर ऐक्ट रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन अधिनियम-1970 तथा उ0प्र0 लेबर ऐक्ट रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन नियमावली, 1975 के कथित उल्लंघन के आरोप में एक अधिशासी अभियन्ता तथा एक अवर अभियन्ता को एक-एक हजार रुपये का अर्थदण्ड सी0जे0एम0, सीतापुर द्वारा किया गया था । अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह के सश्रम कारावास के आदेश दिये गये थे ।

किन्तु उक्त आदेशों के विरुद्ध दायर की गयी अपील में सेशन जज ने अपने आदेश दिनांक 16-1-92 द्वारा उक्त दण्डादेश के विरुद्ध स्थगनादेश पारित कर दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, सहारनपुर के आवास एवं टेलीफोन की मरम्मत पर व्यय की जानकारी

108-श्री राम सरन-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा जिलाधिकारी के खर्चे निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो जनपद सहारनपुर के जिलाधिकारी के आवास, मरम्मत व टेलीफोन पर कितना खर्च पिछले दो वर्षों के अन्तर्गत आया ? क्या अधिक खर्च हेतु जिम्मेदार अधिकारी से उस धन की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

राजकीय आय एवं व्यय की मदें निर्धारित हैं ।

वर्ष 1990-91 में टेलीफोन व मरम्मत पर व्यय निम्न प्रकार हुआ:-

टेलीफोन पर व्यय	49,150.00 रुपये
मरम्मत पर व्यय	30,669.30 रुपये

वर्ष 1991-92 में टेलीफोन तथा मरम्मत पर व्यय निम्न प्रकार हुआ:-

टेलीफोन पर व्यय 23,626.00 रुपये

मरम्मत पर व्यय 23,230.00 रुपये

जिलाधिकारी आवास राजकीय आवास है । प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली जमनोजी मार्ग के चौड़ीकरण पर हुए व्यय की धनराशि एवं कार्य के मानक का निर्धारण

109-श्री राम सरन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में दिल्ली जमनोजी मार्ग के कि0मी0 130 से 162 तक कितने कि0मी0 का चौड़ीकरण हुआ ? कितने मार्ग पर पी0सी0 हुआ एवं अभिलेखों में क्या कार्य दर्शाया गया ? विभाग द्वारा पंच के कार्य का क्या मानक निर्धारित है ? वहां पर उक्त कार्य पर क्या खर्च दिखाया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त कार्य में की गयी अनियमितता के बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मार्ग के कि0मी0 130 से 162 में से कुल 22 कि0मी0 लम्बाई के भाग में एक ओर चौड़ीकरण के कार्य कराये जा चुके हैं ।

17 कि0मी0 लम्बाई के भाग में मार्ग के एक ओर पी0सी0 का कार्य हुआ तथा अभिलेखों में भी यही कार्य दिखाया गया ।

विवरण संलग्न है ।

वर्ष 90-91 व 91-92 में क्रमशः रु0 69404.00 एवं रु0 84368.00

कोई अनियमितता न होने के कारण कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ट 256 पर)

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के ग्राम सभा करखिया रुस्तम सराय के आराजी नं0 518/251 पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

110-श्री ओम प्रकाश-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम करखिया रुस्तम सराय, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा की आराजी नं0 518/251 जिसका पूर्व नम्बर 522/251 है, पर अवैध कब्जा करने के आरोप में तहसीलदार, सगड़ी की अदालत से 115 सी की कार्यवाही में मुकदमा नम्बर 40 में दिनांक 6-4-72 को संबंधित व्यक्तियों को जुर्माने के साथ बेदखली का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद जनपद की बारा तहसील में समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाये गये शिविरों एवं छात्रवृत्ति एवं विधवा/विकलांग पेंशन वितरण की जानकारी

111-श्री राम सेवक सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 में छात्रवृत्ति पूर्व दशम् एवं विधवा विकलांग के पेंशन वितरण हेतु जनपद इलाहाबाद के बारा तहसील में कितने शिविर लगाये गये उनमें कितने शिविरों में सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जन प्रतिनिधियों ने अपनी देखरेख में धनराशि वितरित करवायी ? कितने छात्र एवं विकलांग/विधवायें इन शिविरों में लाभान्वित हुए ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

दिनांक 27 मई, 1990 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद कार्यालय में हुए अग्निकाण्ड के फलस्वरूप अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण विवरण दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

तदैव ।

तदैव ।

तदैव ।

112-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(अस्पष्ट होने के कारण निरस्त)

113-श्री भरत सिंह-

(दिनांक 27-2-92 को अता0प्र0सं0 74 द्वारा उत्तरित)

114-श्री भागवत पाल-

(छठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संग्रह अमीन, तहसील मड़िहान, जिला मिर्जापुर पर गबन के आरोप की जांच एवं कृत कार्यवाही

115-श्री भागवत पाल-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संग्रह अमीन, तहसील मड़िहान, जनपद मिर्जापुर ने 10,000 रुपये का गबन किया है, जिसकी जांच रिपोर्ट भी शासन में आ गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त अमीन के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संग्रह अमीन, तहसील मड़िहान द्वारा रसीद संख्या-20007 दिनांक 29-3-88 द्वारा रुपये 11,000 वसूल कर केवल 1,100 रुपया जमा किया गया । इस प्रकार रुपये 9,900 का गबन प्रथम दृष्टया पाया गया ।

जिलाधिकारी मिर्जापुर के आदेश दिनांक 4-12-91 द्वारा, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संग्रह अमीन को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । उक्त अमीन के विरुद्ध परगनाधिकारी मड़िहान द्वारा दिनांक 6-1-92 को थाना मड़िहान में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में गोमती नदी के दधनामऊ घाट पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

116-श्री राम रतन सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के अंतर्गत गोमती नदी के दधनामऊ घाट पर उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा बनाये जा रहे पुल का निर्माण कार्य एक लम्बे अरसे से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

संसाधनों के अभाव में ।

कार्यपूर्ति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

कुमारी रामकली कनौजिया, उप निदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मण्डल द्वारा प्रतिबन्धित काल में नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची तथा उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

117-श्री हरि नरायन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी रामकली कनौजिया, उप निदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1990-91 में जबकि नियुक्ति पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगया था, अपने कार्यकाल में 10 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उन कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि और उनकी नियुक्ति किस-किस स्तर में, कहां-कहां की गयी है, का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

कुमारी रामकली कनौजिया, उप निदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा तृत्रीय श्रेणी के 4 कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी है । इनका **विवरण संलग्न है ।**

देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 257 पर)

118-श्री हरि नारायन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी रामकली कनौजिया, उप निदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद ने उक्त अवधि में चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी नियुक्ति की है, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नियुक्ति का अधिकार इनमें निहित नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त चार कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या कुमारी रामकली कनौजिया, उप निदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा की गयी उपरोक्त अनियमित नियुक्तियों को स्थगित रखने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

इस संबंध में जांच कराकर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 257 पर)

119-श्री हरि नरायन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी रामकली कनौजिया को इसी प्रकार की गयी अनियमित नियुक्तियों एवं भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व में भी निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को विभाग में पुनः रखने का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या इनके द्वारा की गयी उपरोक्त गंभीर अनियमितताओं के परिणामस्वरूप इन्हें अभी तक निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं । पूर्व में अन्य अनियमितताओं के संबंध में निलम्बित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जांच के परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में जनहित में राशन की मात्रा एवं दुकानों की संख्या बढ़ाने की मांग

120-श्री तुलसी दास-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, फरवरी व मार्च के महीने में जब छोटे किसान व शहरों में सभी को राशन खरीदना पड़ता है, उसी समय राशन की मात्रा कम करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इन्हीं महीनों में पिछले वर्ष राशन की दुकानों पर प्रत्येक यूनिट पर कितना गेहूं

मिला तथा इस समय कितना गेहूं दिया जा रहा है ? क्या शहरों में हर व्यक्ति को आसानी से राशन, बिना लाइन लगाये मिल सके, इसके लिये सरकार राशन की दुकानों की संख्या शहरों में बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिज़वी-

जी नहीं ।

माह जनवरी, 91 फरवरी, 91 एवं मार्च, 91 में क्रमशः 50,000, 75,000 एवं 75,000 मी0टन तथा वर्ष 1992 के इन्हीं माहों में क्रमशः 54,000, 75,000 व 75,000 मी0टन गेहूं का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ । उक्त आवंटन में से प्रदेश के पर्वतीय जनपदों की सम्पूर्ण जनसंख्या तथा मैदानी क्षेत्रों के शहरी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया गया है । उक्त आवंटन के फलस्वरूप विभिन्न जनपदों में मिलने वाली गेहूं की मात्रा पृथक हो सकती है ।

चूंकि भारत सरकार से प्राप्त होने वाला आवंटन आवश्यकता से बहुत कम है इसलिये उचित दर की दुकानों से गेहूं प्राप्त करने में कठिनाई होती है भारत सरकार प्रदेश की गेहूं/चावल का मासिक आवंटन बढ़ाने हेतु बराबर अनुरोध किया जाता रहा है केवल उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ाया जाना लाभदायक न होगा ।

चकबन्दी नियमावली के अन्तर्गत खातेदारों की भूमि की सुरक्षा हेतु नक्शा बनाने की मांग

121-श्री तुलसीदास-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी नियमावली के अन्तर्गत खातेदारों की भूमि की सुरक्षा हेतु सही नक्शा बनाने के लिये आकार पत्र 23 में किनारे पर हर चक की लम्बाई चौड़ाई का एक नक्शा बना दिया जाता था जैसा कि ग्राम चंदवतपुर, प्र0त0 गोण्डा, ग्राम विजौर काछी, तहसील उतरौला एवं अन्य गावों में देखने को मिलता है ? यदि हां, तो क्या अब यह निर्णय समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो किस सन् से ? क्या सरकार पुनः उक्त नियम, जिसके कारण गरीबों की भूमि का शोषण करना न नक्शा व खाता की कमी को दिखाकर कब्जा करना आसान नहीं था, को पुनः लागू कराकर हर खातेदार के चक का एक साधारण नक्शा उसके खाते के आगे बनवाकर उसे देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में कार्यरत बेलदार के स्थायीकरण की मांग

122-श्री राम चन्द्र चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में कार्यरत बेलदार जो 1984 से वहां तैनात है, का स्थाईकरण अब तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सत्य है कि 1984 के बाद से कुछ बेलदारों को स्थाई कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या विनियमितीकरण में कुछ को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा आदेश जारी करके वर्ष 84 से वहां कार्यरत बेलदारों को कब तक स्थाई बेलदार बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं ता क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

शासनादेश संख्या 6732/23-4-89-145 एनजी/88, दिनांक 12-2-90 द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या को फ्रीज कर दिये जाने के कारण इन कर्मचारियों को वर्कचार्ज में किया जाना सम्भव नहीं हो सका है । ऐसी स्थिति में स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कसया, जनपद देवरिया के लोक निर्माण विभाग के मृतक श्री फेंकू बेलदार के आश्रितों को देय अवशेषों का भुगतान

123-श्रीमती शारदा देवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री अलगू, बेलदार लोक निर्माण विभाग, कसया, जनपद देवरिया की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 6-4-91 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक कर्मचारी के आश्रितों को जी0पी0एफ0 की कटौती, ग्रेच्युटी, जीवन बीमा की धनराशि नगदीकरण आदि का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कसया, देवरिया में श्री अलगू नहीं बल्कि श्री फेंकू पुत्र श्री अलगू, बेलदार के पद पर कार्यरत थे, जिनकी दिनांक 6-4-91 को मृत्यु हुई थी ।

स्व0 श्री फेंकू के आश्रितों को ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण का भुगतान किया जा चुका है । जी0पी0एफ0 तथा सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि हेतु भी आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया की रसड़ा तहसील के ग्राम कसौण्डर में ग्राम सभा की भूमि पर विद्यालय के नाम अवैध कब्जे की जांच की मांग

124-श्री हरि नारायन-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के ग्राम कसौण्डर में ग्राम सभा की लगभग एक एकड़, 45 डिसमिल भूमि अवैधानिक तरीके से एक विद्यालय के नाम फर्जी तौर पर पट्टा कर दिये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान प्रधान द्वारा शिकायती पत्र जनवरी, 1992 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पूर्व प्रधान ने भी उक्त पट्टे पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं किये हैं ? यदि हां, तो क्या राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मामले की पूरी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच करके अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम हरचन्द्रपुर में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

225-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद जालौन के खण्ड विकास कदौरा के ग्राम हरचन्द्रपुर में गत वर्षों से शहीद स्मारक का निर्माण विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उसका आंशिक निर्माण हो चुका है तथा धनराशि अभी उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त शहीद स्मारक का निर्माण बीच में क्या रोक दिया गया है ? क्या उक्त ग्राम में निर्माणाधीन शहीद स्मारक का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह-

जी हां ।

निर्माण कार्य लगातार जारी है । मुख्य गुम्बद के निर्माण का कार्य कुछ समय के लिये बीच में डिजाइन न हो पाने के कारण बन्द था जो डिजाइन पूर्ण होने पर पुनः चालू हो गया । अन्य कार्य बराबर चलते रहे ।

उक्त ग्राम में प्रस्तावित शहीद स्मारक का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु द्रुत गति से कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बांदा के तिन्दवारी ब्लाक में मिट्टी के तेल वितरक की नियुक्ति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

126-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा राज्य

मंत्री नागरिक आपूर्ति खाद्य रसद, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-घ-651758, दिनांक 27-1-92 जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी में मिट्टी के तेल वितरक की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सत्य है कि परगनाधिकारी बांदा द्वारा विज्ञप्ति निकालने के बाद विज्ञप्ति के तेल वितरक के नियुक्ति के लिये केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार समिति को विज्ञप्ति की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद प्रार्थना पत्र लेकर किया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत किया गया है ? क्या इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

जी हां ।

(ख) उक्त पत्र जिलाधिकारी बांदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया ।

(ग) जी हां ।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त बैठक ब्लाक के केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार समिति की दिनांक 18-7-91 की बैठक में पारित प्रस्ताव के प्राप्त होने के उपरान्त शासनादेश संख्या 1646/29-7-35 (के0ओ0)/90, दिनांक 15-9-90, के प्रस्तर 3-2 तथा 3-4 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन किया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट, हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

127-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने माह दिसम्बर, 1991 को उन्हें जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट हरदोई के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों का पत्र दिया था जिस पर उन्होंने उच्च अधिकारी से जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो जांच में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह-

माह दिसम्बर, 1991 में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जेल सुपरिन्टेंडेन्ट हरदोई के विरुद्ध शिकायतों संबंधी प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनवाने की मांग

128-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज

बनवाने हेतु केन्द्र को प्रस्ताव भेज रही है जिससे कि रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनाकर रेल दुर्घटना से बचाव किया जा सके ? यदि हां, तो ओवर ब्रिज रेलवे स्टेशन पर बनाने हेतु उ0प्र0 शासन कब तक कार्यवाही करेगा ? कब तक ओवर ब्रिज बनवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्नगत स्टेशन पर ओवर ब्रिज का निर्माण रेल विभाग के कार्य क्षेत्र में आता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम पिपरा, थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर के ह0 मेजर चौथी प्रसाद को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में कथित आवेदन-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

129-श्री हरिशंकर तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिपरा, थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर के ह0मेजर चौथी प्रसाद, जो कि भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं, को आवंटित भूमि के संबंध में उनके पुत्र सुभाष श्रीवास्तव का दिनांक 3-1-92 को कोई आवेदन पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

130-श्री हरिशंकर तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री को ग्राम पिपरा थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर के ह0 मेजर चौथी प्रसाद जो कि भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं, को आवंटित भूमि पर जबरन कब्जे की जानकारी उनके पुत्र श्री सुभाष श्रीवास्तव द्वारा समय-समय पर पिछले 2 वर्षों से करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

131-श्री चन्द्रभान मौर्य-

(दिनांक 12-3-92 को तारा0प्र0सं0 15 द्वारा उत्तरित)

वाराणसी जनपद की भदोही तहसील के ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर आवंटित भूमि नं0 371 की अवैध बिक्री के लिये उसे असंक्रमणीय घोषित करने की मांग

132-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर,

प0 भदोही त0 भदोहीं, जिला वाराणसी से आवंटित भूमि नं0 371, रकबा 3 बिस्वा 6 धूर व आ0नं0 372, रकबा 18 बिस्वा 10 धूर जो असंक्रमणीय थी, जिसको असंक्रमणीय करार देकर इसका दिनांक 23-8-91 को श्री तेजई वगैरह व सीताराम नें गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर, प0 भदोही, वाराणसी ने एक व्यक्ति जो मुल्ला तालाब स्टेशन रोड भदोही जिला वाराणसी का निवासी है, के हाथ बेच दिया है ? क्या एस0डी0एम0 भदोही, वाराणसी ने संक्रमणीय भूमि का आदेश कर दिया था ? क्या इसके दस्तावेज का नं0 2223 है और पृष्ठ संख्या 280 व 281 पर अंकित किया गया वही नं0 392 है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त भूमि को, जो बेची नहीं जा सकती असंक्रमणयी घोषित करने की आज्ञा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में सीताराम, दाताराम, शिवशंकर पुत्रगण तेजई के नाम असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है, किन्तु जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत भूमि का इकरारनामा दिनांक 23-8-91 को डा0 कमाल अहमद अंसारी पुत्र मुन्सी अहमद, सा0 मुल्ला तालाब, स्टेशन रोड, भदोही जिला वाराणसी के साथ किया गया है ।

जी नहीं ।

दस्तावेज नं0 2023 पृष्ठ संख्या-280 व 281 पर अंकित किया गया है और वही नं0 एक जिल्द नम्बर 392 है ।

प्रश्नगत भूमि असंक्रमणीय है, अतः पुनः असंक्रमणीय घोषित करने का औचित्य नहीं है । सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करायी जायेगी ।

अल्मोड़ा जनपद की रानीखेत व भिकियासेण तहसीलों को मिलाकर जिला बनाने की मांग

133-श्री बची सिंह रावत-

क्या शासन को यह जानकारी है कि जिला अल्मोड़ा के रानीखेत व भिकियासेण तहसील को मिलाकर जिला बनाने की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही है ? क्या शासन रानीखेत को जिला बनाने का आश्वासन देगा ? यदि हां, तो रानीखेत को जिला का दर्जा कब तक प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में मण्डलों, जनपदों एवं तहसीलों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित मण्डल/जिला/तहसील सृजन/पुनर्गठन समिति से रानीखेत को जिला बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पुर्व विधायक स्व0 श्री ईश्वरी सिंह को अन्तिम संस्कार के समय शासकीय सम्मान न दिये जाने की शिकायत

134-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री ईश्वरी सिंह, पुर्व विधायक के अन्तिम संस्कार के समय शासन की ओर से सम्मान न दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-1-92 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उमानाथ सिंह-

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार स्व0 श्री ईश्वरी सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दिवंगत होने की सूचना उनके पारिवारिकजनों द्वारा न तो जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को दी गयी और न ही तहसीलदार, बुलन्दशहर या थाना चांदपुर देहात में दी गयी। अतः मृत्यु की सूचना के अभाव में दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के शव पर पुष्प अर्पित करने हेतु कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हो सका । ऐसी दशा में मृतक को शासकीय सम्मान न दिये जाने के लिये जिला प्रशासन का कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अजय पाल सिंह यादव, आर्सन नं0-2, अलीगंज, जनपद एटा से संबंधित नेता विरोधी दल के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

135-श्री अवधपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें पुर्व नेता विरोधी दल सत्यपाल सिंह यादव के पत्रांक 4242/नेविद/विस/88, दिनांक 5-1-88 द्वारा अजयपाल सिंह यादव, आर्सन नं0-2, अलीगंज जनपद एटा के प्रार्थना पत्र से संबंधित कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

135-श्री पूरन प्रकाश तथा श्री श्याद अली-

(7 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत व भिकियासेण में सूखा से प्रभावित किसानों को राहत सहायता की मांग

137-श्री बची सिंह रावत-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के तहसील

रानीखेत व भिकियासेण में वर्ष 1991 में सूखे से फसल की क्षति हुई जिसमें 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक फसल की क्षति तहसील भिकियासेण के कानूनगो क्षेत्र स्याल्दे, मानिला व भिकियासेण के 233 ग्रामों में हुई थी ? क्या इसकी उप सम खतौनी जिला अधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय से 23 सितम्बर, 1991 को शासन/परिषद्/आयुक्त को प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो चार माह से अधिक समय व्यतीत होने पर कृषकों को कोई सहायता वितरित की गयी है ? यदि नहीं, तो सूखा पीड़ित किसानों को सहायता कब तक दी जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद अल्मोड़ा की तहसील अल्मोड़ा रानीखेत तथा बागेश्वर में वर्ष 1991 में फसलों को सूखे से 50 प्रतिशत से कम क्षति होने के कारण नियमानुसार राहत सहायता देय नहीं है ।

तहसील भिकियासेण के कानूनगो क्षेत्र स्याल्दे, मानिला, भिकियासेण के 233 ग्रामों से सूखे से खरीफ फसल को हुई क्षति के कारण भू-राजस्व में छूट हेतु जिले से प्राप्त प्रस्ताव को राजस्व परिषद् द्वारा परीक्षणोपरान्त उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि जनपद अल्मोड़ा में खरीफ व रबी की फसल में वसूली की किश्त का देय अनुपात 40:60 है । फलस्वरूप जनपद में खरीफ की फसल मुख्य फसल नहीं है। इसके अतिरिक्त जनपद में पिछली 3-4 फसलों को भी लगातार क्षति नहीं हुई है, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय नहीं कही जा सकती । अतः छूट का कोई औचित्य नहीं है । इसके अतिरिक्त नियमानुसार अन्य कोई सहायता अनुमन्य नहीं है ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, परियोजना, उन्नाव में सेवारत लिपिकों का अनुमोदन एवं आरक्षण कोटा

138-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 27-9-1991 के पश्चात् और 31 जनवरी, 92 के पूर्व निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार लखनऊ को जिलाधिकारी उन्नाव ने कोई पत्र लिखा है, जिसमें बाल विकास एवं पुष्टाहार परियोजना के अन्तर्गत उन्नाव में सेवारत किये गये 3 लिपिकों का अनुमोदन मांगा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखते हुए क्या यह भी बतायेंगे कि उन लिपिकों में से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या इस विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

कोई नहीं । जिलाधिकारी उन्नाव के पत्र दिनांक 25-1-92 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 258 पर)

139-श्री अशोक कुमार सिंह-

(6वें मंगलवार अता0प्र0सं0 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

वाराणसी जनपद की भदोही तहसील के ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर में असंक्रमणीय भूमि की रजिस्ट्री करने की जांच

140-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आ0नं0 454, रकबा 6 बिस्वा, ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर, प0 भदोही, त0 भदोही, जिला वाराणसी गांव सभा की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह जमीन असंक्रमणीय थी ? क्या यह भूमि अब भी गांव सभा की है ? क्या इसको किसी व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त जमीन की जांच कराकर उसे मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत भूमि असंक्रमणीय अंकित है ।

जी नहीं ।

गाटा संख्या 454 के क्षेत्रफल एक बिस्वा का बैनामा रजिस्ट्री श्री बलई पुत्र दुबरी द्वारा दिनांक 1-10-91 को श्रीमती विद्यावती पत्नी जयकृष्ण बरनवाल व सुरेन्द्र व वीरेन्द्र पुत्रगण जयकृष्ण बरनवाल के हक में किया गया है ।

जांचोपरान्त संबंधित पक्षों की धारा 167 उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु नोटिस जारी कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जनपद की भदोही तहसील के भिखारीपुर ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग

141-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 88, गांव भिखारीपुर, परगना भदोही, त0 भदोही, जिला वाराणसी गांव सभा की सम्पत्ति है और माल कागजात में नवीन पर्ती दर्ज है ? क्या यह सही है कि उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था ? क्या उसकी जांच तहसीलदार, भदोही, वाराणसी ने 12-9-91 को की है और अवैध निर्माण को गिरवा दिया था ? यदि हां, तो क्या पुनः उस पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच सी0आर0ओ0, वाराणसी से कराकर गांव सभा की सम्पत्ति की रक्षा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जी हां ।

अवैध निर्माण के संबंध में श्रीमती कुसुम देवी, सदस्य, भूमि प्रबन्धक समिति, लखनपुर उर्फ अभयनपुर द्वारा दिनांक 12-9-91 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर परगनाधिकारी, भदोही द्वारा दिनांक 12-9-91 को अवैध निर्माण रोक देने का आदेश दिया गया । दिनांक 15-9-91 को राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत भूमि से अवैध निर्माण को हटाया गया ।

श्री राजकरन यादव आदि द्वारा पुनः अवैध निर्माण किया गया है ।

श्री राजकरन आदि द्वारा पुनः अवैध रूप से कब्जा कर लेने के पश्चात् दीवानी न्यायालय, ज्ञानपुर से इस भू-खण्ड के सम्बन्ध में स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है, जिसके विरुद्ध जवाबदेही दाखिल करके प्रभावी पैरवी की जा रही है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, अतः जांच कराना समीचीन नहीं है ।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में कार्यरत भण्डार नायकों की प्रोन्नति की मांग

142-श्री ओम प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में कार्यरत भंडार नायकों की प्रोन्नति का प्राविधान है ? क्या निदेशक मण्डल की 70वीं बैठक में उक्त पदधारकों की पदोन्नति के संबंध में लिये गये निर्णय को लागू किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निदेशक मण्डल की बैठक के निर्णय अनुसार सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं । यद्यपि सुसंगत सेवा नियमावली में भण्डार नायकों की पदोन्नति का प्राविधान नहीं है, तथापि ग्रेड-2 में 10 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड-1 अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जाता है ।

निदेशक मंडल की 70वीं बैठक में भण्डार नायकों की पदोन्नति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था । अतः उसे लागू करने अथवा न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों की संख्या एवं अनुदान दिये जाने की जानकारी

143-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में

कितने विद्यालय समाज कल्याण विभाग में चल रहे हैं ? उनको सरकार की तरफ से प्रति वर्ष कितनी धनराशि अनुदान में प्राप्त होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री-

आजमगढ़ जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है ।

आश्रम पद्धति विद्यालय को कोई अनुदान नहीं दिया जाता वरन् उसका समस्त व्यय भार शासन वहन करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के मौरावां से रायबरेली के बछरावां तक जाने वाली अधूरी सड़क को पूर्ण कराये जाने की मांग

144-श्री अवधपाल सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में मौरावां से जनपद रायबरेली के बछरावां तक कुल लम्बाई 30 कि0मी0 सड़क बननी थी जिसमें से 26 कि0मी0 बन चुकी है तथा उक्त मार्ग की सई नदी पर पुल भी बन चुका है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त मार्ग का मात्र 4 कि0मी0 भाग न बना होने के कारण इस मार्ग पर बसों का आवागमन नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद उन्नाव के मौरावां से जनपद रायबरेली के बछरावां तक मार्ग की लम्बाई केवल 26.00 कि0मी0 है जिसमें से 21.75 कि0मी0 लेपित है शेष 4.25 कि0मी0 खड़ंजा स्तर तक निर्मित है ।

बछरावां से मौरावां तक पूरे मार्ग पर नियमित बस सेवा नहीं है परन्तु अन्य प्रकार का यातायात चालू है ।

4.25 कि0मी0 खड़ंजा स्तर तक निर्मित भाग लेपन हेतु स्वीकृत नहीं है । अतः सम्प्रति उसे कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी विभाग, मैनपुरी में कार्यरत लिपिक श्री वीरेश्वर दयाल द्वारा दो पत्नियां रखने तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जानकारी

145-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चकबन्दी विभाग, मैनपुरी में

श्री बीरेश्वर दयाल लिपिक की दो पत्नियां हैं जो जीवित हैं और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि 5 माह पूर्व उनको अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित किया गया था और उन्हें इतने अल्पकाल में मैनपुरी में ही वापिस बुला लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

इस संबंध में श्री वीरेश्वर दयाल को निलम्बित कर आरोप पत्र देकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । वाद में निलम्बन समाप्त किया गया किन्तु विभागीय कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया गया । श्री दयाल को दिनांक 4-5-88 के आदेश से पुनः निलम्बित कर दिया गया जिसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में उन्होंने रिट याचिका दायर किया था । मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16-5-88 द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, मैनपुरी के आदेश दिनांक 4-5-88 को अवैध कर दिया ।

चकबन्दी आयुक्त के आदेश दिनांक 5-12-90 द्वारा उन्हें मैनपुरी से मुरादाबाद स्थानान्तरित किया गया था । विचारोपरान्त उनका स्थानान्तरण पुनः मैनपुरी कर दिया गया है ।

श्री एम0आर0यू0 खान, अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0सर्वेक्षण खण्ड नं0-1, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के स्थानान्तरण की मांग

146-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एम0आर0यू0खान, अधिशासी अभियन्ता जो रा0मा0सर्वेक्षण खण्ड नं0-1, लोक निर्माण विभाग लखनऊ में किन परिस्थितियोंवश लखनऊ के उक्त खण्ड में लगातार 8 वर्ष से कार्यरत हैं तथा इनका स्थानान्तरण किन नीतियोंवश अब तक नहीं किया गया है ? कब तक इनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

कार्यहित में ।

फिलहाल मध्य सत्र में इनके स्थानान्तरण का प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद खीरी की मोहम्मदी तहसील में अतिवृष्टि से फसल को हुई क्षति एवं राहत सहायता की मांग

147-श्री वंशीधर राज़-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदी के परगना औरंगाबाद में दिनांक 24/25 दिसम्बर, 1991 की रात में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से रबी की फसल को अपार क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या गरीबों के झोपड़े उजड़ गये हैं और सर्दी के कारण उनको जीवन यापन करना कठिन हो रहा है ? यदि हां, तो उन्हें राहत देने के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदी में दिनांक 24/25-12-91 को हुई वर्षा एवं ओलावृष्टि से 45 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए और इन गांवों में रबी की फसल लाही, जो उस समय कटने को शेष रह गयी थी, को क्षति पहुंची ।

जी नहीं । ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रभावित क्षेत्र में रु0 25,000 आपदा तकावी का वितरण किया गया । कुल क्षति 50 प्रतिशत से कम होने के कारण कोई अन्य राहत देय नहीं है ।

148-श्री यदुनाथ सिंह-

(दिनांक 2-4-92 को अता0प्र0सं0 24 द्वारा उत्तरित)

रा0मा0खण्ड नं0-2, लखनऊ में घोटाले की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

149-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रा0मा0खण्ड-नं0-2, लखनऊ में 32 लाख रुपये के घोटाले के संबंध में तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र संख्या 88/सा0नि0/89, दिनांक 5-10-89 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित प्रत्येक बिन्दुओं की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच के परिणाम क्या रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच में विलम्ब का क्या कारण है तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? उक्त जांच कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ? क्या इस प्रकरण में राजकीय हानि की वसूली की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

जांच अधीक्षण अभियन्ता, 28वां वृत्त (राष्ट्रीय मार्ग), लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा की गयी है । मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग के परीक्षणोपरान्त जांच के निष्कर्ष उपलब्ध हो सकेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जांच अधिकारी के स्तर से जांच पूर्ण हो चुकी है । उसके निष्कर्ष के आलोक में ही विलम्ब तथा वसूली आदि के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

150-श्री यदुनाथ सिंह-

(दिनांक 2-4-92 को अता0प्र0सं0 22 द्वारा उत्तरित)

रा0 मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जिला सीतापुर में मथुरा रिफायनरी से प्राप्त मैक्सफाल्ट की खपत एवं उसकी जांच

151-श्री राम सरन-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0, सीतापुर में अक्टूबर, 1991 से अब तक मथुरा रिफायनरी से कितना मैक्सफाल्ट कब-कब

आया ? कितना-कितना मैक्सफाल्ट, किन-किन कार्यों में, कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन किलोमीटरों में खर्च किया गया है ? क्या इस प्रकरण की जांच टी0ए0सी0 से कराकर मैक्सफाल्ट के अपव्यय से हुयी शासकीय हानि की वसूली संबंधित कार्मिकों से की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, सीतापुर में मथुरा रिफायनरी से माह अक्टूबर, 1991में 110.74 मै0टन, नवम्बर, 1991 में 100-56 मै0ट0, दिसम्बर, 1991 में 210.92 मै0ट0 जनवरी, 1992 में 213.85 मै0टन तथा माह फरवरी, 1992 में 17.63 मै0टन मैक्सफाल्ट प्राप्त हुआ। सूचना संलग्न है जिसके अनुसार मैक्सफाल्ट की कुल खपत 538.18 मै0टन हुई है।

प्रश्नगत अवधि में प्राप्त मैक्सफाल्ट के अतिरिक्त पहले का स्टाक 77.09 मै0टन था । मैक्सफाल्ट की खपत विभिन्न स्वीकृत कार्यों में निर्धारित मानकों के अनुसार हुई है तथा अवशेष मात्रा भंडार एवं अवर अभियन्ताओं के आर0एम0आर0 में उपलब्ध रही है । प्रथम दृष्टया मैक्सफाल्ट का अपव्यय या शासकीय हानि नहीं हुई है जिसे देखते हुए जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पुष्ठ 259 पर)

रा0मा0 24 के कि0मी0 439 में सड़क की पटरियों पर सोलिंग कार्य में व्यय हुई धनराशि के आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में जानकारी

152-श्री राम सरन (लखीमपुर खीरी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0मा024 के कि0मी0 439 में सड़क की पटरी के दोनों और ग्रिट एवं ईंटों की सोलिंग का कार्य कराया गया ? यदि हां, तो उक्त कि0मी0में कितनी धनराशि ग्रिड, ईंटों एवं लेबर पर खर्च की गयी है ? इस कार्य का आगणन कब बनाया गया तथा कब स्वीकृत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच किसी वरिष्ठ अभियन्ता से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत कार्य नहीं कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कोई आगणन नहीं बनाया गया है । अतः स्वीकृत या तद्विषयक किसी जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

रा0मा0 24 के कि0मी0 392, 385, 393 एवं 401 में कराये गये बी0यू0एस0जी0 एवं बी0एम0 कार्य में मैक्सफाल्ट के व्यय की जांच

153-श्री राम सरन (लखीमपुर खीरी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0मा0 24 के कि0मी0 393

एवं 401 बी0यू0एस0जी0 एवं बी0एम0 का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो कितनी ग्रिड एवं कितना मैक्सफाल्ट आदि खर्च किया गया ? क्या सड़क की मोटाई साढ़े सात से0मी0 की जगह 5 से0मी0 रखी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों कि0मी0 की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

रा0मा0 24 के प्रश्नगत किलोमीटरों पर बी0यू0एस0जी0 के लिये 1394.32घनमीटर पत्थर की गिट्टी, 181.70 घनमीटर की एग्रीगेट, 319 मैक्सफाल्ट ड्रम तथा बी0एम0 के लिये 1654.99 घनमीटर स्टोन ग्रिट (स्टोन डस्ट सहित), 98.49 टन बल्क बिटुमिन व 24 ड्रम मैक्सफाल्ट खर्च किया गया है।

जी नहीं । बी0यू0एस0जी0/बी0एम0 की औसत मोटाई खपत की गयी सामग्री के अनुसार है ।

प्रश्नगत कार्यों का निरीक्षण प्राविधिक परीक्षक द्वारा किया जा चुका है। कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

154-श्री राम सरन (लखीमपुर खीरी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0मा0 24 के कि0मी0 392 एवं कि0मी0 385 में बी0एम0 का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सड़क की मोटाई साढ़े सात से0मी0 की जगह 5 से0मी0 है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक से कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत कार्यों का प्राविधिक परीक्षण मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा खण्ड के अधीन अन्य कार्यों के साथ किया जा चुका है जिसमें उनके द्वारा इन किलोमीटरों के कार्यों में कोई कमी अथवा अनियमितता नहीं पाई गई है । अतः इसकी जांच पुनः कराने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर के चुनार घाट पर बने पीपे के पुल का पथ-कर समाप्त करने की मांग

155-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मंडल में रामनगर को वाराणसी से जोड़ने वाले गंगा नदी के पीपे के पुल पर उत्तर भारतीय घाट

अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1971 से पथ-कर समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो चुनार में पीपे के पुल पर पथकर क्यों वसूल किया जा रहा है ? उक्त पुल पर पथ-कर वसूली कब तक समाप्त की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

वर्ष 1971 में विशेष परिस्थितियों में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रश्नगत घाट को पथ-कर से मुक्त कर दिया गया था ।

चुनार घाट फेरी की परिस्थितियां रामनगर फेरी से भिन्न है । अतः पथ-कर समाप्त करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा फतेहपुर-जलालपुर ड्रेन के लिये किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने में हेराफेरी की शिकायत की जांच

156-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा "फतेहपुर-जलालपुर ड्रेन के लिये ग्राम सोहगूपुर तह0, अकबरपुर के किसानों की भूमि सरकारी प्रयोजन में लेने के एवज में किसानों को मुआवजा वितरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त के क्रम में जहांगीरगंज रजबहा प्रोजेक्ट के लिये ग्राम मसैना, मिर्जापुर-गोवर्धनपुर शुकुल-प्रतापपुर रुपई पट्टी के किसानों को भी मुआवजा भुगतान हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मझुई नदी प्रोजेक्ट के लिये ग्राम बथुआ एवं मल्लेपुर के किसानों व जहांगीरगंज रजबहा के पुनरुद्धार प्रोजेक्ट हेतु ग्राम मोतिंगरपुर के किसानों तथा ग्राम सेमरा टप्पाहवेली-हथिनाराज के किसानों के नाम के आगे फर्जी हस्ताक्षर बनाकर" लाखों रुपये की हेरा-फेरी मुआवजा देने में की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त अंकित मामलों की जांच परगनाधिकारी या किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा करायेंगे ? क्या ग्रामवासियों के साक्ष्यानुसार अभिलेखों का सत्यापन कराने की कार्यवाही भी करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

किसानों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर हेरा-फेरी के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहले ही करायी जा चुकी है और वे निराधार पाई गई हैं । अब किसी अन्य जांच/कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद एटा के ग्राम दाऊदगंज में भूमि आवंटन में अनियमितता के विरुद्ध नेता विरोधी दल के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

157-श्री अवध पाल सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेता विरोधी दल द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 5 जनवरी, 88 जिसमें जिला एटा के ग्राम सभा दाऊदगंज, तहसील अलीगंज के भूमि आवंटन की अनियमितताओं की जांच का अनुरोध किया गया है, उनको प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 में सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति किये गये व्यक्तियों की वार्षिक प्रविष्टियां एवं प्रोन्नति के संबंध में डी0पी0सी0 की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

158-श्री श्रीराम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 में सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर हुई अनियमित प्रोन्नतियों के संबंध में जांच कराये जाने हेतु श्री रमेश कुमार तूफानी, नगर उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 लखनऊ का पत्र दिनांक 22 अगस्त, 1991 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस प्रकरण में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या इन प्रोन्नतियों में उन लोगों को प्रोन्नतियां दी गयी हैं जिनकी प्रविष्टियां खराब थीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों की प्रविष्टियां उत्कृष्ट/अच्छी श्रेणी की हैं तथा जिन्हें समय-समय पर प्रशंसित पत्र विभाग द्वारा दिये गये हैं उनको प्रोन्नति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं ? क्या प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में डी0पी0सी0 की प्रथम रिपोर्ट तथा प्रोन्नति प्रदान किये गये व्यक्तियों की वार्षिक प्रविष्टियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

जी हां ।

लोक सेवा अधिकरण/न्यायालय के आदेशों का समादर करते हुए चयन समिति ने संबंधित अधिकारियों की प्रतिकूल प्रविष्टियों को संज्ञान में न लेते हुए शेष प्रविष्टियों के आधार पर प्रोन्नतियों हेतु संस्तुतियां की ।

विभागीय चयन समिति द्वारा जिन्हें प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया था, उनकी प्रोन्नतियां की गयी हैं । प्रोन्नत किये गये व्यक्तियों की सूची संलग्न है ।

प्रश्नगत अभिलेख गोपनीय हैं और उन्हें सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 260-261 पर)

बलिया जनपद में स्वीकृत प्रधानपुर पुल के निर्माण की मांग

159-श्री घुरहू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में प्रधानपुर पुल जो विगत कई वर्षों से स्वीकृत है तथा इस पर निर्माण कार्य बन्द हो गया है तथा जिस पर सरकारी कर्मचारियों को 25 हजार से अधिक वेतन प्रति माह बैठकर दी जा रही है, क्या सरकार पुल का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

टोंस नदी पर प्रधानपुर के पास पुल जनपद बलिया एवं गाजीपुर की सीमा पर स्वीकृत है जिस पर निर्माण कार्य संसाधनों के अभाव में अवरुद्ध है। सेतु स्थल पर कार्यरत श्रमिकों को वेतन दिया जा रहा है । सेतु का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि प्रबन्धक समिति, गांव बरही नेवादा, जिला वाराणसी द्वारा वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित भूमि की जांच

160-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्रबन्धक समिति, गांव बरही नेवादा, प0 पन्द्रह, त0 व जिला वाराणसी ने 6-10-85 को वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव करके आ0नं0 1013/2-68, 3/4, 1030/7-51 क/1-26, 1023/1-51 व 1022/2-15, जो कि तालाव, भीटा व चारागाह के रूप में माल कागजातों में दर्ज है, को वन विभाग को दे दिया गया था ? क्या उस पर वन लगाये गये हैं ? क्या सरकार मौजूदा भूमि प्रबन्धक समिति, बरही नेवादा द्वारा उक्त जमीन से वन को कटवा कर अन्य कार्यों के लिये प्रस्ताव पास करके इसे स्वीकृति हेतु परगना हाकिम, उत्तरी वाराणसी के यहां भेजने की जांच करायेगी ? क्या सरकार सार्वजनिक उपयोग की उपरोक्त भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने तथा अवैध कब्जा करने से रोकने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

ग्राम बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी की गाटा संख्या-1013/2-68 3/4 चारागाह, 1030/7-51 चारागाह, 1036 क/1-26 बंजर, 1023/1-51 तालाब एवं 1022/2-12 भीटा को भूमि प्रबन्धक समिति बरही नेवादा के प्रस्ताव दिनांक 6-10-85 के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को दिया गया था ।

गाटा संख्या-1023 तालाब को छोड़कर शेष गाटा नम्बरों पर वन विभाग द्वारा बबूल एवं अन्य जंगली पेड़ लगाये गये हैं ।

भूमि प्रबन्धक समिति, बरही नेवादा द्वारा ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया है और न कोई पत्रावली प्रस्ताव से सम्बन्धित प्राप्त हुई है, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, वाराणसी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जिला पूर्ति अधिकारी, बरेली एवं अपर जिला अधिकारी (आपूर्ति), बरेली पर पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता का आरोप

161-श्री नन्द राम तथा श्री श्याम विहारी सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी, बरेली और अपर जिला अधिकारी, (आपूर्ति), बरेली के विरुद्ध पद के दुरुपयोग भ्रष्टाचार एवं अनियमित तरीके से भारी धन कमाये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता की शिकायतें इस वर्ष उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण पर अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मिसबाहुल अली कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

162-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे दिनांक 24-11-91' को बरेली के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता श्री मिसबाहुल अली के सम्बन्ध में कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, खाद्य एवं रसद को भेज दिया था ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

(क) श्री मिसबाहुल अली, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पत्र दिनांक 12-12-91 को प्राप्त हुआ था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जिलाधिकारी, बरेली को यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

163-श्री श्रीराम-

(6वें मंगलवार में अता0प्र0सं0 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सिविल अनुरक्षण खण्ड-1, लखनऊ को मार्ग एवं स्थल विकास हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की जांच

164-श्री श्रीराम

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 90-91 में लखनऊ स्थित सिविल अनुरक्षण खण्ड-1 को मार्ग एवं स्थल विकास (प्रमुख अभियन्ता कार्यालय एवं दिलकुशा कालोनी) हेतु जो धनराशि रु0 8.33 लाख उपलब्ध करायी गयी थी, उसका उपयोग उक्त कार्य पर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इस अनियमितता की जांच सतर्कता विभाग/गुप्तचर विभाग से करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

वर्ष 1990-91 में लखनऊ स्थित अनुरक्षण खण्ड-1 का मार्ग एवं स्थल विकास हेतु रु0 8.33 लाख नहीं बल्कि कुल 8.00 लाख का आवंटन किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के परिसर व परिसर स्थित आवासीय कालोनी, दिलकुशा कालोनी एवं हैबलक रोड कालोनी में मार्गों की विशेष मरम्मत एवं स्थल विकास कार्यों पर रु0 7.95 लाख का व्यय किया गया है।

धन का उपयोग अनुमन्य मदों पर ही किया गया है, इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं है ।

165-श्री श्रीराम (जालौन)-

(6वें मंगलवार में अता0प्र0सं0 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लखनऊ स्थित सिविल अनुरक्षण खण्ड-1 द्वारा गृहकर एवं जल-कर का भुगतान

166-श्री श्रीराम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित अनुरक्षण खण्ड-1 ने अपने क्षेत्रान्तर्गत भवनों का मकान व जल-कर का भुगतान गत वित्तीय वर्ष 91-92 में कितना किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

अनुरक्षण खण्ड नं0-1 के क्षेत्रान्तर्गत भवनों के गृह-कर एवं जल-कर का वर्ष 1991-92 में निम्नवत् भुगतान किया गया :-

गृह-कर	रु0 12,45,006.30 पैसे
जल-कर	रु0 14,82,118.57 पैसे

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की कार्ड स्ट्राबोर्ड कारखाने द्वारा कोयले के आयात में घोटाले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

167-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद की एक कार्ड स्ट्राबोर्ड

कारखाने में 600 टन सटीम कोयला का आयात करके उसे कालाबाजार में बेंच दिया था ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1890 उनके कार्यालय में ता0 20-5-85 को प्रापत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कर्मचारी कल्याण परिषद् वाराणसी के उपभोक्ता भण्डार में हुई चोरी के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

168-श्री ऊदल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी कल्याण परिषद् वाराणसी के उपभोक्ता भण्डार कचहरी वाराणसी के अन्तर्गत वर्ष 91 में भण्डार की छत काट कर लाखों रुपये का सामान गायब कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि उक्त उपभोक्ता सामानों का भण्डार जिलाधीश वाराणसी के आफिस के सामने कचहरी परिसर में है ।

श्री एजाज रिजवी-

जी हां ।

इस संबंध में निम्न कार्यवाही की गई :-

1-थाना कैन्ट (वाराणसी) में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई ।

2-तत्समय ड्यूटी पर तैनात चौकीदार को निलम्बित कर उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

3-चूंकि डिपो का बीमा कराया गया था अतः बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति की मांग की गई है ।

उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिकों को संशोधित वेतनमान दिये जाने की मांग

169-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-.

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या- वे0आ0-258 (1)/दस-101 (एम)/89 टा0लो0-1, दिनांक 24-1-91 द्वारा वेतनमान 470-735 के स्थान पर रुपये 1350-2200 का वेतनमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समता समिति की रिपोर्ट में देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो

लो0 नि0वि0 में आशुलिपिक का यह वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि राजस्व विभाग में शासन ने यह आदेश लागू हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि यह आदेश लो0नि0वि0 में कब तक लागू हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

आशुलिपिकों के संशोधित वेतनमान के संबंध में शासनादेश दिनाक 24-1-91 के स्थान पर संख्या वे0आ0-1-2518/दस-101 (एम)/89, दिनांक 8-10-91 द्वारा निर्णय लिया गया है ।

जी नहीं ।

यद्यपि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-790/1-4/91-36बी-4/89, दिनांक 12-3-91 द्वारा आदेश जारी किये गये थे, किन्तु शासनादेश दिनांक 17-1-92 द्वारा निरस्त कर दिये गये ।

शासनादेश दिनांक 24-1-91 के अनुसार आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गृह सामान्य अनुभाग-2 (राजनैतिक पेन्शन) के अन्तर्गत पेंशन एवं अनुदान के लम्बित मामलों की जानकारी

170-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गृह सामान्य अनुभाग-2 (राजनैतिक पेंशन) के अन्तर्गत पेंशन और अनुदान के अलग-अलग कुल कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं ? इनमें से कितने मामले ऐसे हैं, जो 6 मास से अधिक समय से वहां लम्बित हैं ?

श्री उमानाथ सिंह-

गृह (सामान्य) अनुभाग-2 में वर्तमान समय में राज्य राजनैतिक पेंशन से संबंधित 321 मामले तथा अनुदान से संबंधित 585 मामले लम्बित हैं । राजनैतिक पेंशन के 308 मामले तथा अनुदान के 71 मामले छः मास से अधिक समय से लंबित हैं ।

जनपद बलिया के सीयर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अखोप माइनर के नहर के किनारे की सर्विस रोड के कुण्डेल तक पिच कराने में अनियमितता किये जाने की जांच

171-श्री अवधपाल सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत अखोप माइनर से निकली नहर जो पतजारी, तरछापार,

बेबीपुर होते हुये कुण्डेल तक जाकर पक्की सड़क में मिलती है, की एक पटरी को पीच कराये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है तथा उक्त नहर की एक पटरी पर बना मिट्टी व कंकड डाले ही फर्जी किया गया है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में लोक निर्माण के किस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया ? क्या सरकार उक्त सड़क की फर्जी पेंमेंट करने वाले अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

जांच की जा रही है । जांच के आलोक में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

सुल्तानपुर जनपद के भदैया ब्लाक में पखरौली मार्ग से निकले खड़ंजा मार्ग के निर्माण में अनियमितता किये जाने का आरोप

172-श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत ब्लाक भदैया के पखरौली मार्ग से 800 मीटर खड़ंजा मार्ग बेलासदा के किनारे की पटरी पर बनवाने में कितना धन व्यय हुआ है ? क्या यह सत्य है कि मार्ग का निर्माण कराकर पटरी नहीं बनायी गई ? क्या कर्मचारियों द्वारा इसमें धन निकाल कर अपव्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मौके की जांच कराकर स्थिति से सदन को अवगत करायेंगे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की पटरी के निर्माण पर कोई धन व्यय नहीं किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की छोटी गण्डक नदी के महुआपाल पर बने सेतु का नामकरण कृष्णाराय सेतु करने की मांग

173-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के छोटी गण्डक नदी, महुआ पाटन घाट पर बने पुल का नामकरण स्व0 कृष्णाराय सेतु करने हेतु जिला प्रशासन से प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पुल का नामकरण कृष्णाराय सेतु कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जिला प्रशासन का ऐसा कोई प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

निर्धारित नीति की परिधि में आने पर ही सम्भव है ।

जनपद फतेहपुर के ग्राम गौरा कलां में चकबन्दी विभाग द्वारा बनाये गये उड़ान चकों की संख्या एवं प्रतिशत की जानकारी

174-श्री छत्रपाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गौराकलां, परगना तहसील व जिला फतेहपुर, में चकबन्दी विभाग द्वारा बनाये गये उड़ान के चकों की संख्या कितनी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वे चक कुल चकों का कितने प्रतिशत है? उड़ान के चक न बनाये जाने के शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उक्त चक क्यों बनाये गये हैं ? उक्त उड़ान चक बनाये जाने का औचित्य क्या है? क्या सरकार शासनादेशों का उल्लंघन करने व अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

ग्राम गौरा कलां परगना व तहसील व जिला फतेहपुर में 80 उड़ान चक प्रदिष्ट किये हैं जो कुल चकों का 21 प्रतिशत है ।

उक्त उड़ान चक कृषकों के अनुरोध एवं सुविधा के अनुसार बनाये गये हैं। उड़ान चक आवश्यकतानुसार बनाने पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध ग्राम गौराकलां जनपद फतेहपुर के निवासियों के शिकायती-पत्र पर जांच

175-श्री छत्रपाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या 396, दिनांक 11 मई, 1989 में ग्राम गौराकलां, परगना तहसील व जिला फतेहपुर के निवासियों द्वारा चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच शासन स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो वह जांच कब और किसके द्वारा की गयी ? क्या जांच अधिकारी ने सभी शिकायतकर्ताओं से पूछताछ की न उनके लिखित बयान प्राप्त किये ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जांच परिणाम क्या रहा व उसके आधार पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

शिकायती-पत्र की जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, फतेहपुर द्वारा दिनांक 23-2-90 को ग्राम में स्थल पर की गयी ।

जांच के अवसर पर शिकायतकर्ताओं व कास्तकारों से विधिवत् पूछताछ की गयी । शिकायतकर्ताओं के उपस्थिति के हस्ताक्षर लिये गये परन्तु लिखित बयान नहीं लिये गये ।

शिकायतकर्ताओं के शिकायती-पत्र में उल्लिखित केवल एक शिकायत सही पायी गयी थी जिसका निराकरण संदर्भ बनवाकर करा दिया गया है। शेष सभी शिकायतें निराधार पायीं गयीं थीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के ग्राम गौराकलां में सर्वे मैप व बन्दोबस्ती मैप के अनुसार चकबन्दी कराये जाने की जानकारी

176-श्री छत्रपाल वर्मा-

क्या सरकार को जानकारी है कि मौजा गौरा कलां परगना, तहसील व जिला फतेहपुर का चकबन्दी विभाग ने जो सर्वे मैप तैयार किया है वह बन्दोबस्ती मैप से मेल नहीं खाता ? क्या यह सत्य है कि अशुद्ध सर्वे मैप के कारण उक्त गांव में की गयी चकबन्दी अनियमित है ? यदि हां, तो क्या सर्वे मैप को सही कराकर पुनः चकबन्दी कराये जाने के आदेश सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

ग्राम गौरा कलां, परगना तहसील व जिला फतेहपुर के सर्वे मैप एवं बन्दोबस्ती मैप में केवल 4 जगह मेल नहीं था, शेष में कोई अन्तर नहीं था ।

चकबन्दी अधिकारी ने न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत मैप को शुद्ध कराया। अशुद्ध मैप को शुद्ध करा कर चकबन्दी करायी गयी जो अनियमित नहीं है ।

मैप सही कराकर चकबन्दी करायी गयी है इसलिये पुनः चकबन्दी कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

भूमि प्रबन्धक समिति, लखनपुर उर्फ अभयनपुर तहसील भदोहीं जिला वाराणसी के अन्तर्गत ग्राम किटारीपुर की उसर भूमि की फर्जी तथा अपात्र आवंटियों की जांच

177-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्रबन्धक समिति, लखनपुर उर्फ अभयनपुर प0 भदोहीं, त0 भदोहीं, वाराणसी के सदस्य श्री पन्ना लाल व श्री रामधनी श्री रमापति, श्री मुरलीधर, श्री बाबूलाल व श्रीमती कुसुम देई ने दिनांक 5-7-91 को एक प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र के साथ परगनाधिकारी, भदोहीं, जिला-वाराणसी को दिया था, जिसमें कि आ0नं063 व 13/489 व 13/493, गांव भिखारीपुर, जो कि गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर में आती है, के आवंटन की कोई मीटिंग नहीं हुई है और भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जांच के उपरान्त, उपरोक्त आवास आवंटन पत्रावली को परगनाधिकारी ने निरस्त कर दिया है और पत्रावली को दिनांक 3-8-91 को दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो पुनः उक्त फर्जी पत्रावली तैयार करने हेतु मौजूदा परगनाधिकारी ने स्वीकृति प्रदान क्यों की है ? क्या उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 17-1-92 को, जिलाधिकारी ज्ञानपुर को भी प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

परगनाधिकारी भदोही ने दिनांक 3-8-91 को आवंटन प्रस्ताव निरस्त करते हुए पुनः कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये थे ।

मौजूदा परगनाधिकारी द्वारा ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी वाराणसी को दिया गया है ।

गाटा संख्या 63, 13/489 एवं 13/493 पर से अवैध कब्जा पूरी तरह से हटा दिया गया है। प्रकरण में दोषी पाये गये भूलेख निरीक्षक एवं अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत कर दिया गया है । आवंटन प्रस्ताव के निरस्तीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्ञानपुर के न्यायालय में आख्या प्रेषित की गयी है ।

178-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर, परगना भदोहीं, त0 भदोहीं, जिला वाराणसी के गांव भिखारीपुर की आराजी नं0 63 व 13/489 व 13/493 जो सरकारी कागजात में ऊसर दर्ज है, को आवास हेतु फर्जी तरीके से आवंटन करने के बारे में, नागरिकों के शिकायती प्रार्थना-पत्र को प्रश्नकर्ता ने दिनांक 17-1-92 को जिलाधिकारी, वाराणसी को अपने पत्र के साथ उन्हें स्वयं मिलकर हस्तगत कराया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी ने ए0डी0एम0 ज्ञानपुर, वाराणसी को आदेश दिया था कि उक्त जमीन की रक्षा करें और उस पर अवैध कब्जा करने से रोकें ? यदि हां, तो अब तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या फर्जी तथा अपात्र आवंटियों की जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जिलाधिकारी वाराणसी को दिनांक 17-1-92 को पत्र उपलब्ध कराया गया है। गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर में गाटा संख्या-13/482 नहीं हैं बल्कि गाटा संख्या-13/489 है ।

जी हां ।

गाटा संख्या-63, 13/489 एवं 13/493 पर से अवैध कब्जा पूरी तरह हटा दिया गया है । प्रकरण में दोषी पाये गये भूलेख निरीक्षक एवं अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत कर दिया गया है। आवंटन प्रस्ताव के निरस्तीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्ञानपुर के न्यायालय में आख्या प्रेषित की गयी है ।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग-56 कामतागंज बाजार से सकवा सरैया मार्ग का लेपन स्तर का कार्यपूर्ण कराने की मांग

179-श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत

राष्ट्रीय मार्ग-56 कामतागंज से सरैया-सकवा शम्भूगंज मार्ग 6.5 कि0मी0 लेपन स्तर तक के लिये शासन से कितना धन स्वीकृत हुआ तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1991 तक उस मार्ग पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या यह सत्य है कि उस मार्ग पर सरैया से शम्भूगंज तक पत्थर की गिट्टी एक घटिया किस्म की तथा कम मात्रा में डाली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सड़क पर रोलर नहीं चलाया गया है जिससे सारी गिट्टी उखड़ जाने से आम जनता को चलने में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या यह भी बतायेंगे कि जब उस मार्ग के कामतागंज से शम्भूगंज तक लेपन स्तर तक के लिये बजट वर्ष 1989 में ही आवंटित था, तो लेपर स्तर तक कार्य न करने का कारण क्या था ? क्या उस मार्ग के बजट का उपयोग दूसरे मार्ग पर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक वह सड़क बनेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

राष्ट्रीय मार्ग संख्या-56 पर स्थित कामतागंज बाजार से सकवा सरैया मार्ग की कुल वास्तविक लम्बाई 5.65 कि0मी0 है जिसके लेपन हेतु रु0 14.92 लाख स्वीकृत हुआ है एवं दिनांक 31-12-1991 तक मार्ग पर 12.17 लाख रुपये व्यय हो चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुटाई के समय रोलर चलाया गया था । मार्ग पर गिट्टी उखड़ी नहीं है । मार्ग पर सुगमता से यातायात चल रहा है ।

वर्ष 89 तक प्रश्नगत मार्ग के प्रथम 2 कि0मी0 में लेपन का कार्य पूर्ण था । अगले 2 कि0मी0 में निर्माण कार्य प्रगति पर था शेष 1.65 कि0मी0 के लेपन का कार्य स्वीकृत नहीं था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लेपन कार्य पूर्ण करने की अवधि का निर्धारण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जनपद सुल्तानपुर की कादीपुर तहसील के ग्राम देवाढ़ में ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जा तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

180-श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सुल्तानपुर कादीपुर, ब्लाक प्रतापपुर कमैचा की ग्राम सभा देवाढ़ की ग्राम समाज भूमि 676, 677, 780, 788 जो भू-राजस्व अभिलेखों में तालाब, चक मार्ग अंकित है, जो अवैधानिक तौर पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों को मिलाकर गांव सभा के संभ्रान्त व्यक्ति के चक में दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसमें ग्राम समाज की आर्थिक क्षति हो रही है? यदि हां, तो क्या शासन उक्त नम्बरों को मौके पर जांच कराके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके विवरण सदन के पटल पर रखेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर ब्लाक प्रतापपुर कमैंचा की ग्राम सभा देवाढ़ स्थित गाटा संख्या 676 राजस्व अभिलेखों में तालाब श्रेणी-6 (1) अकृषिक भूमि अंकित है, मौके पर यह गाटा तालाब की शक्ल में न होकर कृषि भूमि है जिस पर निद्धू पुत्र हरी अनुसूचित जाति का कब्जा है तथा मौके पर गेहूं की फसल खड़ी है । गाटा संख्या 677 चकमार्ग दर्ज है और मौके पर खाली है तथा उस पर कोई अनाधिकार कब्जा नहीं है । गाटा संख्या 780 रामदास पुत्र मंगरू अनुसूचित जाति का नाम असामी के पट्टेदार के रूप में अंकित है और पट्टेदार ने उस पर गेहूं बोया है। गाटा संख्या-788 (क) रकवा 1-4-0 पर चैतू पुत्र फेंकू का नाम श्रेणी-3 में असामी के पट्टेदार के रूप में दर्ज है और वह उस पर काबिज हैं तथा उस पर गेहूं की फसल खड़ी है । इसी नम्बर का जुजरकवा 788 (ख) तालाब के खाते में दर्ज है, मौके पर तालाब के रूप में खाली पड़ा है ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

181-श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर, ब्लाक प्रतापपुर कमैंचा की ग्राम सभा देवाढ़ के अन्तर्गत सार्वजनिक हित के लिये छूटी बचत जमीन, तालाब, चकमार्ग, नाली, हरिजन, आवादी आदि को उक्त ग्राम के श्री राजेन्द्र सिंह आदि ने अपने गाटा संख्या 783 में तोड़कर जोतवा लिया है, जिसमें हरिजनों के जानवरों/ग्राम के नागरिकों को निकलना कठिन हो गया है और गांव में काफी तनावपूर्ण स्थिति व्याप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या गांव के तालाब, चकमार्ग, हरिजन आबादी की मौके पर पैमाइश करके राजकीय सार्वजनिक सम्पत्ति को खाली कराकर जनता को राहत देकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करके शान्ति व्यवस्था बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर ब्लाक प्रतापपुर कमैंचा की ग्राम सभा देवाढ़ के ग्राम देवाढ़ स्थित गाटा संख्या-783 रकवा 1-9-5 सर्वश्री हरिहर प्रसाद, अवधेश प्रताप, राजेन्द्र प्रताप, जितेन्द्र प्रताप, अरुण प्रताप तथा योगेन्द्र प्रताप (अवयस्क) पुत्रगण वीरेन्द्र प्रताप खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधरी की श्रेणी में अंकित हैं । इस नम्बर में कोई बचत जमीन, तालाब, चकमार्ग, नाली तथा हरिजन आबादी का क्षेत्रफल तोड़कर मिलाया नहीं गया है और न नागरिकों एवं जानवरों के निकास की कोई समस्या है। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

निरीक्षण गृह की संख्या एवं श्रेणियों पर व्यय का निर्धारण तथा संगमरमर टाइल्स लगाये जाने के प्राविधान की जानकारी

182-श्री शिव लाल मित्तल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निरीक्षण गृह की कितनी

एवं कौन-कौन श्रेणियां हैं ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किस श्रेणी में कितना रुपया व्यय किया जा सकता है ? किस श्रेणी के निरीक्षण गृह में संगमरमर टाइल्स लगाये जाने का प्राविधान है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

निरीक्षण गृह की निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं:-

1- "ए" अति विशिष्ट श्रेणी,

2- "बी" विशिष्ट श्रेणी,

3- "सी" सामान्य श्रेणी ।

श्रेणीवार व्यय का निर्धारण नहीं किया जाता है अपितु कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर व्यय का निर्धारण किया जाता है ।

श्रेणी के अनुसार संगमरमर टाइल्स लगाये जाने की व्यवस्था नहीं है । बल्कि कार्य की महत्ता तथा स्वीकृत आगणन के आधार पर संगमरमर टाइल्स लगाये जाते हैं ।

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद को समस्त मदों के अंतर्गत आवंटित धनराशि की जानकारी

183-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री गया चरन दिनकर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1986 से मार्च, 1990 तक निर्माण खण्ड फतेहगढ़ को सभी मदों से कितना धन वित्तीय वर्षवार दिया गया है ? क्या इसी अनुपात में इस अवधि के पूर्व या बाद के वित्तीय वर्षों में भी धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, फतेहगढ़ में समस्त मदों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि वर्ष 1985-86 में रु0 110.56 लाख 1986-87 में रु0 254.72 लाख, 1987-88 में रु0 234.98 लाख, 1988-89 में रु0 219.21 लाख तथा वर्ष 1989-90 में रुपये 236.30 लाख थी ।

जी हां । वर्ष 85-86 में आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 84-85 में आवंटित धनराशि के लगभग अनुपातिक थी । इसी प्रकार वर्ष 88-89 व 89-90 में आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 90-91 एवं 91-92 में आवंटित धनराशि के अनुपात में ही थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

184-श्री घुरहू-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

लोक निर्माण खण्ड धत्यूड़ का मुख्यालय मसूरी देहरादून से धत्यूड़ में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

185-श्री लाखी राम जोशी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण खण्ड-धत्यूड़ का मुख्यालय मसूरी देहरादून से धत्यूड़ में स्थानान्तरित करके स्थापित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां । तीन माह में इस खण्ड मुख्यालय को कार्यशील किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में होमगार्डों की छटनी का आरोप

186-श्री तेजभान सिंह-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने सन् 1985 से कार्यरत होमगार्डों की छटनी न करने की कोई राजाज्ञा पारित की है ? यदि हां, तो जनपद सुल्तानपुर में इस राजाज्ञा का उल्लंघन करते हुए कितने होमगार्डों की छटनी की गयी है ? इनमें कितनों ने छटनी के विरुद्ध में प्रत्यावेदन दिये हैं ? इन गलत ढंग से छटनी किये गये होमगार्डों को पुनः सेवा में लेने तथा गलत छटनी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री उमानाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय सांसद मोहन लाल गंज को उन्नाव जिले से उपलब्ध कराये गये वाहन पर हुये व्यय की जानकारी

187-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 सांसद मोहनलालगंज को उन्नाव जिले से अब तक सरकारी वाहन मय ईंधन के माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, व दिसम्बर, 91 में कितने कितने दिन प्रतिमाह उपलब्ध करवाया गया है और उन्नाव जिले से उपलब्ध कराये गये वाहन पर ईंधन व अन्य मदों पर अद्यतन कितना खर्च आया है ?

श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी-

माननीय सांसद मोहनलालगंज को सरकारी वाहन संख्या-यू0पी0एफ0 1515 मय ईंधन के माह जुलाई, 91 में 20 दिन, अगस्त, 91 में 13 दिन, सितम्बर, 91 में 8 दिन, अक्टूबर, 91 में 31 दिन, नवम्बर, 91 में 26 दिन तथा दिसम्बर, 91

में 11 दिन उपलब्ध कराया गया । इस वाहन पर उपरोक्त महीनों में ईंधन के रूप में रु0 20,077-20 पैसे तथा मरम्मत पर रु0 5,368-70 पैसे व्यय हुआ ।

जनपद फैजाबाद की बीकापुर तहसील में भूमि प्रबन्धक समिति बवां द्वारा आवास आवंटन का प्रस्ताव

188-श्री पूरन चन्द्र-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री भगेलूराम निवासी ग्राम सभा बवां, तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद का कोई प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधान बवां द्वारा दिनांक 16-132-91 को प्रस्ताव करके अनियमित ढंग से उक्त ग्राम सभा के लेखपाल की पत्नी के नाम अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पट्टा करने के संबंध में दिनांक 1-12-91 से 20-12-91 के मध्य में जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उस पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

भूमि प्रबन्धक समिति बवां द्वारा आवास आवंटन प्रस्ताव दिनांक 16-12-91 को नहीं बल्कि दिनांक 16-12-90 को पारित किया गया था, जिसके संबंध में श्री भगेलूराम, निवासी बवां का प्रार्थना पत्र दिनांक 6-12-1991 प्राप्त हुआ था।

चूंकि भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव दिनांक 16-12-90 परगनाधिकारी बीकापुर द्वारा दिनांक 8-5-1991 को निरस्त किया जा चुका था ऐसी स्थिति में श्री भगेलू राम के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जनपद की तहसील फूलपुर के ग्राम चिलौड़ा में अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन न करने की शिकायत की जांच

189-श्री दीनानाथ सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश संख्या अर्द्ध शा0प0सं0 पी0एस/7358/सी एन0 2/91, दिनांक 16-11-91 से संबंधित ग्राम चिलौड़ा तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद, में अपात्र व्यक्तियों को किये गये भूमि आवंटन के संबंध में की गयी शिकायत पर जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मामले की जांच कराई गयी । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भूमि प्रबन्धक समिति चिलौड़ा, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद द्वारा कुल 53 व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें से छः व्यक्तियों को छोड़कर शेष 47 का अनुमोदन दिनांक 30-3-1991 को परगनाधिकारी, फूलपुर

द्वारा किया गया। इस आवंटन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गयी और जांच में यह पाया गया कि 13 व्यक्ति भूमि पाने के पात्र नहीं हैं । इन 13 व्यक्तियों के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का मामला मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता 16वां वृत्त कानपुर द्वारा इटावा बाई पास रा0मा0 की चेकिंग में मस्टररोल पर कराये गये कार्य की जानकारी

190-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता 16वां वृत्त कानपुर ने 13-12-80 को इटावा बाईपास रा0मा0 की चेकिंग में मस्टर रोल संख्या 5917 द्वारा हो रहे कार्य को रोकने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो दिनांक 25-12-80 तक उसी मस्टर रोल पर कार्य कराया गया ? इसमें शासन को कितनी हानि हुई ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

दिनांक 13-12-80 को मस्टर रोल संख्या 5917 की चेकिंग अधीक्षण अभियन्ता 16वां वृत्त कानपुर द्वारा नहीं की गयी वरन् तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 13-12-80 को मस्टर रोल की चेकिंग की गयी तथा उन्हीं द्वारा मिट्टी के कार्य के लिये प्रोफाइल न बनाये जाने के कारण लेवलिंग पूर्ण होने तक कार्य रोका गया । एतद्नुसार लेवलिंग के बाद मस्टररोल पर कार्य कराया गया ।

कोई हानि नहीं हुई ।

जनपद बांदा में झांसी इलाहाबाद राजकीय मार्ग संख्या-44 के महुआ गांव में बाढ़ से हुए नुकसान तथा सड़क पर बने पुल के पास जल निकासी हेतु तकनीकी समाधान का प्रस्ताव

191-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के अंतर्गत बांदा इलाहाबाद राजकीय मार्ग में गांव एवं ब्लाक महुआ मुख्यालय से पूरब में पुल संकीर्ण डिजाइन से बनने के कारण आस-पास के गांव धरातल से ऊंचे हो गये हैं और वर्षा में बाढ़ के पानी की उंचाई बढ़ने पर सड़क के लिये अवरोध व बाढ़ से गांव की आबादी का नुकसान करता है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 की वर्षा से आई बाढ़ में इस गांव महुआ के कितने घरों का कितनी लागत का नुकसान हुआ है ? क्या बाढ़ के दिनो में पुल के पश्चिम से सड़क काटी गयी है ? यदि हां, तो उस पुल के निर्माण में कितना व्ययं हुआ है ? उक्त धरातली सतह से ऊंचा पुल निर्माण कराने का क्या

औचित्य है ? क्या संबंधित पुल की अपर्याप्त चौड़ाई को देखते हुए कटे हुए भाग में आवश्यकतानुसार पुल बनाकर समस्या के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव दिया गया था? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें तकनीकी जांच की उपेक्षा की गयी है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद बांदा के अन्तर्गत झांसी इलाहाबाद राजकीय मार्ग संख्या 44 के मऊआ गांव के पास किलोमीटर 227 में एक पुराना गर्डर पुल है। प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि पुल का संकीर्ण डिजाइन बनाने के कारण आस पास के गांव धरातल से किस प्रकार ऊंचे हो गये । उससे वर्षा ऋतु में सड़क के अवरुद्ध होने अथवा बाढ़ से गांव की आबादी को होने वाली क्षति का संबंध स्पष्ट नहीं है । अति वृष्टि के कारण बाढ़ में ग्रामीण आबादी को होने वाली क्षति के आंकड़ों का संकलन लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । वर्ष 1990 में अति वृष्टि के कारण पुलिया के पश्चिम में 15 मीटर लम्बाई में कटान हो गयी थी । प्रश्नगत पुल काफी पुराना है उसकी लागत की सूचना उपलब्ध नहीं है। पुल का स्तर धरातल से ऊंचा ही रखा जाता है । प्रश्नगत स्थल पर वर्षा काल में जल निकासी हेतु उपयुक्त तकनीकी समाधान का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं ।

बांदा जिलान्तर्गत बांदा बबेरु राजकीय मार्ग पर बना मुरवल पुल धरातल से ऊंचा होने की शिकायत

192-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा-बबेरु राजकीय मार्ग में मुरवल के पास बडरा नाला पर निर्मित पुल आस-पास के गांव के धरातल से ऊंचा बना है ? यदि हां, तो सतह से ऊंचा पुल निर्माण करने का क्या औचित्य रहा है ? क्या वर्ष 1990 की वर्षा में पानी की बाढ़ से सड़क पर अवरोध से गांव की आवादी की बहुत बड़ी बस्ती को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितनी आबादी का ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पुल का निर्माण कब हुआ है और किस कार्यदायी संस्था से ? क्या प्रश्नगत पुल निर्माण में पानी के आंकलित मात्रा के अनुसार डिजाइन की लम्बाई को बदलकर व छोटा करके पुल ऊंचा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसा करने में वित्तीय लाभ या मितव्ययिता का दृष्टिकोण रहा है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करके कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत पुल मुरवल गांव के स्तर से ऊंचा नहीं बना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरवल गांव को वर्ष 1990 की वर्षा में कोई क्षति नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1965-66 में लोक निर्माण विभाग द्वारा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम लखन निवासी ग्राम रामनगर, तहसील निघासन, जिला लखीमपुर खीरी द्वारा परगनाधिकारी को दिये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

193-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1559/91 रामलखन नि0ग्रा0 राम नगर, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद झांसी के ग्राम नहोरा मजरा महेशगढ़ सहित छप्पन ग्रामों के निवासियों द्वारा ग्राम समाज की भूमि को आबंटन हेतु जिलाधिकारी एवं अन्य को प्रेषित पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

194-श्री देवन्द्र पाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील व जिला झांसी के ग्राम नहोरा मजरा महेशगढ़ के निवासी श्री पन्नालाल सहित छप्पन ग्रामों के निवासियों ने जिलाधिकारी झांसी, मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को शासनादेश संख्या 11,72/18-17एस0ए0/47, दिनांक 8 दिसम्बर, 1956 के अनुसार वर्ग-3 की ग्राम समाज की भूमि पर बसाये जाने तथा खेती करने के लिये भूमि आवंटित करने हेतु 15 दिसम्बर, 1991 तक कितने प्रार्थना पत्र दिये हैं ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पूर्व राज्य मंत्री श्री सन्त बख्स रावत ने जिलाधिकारी, झांसी को अपने पत्र संख्या 1640/एस0एम0 (आर)/91, दिनांक 6-4-91 को प्राथमिकता के आधार पर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध में आख्या/रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है, तो उक्त आख्या/रिपोर्ट पर अब तक शासन स्तर पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

दिनांक 15 दिसम्बर, 1991 तक 7 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ।

प्रार्थना-पत्रों की जांच में यह पाया गया कि श्रेणी-3 में अंकित खातेदारी की

भूमि नियमानुसार विस्थापितों को आवंटित नहीं की जा सकती है। ग्राम नहोरा में बसे सभी पात्र विस्थापितों को पुनर्वास भूमि का आवंटन गवर्नमेंट ग्राण्ट ऐक्ट के अंतर्गत किया जा चुका है ।

संदर्भित पत्र का प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्रामसभा मुरारखेडा में भूमिहीनों को दी गयी पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

195-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामसभा मुरारखेड़ा कालोनी, परगना पलियां कला, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के भूमिहीनों को आवास हेतु पट्टे बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब्जा प्रशासन द्वारा अभी तक क्यों नहीं दिलाया गया ? उन्हें भूमि पर कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

आबादी स्थल भूमि संख्या-1/1-98 एकड़ मौके पर वन विभाग का कब्जा है, जिससे स्थल का कब्जा नहीं दिया जा सका है । पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद जनपद बाराबंकी में कर्मचारी फार्म की भूमि भूमिहीन किसानों को पट्टे पर दिये जाने की मांग

196-श्री राधेश्याम वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत कर्मचारी फार्म की जमीन के पट्टे भूमिहीन किसानों को सात वर्ष के लिये दिये गये थे परन्तु उक्त जमीन जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं है ? क्या उससे किसानों को बेदखल कर दिया गया है ? यदि सरकार उक्त जमीन पर अन्य कोई योजना लागू कर रही है तो उक्त पट्टेदार किसानों को कोई जमीन उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

इस प्रकरण में जिलाधिकारी बाराबंकी को जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा ।

गोमती नगर-2, लखनऊ की टाइप-4 के भवन निर्माण हेतु क्रय की गयी सरिया के क्रय एवं प्रयोग किये जाने के ब्यौरे की जानकारी

197-श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री राम सरन सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि गोमती नगर-2 लखनऊ की

टाइप-4 के क्वार्टर निर्माण हेतु 96 बन्डल सरिया निदेशक बेसिक शिक्षा के कैम्प आफिस की साइट पर लगभग एक वर्ष से रखी थी ? यदि हां, तो 25 जनवरी, 91 की रात को प्राइवेट ट्रक से 66 बन्डल सरिया राजकीय पालीटेकनिक साइट पर एवं 30 बन्डल श्री दयाराम मेट ने बाजार में बेंच दिया ? यदि नहीं, तो कितनी सरिया उक्त निर्माण के लिये कब आयी और कहां-कहां पर कितनी-कितनी मात्रा में खर्च की गयी ? संबंधित सरिया प्राइवेट ट्रक से ढुलवाने का क्या कारण था ? क्या इस पूर्ण प्रकरण की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां, जो सरिया रखी हुई थी उसकी गणना टन में थी, बन्डलों में नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये 33.201 मी0टन सरिया मार्च, 89 से मार्च, 90 के मध्य आयी थी जिसमें से केवल 0.3928 मी0टन सरिया जनवरी, 89 से मार्च, 90 के मध्य खर्च की गयी । शेष सरिया 32.8082 मी0टन सरिया अन्य निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न तिथियों एवं विभिन्न मात्राओं में अन्यत्र हस्तान्तरित कर दी गयी थी, जिसका विवरण संलग्न है ।

संबंधित सरिया प्राइवेट ट्रक से नहीं ढुलवाई गयी ।

जांच कराने की कोई आवश्कता नहीं है ।

(देखिये नंत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 262 पर)

श्री जोखन पुत्र राम सुमेर ग्राम महगापुर, तथा श्री मासिन ग्राम लुधौरी तहसील निघासन जिला लखीमपुर खीरी द्वारा परगनाधिकारी को प्रेषित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

198-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1539/91, जोखन पुत्र श्री राम सुमेर ग्राम महगापुर परगना पलिया तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन खीरी का 12-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

199-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1649/91, श्री मासिन ग्राम लुधौरी तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के

प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन खीरी को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

प्रश्न में इंगित मा0 सदस्य के पत्र संख्या 1649, दिनांक 14-10-91 के साथ चुन्ने सफलू पुत्रगण रामचरन सफलू, भरोसे पुत्र चेतराम निवासी ग्राम नन्दापुरवा, मजरा लोधौरी, परगना व तहसील निघासन, जिला खीरी का पत्र दिनांक रहित प्राप्त हुआ है ।

तहसील निघासन द्वारा चकबन्दी अधिकारी को पट्टे का अमलदरामद करने हेतु परवाना भेजा गया, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा आपत्ति उठाये जाने के बाद चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । वाद निस्तारण के उपरान्त विधिवत् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद व तहसील लखनऊ के ग्राम सभा धावां की ग्राम समाज की भूमि को ग्राम प्रधान, लेखपाल तथा तहसील के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फर्जी बिक्री करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही, तथा भूमि को ग्रामवासियों में बांटने की मांग

200-श्री राम औतार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा धावां, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की ग्रामसमाज की भूमि संख्या 392 व 334 को ग्राम प्रधान, उप प्रधान, लेखपाल व तहसील के अधिकारियों/कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी खाता कायम करके बेच लिया है, जिसकी कीमत लगभग 54 लाख रुपया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करा कर ग्रामवासियों में बांटने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक भूमि आवंटित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खसरा संख्या 334 तथा 392 का बन्दोबस्त क्षेत्रफल क्रमशः 4-16-0 तथा 7-14-18 है। भूमि संख्या 334 के रकबा 0-16-0 शहजाद पुत्र रियासत अली के नाम है तथा रकबा 4-0-0 पर वर्तमान में शबनम प्रापर्टी का अवैध कब्जा है जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की

धारा-122 बी के अन्तर्गत वाद अपर तहसीलदार, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि संख्या-392 रकबा 7-14-18 का आवंटन पूर्व में किया जा चुका है। इसमें से ही आवंटी फूलचन्द व शिवजोर पुत्र विदेशी स्थल पर काबिज हैं । अवशेष तीन पट्टेदारों का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पट्टे निरस्तीकरण के आदेशों के विरुद्ध रिवीजन राजस्व परिषद्, इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के निस्तारण के पश्चात् तद्नुसार विधिवत् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रान्तीय खण्ड बांदा को आवंटित धनराशि एवं व्यय की जानकारी तथा उसकी जांच की मांग

201-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड बांदा को 1 मार्च, 1990 से 31-10-91 तक (20माह) लगभग 8 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है ? इसके पूर्व तीन वित्तीय वर्षों में क्या इसी अनुपात में धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो इन पूर्व तीन वित्तीय वर्षों में आवंटित धन से अधिक धनराशि आवंटित करने का क्या कारण है ? यदि विगत वर्ष अत्यधिक वर्षों से प्रभावित मार्गों के मरम्मत व अनुरक्षण हेतु अधिक धन आवंटन हुआ है, तो क्या सरकार इस मद पर व्यय किये गये धन को उच्च स्तरीय जांच संबंधित जनप्रतिनिधियों सहित तकनीकी उच्चस्तरीय समिति गठित करके करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं । प्रश्नगत अवधि में मदवार आवंटित धनराशि की सूचना निम्नवत् है :-

मद का नाम	धनराशि
	(लाख रुपये में)
(1) 5054 राज्य सेक्टर	91.00
(2) 5054 जिला योजना	264.88
(3) 3054 अनुरक्षण एवं मरम्मत	233.90
(4) 2245 दैवी आपदा	66.50
योग-	656.28

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के पिछले अवशेष कार्यों को निक्षेप कार्य के रूप में रु0 4.33 लाख एवं अन्य निक्षेप कार्य कराये जाने हेतु रु0 32.4 लाख आवंटित हुआ था ।

जी नहीं ।

आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही धनराशि आवंटित की जाती है । संबंधित वर्ष में अत्यधिक वर्षा से प्रभावित मार्गों की मरम्मत के लिये आवश्यकतानुसार धन आवंटन/व्यय किया गया । अतः जांच आवश्यक नहीं है ।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी में राजस्व गांव भदेहदू तथा 1500 से अधिक जनसंख्या वाले मार्गों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की जानकारी

202-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के उपखण्ड कर्वी में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक आफादी के गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की सप्तम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या तहसील कर्वी के राजस्व ग्राम भदेहदू की आफादी वर्ष 1981 के जनगणना में 2741 है ? यदि हां, तो इस गांव को सम्पर्क मार्ग से न जोड़े जाने का क्या कारण है ? क्या इसको सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1500 या 1500 से अधिक आबादी के गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की कोई योजना नहीं थी ।

जी हां ।

कार्य जिला योजना की परिधि में आता है । प्रश्नगत ग्राम को वर्ष 1992-93 की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखने हेतु जिलाधिकारी, बांदा को निर्देशित कर दिया गया है ।

203-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार एक हजार से चौदह सौ निन्यानबे तक की आबादी के राजस्व गांव हैं, जो सम्पर्क मार्ग से जुड़े नहीं हैं ? यदि हां, तो कितने ? उन्हें सम्पर्क मार्गों से कब तक जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

वर्ष 1990-91 की जनगणना के अनुसार एक हजार से चौदह सौ निन्यानबे तक की आबादी के राजस्व गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कोई योजना नहीं है । इस श्रेणी के ग्रामों की सम्बद्धता का कार्यक्रम जिला योजना की परिधि में आता है, जिसका क्रियान्वयन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

204-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के तहसील कर्वी अन्तर्गत गांव भदेहदू की आबादी जनगणना 1981 के अनुसार 2781 है और वह सम्पर्क मार्ग से जुड़ा नहीं है ? यदि हां, तो कब तक इसे सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्पर्क मार्ग के लिये किसी एजेन्सी को शासन द्वारा धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसको ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

कार्य जिला योजना की परिधि में आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

205-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री बच्चा पाठक तथा श्री भारत सिंह रावत-

(छठें शुक्रवार में अता0प्र0सं0 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

हरिद्वार में अर्द्धकुम्भ मेले से तीर्थयात्रियों को सुविधा देने संबंधित व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें, मैं अब 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, यह सर्वमान्य तथ्य है कि इस सम्मानित सदन में बजट आता है और बजट का उद्देश्य जाहिर किया जाता है कि किन कार्यों के लिये उसे उपयोग किया जायेगा और उसी के अनुरूप उसको खर्च भी किया जाता है । वह पूरी तरह से इस सदन का अधिकार है कि बजट को किस रूप में खर्च किया जाय लेकिन मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अर्द्धकुम्भ मेले के लिये इस माननीय सदन ने एक लम्बी राशि दी है और उसका उद्देश्य यह था कि आने वाले तीर्थयात्रियों के लिये सुविधा जुटाई जाय मेरा सम्पन्न किया जाय उसके विपरीत कुछ होता हे तो वह नियमों के विपरीत है और यह सदन का अपमान है । मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि जो पैसा दिया गया था कि अर्द्धकुम्भ मेले के लिये उसका उपयोग हरिद्वार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान के लिये किया गया । महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, मान्यवर, वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राष्ट्र मुद्दा हो सकता है जो अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता है। मान्यवर, जो पैसा इस सम्मानित सदन में अर्द्धकुम्भ मेले के लिये दिया था, नव भारत टाइम्स अखबार में छपा है कि उसका एक मंच बनवाया गया और उस मंच से महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विश्व हिन्दू परिषद् के एक नेता ने चरखा कातने वाला बुड्ढा कहा इससे ज्यादा अपमानजनक की बात और क्या हो सकती है ? इस सरकार का विश्वास गांधी जी पर नहीं गोडसे पर है ।

मान्यवर, यह जो कहा गया है कि राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के सम्मान और राष्ट्र की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि उस पैसे का वहां एक मंच लगाया गया था और उस मंच से महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी जी को अपमानजनक बातें कही गयीं तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि सरकारी जो पैसा होता है वह जनहित का पैसा होता है उस पैसे का दुरुपयोग करके अगर राष्ट्रपिता के लिये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाय तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक औचित्य के प्रश्न के माध्यम से अपनी बात कही ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, औचित्य नहीं, व्यवस्था के प्रश्न से ।

(व्यवधान)

*श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मेरी व्यवस्था को सुन लें ।

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि सदन में कई बार यह देखा जाता है कि अखबार में कुछ छपा और यहां उठा दिया जाता है । मान्यवर, सदन में किसी अखबार में छपी हुई बात का संज्ञान नहीं लिया जाता है । मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी वहां नहीं थे और इन्होंने यह स्वीकार भी किया है कि अखबार में पढ़कर सदन के संज्ञान में यह बात लाये हैं तो क्या वह अखबार में छपी हुई बात को सदन के संज्ञान में लाया जा सकता है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी, अखबार में कोई चीज छपवा ले और उसके बाद सदन में यह असत्य बात कहें तो कहां तक उचित है ?

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा नाम आ गया, इसलिये स्पष्टीकरण दे दूं यह सूचना मैं सिर्फ समाचार पत्र के माध्यम से नहीं दे रहा हूं, बल्कि हरिद्वार से कुछ लोग आये थे जिन्होंने उनको सुना था जिन्होंने मुझे उसकी बाबत बताया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर अगर सत्ता के जोर पर यह सत्यता को दबवाना चाहेंगे तो यह उचित नहीं होगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

(× × ×)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह सब कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री मेजर जे0पी0सिंह-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह सब कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा, आप लोग शान्त रहिये ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

(× × ×)

श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, यह पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर में छपा था कि राजीव गांधी की हत्या में (× × ×) का हाथ है, इस पर चर्चा करायें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह तो राजनैतिक खेल है कभी बोबी ट्रेक इधर फेंका जाता है कभी उधर यह कहा गया कि खबर में छपने के लिये ऐसा कहा गया तो उन्होंने एक ट्रेक फेंका और स्वयं उनके ट्रेक में फंसते चले जा रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, लिखा नहीं जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल-

जिन लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है मैं उनके विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव रखता हूं, आप कृपया स्वीकार कर लें, मतदान करा लें ।

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (हरद्वार दुबे)-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मेरे निन्दा प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, गांधी जी के सिद्धान्तों की हत्या करने वाले आज गांधी जी के भक्त हो गये हैं । मान्यवर, हमें इनके द्वारा जानकारी दी गयी कि हरिद्वार में जो कुम्भ का समारोह हो रहा था, उसमें कुछ धार्मिक सम्मेलन आदि भी होते हैं, तो आज इस बात की जानकारी दी गयी कि उन्हें अपमानित किया गया और जानकारी का स्रोत अखबार है ...

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, हम इस तरह से नहीं चलने देंगे अगर इनमें जरा भी नैतिकता है तो यह अपना इस्तीफा दे दें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, सवाल यह है कि किसी समारोह में, मैं तर्क के लिये यह बात मान लेता हूं कि यह बात कही गयी, लेकिन जब तक संदर्भ नहीं ज्ञात हो पायेगा कि पूज्य बापू के बारे में किस संदर्भ में ऐसी बात कही गयी और मात्र अखबार के द्वारा या किसी व्यक्ति के बता देने के द्वारा, क्या यह मामला सदन में उठाया जा सकता है ? अगर यह उठाया गया है और आरोप लगाया गया है तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा ही हल्का, छिछला और सत्य से परे आरोप है और यह हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से लगाया गया है । मान्यवर, मैंने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की यह रोज हत्या करते हैं । मान्यवर, यदि मैं यह कह दूं कि जब महात्मा गांधी (× × ×) खुशियां मनायी थीं तो कैसे लगेगा ?

(घोर व्यवधान)

पूज्य बापू ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाय और यह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस भंग हो इसलिये उनकी आवाज को दबाने के लिये उन्होंने (× × ×) । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस तरह से जितने भी प्रसंग हैं उन्हें इस सदन में उठाने की अनुमति न दें ।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, समस्त परिपाटियों को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तोड़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठ जायें । माननीय प्रमोद तिवारी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैंने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद यह पाया इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता । आप लोग कृपया बैठ जायें मैं सदन में उत्तेजना फैलाने वाली किसी चीज पर भी बोलने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है । महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना के साथ गठबन्धन है, वहां गोडसे की पूजा की जाती है, (× × ×) इस देश का इतिहास इसका साक्षी है ।

(सत्ता पक्ष तथा विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से घोर व्यवधान)

(कांग्रेस दल के श्री लीलाराम शार्म, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री भोला शंकर मौर्य आदि सहित कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारा लगाने लगे (× × ×) जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न होता रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 301 और 300 की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

जब तक सदन व्यवस्थित न हो जाय, तब तक कोई कार्यवाही नहीं चलेगी ।

श्री अध्यक्ष-

आज लोग नहीं मानेंगे, तो मैं कार्यवाही चलाता रहूंगा ।

(कांग्रेस दल के सभी वेल में आये सदस्य धरना देकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग धरना देते रहें, मैं कार्यवाही चलाता रहूंगा ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुयीं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं:-

(यह सातों सूचनायें सर्वसम्मति से पढ़ी हुयी मानी गयीं)

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लखनऊ के कई मुहल्लों/कालोनियों में सफाई तथा सीवर की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम खिलाड़ी सिंह-

(मान्यवर, प्रदेश में स्थापित आवासीय कालोनियों नई बस्तियों में रहने वाले लाखों निवासी सामान्य नागरिक सुविधाओं से भी वंचित रखे जा रहे हैं । अन्य जनपदों की भांति लखनऊ की इन्दिरा नगर, गोमती नगर, विकास नगर, अलीगंज, राजाजीपुरम् सभी प्रदेश की विकासोन्मुख नगरों/मुहल्लों में न तो सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पेयजल, सार्वजनिक कूड़ाघर की सुविधा उपलब्ध है और न ही लड़के-लड़कियों के लिए हाईस्कूल, इण्टर व डिग्री कालेज, व्यायामशाल/पुस्तकालय, सामान्य अस्पताल, जलापूर्ति, मल निस्तारण, यातायात तथा मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो पाती हैं इसके अतिरिक्त इन इलाकों में जहां एक ओर भव्य इमारतें तो खड़ी हैं वही सफाई, सीवर व सड़कों की व्यवस्था पंगु होने के कारण नागरिकों को जलभराव दुर्घटनायें तथा गन्दगी के कारण जीना दूभर हो गया है । स्थानीय प्रशासन मूक बना हुआ है ।

अतः लोक-महत्व के प्रश्न पर मैं तत्काल सरकार का ध्यान आकर्षित कर सदन में समस्याओं के तत्काल निवारणार्थ उठाये गये कदमों की जानकारी देने की मांग करता हूं)

वन विभाग, टिहरी गढ़वाल द्वारा गजा ताकियार शिवपुरी मोटर मार्ग का अधूरा निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

(मान्यवर, गजा तकियार शिवपुरी मोटर मार्ग 1862 से अब तक वन विभाग टिहरी गढ़वाल ने पूर्ण नहीं कराया है । 32 वर्ष बीत गये किन्तु यह मोटर मार्ग अधर में लटका हुआ है ।

आपसे अनुरोध है कि वन विभाग टिहरी गढ़वाल द्वारा इस सड़क का निर्माण पूर्ण करवाने की कार्यवाही हेतु शासन स्तर से प्रयास किया जाना चाहिए)

यमुना नदी की जलधारा के बहाव में परिवर्तन होने से जनपद जालौन तथा जनपद कानपुर देहात के किसानों के मध्य उत्पन्न भूमि विवाद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीराम-

(जनपद जालौन की तहसील कालपी के मौजा देवकली दिवारा की आराजी रकवा 25.773 हे0ए0 मौजा सिपाह की आराजी रकबा 48.83 एकड़, मौजा शेखपुर बुल्दा की आराजी रकबा 12.950 हे0ए0 मौजा चाहीपुर की आराजी रकबा 7.613 हे0ए0 मौजा घसियारे पुर की आराजी रकबा 10.639 हे0ए0 जो कि उक्त

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम सभाओं की आराजियात है । यमुना की जलधारा के बहाव में परिवर्तन हो जाने से जलधारा जनपद जालौन की तरफ आ गयी जिसके कारण उक्त आराजी जलधारा के उत्तर तरफ निकल गयी है उक्त मौजों की भूमि राजस्व कागजात नक्शा खसरा खतौनी में उक्त आराजी जलमग्न भूमि के रूप में दर्ज है परन्तु विगत 5 वर्षों में इस भूमि पर जायद की फसल पैदा होती है । उक्त ग्राम सभायें प्रतिवर्ष जायद की फसल बोने हेतु कालपी तहसील के अनय ग्रामों के किसानों को उक्त भूमि पट्टों पर उठाती हैं, परन्तु उक्त आराजी पर जनपद कानपुर देहात के ग्राम दौलतपुर तथा अन्य ग्रामों में लोग जबरन लाठी, डण्डा व असलहों के बल पर कब्जा कर लेते हैं । प्रति वर्ष दोनों जनपदों के लोगों के मध्य काफी तनाव व लड़ाई झगड़ा तथा फायरिंग होती रहती है । इस अन्तर्जनपदीय भूमि विवाद से कभी भी सामूहिक नर संहार हो सकता है ।

अतः इस अत्यन्त गम्भीर व सम्वेदनशील विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करके चर्चा करायें तथा उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें ।)

अलीगढ़ के बरौली क्षेत्र में नयी पुलिस चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दलवीर सिंह -

(मान्यवर, अलीगढ़ जनपद का यह क्षेत्र बुलन्दशहर की सीमा से लगा हुआ है जहां पिछले दिनो काफी लूटपाट, हत्या एवं राहजनी की घटनायें हुई हैं जिनकी रोकथाम के लिये निम्न पुलिस चौकियां खोलने की मांग करता हूं ।

1-चड़ोस थाने में भोजपुर ताल एवं जमनका, 2-जवां थाने में बरौली रिपोर्टिंग चौकी खोली जाय, 3-गभाना जो नया थाना बना है उसमें वीरपुरा रिपोर्टिंग चौकी भरतरी चौकी खोली जाय, साथ ही साथ आवागमन की दृष्टि से इस नये थाने में थाना लोधा के चौमुहां, कोमला, कदौली, विजहरा, सेमला, कोरह, व थाना चण्डौस से गौरना, मढ़की, चांदनेर, हीसेल तथा थाना जवां से पोथा गांव शामिल किये जायं ।

उक्त लोक महत्व का प्रश्न है । अतः सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जाती है ।)

टिहरी गढ़वाल के कन्ज्यूमर रिडेसक फोरम के लिए नामित सदस्यों को भी अन्य जनपदों की भांति मासिक मानदेय निर्धारित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाखी राम जोशी-

(मान्यवर, टिहरी गढ़वाल के लिये राज्यपाल महोदय द्वारा कन्ज्यूमर

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डिस्प्यूट्स रिडेसल फोरम के लिये मनोनीत सदस्यों को उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के निमय 3 के अधीन सदस्य को बैठक के लिये प्रतिदिन एक सौ मानदेय पाने का अधिकार दिया गया है जबकि अन्य जनपदों में सदस्यों को निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाता है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण का कार्य प्रभावित हो रहा है ।

अतः टिहरी गढ़वाल के कन्ज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडेशल फोरम के लिये नामित सदस्यों को भी अन्य जनपदों की भांति मासिक मानदेय निर्धारित करने की कार्यवाही की कृपा करें ।)

बांदा जनपद की तिन्दवारी तथा बड़ोखर खुर्द विकास खण्डों के सभी गांवों में पेयजल समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

(मान्यवर, जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा तिन्दवारी व बड़ोखर खुर्द में पानी की टंकियां कहीं-कहीं बनी हैं, लेकिन भीषण गर्मी में पीने के पानी की जरूरत के समय लगभग 80% टंकियों की सप्लाई अधिकारियों की लापरवाही व धन के अभाव में बन्द पड़ी हैं । ब्लाक, जसपुरा में जल संस्थान हमीरपुर के अधिकारियों की अनियमितताओं के कारण सप्लाई सही ढंग से नहीं चल रही है उसे ठीक कराना अति आवश्यक है । इसी तरह विकास खण्ड तिन्दवारी के विभिन्न ग्रामों में स्थित पानी की टंकियां सूखी हैं कभी भी पानी की सप्लाई नहीं दी गयी है तथा ग्रामवासियों में त्राहि-त्राहि मच गयी है । उन टंकियों की सप्लाई कराना अति आवश्यक है, इसी तरह ब्लाक बड़ोखर खुर्द के समस्त ग्रामों की समस्या है न तो हैण्ड पम्प है, यदि पानी की टंकियां हैं तो आपूर्ति सही नहीं है । इसलिये टंकियों को सही कराकर सप्लाई ठीक ढंग से चालू करायी जाय तथा विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द के समस्त ग्रामों में इण्डिया मार्क-2 के पांच-पांच हैण्ड पम्प लगवाये जायें जिससे पीने के पानी की समस्या का निदान हो सके ।)

जनपद बांदा से लखनपुर, भदावल बघेल में पम्प कैनालों के निर्माण व संचालन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरन दिनकर-

(मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कि बांदा जनपद में बबेरू क्षेत्र उद्योग शून्य कृषि पर आधारित क्षेत्र है किन्तु प्रचुर मात्रा में सिंचाई साधन न होने की वजह से मेहनतकश कृषक उपजाऊ भूमि पर खून पसीना बहाने के बावजूद भी अकाल और भुखमरी का शिकार होता जा रहा है । परिणामतः यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दस्यु प्रभावित, बेरोजगारी एवं ऋण से जूझता क्षेत्र बनकर रह गया है । कृषक व मजदूर शहरों की ओर रोजी रोटी के लिये पलायन

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कर रहे हैं । निकट भविष्य में यदि ध्यान नहीं दिया गया तो क्षेत्र की लाखों जनता तबाह हो जायेगी । पम्प कैनाल भदावल वागे नदी से लखनपुर पम्प कैनाल, यमुना नदी से एवं बघैला पम्प कैनाल, मटियारा एवं गडरा नदियों के संगम स्थल से निर्माण करवाकर क्षेत्र की कई हजार एकड़ जलाभाव से ऊसर हो रही भूमि एवं जनता की खुशहाली बहाल की जा सकती है ।

अतः लाखों जनता को भुखमरी एवं तबाह होने से बचाने के लिये उपरोक्त पम्प कैनालों को स्थापित कर संचालित करने हेतु अविलम्ब सरकार को आदेशित करने की कृपा करें ।)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 अप्रैल, 1992 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ की है । इसके संबंध में मैं बता दूं कि इस सदन में विधान परिषद् के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । सूचना का विषय श्री राम औतार शाक्य की है, वह ग्राह्यता पर अपने विचार रखें ।

(श्री राम औतार शाक्य के खड़े होने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले सदन को व्यवस्थित करा दीजिये, उसके बाद कार्यवाही चलाइये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, जब निश्चित इरादे से सदन में अव्यवस्था पैदा की जायेगी तो मैं उसको नजरंदाज करके सदन की कार्यवाही चलाऊंगा ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित कराइये, सदन को सही ढंग से चलाने में सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा हाथ होता है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

(× × ×) सरकार को संरक्षण नहीं मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

आप सदन में उत्तेजना का वातावरण न पैदा करें । यह चुनौती और ऊंची आवाज मैं सदन में नहीं चलने दूंगा ।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय राम औतार शाक्य की नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना है उस पर मैं कल सुनूंगा ।

(कांग्रेस दल के सदस्य लगातार नारा लगाते रहे ।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग इसी वातावरण में चाहते हैं कि सदन चले, तो मैं चलाऊंगा, श्री हृदय नारायण दीक्षित की सूचना को ग्राह्यता के लिये सुना जायेगा, वह अपने विचार रखें।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित के खड़े होने तथा लगातार घोर व्यवधान होने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित जी आपकी सूचना पर मैं आपको भी कल सुनूंगा । श्री राम गोविन्द चौधरी की जो सूचना है, वह 300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसे निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है ।

(कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य वेल में बैठे रहे.)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें आज आपको मिली हैं, उन्हें आप कल ले लीजिये । इस अव्यवस्थित सदन में हम अपनी बात कैसे कह सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास नियम 300 के अन्तर्गत दो प्रकार की सूचनायें आई हैं । कुछ सूचनायें ऐसी हैं जो नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं । कुछ सूचनायें ऐसी हैं, जिनकी ग्राह्यता पर मैं सुनना चाहूंगा । परन्तु उनकी ग्राह्यता पर मैं कल सुनूंगा। जिनको मैंने अपने कक्ष में अस्वीकार किया है, उनके नाम पढ़ देता हूं...

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप नियमावली देखें । आप क्या अव्यवस्थित सदन में कार्यवाही को आगे चला सकते हैं ? क्या आप इस अव्यवस्थित सदन में बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको बता दूं कि सदन को अव्यवस्थित करने वाला नहीं बोल सकता । यदि आप इस तरह से सदन को नहीं चलने देंगे तो मैं सदन को 1.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिये स्थगित कर दी, 1 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

सदन में कहे गये आपत्तिजनक शब्दों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

अध्यक्ष महोदय, ने जब माननीय प्रमोद तिवारी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो मंत्री जी ने आवेश में आकर यह कह दिया कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो (× × ×) इस तरह के शब्द कार्यवाही में नहीं आने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

वह तो मैंने कहा कि जितने भी आपत्तिजनक शब्द दोनों तरफ से कहे गये हैं वह निकल जायेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा भी दिखवा लीजिये कोई आपत्तिजनक है तो ।

श्री अध्यक्ष-

कहें तो मैं पूरा भाषण निकलवा दूं और प्रेस को भी निर्देश दे दूं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

कांग्रेस दल एक राष्ट्रीय संगठन है, अगर उसके प्रति कोई आपत्तिजनक बात कहेंगे तो मैं मरते दम तक जी जान से रक्षा करूंगा जब तक जीवित रहूंगा रक्षा करूंगा । कांग्रेस राष्ट्रीयता का प्रतीक है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

हमारे निन्दा प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

उसकी मैंने अनुज्ञा नहीं दी ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास जो नियम 300 की सूचनायें आयी हैं...

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूं प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है उसे सुन लें ।

नोट: (× × ×)-यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

चूंकि उस समय सदन अव्यवस्थित था मैं अपनी बात नहीं कह सका । मेरा प्रश्न से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न है । 14 नम्बर पर मेरा प्रश्न था और आज कुल 12 नम्बर तक प्रश्न आये । मेरा खाद्य से संबंधित प्रश्न है मैंने इस प्रश्न के बारे में पहले भी कहा था राशन कार्ड में जो राशन मिलता है राशन की दुकानों से वह मानक से बहुत कम है । इस प्रश्न पर आप नियम 49 में चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख कर दे दें ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आप लिख कर दे दें । मेरे पास नियम 300 में जो सूचनायें आई हैं वह दो प्रकार की हैं एक तो वह जो ग्राह्यता में आती हैं उन पर मैं सुनूंगा कुछ ऐसी हैं, जो नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रथम सत्र, 1992 के तीसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 16 का स्पष्ट उत्तर न दिये जाने के संबंध में है । तो मैंने कहा इसे निदेश संख्या 165, 166 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है ? यह नियम 300 में नहीं आता ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मेरी पूरी सूचना को आप पढ़ लीजिये उसके बाद कहिये ।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 की सूचनाओं को मैं कल सुनूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मेरा औचित्य का प्रश्न महत्वपूर्ण है । उसे निरस्त मत करिये ।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न विधान परिषद् के बारे में है उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री नरेश अग्रवाल-

माननीय राज्यपाल का सामूहिक रूप से यहां भाषण हुआ था ।

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । नियम 300 में जो सूचनायें आयी हैं, उनमें श्री राम औतार शाक्य, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री राम गोविन्द चौधरी और माननीय हरिचरण यादव की सूचनाओं की ग्राह्यता पर कल सुनूंगा । शेष सूचनायें मैंने अस्वीकार कर दी हैं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान परिषद् में धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल-

इसी सदन से महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को सम्बोधित किया।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सूचना पढ़ दीजिये ।

(समय 1 बजे)

*श्री नरेश अग्रवाल-

मेरी सूचना है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 19 के अन्तर्गत वर्ष में प्रारम्भ में आहूत सत्र में माननीय महामहिम राज्यपाल विधान मण्डल के दोनों सदनों को सम्बोधित करते हैं । तत्पश्चात् उसी सत्र में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण दोनों सदनों के अलग-अलग धन्यवाद प्रस्ताव सहित पारित होने के पश्चात् महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाता है । नियम 19 के अनुसार यह दोनों सदनों की प्रतिष्ठा एवं महामहिम राज्यपाल के सम्मान का प्रश्न है । चूंकि दोनों सदनों के समुदाय अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है तथा धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग-अलग पारित होता है लेकिन इस सरकार ने विधान परिषद् का सत्रावसान करके महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। इससे प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पास होने दिया ।

श्री अध्यक्ष-

विधान परिषद् में ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होना चाहिये । एक का सत्रावसान कर दिया । मान्यवर, आप देख लें । नियम 19 के उपबन्ध 7 में स्पष्ट दिया है कि प्रस्ताव, संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित स्वीकृत होने पर अध्यक्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा राज्यपाल को अर्पित किया जायेगा । श्रीमन् इन्होंने इसे पास नहीं होने दिया और अगर अब होता है तो वह प्रथम सत्र में नहीं माना जायेगा विधान परिषद् के द्वितीय सत्र में होगा । मान्यवर, यह महामहिम राज्यपाल का अपमान है, इस सदन का भी अपमान हुआ है । चूंकि महामहिम राज्यपाल ने दोनों सदनों को एक साथ समवेत् रूप से सम्बोधित किया है । संविधान में भी दिया है कि जिन राज्यों में एक सदन है, वहां एक सदन में राज्यपाल बोलेंगे । पूरे देश में तीन राज्यों में दो सदन हैं । यहां दोनों सदनों को राज्यपाल एक साथ सम्बोधित करते हैं । मान्यवर, विधान सभा और विधान परिषद् है, तो दोनों सदनों से पास होने के बाद उसे आप को महामहिम राज्यपाल को भेजना था । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने दोनों सदनों को यहां एक साथ सम्बोधित किया था । एक सदन से तो वह पारित हो गया परन्तु दूसरे से नहीं और तब तक दूसरे सदन का सत्रावसान कर दिया गया । मान्यवर, इसके लिये नियम 19(1) में स्पष्ट लिखा है कि सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में ही होना चाहिये । विधान परिषद् का प्रथम सत्र समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

प्रथम सत्र वाला कौन सा नियम है, बता दें ?

श्री नरेश अग्रवाल-

नियम 19-1 में दिया है आप देख लें । विधान परिषद् में धन्यवाद प्रस्ताव पास किये बिना सत्रावसान कर देना महामहिम राज्यपाल की गरिमा को गिराया है, उनके प्रति अपमानजनक है। इस सदन की गरिमा गिरी है और ऐसा लगता है कि इस सरकार को महामहिम राज्यपाल का विश्वास नहीं है । मेरा निवेदन है कि यह जो असंसदीय और नियमों के विरुद्ध काम हुआ है । अतः मेरे औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

किस नियम में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बात है?

श्री नरेश अग्रवाल-

यह संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत है ।

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देने के प्रस्ताव के बारे में ?

श्री प्रमोद तिवारी-

इसमें कोई आपत्ति नहीं है । दो चीजें स्पष्ट कर दूं विधान परिषद् में क्या

हो रहा है इसको हम देखना नहीं चाहते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि नियमावली, जिससे विधान सभा की कार्यवाही सम्पादित होती है उसमें दो चीज स्पष्ट है । वर्ष के प्रारम्भ में सदन को बुलाया जायेगा समवेत् सदन होगा तो उसमें आप माननीय राज्यपाल को लेकर आयेंगे, तो समवेत् सदन का स्थल विधान सभा होता है, उसमें संशोधन प्रस्ताव आये या न आये, आप उसे स्वीकार करें या न करें, यह तो अलग बात है । मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हो गया हमने संशोधन रखा स्वीकृत नहीं हुआ । अब हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि सम्पूर्ण सदन ने धन्यवाद का प्रस्ताव का प्रस्ताव पारित कर दिया है तो महामहिम राज्यपाल को हमारी भावनाओं से अवगत करा दें । आप जा नहीं पा रहे हैं-

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल तक पहुंच गया वहां से उत्तर भी आ गया और उस उत्तर को पढ़ भी दिया गया जो लोग अनुपस्थित थे वह उनका दुर्भाग्य रहा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

जो परम्परायें हैं मैं विधान परिषद् की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, आप संविधान का अनुच्छेद 175 देख लें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

पहली बार महामहिम राज्यपाल के यहां आपको अकेले जाना पड़ा अगर इसमें आप अपने को अपमानित महसूस नहीं करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल-

संविधान के अनुच्छेद 175 में है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार यह संविधान में दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष-

इसके आगे 176 भी देख लें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

यह जो अनुच्छेद 176 है यह राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के संबंध में है । पहली बार जब सत्र हुआ तो उत्तर प्रदेश में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हुआ । आपको महामहिम राज्यपाल के यहां अकेले जाना पड़ा इससे आपको भी क्लेश हुआ होगा । यह परम्परा टूटी है, तो आप अकेले न जाकर मंत्रि-मण्डल के सदस्यों के साथ जायें।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्य नरेश अग्रवाल जी ने एक संवैधानिक प्रश्न उपस्थित

कर दिया, इन्होंने संवैधानिक संकट पैदा कर दिया इन्होंने कहा कि राज्यपाल में सरकार का विश्वास नहीं रह गया है अगर किसी राज्यपाल का किसी का विश्वास नहीं रह गया है यहां तक कि किसी व्यक्ति का भी सरकार में विश्वास नहीं होगा तो यह तो संवैधानिक संकट है । मान लीजिये इस सरकार को बर्खास्त करने की सूचना आ गई और दोनो का विश्वास एक दूसरे में नहीं है तो न तो यह सरकार है न वह राज्यपाल हैं-(व्यवधान) तो अगर दोनों का एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहेगा तो यह सदन भी फिर नहीं रहेगा, तो यह एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । अब नरेश अग्रवाल जी या तो अपनी बात को वापस ले लें ।(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल के संबंध में जो बात होगी उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

विधान परिषद् का संदर्भ मैं देना नहीं चाहता लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस पर वर्मा जी कुछ नहीं बोलें, जानबूझकर नहीं बोलें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

अभी बोलूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, उनका मार्गदर्शन हमें बड़ा लाभान्वित करता है । मैंने संविधान को पढ़ने की चेष्टा की है और नियमावली को देखा है। धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करना चाहिये लेकिन...

श्री नरेश अग्रवाल-

राज्यपाल महोदय, का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दिग्दर्शन होता है। अगर एक सदन ने पास नहीं किया तो यह सरकार नहीं रही ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, इनका आचरण देख लें । मैं बोल लूं उसके बाद चाहे जितनी कड़ी से कड़ी बात कहें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । मान्यवर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो गया । धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हो गया । मैं सिर्फ नियमों के संबंध में विधान परिषद् का उल्लेख करना चाहता हूं । विधान परिषद् और विधान सभा के नियमों में थोड़ा सा फर्क है । हमारे यहां सत्रावसान हो जाता है तो उसका परिणाम यह होता है कि जितनी भी लंबित सूचनायें होती हैं वह व्यपगत हो जाती हैं लेकिन विधान परिषद् में ऐसा नहीं होता है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, विधान परिषद् का संज्ञान ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

विधान परिषद् का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, वहां की किसी कार्यवाही का संज्ञान नहीं लेना चाहिये, संसदीय कार्य मंत्री नियमावली की बात कर रहे हैं वहां

नोटः-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

की नियमावली की बात कर रहे हैं कि वहां की नियमावली भिन्न है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपकी रूलिंग आ गयी । स्पष्टीकरण देने के लिये हम लोग विधान परिषद् की नियमावली का उल्लेख कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

विधान परिषद् की और विधान सभा की नियमावली में थोड़ा सा फर्क है, यह संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

विधान परिषद् के सत्रावसान के फलस्वरूप जो वहां लम्बित सूचनायें हैं वह व्यपगत नहीं होती हैं । वहां धन्यवाद का प्रस्ताव विचाराधीन है, उसके ऊपर अभी चर्चा हो रही है, वह पारित होना शेष है । जो पुरानी व्यवस्था है उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि आप देख लें । पिछली सरकार ने सत्रावसान करके 17 अध्यादेशों को जारी किया है । 13-3-91 को धन्यवाद का प्रस्ताव विधान परिषद् द्वारा दूसरे सत्र में पारित किया गया है । अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा किया गया है, विधान परिषद् का सत्रावसान हुआ है । जो विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी है वह यह है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव दोनों सदनो में पारित नहीं है इसलिये विधिक संकट है तो अभी दूसरा सदन में धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है । धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हुआ या नहीं इसका निर्णय पहले से कैसे हो सकता है ? धन्यवाद का प्रस्ताव पारित यहां पर हो चुका है । यथासमय धन्यवाद का प्रस्ताव पारित होना विधिक प्रक्रिया है अब तक उसके अनुपालन में किसी तरह का व्यवधान हुआ नहीं है, न कोई ऐसा काम हुआ है जो विधि मान्य न हो । मैंने शंका का समाधान कर दिया है । मान्यवर, आप भी इस पर व्यवस्था देना चाहेंगे । सरकार ने कोई काम विधिक व्यवस्था के किसी तरह विपरीत नहीं किया है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

जब भी गलत काम करते हैं पिछली सरकार की बात करते हैं । पिछली सरकार के अच्छे कामों को ग्रहण करें तो अच्छा होगा ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी को स्वीकार करना चाहिये कि स्वस्थ परम्परा का उल्लंघन हुआ है दोनों सदनों से धन्यवाद का प्रस्ताव पारित होना चाहिये । अगर कहीं त्रुटि हुई है तो उसको मान लेना चाहिये।

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, एक ही तरीका रह गया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने दोनों सदनों को फिर से ज्वांइट यहां बुलायें । श्रीमन् उसमें अभिभाषण फिर से पास हो जाय तो प्रथम सत्र में माना जायेगा, नहीं तो द्वितीय सत्र में माना जायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

संविधान के अनुच्छेद 176 में है कि राज्यपाल, विधान सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत् दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा, तो संविधान में ऐसा प्राविधान नहीं है कि विधान सभा राज्यपाल के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव करते हुए धन्यवाद का कोई प्रस्ताव पारित करेगी । इसकी व्यवस्था संविधान में नहीं बल्कि प्रक्रिया नियमावली में है। इसलिये नियम 300 के अन्तर्गत संविधान के किसी नियम का निर्वचन या प्रवर्तन का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 19 का उल्लेख किया, उसके उप नियम 3 और 5 की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उप नियम-3 में है कि अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतया 4 दिन होगा । उपनियम 5 में है कि ऐसे धन्यवाद के प्रस्ताव में ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसे अध्यक्ष उचित समझें । अगर किसी संशोधन का उल्लेख हुआ तो वह सदन में अध्यक्ष की अनुज्ञा से प्रस्तुत किया जायेगा। इसमें आगे लिखा है कि प्रस्ताव संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित स्वीकृत होने पर अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल को अर्पित किया जायेगा । ये वही संशोधन हैं जिनका उप नियम 5 में उल्लेख है, इसलिये जहां तक इस सदन का प्रश्न है, यह सदन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और उसे संशोधन सहित या संशोधन रहित पास करेगा और वह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल को अर्पित किया जायेगा ।

इस नियमावली में ऐसा कहीं नहीं है कि यह सदन इस संबंध में प्रतीक्षा करेगा कि जब विधान परिषद् में धन्यवाद प्रस्ताव पारित न हो जाय । इसलिये नियम यही है कि यह सदन राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन की चर्चा समाप्त होने के पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव पारित करे और उसे अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल को अर्पित किया जायेगा । यह बात कि अध्यक्ष तुरन्त जायेंगे कि नहीं अलग है तो एक दायित्व का निर्वहन हो गया, प्रस्ताव पास हो गया, उस पर राज्यपाल का उत्तर प्राप्त हो गया, उसे सदन में पढ़ दिया गया । अब आप नियम 300 देख लें। औचित्य का प्रश्न उस विषय पर उठाया जायेगा जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हे तो औचित्य का प्रश्न सदन के कार्य के संबंध में उठाया जा सकता है । जिस समय यह प्रस्ताव पारित हुआ आप उस समय उठा सकते थे। विधान परिषद् में परित हुआ या नहीं, यह जिस समय महामहिम राज्यपाल का उत्तर पढ़ा, उस समय कह सकते थे । यह सदन अपनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है । आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती, इसको निरस्त कर रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

यह परम्परा के अनुरूप नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं श्री राम औतार शाक्य, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री हृदय नारायण दीक्षित और श्री हरी चरन यादव की सूचना कल सुनूंगा । शेष को अस्वीकार करता हूं। जिन सूचनाओं को निरस्त किया है उन पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 तथा उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) संशोधन विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1992 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 4 अप्रैल, 1992 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को ही वापस प्राप्त हो गया ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

इसमें एक सूचना माननीय राम गोविन्द चौधरी जी की थी, जिसका मैं परीक्षण करवा रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, परीक्षण तो उस समय करवाया जाता है, जब किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है । मान्यवर, मैंने माननीय नेता सदन श्री कल्याण सिंह जी के ऊपर विशेषाधिकार हनन की सूचना दिया है । मान्यवर, मैंने जो डाकूमेंट दिया है, उससे स्पष्ट है कि उसे परीक्षण के लिये देने की आवश्यकता ही नहीं है। मान्यवर, हमसे जो कहा गया है, उसकी भी फोटोस्टेट प्रति दे दिया है, इसलिये इसको परीक्षण के लिये भेजने की जरूरत ही नहीं है । मान्यवर, मेरे प्रस्ताव को

आप ग्राह्यता पर सुन लीजिये । मान्यवर, जिस समय 24 मार्च और 31 मार्च को दोनों दिन नियम 311 के ये प्रस्ताव आये कि अयोध्या के मन्दिर तोड़े गये हैं और उसके उत्तर भाषण में माननीय नेता सदन अपना भाषण देने के लिये उपस्थित हुए, तो उन्होंने तुरन्त इन्कार कर दिया कि मन्दिर नहीं टूटे हैं, बल्कि यह कहा कि कुछ मन्दिर हटा दिये गये हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, नेता सदन ठीक कहते होंगे, सारा विपक्ष, पूरा सदन शान्त रहा और उसको सही मान लिया । 31मार्च के बाद साक्षी गोपाल मंदिर और सुमित्रा भवन के महन्त दोनों हमसे मिले थे, उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप इसमें हमारी सहायता करें । मान्यवर, जो सदन में कहा गया है, उसका हम खण्डन नहीं करते हैं । मान्यवर, उन्होंने कहा कि मारपीट करके पुलिस ने हमसे लिखवाया है । मान्यवर, मेरा कहना यह है कि उस दिन माननीय नेता सदन ने जानबूझकर तथ्य को उलट-उलट करके पत्र गलत पढ़ दिया और मान्यवर, जो मैंने पत्र दिया है, वह ओथ कमिश्नर से प्रमाणित है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नियम 64 के पैरा दो में यह लिखा हुआ है कि यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो, तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक होगी, जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायेगी । इसमें जो उचित कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, उसमें आप नेता सदन से क्या पूछेंगे ? वह तो पूरे सदन के सामने उन्होंने कहा है । इसमें पूछने का कोई औचित्य ही नहीं है । आप बात को टालने के लिये पूछना चाहते हो, तो पूछ लीजिये । लेकिन इसमें आप, कौन सी बात पूछेंगे ? हमारा कहना है जो पत्र पढ़ा उस पत्र की फोटोस्टेट प्रति आपके पास संलग्न है तो उसमें पूछना क्या है और मुझे आपसे कहना इतना ही है कि वह पत्र बिल्कुल जाली है और जान बूझकर माननीय नेता सदन ने उस पत्र को पढ़ा और सदन को गुमराह किया है । जो वहां के साधू है राम कृपाल दास जी उनसे भी मेरी बात हुई ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, निवेदन यह है कि आप परीक्षण करवाने के बाद व्यवस्था देंगे? यह जो परिपाटी रही है कि अगर आप इसको सुन रहे हैं तो क्या हमें भी सुनने का अवसर देंगे ? वैसे जिस समय माननीय श्री कल्याण सिंह जी बोल रहे थे उसी समय विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष-

मैं पहले इसका परीक्षण करवाऊंगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

परीक्षण किन तथ्यों के आधार पर आप कराने जा रहे हैं ?

नियम 311 व 56 की सूचनाओं को समेकित रूप से लिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

311 में जो सूचनायें प्राप्त हुई थीं उनको भी नियम 56 में लिया है और उसी प्रक्रिया से उनका निस्तारण किया जायेगा ।

श्री मोहम्म्द आजम खां-

मान्यवर, मैंने भी 3-4 रोज पहले एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो कहा कि मैं परीक्षण करवा लूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं यह नहीं पूछना चाहता कि मेरी सूचना को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष-

यह मेरी व्यवस्था है कि जितनी भी सूचनायें आयेंगी सबका परीक्षण किया जायेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

{× × ×}

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 311 एवं 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें कुल मिलाकर 7 सूचनायें चयनित की गयी हैं और उसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ, 2-श्री राम लखन, श्री बी0आर0 वर्मा, 3-श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री अकबर हुसैन, 4-श्री सुरेन्द्र सिंह, 5-श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री सोमांश प्रकाश, श्री विजय पाल सिंह तोमर, श्री डी0पी0यादव, श्री जाहिद हुसैन, 6-श्री स्वामी नाथ यादव की फैजाबाद में उपासना स्थलों के ऊपर बम विस्फोट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

नोट:-{× × ×} यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि-

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार की जितनी सूचनायें आयेंगी उन पर सदन में एक शब्द नहीं सुनूंगा । पहले परीक्षण कराऊंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने परसों एक नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष-

उनको कल सुनूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, कल नोटिस देंगे तो कहेंगे कि दुबारा नहीं सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने निर्देश दे दिया है कि कल सुनेंगे तो कल सुनेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सुनेंगे तो कल एक को सुनें और राम औतार शाक्य का औचित्य में आता था और हमारा भी आता था इसको दो दो मिनट सुन लेते तो उचित होता।

श्री अध्यक्ष-

आज की सूचना कल के लिये माना है आप आगे का काम चलने दीजिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, शायद मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पाया ।

श्री अध्यक्ष-

13 माननीय सदस्यों की सूचनायें थीं इसमें मैं किन्हीं तीन माननीय सदस्यों को सुन लूंगा ।

फैजाबाद में उपासना स्थलों के ऊपर बम विस्फोट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 311 में जो सूचना प्राप्त हुई थी उसे मैंने 56 में परिवर्तित कर दिया था । कई व्यक्ति मिलकर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से 13 माननीय सदस्यों ने इस पर सूचना दी है, मैं इस पर तीन माननीय सदस्यों को सुन लूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, 2-2 मिनट सभी सदस्यों को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

मुझे तय कर लेने दें कि किसको सुना जाय ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह कुछ लिखा नहीं जा रहा है और न मैं सुन रहा हूं ।

मैं माननीय प्रमोद तिवारी, राम लखन वर्मा, अकबर हुसैन और माननीय विजय पाल सिंह तोमर इन माननीय सदस्यों को इस सूचना पर सुनूंगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना पर 8 माननीय सदस्य हस्ताक्षर कर दें तो सबको नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय तिवारी जी की सूचना है इसके साथ श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ की है इसलिये तिवारी जी को सुनूंगा । श्री बी0आर वर्मा और श्री राम लखन की सूचना पर श्री राम लखन जी को सुन लेंगे । श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री अकबर हुसैन की सूचना है इस पर श्री अकबर को सुनूंगा अगर यह कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो श्री राम गोविन्द चौधरी को मौका दूंगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, अकबर हुसैन नहीं आये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

तो श्री राम गोविन्द चौधरी को सुने लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री सोमांश प्रकाश, श्री विजय पाल सिंह तोमर, श्री डी0पी0यादव, श्री जाहिद हुसैन और श्री स्वामी नाथ यादव की सूचना है इसमें से किसी को सुन लूंगा । इतने लोगों को सुनना उचित नहीं है।

(श्री स्वामी नाथ यादव एवं अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से व्यवधान)

जनता दल "ब" की ओर से आप तय करें कि किसको सुनूं ? किसी एक माननीय सदस्य को तय कर लें मैं उसको सुन लूंगा वर्ना मेरे ऊपर छोड़ दें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सूचना दी है आप मुझे क्यों हटा रहे हैं ।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर)

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह आप आपस में तय कर लें कि कौन 4 लोग बोलेंगे ?

(श्री श्याद अली द्वारा लगातार बोलते रहने से घोर व्यवधान)

श्याद अली जी, यह कुछ लिखा नहीं जा रहा है, आप बैठ जायें आप सदन को बहुत हल्के से ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

जनता दल "ब" की ओर से इस प्रस्ताव पर कौन बोलेगा ? यह आप लोग तय कर लें नहीं तो बोलने का अधिकार मैं विनियमित करूंगा ।

दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की जनपद मैनपुरी में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

तीसरी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री प्रमोद तिवारी, श्री कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री राम लखन वर्मा, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री हृदय नारायण, श्री बलराम यादव, श्री बाबूराम यादव, श्री अखिलेश सिंह, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री डी0पी0 यादव, सदस्य, विधान सभा के आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस निरस्त करने तथा अंगरक्षक न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसी से सम्बद्ध सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षत, श्री शिव कुमार बेरिया की पूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश गुप्त व उनके परिवार को कथित रूप से उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री राम लखन वर्मा, श्री बी0आर0 वर्मा की नगर पालिका गंगा घाट, जनपद उन्नाव में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अनशन कर रहे व्यक्तियों पर प्राण घातक हमले तथा जान माल की धमकी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

पांचवीं सूचना श्री बलराम यादव की राजकीय आदर्श निराश्रित बाल गृह ब्रह्मस्थान जनपद आजमगढ़ के अधीक्षक द्वारा बाल संवासियों को उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

छठीं सूचना श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री दलवीर सिंह की लखनऊ जनपद में न्यायालयों में तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में है ।

सातवीं सूचना सर्वश्री, श्याद अली, राम लखन, नसीमउद्दीन सिद्दीकी, रामपाल, राम ललित चौधरी, पूरन प्रकाश, बी0आर0 वर्मा, कैलाश नाथ सिंह यादव, यदुनाथ सिंह, दिवाकर विक्रम सिंह, प्रमोद तिवारी, ज्वाला प्रसाद यादव, राज नारायण बिन्द, किशोरी लाल यादव, मिर्जा सुल्तान रजा की आटो ट्रैक्टर्स लि0 प्रतापगढ़ के कर्मचारियों को निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पहली पांच सूचनाओं को सुनूंगा शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जब से यह रामराज की तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की

सरकार आयी है पूरी तरह से रावण राज्य कायम हो गया है । साम्प्रदायिकता फैलाने के लिये जगह जगह पर दंगे कराये जा रहे हैं सुनियोजित ढंग से फैजाबाद में बम विस्फोट हुआ । उपासना स्थलों को तोड़ा जा रहा है, कहीं मस्जिद कहीं मन्दिर तोड़े जा रहे हैं कानपुर में दो लोग मारे गये हैं साम्प्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर इस सरकार के समय में हर अपराध के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है । डकैती 4-45 प्रतिशत बढ़ गयी है, हत्या 8.46 प्रतिशत बढ़ गयी, दंगा 8.48 प्रतिशत बढ़ गया है ।

श्री अध्यक्ष-

आप सूचना पर बोलिये ।

श्री प्रमोद तिवारी-

ग्राह्यता पर बोल रहा हूं, मेरी सूचना फैजाबाद तक ही नहीं वरन् जनरल ला एण्ड आर्डर पर भी है । चोरी 4.40 प्रतिशत बढ़ गयी, अन्य अपराध 6.88 प्रतिशत बढ गये, बलात्कार 7.44 प्रतिशत बढ़ गया इस तथाकथित रामराज्य की सरकार में आगरा में 12.3 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं, बरेली में 15.25 प्रतिशत गोरखपुर मण्डल में 19.4 प्रतिशत, लखनऊ में जहां सरकार बैठती है 17.54 प्रतिशत, मेरठ में 32.15 प्रतिशत, वाराणसी में 16.35 प्रतिशत अपराध बढ़े, गढ़वाल में 11.4 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं, कुमायूं में 65 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं । यह कुछ आंकड़े आपके सामने रखे हैं । जब से यह सरकार आयी है लगातार अपराध बढ़ रहे हैं । अभी कल की घटना है हरिद्वार में कुम्भ मेला होने जा रहा है करोड़ों-करोड़ लोग उसमें आयेंगे पुलिस बल पर इनकी अकर्मण्यता की वजह से इनकी लापरवाही की वजह से इनके संरक्षण में अपराधी तत्वों की वजह से और इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से वहां पुलिस बल पर फायरिंग की गयी, कई पुलिस के जवान घायल हैं । यही नहीं, जैसे जैसे सरकार को यह लग रहा है कि वह हर मोर्चे पर असफल हो रही है वह लोगों को ध्यान हटाने के लिये साम्प्रदायिकता फैला रही है । फैजाबाद में मन्दिर तोड़े जा रहे हैं। मान्यवर, आपको मालूम है कि राम नवमी का त्योहार आने वाला है और उस दिन लाखों लोग वहां पर एकत्र होते हैं, सैकड़ों राम भक्त उस दिन दर्शन करने के लिये जाते हैं लेकिन यह सरकार वहां पर आने वाले राम भक्तों को इसलिये भय और आतंक फैलाकर रोक देना चाहती है कि कहीं यह रामभक्त इनकी काली करतूतों को न देख लें, जो वहां पर मन्दिर तोड़े गये हैं कहीं उन्हें न देख लें इसलिये वह सुनियोजित ढंग से बम विस्फोट करा रही है क्योंकि दर्शनार्थी और तीर्थयात्री वहां पर पहुंचेंगे और हनुमान जी की खण्डित मूर्ति को न देख लें इसलिये वहां पर आतंकपूर्ण कार्यवाही करा रही है। तो मान्यवर, इस सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है क्योंकि यह राम मन्दिर बनाने का वायदा करके आये थे और यह आज मन्दिरों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं । मान्यवर, आज आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, साम्प्रदायिकता को सुनियोजित ढंग से फैलाया जा रहा है, कानपुर में भय और आतंक की स्थिति पैदा हो गयी है । फैजाबाद में

जब राष्ट्रीय एकता परिषद् का दल जा रहा था तो उसके आने से पहले बम विस्फोट किया गया, फैजाबाद में आज मन्दिरों को तोड़ा जा रहा है । आज कोई मन्दिर सुरक्षित नहीं रह गया है, अगल बगल के मन्दिरों को भी तोड़ा जा रहा है और आतंकपूर्ण कार्यवाहियां की जा रही हैं । पूरा प्रदेश आज दंगे की आग में जल रहा है, सब तरफ अपराधों की संख्या बढ़ रही है और यह सब इनकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है । मान्यवर, इससे ज्यादा लोक-महत्व का प्रश्न कोई नहीं हो सकता, मैंने अपराधों के आंकड़े भी दे दिये हैं आप स्वयं देखें कि इनके कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं इसलिये यह ग्राह्य करने योग्य है । अतः मैं मांग करता हूं कि आप सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करायें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैंने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसलिये महत्वपूर्ण है कि साम्प्रदायिक सद्भाव इस प्रदेश में बना रहे इसी में हमारा और सबका कल्याण है । लेकिन मान्यवर, इस साम्प्रदायिक सद्भाव को तोड़ने में कुछ लोग सुनियोजित खलल करके इस प्रदेश की जनता को धोखे में डालना चाहते हैं । मान्यवर, आपके सामने कुछ दिनों पहले मन्दिरों को तोड़ने की घटना पर चर्चा हो चुकी है और मान्यवर, जब एक सांसदों का दल अध्ययन करने के लिये अयोध्या जा रहा था तो उसके तीन चार दिन पहले बराबर बम बिस्फोट किये जाते रहे हैं आज स्थिति यह हो गयी है कि वहां पर पांच मस्जिदें टूट गयी हैं, कई मन्दिर टूट गये हैं । मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रशासन की कानूनी व्यवस्था पर पकड़ ढीली हो गयी है और अयोध्या इस समय साम्प्रदायिक तत्वों के हाथों में जकड़ गयी है, असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गये हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि आज अयोध्या में जो स्थिति हो गयी है कि हिन्दुस्तान के जो करोड़ों तीर्थ यात्री वहां पर दर्शन के लिये जाते थे आज वहां पर जाने से घबरा रहे हैं आज उनकी जान को खतरा बना हुआ है । सारा प्रशासन और सरकार के रहते हुए वहां पर बम विस्फोट हो रहे हैं यह एक महत्वपूर्ण घटना है । सारा प्रदेश जानता है और यह सरकार भी जानती है कि राम नवमी के दिन सैकड़ों लोग वहां पर दर्शन करने आते हैं लेकिन वहां पर आतंकपूर्ण कार्यवाहियां करके भय का आतंक बना रखा है, लोग वहां से लौट आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जान का खतरा बना हुआ है । मान्यवर, जब वहां पर मन्दिर तोड़े जायेंगे और मस्जिद तोड़ी जायेगी तो इस प्रदेश का क्या होगा । आज पूरे प्रदेश में मान्यवर, अशान्ति का वातावरण बना हुआ है लोग अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि आप सारी कार्यवाही को रोक दीजिये और फैजाबाद में जो लगातार बम विस्फोट करके मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, उस पर चर्चा कराइये, नहीं तो इस प्रदेश का साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ जायेगा और यह प्रदेश इस आग में जलने लगेगा, इसलिये मेरा आग्रह है कि आप इस पर निश्चित रूप से चर्चा करा दें ।

*श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, फैजाबाद और अयोध्या को भले ही वेटिकन सिटी का स्टेट्स न मिला, लेकिन फिर भी वहां कारसेवकों का राज्य है । पहले कसाईबाड़ा में मस्जिद गिरायी गयी थी, मुख्य मंत्री जी ने इस मामले को केवल अपराधिक घटना मानकर डिसमिस कर दिया था । अब वहां स्थिति यह है कि कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। वहां इस तरह का आतंक व्याप्त है, लोगों को डरा धमका दिया गया है कि कोई स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात तक नहीं कह सकता । वहां आतंक मचाने के लिये रोज बम विस्फोट कराये जा रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि वहां कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है । मुख्य मंत्री जी भले ही पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हों, लेकिन वह फैजाबाद और अयोध्या के मुख्य मंत्री नहीं मालूम होते, क्यों कि वहां पर कानून और व्यवस्था के मामले में पकड़ बिल्कुल ढीली हो गयी है । अभी पिछले दिनों किसनपुर बराल की मस्जिद जलाई गयी थी, उसमें कत्ल भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट भी कराई गई, लेकिन रिपोर्ट कराने के बावजूद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । इसके बाद नोएडा में लालू पीर की दरगाह को तोड़ दिया गया, इस मामले में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । कुल मिलाकर (× × ×) लोगों को जलील किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, इन्सान को इन्सान से फर्क करने की शुरूआत हो गई है । कल की घटना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा कि आज की सारी कार्यवाही रोक कर आप इस पर चर्चा करायें और शासन की जिम्मेदारी फिक्स करें कि इसमें सरकार को करना क्या है ?

श्री राम लखन-

मान्यवर, फैजाबाद मुख्यालय और अयोध्या इस समय पूरी तरह शंका और भय के घेरे में है । मान्यवर, मैं फैजाबाद का ही रहने वाला हूं, वहां पर जब कसाईबाड़ा में मस्जिद तोड़ दी गयी थी तो मैं अपने दल के साथ घटनास्थल पर गया था, वहां पर लोग इतने सशंकित थे, इतने डरे हुए थे कि मोहल्ले के सारे लोग अपना सामान बांधकर जाने की तैयारी कर चुके थे । जिला प्रशासन की तरफ से इनको मजबूर किया जा रहा था कि आप जैसे भी हों, मलवा हटाकर अपनी मस्जिद की फिर से मरम्मत करवा लें । जब इस पर उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की, तो उनको कहा गया कि नाममात्र का 2 हजार 4 हजार रुपया हमसे ले लीजिये और मरम्मत करवाइये, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, इसी क्रम में आगे फैजाबाद और अयोध्या में बम विस्फोट हुये, यह इसलिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कराये जा रहे हैं ताकि जो रामनवमी का मेला वहां पर होने वाला है, जिसमें लाखों-लाख की तादात में गांव के लोग अयोध्या में आकर भगवान रामचन्द्र में अपना विश्वास व्यक्त करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वह न आ सकें । भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय इसलिये भी घबरा रही है कि जिस मुद्दे पर जिस राम की दुहाई देकर यह सरकार में आये हैं, जिस गरीब के वोट पर यह सरकार में आये हैं, वह गांव के गरीब लोग जब वहां की दशा आकर देखेंगे तो फजीहत होगी इसी उद्देश्य से वहां पर आये दिन बम विस्फोट कराये जा रहे हैं । मैं सरकार और जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से वहां पर इस प्रकार के निर्देश हैं कि कोई भी अपराधी जो इस ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ न रखा जाय । 8 तारीख को जहां पर बम विस्फोट हुआ, उसमें दो लोगों को पकड़ा गया । वे लोग कौन थे ? इनके बारे में सरकार अच्छी तरह से जानती होगी । लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को तुरन्त छोड़ दिया गया । आज पूरी फैजाबाद की जनता भय से पीड़ित है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर शेष सदन की कार्यवाही को रोककर एक घण्टे की चर्चा करायें ।

(श्री स्वामी नाथ यादव, श्री अकबर हुसैन श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है । श्री अकबर हुसैन जी के भी हस्ताक्षर उस सूचना में हैं । इसलिये कृपा करके आप दो मिनट का समय उन्हें दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, श्री अकबर हुसैन एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री अकबर हुसैन-

मान्यवर, चाहे मन्दिर टूटे या मस्जिद टूटे इसमें इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है, इनकी एक ही मंशा है कि ऐसे काम किये जाये जिससे जनता भावनात्मक होकर उद्वेलित हो और इनसे जुड़ सके । फैजाबाद में जिस तरह की घटना कल हुई, ठीक इसी तरह की घटना इससे पहले भी हो चुकी थी । आपके प्रशासन का एडीशनल आई0जी0 और अन्य अधिकारी और बड़ी तादात में पुलिस बल वहां पर तैनात होते हुए इस तरह की घटना होना कितने शर्म की बात है । हो सकता इनके लिये शर्म की बात न हो क्योंकि शासन की साजिश के तहत यह घटनायें करा रहा है । इस प्रकार की घटनाओं को कराने से साफ जाहिर होता है कि रामनवमी को जो हिन्दू जरीन वहां आने वाले हैं वे वहां न आ सकें क्योंकि

मान्यवर, पूरे प्रदेश से लाखों श्रद्धालु जब अयोध्या में इनके द्वारा किये कुकृत्यों को आप फैजाबाद में ही नहीं इस प्रकार की साजिश देखेंगे तो इनकी कथनी और करनी का फर्क सम्पूर्ण देशवासियों के सामने आ जायेगा मान्यवर, अन्य जनपदों में भी की जा रही है । मुरादाबाद में जहां 1980 के बाद कोई दंगा तनाव नहीं हुआ पूर्ण रूप से शान्ति है वहां पर जिगनिया थाना गड़ी के गांव में एक मस्जिद में एक सुअर को मार कर डाल दिया गया उसी जनपद के ग्राम तलवार में एक मन्दिर की मूर्ति को तोड़ दिया गया इस तरह मस्जिदों को तोड़ने की साजिश कराके यह सरकार किस सीमा तक गिरकर मुसलमानों के धैर्य को देखना चाहती है । अपमान सहन करने की भी कोई एक सीमा होती है, मान्यवर, सरकार के इन घृणित कुकृत्यों से प्रदेश की जनता में असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी है । यह लोक-महत्व का तात्कालिक मामला है इसलिये सदन की बाकी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय ।

(समय: 2 बजे)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, इस विषय की ग्राह्यता के बारे में बोलने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री स्वामी नाथ यादव-

(× × ×) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान) लिखा नहीं जायेगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, यह सरकार सुनने को तैयार नहीं है । (व्यवधान) मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

(श्री स्वामी नाथ यादव सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, इस प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रहे, लोगों में गलतफहमी पैदा न हो यह हम सब का प्रथम दायित्व है । तथ्यों की पूरी जानकारी किये बिना इस सदन में कोई घोषणा करने से जनता में परिणाम अच्छे नहीं होंगे क्योंकि यहां की कार्यवाही गोपनीय नहीं रहती है यह कहा गया कि 5 मस्जिदें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं सही नहीं है । हम कोई बात छुपाना नहीं चाहते हैं यह कहना भी सही नहीं है कि वहां कोई पकड़ा नहीं गया । यहां कहा गया कि मुरादाबाद में सुअर काट कर डाल दिया गया तो इस तरह के आरोप सब तथ्यों से परे हैं । इस आदरणीय सदन की परिपाटी रही है । यहां पर बहुत से सम्मानित सदस्य विद्यमान हैं जब

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संवेदनशील मामलों में पीठ से संयम बरतने को कहा गया । ऐसा वक्त आया था जब कहा गया कि दंगों में इतने हिन्दू मारे गये, इतने मुसलमान मारे गये तो कहा गया सवाल हिन्दू और मुसलमान का नहीं है सवाल आदमी का है तो इस तरह से चर्चा करने से वातावरण विगड़ेगा । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो बातें यहां रखें वह तथ्यों के आधार पर, सही जानकारी लेकर रखी जायं । कोई आरोप लगायें तो वाणी पर संयम रख कर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था के हित में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा । एक बार कहीं मुंह से निकल गया कि कुछ लोग आ रहे हैं मस्जिद को तोड़ने के लिये तो इस गलत तथ्य का परिणाम यह हुआ कि चारों तरफ देश में वातावरण बिगड़ गया । यह सही है, मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहता कल बीती रात और कल कोई घटना नहीं हुई । इससे पहले 6 या 7 स्थानों पर घटना हुई एक मस्जिद को छोड़कर कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुई । 7 में कोई हादसा नहीं हुआ जो उल्लेखनीय हो । सरकार पूरी तरह से सचेष्ट है ।

श्री राम लखन-

कोई हादसा हुआ है या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

पूरी तरह से सरकार सचेष्ट है 35 आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहां कोई आपराधिक घटना न हो, हम कोई बात छिपाना नहीं चाहते हैं, वहां एक एस0पी0 के नेतृत्व में सी0आई0डी0 दल गठित कर दिया है जो सारे तथ्यों की जानकारी कर रहा है । जिस किसी ने साजिश की है मैं आश्वासन देना चाहता हूं साजिश करने वाले, किसी भी व्यक्ति को चाहे कितने ही बड़े उसके हाथ हों बक्शा नहीं जायेगा वह चाहे कोई जाति का हो, कोई विरादरी का हो कोई उपासना पद्धति का हो, उसमें भेदभाव नहीं है (व्यवधान) मैं जानकारी दे रहा हूं कि वहां कोई घटना कल रात में नहीं घटी उसके पहले घटना घटी । फैजाबाद और अयोध्या में कोई तनाव नहीं है । हां बाहर तनाव खड़ा किया जाता है यह सही है। मेरे पास एक मित्र बैठे थे उन्होंने कहा केरल से एक ट्रक आ रहा था सामान लेकर रास्ते में टेलीफोन आया कि ट्रक वाला फैजाबाद कहता है नहीं आयेगा । उन्होंने कहा आ जाओ यहां कोई बात नहीं है । जब उन्होंने आश्वासन दिया तब वह बेचारा आया । तो जो बातें कही जा रही हैं उसका परिणाम है कि बाहर तनाव दिखाई देता है । फैजाबाद और अयोध्या में कोई तनाव नहीं है । वहां जनजीवन सामान्य है, चहलपहल है । कुछ लोग वहां गये हैं, उन्होंने देखा होगा, वहां बाजार खुले हैं । इसकी ग्राह्यता के संबंध में प्रार्थना करना चाहूंगा यह विषय ऐसा नहीं है जिस पर चर्चा की जाय । रोज रोज हम यहां चर्चा कर रहे हैं । कोई आवश्यकता नहीं है कि सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा हो । सरकार पूरी तरह से सचेष्ट है । मान्यवर, वहां की शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये पूरी तरह से जुटे हुये हैं । हमें सफलता मिल रही है । हमने घोषणा की है कि इसके पीछे कोई साजिश है जो उत्तर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था में तनाव पैदा करने के लिये इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं । उनको बक्शा नहीं जायेगा । उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी । जल्दी ही पूरी स्थिति आदरणीय सदन के सामने रखेंगे ।

*श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि "यह है" और "यह नहीं है"। इस तरह से तीन बातें इन्होंने कही हैं । इन्होंने कहा है कि वहां कोई आतंक नहीं है, फिर कहते हैं कि बाहर आतंक है । मान्यवर, आप देखें कि पहले कहते हैं कि आतंक नहीं है फिर कहते हैं आतंक है । उसके बाद कह रहे हैं, जब हम लोगों ने कहा कि साजिश के तहत विस्फोट किये जा रहे हैं तब माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई साजिश नही है , फिर कहा कि कोई साजिश जरूर है इन साजिश करने वालो को बक्शा नही जायेगा । एक बात और कही कि वहां विस्फोट नही हुआ फिर कहते हैं कि 7 विस्फोट की घटनाएं हुई थीं । मान्यवर, इस प्रकरण को कैसे समाप्त किया जाय ? स्वयं मंत्री जी भी इस प्रकरण को समाप्त किये जाने की बात करते हैं और यह नहीं है ऐसे जबाब आ रहे हैं। एक मुंह है एक जीभ है । इस तरह की दोहरी बातें कर रहे हैं। यह बहुत खलता है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्ट कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मुझे अफसोस है कि मैं अपने विचार स्पष्ट नही कर पाया । मैंने कहा कि विगत रात, 8-9 की रात है, उसमें कोई घटना नही घटी है ।इसके पहले सात घटनाएं घटी, उसको स्वीकार किया है और यह भी बात कही कि पांच मस्जिदों के क्षतिग्रस्त होने की बात कही थी, यह भी सही नहीं है। अयोध्या, फैजाबाद में कोई आतंक नहीं है ।बाहर ऐसी बातें फैलती हैं कि वहां आतंक है तो बाहर के लोगो के मन में यह भ्रम जरूर उत्पन्न हो जाता है कि शायद वहां पर आतंक है, तनाव है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सही है कि यह बहुत ही गम्भीर मसला है ।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कहना चाहते हैं ? कोई स्पष्टीकरण है तो ठीक है। वक्तव्य और भाषण न दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, स्पष्टीकरण ही है और स्पष्टीकरण की आड़ में ही कहना है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है कि गुजरी रात कोई हादसा नहीं हुआ, यह आपकी सूचना सही नहीं है । मान्यवर, आपने कहा है कि पिछली सरकार के समय में यह कहा गया कि हिन्दू और मुसलमान न कहा जाय, मरने वाले इन्सान की बात कही जाय । आपने यह भी कहा कि अयोध्या में कोई विवाद नहीं है । कुछ हद तक सही मान सकता हूं । अभी मैं खुद चार-पांच दिन पहले अयोध्या गया था, बाबरी मस्जिद और उसकी दीवार तक गया था वहां जिस तरह से हालात सरकार बताना चाहती है वह सही नहीं है । हालात विस्फोटक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, यह तो स्पष्टीकरण की बात नहीं है । मेरी स्वीकृति से यह आशय नहीं है कि आप भाषण दें । मतभेद हो सकता है मतभेद के लिये समय नहीं है न ही स्थान है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अयोध्या और फैजाबाद से केरल तक दंगे हुए है ।इस देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

आप कहेंगे कि आपकी सूचना सही है, माननीय मंत्री जी कहेंगे कि उनकी सूचना सही नहीं है तो मतभेद तो बना रहेगा । कृपया भाषण न दें मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । माननीय सदस्यों व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकृत करना उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसे कैसे काम चलेगा, आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय शाक्य जी को बुला लिया है ।

(श्री अकबर एवं मोहम्मद आजम खां के बोलते रहने पर)

(व्यवधान)

अकबर जी और आजम जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

(× × ×)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जा रहा है मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

(× × ×)

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

(× × ×)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, हमें यह नहीं बोलने दे रहे हैं मैं शासन की नीतियों के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री महेन्द्र सिंह भाटी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

(× × ×)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

यह सरकार तथ्यों को छिपाती है मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह सदन का त्याग करके चले गये ।)

श्री अध्यक्ष-

नियम 299 के अन्तर्गत मैं आजम खां जी आपको तुरन्त सदन से बाहर जाने के आदेश दे रहा हूं ।

(श्री मोहम्मद आजम खां सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैनपुरी जनपद में सहकारिता विभाग के सचिव, सुपरवाइजर सब लोग हड़ताल पर हैं । वह मांग कर रहे हैं कि वहां के ए0 आर0 कोआपरेटिव हैं वह भ्रष्ट हैं उन्होंने बहुत ही रुपया कमा लिया है । शासनादेश के विरुद्ध काम किये हैं, जितने कर्मचारी हैं, सहकारिता विभाग के उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जनपद मैनपुरी के सहकारिता विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं । सारी व्यवस्था अपंग हो गयी है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगाये जा रहे हैं इतना बड़ा

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान सभा

आन्दोलन हो रहा है उसके बाद भी जिला प्रशासन ने उनकी मांगों पर नोटिस नहीं लिया है । सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है । भ्रष्टाचार के खिलाफ सहकारिता विभाग के अधिकारी आन्दोलन कर रहे हैं । तो ऐसे समय में जबकि इतने गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगाये गये हैं उस ए0आर0 का स्थानान्तरण आज तक नहीं किया गया है । कर्मचारियों की केवल एक सूत्रीय मांग है कि उनका स्थानान्तरण किया जाय और उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच की जाय । कई दिन हो गये हैं विभागीय अधिकारियों ने और शासन ने इधर ध्यान नहीं दिया है । इस तरह आन्दोलन होता रहेगा तो जनता का जो हक है वह मारा जायेगा मैं मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, यह बात सही है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने जानकारी दी, ए0आर0, मैनपुरी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कुछ कर्मचारियों ने भी इस संबंध में आन्दोलन किया और दबाव डाला कि इनका ट्रान्सफर किया जाय। मान्यवर, मुख्यालय से निबन्धक, सहकारी समितियां को निदेशित किया गया कि पूरी जांच करें । जांच की रिपोर्ट आ जायेगी तो स्थानान्तरण की बात बहुत छोटी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं । लेकिन यह भी उचित नहीं होगा कि कर्मचारी खड़े हो जायं कहने लगें कि फलां अधिकारी का ट्रान्सफर कर दिया जाय तो मात्र कर्मचारियों के कहने से ट्रान्सफर कर दिया जाय इससे माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह उचित नहीं होगा । जो शिकायतें मिली हैं उनकी जांच करायी जा रही है और अगर आरोप सही पाये जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी उसमें किसी भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की कोई बात नहीं है । माननीय विधायक जी को मैं विश्वास में लेकर उनको यह बता दूंगा कि क्या आरोप थे और क्या जांच की रिपोर्ट आयी । आपसे परामर्श कर लिया जायेगा और कड़ी से कड़ी कार्यवाही जांच रिपोर्ट के आधार पर की जायेगी ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी । कर्मचारियों की एक ही मांग है कि उनका स्थानान्तरण करके जांच करायी जाय । मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जांच जल्दी पूरी हो जायेगी । यह सही है कि कर्मचारियों द्वारा कोई ज्ञापन देने पर ट्रांसफर कर दिया जाय कदाचित इस प्रणाली से आप सहमत नहीं होंगे ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं समझता हूं ।

श्री किशोरी श्याम-

मेरी एक प्रार्थना है कि जो ज्यादा बोलते हैं वह उनकी आवाज कम करा दीजिये कानों पर जोर पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना माननीय बेनी प्रसाद वर्मा सहित 10 माननीय सदस्यों की श्री डी0पी0 यादव जी के बारे में है और सूचना माननीय पूर्व विधायक ओम प्रकाश गुप्त जी के बारे में है उसमें 3 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । दो माननीय सदस्य माननीय डी0पी0यादव की सूचना पर बोल लें और एक माननीय सदस्य ओम प्रकाश गुप्त की सूचना पर बोल लें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, दोनों सूचनायें महत्वपूर्ण हैं। एक सूचना वर्तमान माननीय सदस्य तथा दूसरी सूचना भू0पू0 मा0 सदस्य के बारे में है । मेरा अनुरोध है कि इसमें बोलने की बाध्यता न करें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, मा0 कैलाश नाथ सिंह यादव, मा0 तिवारी जी मा0 डी0पी0यादव वाली सूचना पर बोल लें और श्री हृदय नारायण तथा मा0 बेरिया श्री ओम प्रकाश गुप्त वाली सूचना पर बोल लें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन् यह जो सूचना आज आपको दी है यह इसलिये दी है कि माननीय डी0पी0 यादव हमारे दल के सदस्य हैं । ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते हुए भी इस समय जो घटनायें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, उस समय होतीं तो भी शायद हम इस सूचना को देते, श्रीमन्, सदस्यों के जो विशेषाधिकार होते हैं, सम्मान होता है, उस संबंध में कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिये । इस सदन की परम्परा रही है कि सदस्यों के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा कम से कम होती रही है । उनकी समस्यायें सरकार स्वयं सुलझा देती थी । दुर्भाग्य की बात है कि माननीय गुप्ता जी की सरकार पदारूढ़ हुई, माननीय सदस्य अपनी स्वयं की सूचना आये दिन देते हैं कि उनकी समस्या का निस्तारण नहीं होता है । श्रीमन्, माननीय डी0पी0यादव इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं । इससे पहले इस सरकार के भी सदस्य रहे और गुप्ता जी की सरकार के तमाम लोग उस समय सदन में थे। हमें

नहीं याद आता कि इनको कभी उंगली उठाने का मौका मिला हो । कभी सदन में कोई बात गुप्ता जी को ऐसी नहीं देखनी पड़ी होगी कि राजनीतिक बदले की भावना से पहले किसी को बदनाम करने की कोशिश की गयी, यह नियम है कि जब तक कोई अपराधी साबित न हो जाय, किसी की एफ0आई0आर0 हो जाय तो कोई अपराधी नहीं हो जाता है। लेकिन यह सरकार बदले की भावना से पार्टी को बदनाम करने के लिये एक माननीय सदस्य को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है ।

पहले उनका चुनाव प्रभावित हो इसलिये उनको बदनाम करने की कोशिश की गयी । चुनाव में हमारी पार्टी की जीत हो गयी तो राजनीतिक बदले की भावना से उनकी सुरक्षा को जानते हुए कि पहले से उनकी सुरक्षा को खतरा बना हुआ है, उनका अंगरक्षक, एक परम्परा बन गयी है कि हर सदस्य को एक अंगरक्षक दिया जायेगा, उनका अंगरक्षक हटा लिया गया । उनको अंगरक्षक नहीं दिया गया । उनका लाइसेंस निरस्त किया जाता है हमारी ओर से कोई कहता है कि यह सरकार फासिस्टवाद का सहारा लेती है तो इनको बुरा लगता है, लेकिन यही तरीका फासिस्टवाद का होता है कि विरोधी को प्रताड़ित करो और उसको नष्ट करने का काम करो । यह बदले की भावना से कार्यवाही हो रही है जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । सरकार रहती है, चली जाती है लेकिन उसके कुछ मापदण्ड हमेशा याद किये जाते हैं आपकी पार्टी में कोई सदस्य शायद ऐसा न हो कि फरियाद लेकर आये कि लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, अंगरक्षक हटा दिया गया । यह किस आधार पर कर रहे हैं ? श्रीमन्, सरकार में आने से पहले इन्होंने शपथ ली थी कि बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन बदले की भावना से श्री डी0पी0यादव के लोगों को मानसिक आघात पहुंचाने के लिये और सम्मान में बदनाम करने के लिये यह सरकार की ओर से कार्यवाही की जा रही है । माननीय डी0पी0यादव जी इस समय इस सदन के सदस्य हैं और उनका अंगरक्षक ये खुद मानते हैं कि उनकी जान को खतरा है, फिर भी अंगरक्षक नहीं दिया । उनका लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है । यह गम्भीर मसला है । आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार बदले की भावना से इस तरह से काम कर रही हैं तो इस सदन में कोई नियम होना चाहिये, निर्देश होना चाहिये कि माननीय सदस्य की रक्षा करें, उनके सम्मान की रक्षा करें । माननीय यादव जी के लिये अंग रक्षक दिया जाय और गलत निरस्त लाइसेंस को पुनर्जीवित किया जाय ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

श्रीमन्, यह प्रकरण जब शुरू हुआ, करीब 8 महीने पहले, तो मैं जिन विचारों का था और जिस तरफ मैंने इशारा किया था, काफी बातों को जानने के बाद मैं आज इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे अपनी अवधारणा में ही परिवर्तन करना पड़ा । मैंने उस समय कहा था कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर शासन की ओर से अगर कोई आरोप लगाया गया है तो उन आरोपों की सत्यता को प्रमाणित होना चाहिये।

मान्यवर, मैं दिल्ली जा रहा था, माननीय डी0पी0 यादव मेरे साथ प्लेन में बैठे हुये थे, मैंने लगातार 55 मिनट तक उनसे यह सवाल किया कि सदन में आपके बारे में चर्चा हुई, आप यह सत्यता बतावें कि क्या आप पर जो आरोप लगाये गये हैं; क्या वह सत्य हैं ? क्या वह जानबूझकर लगाये गये हैं ? इसमें क्या सत्यता है। मान्यवर, जो बातें मुझे बतायी गयीं, उसे कहने के लिये आज मैं विवश हो रहा हूं । मान्यवर, लोकतंत्र में वह चुनाव जीतकर आ गये, चाहे वह जेल में रहे हों, सुल्तानपुर में दीवार गिराने का प्रयास किया गया हो, मान्यवर, लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है और जो माननीय सदस्य हैं, इस विधान सभा का, उसके प्रति किसी भी बात को कहने में मुझे हिचक नहीं है ।

मैं माननीय गुप्ता जी से यह कहना चाहूंगा कि यहां पर इस बार विधायक होने के पहले जब वह मंत्री थे, उनके ऊपर क्या कोई कार्यवाही इस तरह की गयी थी और कोई कार्यवाही की गयी थी, तो क्या उनका कोई दोष पाया गया था ? मान्यवर, किसी पर दोषारोपण करना एक बात हुई, लेकिन उसको सिद्ध करना प्रमाण के साथ कठिन होता है । आपने जो गुण्डा अभियान छेड़ा है, मैं यह कदापि नहीं चाहता हूं कि प्रदेश में किसी तरह का आतंकवाद पैदा हो, कोई व्यक्ति जो अपराधी होता है, अगर वह सड़क पर गिर जाता है, तो उसको अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज होता है । अगर आपने उनके लाइसेंस को निरस्त करने का काम किया है तो यह आपको शोभा नहीं देता है । मैं स्वयं गया था इनके पास भाषण देने के लिये, इनके खिलाफ एक पहलवान को लड़ाया था । मैंने भाषण भी इनके खिलाफ दिया था, मगर एक मापदण्ड होता है, आप कानून के ज्ञाता हैं, यह चुनाव आयोग भी बताता है कि जो व्यक्ति ग्रेजुएट कन्स्टीट्वेंसी से चुनाव लड़ता है, उसके लिये यह जरूरी नहीं होता है कि वह ग्रेजुएट हो, उसको वोट देने वाले ग्रेजुएट होते हैं । लेकिन चुनाव के बाद वह सदन में आता है, तो वह कानून बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है, तो मान्यवर, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, इसका मापदण्ड है। मैं तो कालेज में पढ़ाता रहा हूं और यह जानना चाहता हूं कि कोई विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हो गया, हमने तो मार्कशीट के आधार पर इण्टरव्यू के आधार पर उसको लेक्चरर बनाया, उसका प्रोमोशन किया । लोकतंत्र में विधायी कार्य होते हैं, ढाई लाख जनता को आतंकित नहीं कर सकते उसको खरीद नहीं सकते, अगर ग्राम प्रधान का सवाल हो, तो कोई कह सकता है मान्यवर, मैं चुनाव में गया था, मैं नहीं जानता कि लोकप्रियता में क्या मापदण्ड अपनाया गया वह जीत कर आये, तो ढाई लाख की जनता के साथ अन्याय नहीं किया होगा । मैं बुलन्दशहर के पास था, वहां पर प्रदर्शन हुआ था, आपने गोलियां चलवाने का काम किया, इनका 14 साल का लड़का उसको आपने क्रिमिलन बनाने का प्रयास किया। मान्यवर, आपने बहुत सारे लोगों पर रासुका लगा दिया । डी0आई0आर0 लगा दिया । बहुत सारे लोग रासुका के अन्दर बन्द हो गये फिर हाईकोर्ट से उनको बरी कर दिया

गया । मेरा मतलब यह है कि बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं । मान्यवर, मैं चौधरी चरण सिंह के साथ रहा हूं प्रदेश के अन्दर जिसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं हो रही है केवल बदले की भावना से काम किया जा रहा है ? मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ किस प्रकार का आरोप था ? पहले यह सोचना चाहिये था कि कौन से चार्ज लगाये गये ? इन सारी बातों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने को विवश हो गया हूं और मैंने अपनी धारणा को थोड़ा बदला है । मान्यवर, कहा गया है कि शैडो देंगे, गनर देंगे, मान्यवर, अब आप ही हमको संरक्षण प्रदान करें । मान्यवर, श्री डी0पी0यादव ने कहीं ठेका ले लिया तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि खुलेआम नीलामी अगर हो रही हो, तम्बू और कनात लगाकर आप नीलामी करा रहे हों तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा बोली बोलेगा, वही ठेका उठायेगा आप तो खुले आम नीलामी करवाते हैं और खुलेआम बोली लगवाते हैं इसलिये यह आरोप निराधार है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की जान को खतरा था उन्हीं लोगों के लाइसेंसों का निरस्तीकरण किया गया है ऐसा क्यों किया गया है ? पांच लाख की कुर्की की गयी बहुत से लोग होंगे जिनकी प्रापर्टी होगी । मेरी शिकायत है कि जाति बिरादरी के नाम पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री की जाति बिरादरी वाले लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है । प्रशासनिक अधिकारियों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है और उनको दबाने का कार्य किया जा रहा है । सब काम बदले की भावना से किया जा रहा है । मेरा कहना है कि बदले की भावना से काम न करके खुले दिल से काम करें । मान्यवर, उनकी सुरक्षा कीजिये, उनके 14 वर्ष के बच्चे पर हो रहे अत्याचार को रोकिये । उनको शस्त्र का लाइसेंस दिलवाइये ताकि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा हो सके । मान्यवर, यह तात्कालिक प्रभाव का सवाल है आप इस पर खुलकर बहस करवायें ताकि जो भूतपूर्व नेता और विधायक हैं, उन पर हो रहे हमलों के संबंध में खुलकर चर्चा हो सके । मैंने इस सम्बन्ध में जो आरोप लगाये हैं उनकी कलई खुल जायेगी, मैं चाहूंगा कि अगर इस बात पर चर्चा करायी जाय तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । मान्यवर, मैं एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं कि इनके शस्त्रों के लाइसेंस निलम्बित हो रहे हैं उसको दिलवा दें और इनके परिवार के जानमाल की रक्षा करें, यही मेरा निवेदन है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह लोकतंत्र है, यह सरकार तो आती जाती है लेकिन भाजपा की यह सरकार पहली बार सत्ता में आई है ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

मान्यवर, होता यह है कि शाम के समय सियार गांव में बोलते हैं । तो बहुत सियार एक साथ बोलने लगते हैं वैसे ही भाजपा के यह सियार जैसे ही हम बोलने के लिये खड़े होते हैं तो इनको जैसे लगता है कि कोई शेर आ गया है और ये भाजपा के सदस्य सियार उंहूं-उंहूं करने लगते हैं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, शेर तो हैं लेकिन मिट्टी के ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यह लोकतंत्र है, सरकार आती जाती रहती है लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां एक ऐसी सरकार आ गयी है जिसे यह नहीं मालूम है कि सरकार का क्या नैतिक दायित्व होता है और सरकार कैसे काम करती है ? मान्यवर, यह तो सत्ता में आये हैं जैसे कि बच्चे को खेलने के लिये तमंचा पकड़ा दीजिये वैसे ही यह है जो सामने पड़ जाय सबको बरखास्त करने की सूट करने की स्थिति में हैं । इसी के चलते हमारे कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री हैं । मान्यवर, हमारे सांसद थे, शारदा प्रसाद जी की राजनीतिक दुर्भावना से इस प्रकार की बदले की नीति के कारण उनकी हत्या कर दी गयी। छोटे लाल जी फतेहपुर के हैं, उनकी हत्या का हरसम्भव प्रयास किया गया लेकिन किसी तरह से बचे हुये हैं। मान्यवर, यह सरकार जो सत्ता में आयी है, यह बदले की भावना से काम कर रही है । इस प्रकरण में तो मैं आपकी बात का समर्थक हूं आप माफिया गिरोह खत्म कर रहे हैं अगर माफिया गिरोह खत्म हो गये तो अपराधों में कमी क्यों नहीं आई आप आंकड़े देख लें । आपके आने के बाद सिर्फ मेरठ में जहां एक डी0पी0यादव जेल में बन्द कर दिये गये थे। वहां पर आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि मेरठ मण्डल में 32 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं, यह सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। तो प्रश्न सीधा सा यह उठता है कि माफिया अगर बन्द हुये हैं और सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी तो अपराध क्यों बढ़े यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ यह कार्यवाही हुई है । भाजपा के संरक्षण में अपराध बढ़े हैं, माफिया बढ़े हैं और हर तरह के गुनाह अपनी चरम सीमा तक पहुंच गये हैं । मान्यवर, दंगा कराने वाले कुछ अपराधी जब सरकार के आसपास आ गये थे तो मैं समझता था कि दंगा नहीं होगा लेकिन कुछ जगह दंगा हुआ इससे लगता है कि यह रियाज करते रहते हैं इसलिये बीच-बीच में दंगा कराते रहते हैं ।

मान्यवर, मैं डी0पी0यादव जी के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैं बुलन्दशहर स्वयं गया था, बुलंदशहर में 16 से अधिक माफिया को बन्द कर दिया।

मान्यवर, मुख्य मंत्री के सिपहसालार जो उनकी तरफ से तलवार लेकर बहुत भांजते हैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ये स्वयं चुनाव की कमान सम्भाल रखे थे, डी0पी0यादव के साले को जो 15-16 साल का लड़का सिर्फ देहरादून में छात्र के रूप में जीवन बिता रहा था और 20 से अधिक लोगों पर एन0एस0ए0 लगाने का काम किया है । डी0पी0 यादव ने विधान सभा का चुनाव जीत कर इनके मुंह पर तमाचा लगाया है, मान्यवर, इस सब के बावजूद वह विधान सभा के सदस्य चुने गये हैं ।

मान्यवर, आज डी0पी0 यादव चुन कर आ गये उनका राजनीतिक उन्मूलन नहीं हो पाया तो यह शारीरिक उन्मूलन करने की हर कोशिश कर रही है यह सरकार। अगर आप में नैतिकता है, साहस है तो उनके अंगरक्षक को क्यों वापस कर रहे हैं? आपने नीति बना रखी है कि जो भी सदस्य चुन कर आयेंगे, जो भी सदस्य अंगरक्षक मांगेगें उनको अंगरक्षक मुहैया कराया जायेगा । आप इसलिये वापस कर रहे हैं ताकि उनको आप झूठे फर्जी मुकदमों में फंसा सके । विधायक के रूप में आप उन्हें अंगरक्षक मुहैया करायें उनके साथ रहते आप फर्जी मुकदमें नहीं लगा सकते हैं आखिर आप अंगरक्षक उनका क्यों वापस ले रहे हैं? मान्यवर, नैसर्गिक सिद्धान्त है कि जब तक किसी अपराधी पर अपराध सिद्ध न हो जाय तब तक मान्यवर, वह अपराधी नहीं होता । मान्यवर, अगर यह नैसर्गिक सिद्धान्त नहीं माना गया तो इनके मंत्रिमण्डल के बहुत से सदस्य 302 के मुल्जिम बन जायेंगे तब उनकी इस मंत्रिमण्डल में जगह नहीं रहेगी जेल के सीखचों में जगह होगी । मात्र मुकदमा कायम हो जाने से क्या कोई अपराधी हो जाता है ? (व्यवधान) अगर बोलेंगे तो मैं मंत्रिमण्डल के उन सदस्यों का नाम ले लूंगा तुरन्त ।

मान्यवर, श्री डी0पी0यादव का बलात् अंगरक्षक वापस लिया जा रहा है उनके परिवारजनों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है । आप जनभावना का सम्मान करें वह निर्वाचित होकर आये हैं उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने दें ।(× × ×) एक विधायक जो विपक्ष में बैठते हैं अगर उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गयी तो निश्चित रूप से यह जान लीजिये कोई सरकार अमर नहीं होकर आयी है, आप राजनीति की आग में जलकर भस्म हो जायेंगे कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा । बोलेंगे तो नाम ले लूंगा (व्यवधान) (× × ×)

एक सदस्य-

साहस हो तो उन मंत्रियों का नाम बता दें, आप में साहस है ही नहीं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

डी0पी0यादव का जो अंगरक्षक लिया गया है उसको वापस किया जाये जो आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, उनको बहाल किया जाय इसकी प्रार्थना

नोट:-(× × ×)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

करता हूं । मान्यवर, पवन पाण्डेय जी को अंगरक्षक नहीं दिया जा रहा है, मेरे सामने उन्होंने मुख्य मंत्री जी से कहा था । यह सरकार खतरे की भावना से क्यों काम कर रही है सरकार बदले की भावना से काम कर रही है इससे महत्वपूर्ण विषय कोई और हो ही नहीं सकता है ।

मान्यवर, अगर सरकार को बमों की धमाके की आवाजें सुनाई पड़ी हों तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी डी0आर0एम0आफिस के पास बम विस्फोट हुआ है यहीं हजरतंगज में । वहां हजरतगंज और अशोक मार्ग पर भगदड़ मची हुई है लेकिन लगता है कि इस सरकार के कानों में बमों के धमाकों की आवाजें नहीं आ रही हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी इसकी जानकारी करा लें । अगर जरा सी भी नैतिकता हो तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव-

एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री डी0पी0यादव को बुला लिया है, जो एक नीति निर्धारित की सर्वसम्मति से उस तरह से चलने दें ।

श्री डी0 पी0 यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के भय मुक्त समाज के नारे से सबसे ज्यादा आहत मैं हुआ हूं । आज मैं आपके माध्यम से यह बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । ज्यादातर बातें मैं जितनी कहूंगा उनका प्रमाण यहां सरकारी दस्तावेज चाहे थानों में या जेलों के रजिस्टर हों उसमें मौजूद होगा । सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों ने मेरे चरित्र हनन की जो चेष्टा की, उसका मैं खण्डन करता हूं और उसकी घोर निन्दा करता हूं । मान्यवर, जहां तक जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक परम्पराओं का सवाल है तो इससे बड़ी और क्या बात होगी, मान्यवर, कि जेल के अन्दर इस सरकार के सारे प्रयासों के बावजूद यहां तक कि प्रदेश के 11-11 मंत्रियों और मुख्य मंत्री बुलन्दशहर में डेरा जमाये रहे लेकिन वहां की जनता ने लोकतंत्र की परम्पराओं में विश्वास करते हुए मुझे चुना तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि एक नजर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो घृणित कार्य किये हैं, उस पर डालें । मान्यवर, अयोध्या जाते समय मुझे गिरफ्फतार किया गया। वहां के दरोगा ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जैसा कि पेशेवर अपराधियों के साथ किया जाता है इन सारी बातों के प्रमाण मौजूद हैं ।

(शोर)

मान्यवर, व्यवस्था देने के लिये बहुत जरूरी है कि माननीय सदस्य प्राइमरी स्कूल जैसे बच्चों का आचरण कर रहे हैं तो इन्हें कृपया शान्त करें । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दो मंत्री यहां से आजमगढ़ पहुंचे और वहां ऐसे व्यक्ति के घर पर रुके, जो व्यक्ति माफिया गिरोह का डान था और वहां थाना दोस्तपुर जिला सुल्तानपुर के थानाध्यक्ष को बुलाकर कहा गया कि रात को थाने की दीवाल तोड़कर डी0पी0यादव का इन्काउन्टर कर दो । लेकिन, उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और नतीजा क्या निकला कि उन्हें निलम्बित कर दिया गया यह प्रमाण भी मौजूद हैं । मान्यवर, उसके बाद मुझे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए सुल्तानपुर जेल में लाया गया और जेल के अन्दर इस बात के प्रमाण मौजूद हैं । वहां पर भी जेल की दीवाल को तोड़कर मेरी हत्या करने की कोशिश की गयी । वहां के जेलर सैनी और हेड कांस्टेबिल यादव, जो हरिजन सिपाही लोग थे, उन्होंने इस काम में सहयोग देने से मना कर दिया और आज उसका नतीजा यह है कि वह निलम्बित हैं । इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं । इसके बाद फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए मुझे नैनी जेल में ट्रान्सफर कर दिया यह 13 तारीख, अक्टूबर, 1991 की बात है । 15 तारीख को पर्चा दाखिल करना था तो मुझे पर्चा दाखिल करने से रोका गया उसके बाद बुलन्दशहर जेल में जाने के बाद वहां पर 11 तारीख, नवम्बर, को जब मात्र चार रोज चुनाव में बाकी रह गये थे रात के डेढ़ बजे जिलाधिकारी, बुलन्दशहर श्री लाल बहादुर तिवारी व सी0ओ0सुखपाल सिंह ने यह कहा कि डी0पी0यादव को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाये । मान्यवर, आज तक मैं किसी भी केस में सजायाफ्ता नहीं रहा हूं और मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है सिर्फ रासुका में बन्द रहा हूं, तो मान्यवर, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह भी रासुका में बन्द रह चुके हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे रासुका में बन्द किये जाने पर, यह कहकर बरी कर दिया था कि इसका कोई औचित्य नहीं रासुका नहीं बनता है । आज भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रासुका में बेल जमानत पर हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनको दंड ही देना था, तो जिस (× × ×) भा0ज0पा0 को इन्होंने सरकार ने बनाया है, उसके ऊपर आज भी बिजली के तार काटने व चोरी करने का मुकदमा लम्बित है, यह सारी बातें मैं प्रमाणिक तौर पर कह रहा हूं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आखिर अपराध की परिभाषा क्या है, क्या एक सदस्य को, उसके परिवार को, उसके रिश्तेदार को जबरन रासुका में बन्द करना उचित है ?

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों द्वारा टोकाटोकी किये जाने पर)

नोटः-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानसुार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह उचित नहीं है ।

श्री डी0 पी0 यादव-

मान्यवर, एक 13 साल के बच्चे पर 302 का झूठा केस लगाकर बन्द कर दिया गया, मेरे चुनाव अभिकर्ता को बन्द कर देना, सारे परिवार को शहर से भागने के लिये मजबूर कर देना, रिश्तेदारों की कुर्की कर देना, यह सब क्या उचित है ? कुर्की के सामनों की जो लिस्ट है, वह भी आज तक नहीं दी गयी है, मेरे रिश्तेदारों को नहीं दी गयी है और सारा सामान 4 लाख का वापस नहीं किया गया है, सारा सामान थाने में बन्द है, यह किसी भी सरकार के लिये शर्म की बात है। इस सरकार से पहले भी क्रूरतम शासक हुये हैं, लेकिन लोकतंत्र की परम्पराओं की जिस तरह से सरकार ने हत्या की है, वह अपने आप में एक मिसाल है। (× × ×) उससे इनकी भावनाओं का पता चलता है । मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा जिस प्रकार मेरी हत्या का प्रयास किया गया, आज भी मुझे अन्दाजा है कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन हमलों के डर से मेरी जुबान बन्द नहीं हो सकती, जिन्दगी और मौत तो भगवान देता है, मैं इसी तरह जनहित और जनसेवा के लिये संघर्ष किये जाऊंगा । इस भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुझे अपराधी कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि अपराध की परिभाषा क्या होती है ? मैं भी बहुत से भा0ज0पा0 के उजले चेहरों के पीछे छिपी काली दास्तान जानता हूं । मैं कभी न अपराधी रहा हूं, न अपराध को तरजीह देता हूं । मैं हरदम अपराध से घृणा करता रहा हूं और करता रहूंगा । मेरे हथियारों के लाइसेंस कैन्सिल करने की कोशिश की गयी है, बल्कि कैन्सिल कर दिय गये हैं, कल मुझ पर हमला हो सकता है, इसलिये मेरा इस आदरणीय सदन से निवेदन है, यहां भयमुक्त समाज की दुहाई देने वाली सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री भीं बैठे हैं, मैं सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं यह मेरा अधिकार है और मैं इस सरकार के रहमोकरम पर यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन यह लोकतांत्रिक परम्पराओं और मर्यादाओं को बनाये रखें । मान्यवर, हमने अपने ग्रन्थों में पढ़ा है "विनाशकाले विपरीत बुद्धि" मैं कहना चाहूंगा कि भा0ज0पा0 सरकार की बुद्धि तो विपरीत हो चुकी है अब समय अन्तिम विनाश का है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह सरकार करे या न करे, लेकिन आप मेरी ओर मेरे परिवार की सुरक्षा का बन्दोबस्त अवश्य कीजिये, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से एक सदस्य के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री डी0पी0यादव इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं, मैंने

सभी नेताओं के विचारों को शान्ति से सुना । जब मैं उनकी बातों को सुन रहा था तो मुझे अपने कर्तव्य की भी याद आ रही थी । श्रीमन्, सत्य कड़ुवा होता है ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैं सोच रहा था कि पूरी ग्राह्यता के बारे में तीन वाक्यों में अपना उत्तर दे दूं । परन्तु कुछ ऐसे आरोप लगा दिये गये जिनका मैं तथ्यपरक उत्तर दूंगा। मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। श्री डी0पी0यादव जी ने एक बात कही, जिसे मैंने गम्भीरता से लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री व उनकी सरकार जानबूझकर अपराधी घोषित कर रही है । अब बहस यह होगी कि कोई आरोप लगा । 302 के अन्दर एक एफ0आई0आर0 अंकित हुई और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और मुकदमा चला । हो सकता है वहां से बरी हो गया हो । अब उस पर आरोप नहीं रहा । इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐसे भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने यहां से बैठकर प्रश्नों के उत्तर दिये हैं । उन्होंने यह कहा कि आरोप सिद्ध नहीं हुये । इसके दो कारण होते हैं । एक तो यह हो सकता है कि घटना सही न हो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि गवाही देने वालों में साहस नहीं है कि वह गवाही दे दें । ऐसी स्थिति में परिणाम क्या होगा ? श्रीमन्, 1978 से मैं यह नहीं कहता हूं कि वे सच हैं या झूठ हैं, आरोप लगाये जाते रहे हैं इस प्रकार 30 आरोप लगे हैं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी सिद्ध नहीं कर दिया जाता, तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जाता है। उधर के लोग जिस तरह से हल्ला कर रहे हैं, यदि यही स्थिति रही तो ये लोग माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी व माननीय मुख्य मंत्री जी को भी नहीं सुन पायेंगे ।

(समय: 3 बजे)

मान्यवर, यह परम्परा यहां रही है कि संसदीय कार्य मंत्री (व्यवधान) संयम से बात कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही का एक एक शब्द पढ़ता हूं जो भी उसमें असंसदीय होगा उसको निकाल दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कोई तो व्यवस्था बनायेंगे, यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो उसके बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

उठा सकते हैं, यदि विषय से अलग होगा । (व्यवधान) दरोगा जी क्या संसदीय कार्य मंत्री जी से ऊपर हैं ?

श्री अध्यक्ष-

पहले संसदीय कार्य मंत्री को अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

आरोपित करेंगे तो कैसे सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अभी तक तो आरोपित नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

करने जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं कोई आरोप लगाऊंगा तो आप टोक दें और उसे कार्यवाही से निकाल दीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कोई आरोप नहीं लगायेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, सदस्यों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती है यह परम्परा रही है । यहां पर कितने ही अपराधी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुन कर आये हैं उनका भी हम (× × ×) चिट्ठा रखेंगे । (व्यवधान) माननीय सदस्य की जान को खतरा है, सबको अंगरक्षक दिये गये हैं, सबको लाइसेंस दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, पहले उत्तर आ जाने दीजिये (व्यवधान) पहले संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर आने दीजिये उसके पश्चात् आप कहेंगे कि कोई निश्चित आरोप है और मैं उससे सन्तुष्ट हो जाऊंगा तो मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

स्पष्टीकरण का मौका तो मिलना चाहिये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैंने खुद कह दिया कि जो तथ्य सामने रखे गये हैं, उनके अनुसार कहूंगा। संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी पर माननीय वर्मा जी भी बैठ चुके हैं । लेकिन हम

नोट:-(× × ×)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लोग उधर से कोई आरोप लगाते थे तो उसका उत्तर वह देते थे । सरकार पर अगर किसी भी प्रकार का आरोप लगे उसका उत्तर वह देते थे । सरकार पर अगर किसी भी प्रकार का आरोप लगे उसका उत्तर न देना ठीक नहीं है । हम आरोप नहीं लगाते हैं लेकिन हम पर अगर आरोप लगेगा तो उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा तो मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री के जिस दायित्व को मुझे निर्वहन करना है उसमें मैं सफल नहीं होऊंगा । यह आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपराधी बना रही है । मैंने कहीं नहीं कहा कि मात्र एफ0आई0आर0 लिख देने से कोई अपराधी हो जायेगा । लेकिन जो सीट दी गयी है उसमें 78 ऐसे मामले हैं तो हमने तो वह नहीं किया किसी और ने किया होगा । मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं ।

किसी सम्मानित नेता ने सही बात कही ।

श्री प्रमोद तिवारी-

सही बात मैंने ही कही होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय यादव जी ने कहा वह चले गये (व्यवधान) अगर वह सुनना नहीं चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

उनका कहना है तिवारी जी ने सही कहा होगा जो उन्होंने कहा बाकी ने कहा होगा तो गलत कहा होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय यादव जी ने कहा अगर कोई ठेकेदारी करता है उसमें बोली लगाता है तो इसमें क्या आपत्ति है ? हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन जो हाइयस्ट बिड पर बोलता है उसको ठेका न मिले और किसी को दबाया जाय वह बोली न बोलें तो क्या इससे भी आप सहमत होंगे ?

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अगर इस तरह से संसदीय कार्य मंत्री कहेंगे उचित नहीं होगा ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, कैसे बात कर रहे हैं मंत्री जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इस तरह से परिकल्पना की बात क्यों करते हैं ? तथ्य से परे क्यों बात करते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी पूरा उत्तर तो आ जाने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, श्री कल्याण सिंह जी का नाम लेकर एक बात कही गयी है कि रासुका में वह बन्द रहे । मान्यवर, यह सही है रासुका में हम भी बन्द रहे, उधर बैठे कई माननीय सदस्य बन्द रहे, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी स्वयं बन्द रहे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । माननीय वर्मा जी के ऊपर निर्णय छोड़ता हूं कि आपातकाल में जो हमारे माननीय नेतागण, चौधरी चरण सिंह और अन्य नेतागण उस रासुका में बन्द रहे वह और अन्य किसी आपराधिक मामले में जो बन्दी रहे होंगे क्या उन दोनों को एक स्तर पर रखा जायेगा ? आपके ऊपर यह निर्णय छोड़ दिया है । पूरी तौर से आपका निर्णय जानना चाहूंगा । मान्यवर, तीन बातें मुख्य रूप से उठाई गयी हैं । श्री डी0पी0यादव जी से मुझे पूरी सहानुभूति है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिये । उनके परिवार के पास जो आर्म्स थे, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया । इस प्रक्रिया से सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि आर्म्स के लाइसेंस होते हैं । उसके पास जो आर्म्स थे, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया । इस प्रक्रिया से सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि आर्म्स के लाइसेंस होते हैं। उसके रखने व कैंसिल करने की एक प्रक्रिया है । एस0पी0 ने उन्हें रिपोर्ट दी कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया । इस रिपोर्ट का उल्लेख यहां नहीं करना चाहता। इस रिपोर्ट के आधार पर उनके आर्म्स लाइसेंस निरस्त करने की नोटिस दी गयी। अब रि-स्टोर हो रहा है । लाइसेंस की स्वीकृति व निरस्तीकरण जिलाधिकारी द्वारा होता है । यह प्रक्रिया जो लाइसेंस स्वीकृत किये जाते हैं, उनका निलम्बन किया जाता है तो उसे बहाल करना एक जूडिशियल प्रोसेस होता है । उस प्रोसेस से आप भी सहमत होंगे कि सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । वह एक जूडिशियल प्रक्रिया है। श्री डी0पी0यादव जी को नोटिस दे दिया गया कि उनके लाइसेंस निरस्त किये जाते हैं, अभी तक इन्होंने आर्म्स जमा नहीं किये । अब वह क्यों नहीं जमा करते, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

बात तो सुन लें । रि-स्टोर का जहां तक ताल्लुक है, वह अलग प्रक्रिया है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते । माननीय प्रमोद तिवारी से चाहूंगा कि वह हमें कोई रास्ता बता दें जिससे जूडिशियल प्रक्रिया में हस्तक्षेप किये बिना हम उसे कर सकते हों तो हम जरूर करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह अपनी नोटिस विड्रा कर लें । यह रास्ता पूछ रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, एक बात और कही गयी अंग रक्षक प्रदान करने की । तिवारी जी

सुन लीजिये । मान्यवर, इस सदन में आपके पहले माननीय मुख्य मंत्री, माननीय गृह मंत्री को जानकारी दे चुके हैं कि अंग रक्षक दिये जाने के बारे में हमारी नीति उदार है ।

इस बारे में विचार कर रहे हैं इन्हें अंगरक्षक प्रदान कर दिया जाये। माननीय यादव जी चले गये कह रहे थे हमें बज्र के समान कठोर और नम्र होना चाहिये । दोनों आदर्श हमारे सामने हैं भावानायें अपनी जगह हैं और कर्तव्य अपनी जगह है । प्रदेश की लां एण्ड आर्डर की स्थिति को देखकर और बाकी चीजों को देखकर हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं इसमें हमारी कोई बदनीयती नहीं है । जो उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है यह बदले की भावना से नहीं की गयी है। बुलन्दशहर में जब चुनाव हो रहे थे उस समय मैं वहां था । इसमें चर्चा हो जायेगी तो अकारण आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जायेंगे, यह सब चीजें सामने आ जायेंगी कि क्या-मतदाता पर दबाव हो रहा था । मैं इन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

जो जनता के द्वारा चुनकर इस आदरणीय सदन का सदस्य बना दिया गया है वह आदरणीय है । मान्यवर, तीन बातों को उठाया गया था उनका उत्तर मैंने दे दिया है । अन्त में निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा किसी अपराधशील व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होनी है वह राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रताड़ित करने की भावना से या बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही करेंगे हमें प्रिविलेज प्राप्त है, सदन का सदस्य होने के नाते हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाता है और सरकार उसमें कोई कार्यवाही न करे यह बात अलग हो गयी लेकिन अगर कोई कार्यवाही होती है तो वह बदले की भावना से, या द्वेष की भावना से नहीं की जायेगी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियम 56 और नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आती है । अतः इसको स्वीकार न करें ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जब संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए तो मैंने सोचा कि संसदीय कार्य मंत्री कोई ढंग की बात कहेंगे । वह कहना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं । मान्यवर, डी0पी0यादव जो माननीय विधान सभा के सदस्य

हो गये हैं आप भी उनको पुकारते हैं तो माननीय सदस्य कहकर बुलायेंगे संसदीय कार्य मंत्री भी माननीय सदस्य कहकर पुकारेंगे जनादेश पर वह चुनकर आये हैं जनता ने डी0पी0 यादव को यह अधिकार दे दिया है कि वह किसी व्यक्ति के चरित्र प्रमाण-पत्र किसी को दे सकें । आप मान्यवर, सदन के अध्यक्ष हैं आपकी अध्यक्षता में उनको यह अधिकार मिल गया है कि दूसरे के चरित्र का प्रमाण-पत्र दे सकें । संसदीय कार्य मंत्री का यह कहना कि चरित्र की जांच करायेंगे (व्यवधान) यह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

यह न कहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अगर जनता ने चरित्र प्रमाण-पत्र देने का अधिकार दे दिया है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस सारे प्रकरण को छोड़कर लोकतंत्र की परम्पराओं के अनुरूप, जो सदन में जनता से जीतकर आया है, वह इस आदरणीय सदन में बैठकर नियम बनायेंगे यह व्यवस्था है । (व्यवधान) जो उनके लाइसेंस निरस्त किये गये हैं उनको बहाल करें । उस लाइसेंस से अगर गलत काम होगा तो जो निर्णय आपका होगा वह हम मान लेंगे । (व्यवधान) उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं । मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री द्वेष भावना से ऊपर उठकर उनको सुरक्षा प्रदान करें ।

मान्यवर, आप उनको और उनके परिवार की सुरक्षा के बारे में व्यवस्था करायें और इस पर सरकार को आदेश देने की कृपा करें यह मैं आपसे चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्यों एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने गोलमाल तरीके से आश्वासन दे दिया कि गनर देने पर विचार करेंगे । यह आश्वासन जल्दी भी पूरा हो सकता है और 6 महीने में भी पूरा हो सकता है । मान्यवर, आप पहले भी इस संबंध में व्यवस्था दे चुके हैं कि जो माननीय सदस्य भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं उनको अंगरक्षक और अंगरक्षक के अतिरिक्त यदि सुरक्षा की जरूरत हो तो प्रदान की जायेगी । यह जो निर्देश आपके हैं उनके अनुरूप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को माननीय डी0पी0 यादव की सुरक्षा के संबंध में निर्देशित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष-

इस संबंध में माननीय वर्मा जी आपको स्मरण होगा कि मैंने सदन में अपेक्षा

की थी कि माननीय सदस्य जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं उनको शैडो और उसके अतिरिक्त भी यदि आवश्यकता हो तो उनसे बात करके उसकी व्यवस्था कर दें । ऐसे निर्देश मैं पहले दे चुका हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, उसी के अनुपालन में घोषणा करें कि यादव जी की सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

मुझे विश्वास है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसको देख लेंगे कि व्यवस्था हो जाय ।

इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं । दूसरी सूचना माननीय ओम प्रकाश गुप्त के बारे में है इसमें तीन सदस्यों मा0 बेनी प्रसाद वर्मा, मा0 हृदय नारायण दीक्षित व मा0 शिव कुमार बेरिया के हस्ताक्षर हैं ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर ।)

मैंने किसी भी माननीय सदस्य को अवसर नहीं दिया है जिसके सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं । जिनके हस्ताक्षर हैं उनको भी सीमित कर दिया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने जो विषय कार्य-स्थगन के रूप में उठाया है वह बहुत गम्भीर है क्योंकि इसका संबंध सदस्य रह चुके माननीय ओम प्रकाश गुप्त से है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, माननीय आजम खां वाक आउट कर रहे थे तो शायद आपने उनको निकालने का आदेश दिया था ।

श्री अध्यक्ष-

वाकआउट नहीं कर रहे थे । मैंने कहा था कि माननीय सदस्य कृपया सदन से बाहर चले जायें । आज के दिन के अवशिष्ट समय के लिये अनुपस्थित रहने के लिये मैंने कहा था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

वह बाहर चले गये हैं । मैं चाहता हूं कि वह व्यवस्था वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

अच्छी बात है । वापस ले लेता हूं ।

मैंने माननीय आजम खां को सदन से बाहर जाने के निर्देश दिये थे । उन्होंने आदेशों का अनुपालन कर दिया था । मा0 बेनी प्रसाद वर्मा का आग्रह है कि ...

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने अनुपालन नहीं किया है । (शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूं कि आप सदन से बाहर चले जायें ।

(शोर)

आज के अवशिष्ट समय के लिये माननीय आजम खां सदन से अनुपस्थित रहेंगे ।

एक सदस्य-

मान्यवर, वह लाबी में हैं लाबी सदन का अंग है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां लाबी से बाहर चले जायेंगे क्योंकि लाबी सदन का अंग है ।

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, आप संरक्षण देते रहेंगे तो यह सदन का अपमान करते रहेंगे। मैं उनके व्यवहार की निन्दा करता हूं ।

श्री राम कुमार शुक्ल-

व्यवस्था का प्रश्न है वह लाबी में हैं ।

श्री अध्यक्ष-

वह लाबी से बाहर जा रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सीतापुर जनपद से इसी आदरणीय सदन के सदस्य रह चुके श्री ओम प्रकाश गुप्ता के परिवार को पीड़ित किया जा रहा है । यह विषय मान्यवर, इसलिये गम्भीर है कि पूरी सरकार में श्रीमन् मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बड़ा सम्मान करता हूं और चूंकि श्री ओम प्रकाश गुप्ता, जिनके परिवार का उत्पीड़न हो रहा है, वह श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के समक्ष चुनाव लड़े थे और आप जानते हैं कि चुनाव लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार सभी को है। कोई जीतता है और कोई हारता है । सरकारें मान्यवर, आया जाया करती हैं । लेकिन कोई व्यक्ति चुनाव हार जाय और दूसरा सरकार में पहुंच जाये तो यह शोभनीय नहीं होगा । लोकतांत्रिक नहीं होगा और हर तरह से निन्दनीय होगा कि हारे व्यक्ति को गम्भीर रूप से उत्पीड़ित किया जाय । मैं उत्पीड़न की एक घटना आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, 30-3-93 को पुलिस अभिरक्षा में श्री ओम प्रकाश गुप्ता अदालत लाये गये सीतापुर का कोतवाल सी0डी0 पाण्डेय जो

दरोगा के रूप में तैनात हैं, अशोक तिवारी, खैराबाद थाने का अध्यक्ष, ए0के0चतुर्वेदी चौक में तैनात है चारों ने पुलिस अभिरक्षा से खींच कर उनको मारा और उनके विरोधियों से पिटवाया । सी0डी0 पाण्डेय शहर कोतवाल के पद पर तैनात थे ।

मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार वह उन्नाव में रह चुका है यद्यपि यह बताना प्रसंग के बाहर होगा, मगर मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि वह एक प्रथम श्रेणी के परास्नातक और हिन्दी के प्रवक्ता को पीट रहा था और कह रहा था कि कामायनी सुनाओं उन्होंने दो पंक्तियां सुनायीं, तो सी0डी0 पाण्डेय, दरोगा जो है कोतवाल बना दिया गया है, उन्होंने लातें मारते हुए कहा कि यह कामायनी की ध्वनि, तर्ज और रिद्म नहीं है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का सम्मान करता हूं । यह उचित नहीं है कि श्री गुप्ता जी जब इस सदन के सदस्य नहीं हैं तो उनका उत्पीड़न किया जाय । उनके साथ इतना ही होता तो मैं विश्वास कर लेता संसदीय कार्य मंत्री की बात का कि जांच करा ली जायेगी और देख लिया जायेगा और वह कहेंगे कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा । मेरे हृदय में उनके लिये बड़ा सम्मान है । वे अभी कुछ बातें कह कर विषय को समाप्त करना चाहेंगे । उनको सीतापुर रेवले स्टेशन पर पीटा गया । मुख्य मंत्री जी को आई0जी0 को शिकायत भेजी गयी, लेकिन न जांच हुई न कोई कार्यवाही हुई । उनको 2 अप्रैल, को एक मुकदमें में उन्नाव लाया गया सीतापुर से सी0डी0 पाण्डेय ले गये वहां पर पाण्डेय का अपराधी गिरोह है, उनके साथ अशोक तिवारी गये । उनके साथ सरकारी मान्यता प्राप्त पुलिस गिरोह के अलावा एक राजेन्द्र तिवारी का गिरोह भी गया उनके दो जीपें गयीं, इतनी बात गलत हो तो जो इलाहाबाद से पुलिस आई, पता करवा लें, उन्होंने उन्नाव कोर्ट में प्रार्थना-पत्र वहां दिया इस आशय का कि इलाहाबाद के पुलिस वालों की संख्या कम है हम लोग पर्याप्त नहीं है और इतने नहीं हैं कि गुप्ता जी के जीवन की रक्षा कर सकें । ऐसे में उन्नाव के जिला जज ने अतिरिक्त पुलिस बल दिया तब वे वापस आये । क्या यह पर्याप्त नहीं है कि इलाहाबाद से आये पुलिस बल ने प्रार्थना-पत्र दिया तब वे वापस लाये गये । यह जांच का विषय हो सकता है कि उन्नाव में मुकदमा कराने के संबंध में सीतापुर की पुलिस क्यों जाती है ? यह गम्भीर स्थिति है जिन मंत्री को जबाव देना है इन्हीं पर आरोप लगा है। वही मुखबिर वही दरोगा वही कातिल और वही मुंसिफ हों तो क्या करेंगे इसमें आपका संरक्षण अपेक्षित है ।

यहां मान्यवर, 14 मार्च, 1992 को डा0 सिया राम यादव कानून के प्रवक्ता हैं उनके घर से श्री गुप्त के पुत्र को पकड़ लिया गया । डाक्टर साहब और श्री गुप्त पुत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं श्री गुप्त के पुत्र नगर पालिका के चेयरमैन हैं। उनको दो दिन थाने में रखा गया । उनकी गिरफ्तारी अवैध रूप से की गयी । इस गिरफ्तारी के संबंध में माननीय नरेश अग्रवाल जी विधायक जी ने तार दिया ।

श्री बाबू खां विधायक ने डी0एम0 को तार भी दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैधानिक रूप से की गयी आप जानते हैं कि किसी को रोका जाता है, तो 342 का मुकदमा चलता है । मान्यवर, गुप्ता जी के परिवार को हर तरह से तहस-नहस किया जा रहा है । मान्यवर, उनके भट्ठे के ईंटे को मजदूरों से बेचवाया जा रहा है । इसमें पुलिस अधीक्षक की पूरी-पूरी साजिश है। जो लोग उनसे नैनी में मिलने जाते हैं, उनको भी पुलिस पकड़ ले जाती है । सीतापुर की पुलिस नैनी और उन्नाव में क्यों जाते हैं । मान्यवर, (× × ×)

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि माननीय मुलायम सिंह के जो समर्थक हैं, उनको हर तरह से उखाड़ फेंकने की साजिश की जा रही है । मान्यवर, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध चुनाव लड़ना प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री के इशारे पर यह पुलिस नंगा नाच कर रही है । मान्यवर, इस विषय पर इस आदरणीय सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मुझे बहुत संक्षेप में दो-तीन बातें कहना है। मुझे मान्यवर, इस आदरणीय सदन की सेवा करने का बहुत दिनों तक अवसर मिला । मान्यवर, चुनाव लड़ा, चुनाव तो बहुत से लोग लड़े, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आया कि कोई इस तरह की कार्यवाही की हो, यह बात बिल्कुल निराधार है कि मेरे दबाव में या मेरे संकेत पर यह कार्यवाही हो रही है । श्री ओम प्रकाश जी मेरे निकट के रिश्तेदार है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमारी सरकार की जो सोच है, वह किसी अधिकारी, कर्मचारी पर दबाव डाल कर कार्य कराने की नहीं है । हमने अपने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि शान्ति व्यवस्था कायम रखना उनकी जिम्मेदारी है । अब मैं मान्यवर, दो बातें बताना चाहता हूं कि उनका आपराधिक इतिहास क्या है, उसकी ओर नहीं जाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, नगरपालिका में पिछली बार श्री ओम प्रकाश गुप्ता को सर्व सम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री नगर पालिका के सदस्य थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, अभी सीतापुर में नगरपालिका के चुनाव में अविश्वास के प्रस्ताव का मामला आया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। श्रीमन् चेयरमैन के चुनाव का नोटिफिकेशन होता है । 27-3-92 को, उस दिन कांग्रेस दल के एक सदस्य हबीब अहमद, वह अलबत्ता नमाज पढ़कर जा रहे थे, उनके ऊपर गोला फेंका गया। मान्यवर, सीतापुर वह निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां पर हिन्दू और मुसलमान में एकता रहती है, नगरपालिका के चुनाव में हिन्दू मुसलमान एक साथ बैठे थे । नगर

नोटः-(× × ×)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पालिका के चेयरमैन का चुनाव होने वाला है, उसमें भी हिन्दू मुसलमान एक साथ बैठेंगे ।

मान्यवर, अलबिदा की नमाज के बाद बम फेंका गया ताकि तनाव पैदा हो जाय । जिन लड़कों ने बम फेंका उनको जनता के जिन लोगों ने पकड़ा मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं । क्योंकि उन्होने बड़ा अच्छा काम किया । ऐसे मौके पर जैसा लोग अमूमन करते हैं उसको मारना चाहिये था लेकिन उन लोगों ने कहा उनको मारो मत उनसे हम पूछेंगे कि इन लोगों ने किसके कहने पर ऐसा किया? उन लड़कों ने जो बयान दिया है उसको आप पढ़ लें । माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी आप सीतापुर चले जायं और वहां के जन जन से जानकारी प्राप्त कर लें । उसी के मिल के एक कर्मचारी महादेव का नाम आया । भारतीय जनता पार्टी के श्री धवन हैं, उनकी दुकान पर हथगोला मारा गया जो लोग हैं उनको पकड़ा गया और जिस प्रकार से पुलिस अपनी कार्यवाही करती है उसने किया। किसी को किसी प्रकार से प्रताड़ित करने का सवाल नहीं है । मान्यवर, यह पूरा मामला ला एण्ड आर्डर का मामला है और पुलिस का काम है कि उसको पकड़े और पुलिस अपना यह कार्य कर रही है। मान्यवर, इस तरह से जो एक हलकी सी बात मेरे लिये कही गयी उससे आप भी सहमत होंगे कि किसी के लिये ऐसा कहना उचित नहीं है। पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार का किसी प्रकार का दबाव नहीं है जो हो रहा है वह अपराध को नियंत्रित करने के लिये है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, पुलिस कस्टडी में ओम प्रकाश को कचहरी में (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ-

माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट मुझको कह लेने दीजिये मैं एक मिनट में सार तथ्य कह दूंगा । अकारण किसी को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने किसी भी माननीय सदस्य को अवसर नहीं दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय मुख्य मंत्री जी से अगर शिकायत की गयी होगी तो उसकी जांच होगी ।

मान्यवर, यह बात सही है कि वह जमाने अब खत्म हो गये किसी के मकान पर, किसी के जमीन पर बलात् कब्जा कर लें । यह बात समझ लें इसलिये कि आप हर हालात को जानते हैं अब किसी को अगर कोई दबाव या पाशविक ताकत के बल पर दबाना चाहता है तो यह नहीं चलने दिया जायेगा ।

(कई सदस्यों द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहें । माननीय दीक्षित जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं कोई औचित्य नहीं पाता इसलिये इसको अस्वीकार करता हूं ।

चौथी सूचना माननीय राम लखन और बी0आर0 वर्मा के हस्ताक्षर से है इस पर एक माननीय सदस्य राम लखन जी बोलें ।

श्री राम लखन-

मान्यवर, नगर पालिका गंगाघाट, जनपद उन्नाव में लाखों रुपये का घोटाला है और इस घोटाले के विरोध में हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं और आज उनका इक्कीसवां दिन है मान्यवर, इस घोटाले में जिला प्रशासन के सारे अधिकारी इनवाल्व हैं इसलिये वहां पर हमारी पार्टी के महामंत्री श्री रमेश भारती के ऊपर बन्दूक से फायर करके प्राणघातक हमला किया गया और 307 में रिपोर्ट दर्ज है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, चूंकि वहां के अधिकारी उसमें इन्वाल्व हैं और वह समझ रहे हैं कि ये लोग उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे इसलिये उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि उनके जान माल की सुरक्षा की जाय क्योंकि वे एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे दल के हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करके सरकार की मदद कर रहे हैं । इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहते हुए चाहूंगा कि सारे नियमों को स्थगित करके इस पर चर्चा करायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो बातों का उल्लेख किया है । एक तो गंगाघाट की नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में लोग अनशन कर रहे हैं, मेरी पार्टी के लोगों ने भी ज्ञापन दिया था, प्रागदर्शन के आरोप सही पाये गये और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि गृहकर के निर्धारण में अनियमितता को लेकर भाजपा ने भी ज्ञापन दिया था कि अध्यक्ष रुपया लेकर मनमानी कर रहे हैं । मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नगरपालिका से संबंधित सभी अभिलेखों को सील कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जा रही है, जांच पूर्ण होने के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

एक दूसरी बात गोली चलाने की कही गयी है । हमकों जानकारी मिली है कि इस तरह की कोई प्रथम सूचना अंकित नहीं है । लेकिन आपने जो जानकारी दी है उसको सही मानेंगे और इसकी जानकारी हम करवा लेंगे । अगर गोली चलाने की घटना हुई है तो इस सम्बन्ध में जो भी विधिक प्रक्रिया होगी वह पूर्ण की जायेगी और जहां तक नगरपालिका के भ्रष्टाचार का मामला है तो उसके सभी कागजात सील कर दिये गये हैं, बगैर कागज को देखे निर्णय लेना ठीक नहीं है, सभी अभिलेख देखे जायेंगे और उसके बाद कार्यवाही की जायेगी ।

(इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री राम लखन-

उनके ऊपर प्राणघाती हमला हुआ है, मुकदमा कायम हुआ है, उनको गनर शैडो की सुविधा तत्काल दी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैंने कह दिया कि दिखवा लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष-

इस सूचना को निरस्त किया जाता है ।

*श्री बलराम यादव-

मान्यवर, आजमगढ़ में निराश्रित बाल आश्रम गृह चल रहा है वहां के अधीक्षक द्वारा बाल संवासनियों के साथ जिस तरह का शोषण किया जा रहा है उनके साथ अनैतिक कार्यों को उसके घृणित कार्यों को देखते हुए वहां के वाल संवासिनी त्रस्त हैं वह कार्य उनकी सहनशीलता के ऊपर हो गया है । वह बाल संवासिनी व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी से एस0एस0पी0 से मिले न केवल एप्लीकेशन बल्कि हलफबयानी प्रस्तुत की है । मान्यवर, यह पवित्र सदन है वह अनैतिक कार्य में यहां बताना नहीं चाहता हूं । इस पारदर्शी और संवेदनशील सरकार के मंत्री को अवगत किया गया हमारे जनपद के विधायकों द्वारा उस अधीक्षक के खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायत की गयी उसकी जांच की गयी सदर के एस0डी0एम0 ने जांच की आरोप सही पाये गये । एस0एस0पी0 के पास मामला गया, एस0एस0पी0 की एजेन्सी द्वारा जांच करायी गयी उसमें आरोप सही पाये गये इसके बावजूद आज तक कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों जब सदन की कार्यवाही रुकी हुई थी मैं आजमगढ़ गया था, वह 12-13 बाल संवासिनियों से मिले। मान्यवर, मैं इस प्रकरण को यहां लाना नहीं चाहता था अगर यह लोग कार्यवाही कर देते यह घिनौना काण्ड राष्ट्रीय अखबारों में आया, माननीय मंत्री जी उसका संज्ञान लेकर कार्यवाही कर दिये होते तो यह मामला न लाता मैं जानता हूं कि सदन में किस तरह के मामले लाये जाने चाहिये मुझे इससे पहले भी सदन में रहने का अवसर मिला है । मैं इस मामले को सदन में नहीं लाना चाहता था लेकिन कोई भी इन सब बातों के बाद कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, वह बाल संवासिनी निराश्रित है, अनुसूचित जाति के हैं उन बच्चों के साथ उस अधीक्षक गलत कार्य किये गये । मान्यवर, वहां की दीवालों पर अधीक्षक का नाम और उसके कुकृत्य लिखे हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच किसी उच्च

नोटः- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्तर से करा लें । मान्यवर, आजमगढ़ में बाल संवासिनी मिली थी वह मुकदमा कायम करने का विचार कर रही हैं मैंने उन्हें रोका है। वे रोज अधिकारियों के दरवाजे खटखटाती रही हैं । मान्यवर, यह अवलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें ।

*श्री रमापति शास्त्री (समाज कल्याण मंत्री)-

मान्यवर, मैं किसी तथ्य को छिपाना नहीं चाहता हूं । माननीय सदस्य की सूचना जैसे हमको मिली मैंने तुरन्त यहां के जिलाधिकारी से सम्पर्क किया आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने यह कुकृत्य किया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी उसको बक्शा नही जायेगा ।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, यह कब तक कार्यवाही हो जायेगी । मान्यवर, सभी सूचनायें आ गयी हैं और यह आज का मामला नहीं है बल्कि फरवरी से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है । इसलिये इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं । इसके बाद जो सूचना है वह श्री सुरेश प्रताप गांधी जी की है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, वास्तव में यह बड़ा ही गम्भीर मामला है माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने घोषणा की है जो भी इसमें दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी ...

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, माननीय बलराम यादव जी यह कहना चाहते हैं कि यह जो काण्ड हुआ है उस पर पहले से बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं जब से लिखा पढ़ी की जा रही है और आपके संज्ञान में यह मामला आ चुका है तो क्यों नहीं इस पर कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय राणा जी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले को ऊपर तक लाने का प्रयास किया गया है । मैं उन्हें यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर यदि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है तो उसमें जो भी दोषी होगा हम उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया मेरा निवेदन सुन लें जब मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है तो इस पर बोलते रहने का कोई औचित्य नहीं है । मैं अगली सूचना को ले रहा हूं।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो अगली सूचना माननीय श्री सुरेश प्रताप गांधी जी की है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि आज लखनऊ में बड़ी ही खराब स्थिति पैदा हो गयी है । वहां पर बार एसोशियेशन और न्याय संघ के बीच कोई विवाद खड़ा हो गया है जिसको लेकर न्यायालय में तालाबन्दी कर दी गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय राणा जी एक निवेदन मेरा सुन लें । जिसकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं वह सूचना तो आपकी है नहीं तो फिर इस पर बोलने का अधिकार नहीं बनता है । मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो माननीय सुरेश प्रताप गांधी जी की सूचना है उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है । माननीय राणा जी अब आप स्वयं निर्णय करें जब सूचना पर आपका नाम अंकित नहीं है तो फिर कैसे आप उस सूचना पर बोल सकते हैं? इसलिये मैं आपको इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

सातवीं सूचना आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के बारे में है, इस पर 7 अप्रैल, को चर्चा हो चुकी है, परन्तु शासन का ध्यान कर्मचारियों की स्थिति की ओर आकृष्ट किया जाता है, शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया गया ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, सुरेश प्रताप गांधी जी की सूचना है, उसी के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं ।

(श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर सहित कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

जिन सूचनाओं को शलाका के आधार पर चयनित किया गया था उनके बारे में निर्णय दिया गया, जो चयनित नहीं हुई थीं, उनको अस्वीकार कर दिया गया है, उनके बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

(मद संख्या 9 पुकारे जाने पर श्री श्याद अली वेल में आ गये और कहने लगे, मैं धरना दे दूंगा, अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह-)

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष...

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी, एक मिनट आप बैठ जायें । श्री श्याद अली जी, आप अपनी सीट पर जायें ।

(श्री श्याद अली वेल में खड़े होकर बोलते रहे, आप मुझे ए0टी0एल0 के मामले पर सुनें । आज 18 महीनें बीत गये हैं, वर्तमान सरकार सिवानी से मिली हुई है)

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आज उद्योग का बजट है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि उस दिन हुआ क्या था, रात 11 बजे तक बैठक चली, इसमें गलती सभी की थी, किसी एक की नहीं है, उस दिन चर्चा निर्धारित थी । आप मेरी बात सुन लें, तकनीकी रूप से आप ही सही निकलेंगे । आटो ट्रैक्टर्स की समस्या बड़ी विशाल समस्या है, वहां 1300 कर्मचारियों के सामने भुखमरी की स्थिति है । माननीय सदस्य के क्षेत्र में वह पड़ता है, वह एक मिनट अपनी बात कहना चाहते हैं, इस पर शासन की तरफ से आश्वासन आ जाय, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता ।

(श्री श्याद अली अपनी सीट पर वापस चले गये)

श्री उपाध्यक्ष-

आप मेरा निवेदन सुन लें । जिस दिन चर्चा लगी हुई थी, उसमें माननीय श्याद अली जी ने भी भाग लिया था । आज उद्योग विभाग का बजट है और उद्योग विभाग के बजट पर जब चर्चा होगी, तो वह उसमें भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा अनुरोध सुन लें । जो आप कह रहे हैं, वही मैं भी कह रहा हूं । आप इनको एक मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय, श्याद अली से निवेदन करूंगा कि वह दो मिनट में जो कहना चाहते हैं, कहें ।

*श्री श्याद अली-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया । मान्यवर, आज इस आदरणीय सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, आज इसमें कोई अछूता नहीं है । यह सौभाग्य की बात है, आज आप उपाध्यक्ष पद पर विराजमान हैं बात उस समय की है, जब आप हमारी तरह एक माननीय सदस्य की भांति यहां बैठते थे...

---

* वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटोकी करने पर-व्यवधान)

श्री हरद्वार दूबे (संस्थागत वित्त राज्य मंत्री)-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

श्याद अली जी, मैं भाषण की अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपया समाप्त करें ।

श्री श्याद अली-

(× × ×)

श्री उपाध्यक्ष-

जब कोई आरोप लगाया जाता है, तो पहले लिखकर दिया जाता है, यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

श्री श्याद अली-

मान्यवर, मुझे 1294 कर्मचारी ए0टी0एल0 के आज भुखमरी की कगार पर हैं

(× × ×)

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अब आप कृपा करके बैठ जायं । आरोप लगाने वाले जो शब्द कहे गये हैं, मैं कार्यवाही को देखकर उसे निकाल दूंगा । माननीय श्री श्याद अली जी अब जो कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री श्याद अली-

मान्यवर, मुझे आपकी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री श्याद अली सदन का त्याग कर चले गये ।)

(श्री दलबीर सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपा करके अपनी सीट पर चले जायें ।

(श्री दलबीर सिंह अपने आसन पर चले गये ।)

श्री दलबीर सिंह-

हमारी सूचना इनसे पहले है । परन्तु आप हमें नहीं सुन रहे हैं। इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री दलबीर सिंह भी सदन का त्याग कर चले गये ।)
(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण)

श्री मयंकर सिंह (लघु उद्योग राज्य मंत्री)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,18,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,05,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,92,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से 31मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,84,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,19,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,59,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, उद्योग विभाग की नीतियों के संबंध में एवं विभाग की मदों पर...
श्री विजय सिंह राणा जी के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय श्री राणा जी माननीय मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत कर दिये हैं । पहले उनका भाषण हो जाने दें । उसके बाद आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा लीजिये । उस समय आपको अनुमति मिल जायेगी ।

(समय 4 बजे)

श्री मयंकर सिंह-

अनुदानों के संबंध में विभागीय नीति माननीय सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, औद्योगीकरण का सीधा सम्बन्ध देश की अर्थव्यवस्था से है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में मानव के विकास में किसी राष्ट्र की प्रगति में उद्योगों की एक महत्व भूमिका है । उद्योग ही प्रगति की आधारशिला है । पूरी दुनिया उद्योगों पर आश्रित है। हम जानते हैं भूमि की एक निश्चित सीमा थी आबादी बढ़ रही थी लेकिन भूमि का क्षेत्रफल नहीं बढाया जा सकता बढ़ती हुई आबादी के लिये भूमि का कृषि उत्पादन बौना पड़ गया। इस बढ़ती हुई आवादी में सुरसा के मुंह की तरह फैलती गयी तो इसमें उद्योग ने नया रास्ता दिखाया, उद्योग के कीटनाशक दवा पैदा की, उद्योगों ने रासायनिक की खाद पैदा की, पम्पिंग सेट तैयार किये, उद्योगों ने ट्रैक्टर पैदा किये उसका परिणाम हुआ कि बढ़ती हुई आबादी के लिये उतने ही क्षेत्रफल भूमि में 4 गुना अनाज पैदा करके भारत का ही नहीं दुनिया का पेट भरा । मानव जीवन की सुख सुविधाओं की चीजें आज उद्योगों के द्वारा ही प्राप्त हुई। मानव जीवन को जीवित रखने के लिये आज चिकित्सा की सारी सुविधायें सारे उपकरण सारी औषधियों का निर्माण उद्योंगों द्वारा ही हो रहा है। मैं जानता हूं कि हमारे तमाम साथी जो यहां बैठे हैं जानते हैं चाहे छोटे से छोटा बुनकर रहा हो, या बड़ी से बड़ी कपड़ा की फैक्ट्री उनके द्वारा उत्पादित कपड़े को हम पहनते हैं । काश बुनकर नहीं होते, वस्त्र उद्योग नहीं होते तो स्थिति क्या होती ? इधर के माननीय सदस्य मृगछाला पहनकर रह जाते । लेकिन उधर के सदस्य कैसे पहनते वैसे ही रह जाते ? (व्यवधान) मुझे तो यह कहना है कि उद्योग

से ही जीवन है । उद्योग से ही मनोरंजन है । मैंने अपने कानों से सुना है हमारे उधर के माननीय सदस्य गाड़ी पर बैठकर चलते हैं तो उसमें बजाते हुए जाते हैं मैंने अपने कानों से बाहर तक आवाज आती है "झूठ बोले कौआ काटे" सुनते जा रहे हैं । वह सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं ।

आज प्रदेश में 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है दुनियां के आंकड़े उठा कर देख लें, यह बात सही है कभी यह विकसित और विकासशील राष्ट्र सारे के सारे कृषि पर आधारित थे लेकिन सबने कृषि पर भार कम किया उद्योगों पर भार बढ़ाया परिणाम हुआ विकास शील राष्ट्र संपन्न हो गये। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस देश का पिछली सरकारों का समय का कि हम कृषि पर ही आधारित रह गये, 85 प्रतिशत देश की जनता कृषि पर निर्भर करती है । उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया और आज लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या नौकरी ढूंढती है । 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं तक केवल यह कहा गया कि नौकरी से बेरोजगारी दूर होगी ।

दुनियां के जो सम्पन्न राष्ट्र हैं उन्होंने अपने देश का विकास करने के लिये बोझ उद्योगों पर बढ़ाया आज आवश्यकता है उद्योगों को बल दिया जाय, उद्योगों को विकसित किया जाय, छोटे छोटे उद्योगों के द्वारा कुटीर उद्योगों के द्वारा, मध्यम श्रेणी के उद्योगों के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जाय, उनका विकास किया जाय। इस प्रकार जो रोजगार मिलेगा वह स्थायी होगा । प्रदेश के औद्योगीकरण की विकास दर 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत आ चुकी है। 1970-71 से 1986-87 के बीच में कृषि की तुलना करें तो कृषि उत्पादन 60.2 प्रतिशत था लेकिन 86-87 में वह घटकर 38.3 प्रतिशत हो गया लेकिन उद्योगों में इस समय गुणात्मक विकास किया और इसे 14.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.1 प्रतिशत किया है। आज उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की औसत आमदनी 3072 रुपये है जबकि पूरे भारत में एक व्यक्ति औसत आमदनी 4252 रुपये है। आज हमको सोचना होगा कि हम अपने ही देश में अन्य राज्यों की तुलना में दौड़ में पिछड़ रहे हैं। अभी भारत सरकार ने नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की है । भारत सरकार ने इस औद्योगिक नीति की जो घोषणा की है उसमें लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया है । यह बहुत अच्छा कदम है । लेकिन मान्यवर, किसी चीज में गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं ।

हमारी एक चिन्ता का समाधान हो गया । पहले हमें जब सरकार लाइसेंस देती थी तो किसी भी उद्यमी को बताया जाता था कि फलां जगह पर उद्योग लगाये, वह जगह पिछड़ी है । लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो यह तो उद्यमी के विवेक पर निर्भर करता है कि कहां उद्योग लगाये ? इस जिले में लगाये कि उस जिले में लगाये । उत्तर प्रदेश में लगाये, मध्य प्रदेश में लगाये, महाराष्ट्र में लगाये या राजस्थान में लगाये । यह उसकी समझ का विषय हो गया है । आज इस बात की आवश्यकता है कि हम उद्यमियों को कैसे आकृष्ट करें कि वह उत्तर प्रदेश में

उद्योग लगायें ? इसके लिये ऐसे तो काम चलेगा नहीं । उनको तमाम सुविधायें देनी पड़ेगी इस तरफ हमारी सरकार ने अनेकानेक परिवर्तन किये हैं । इसके लिये बहुत आवश्यक है कि हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर इन छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाया जाय । उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन क्षमता अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाय । इस तरह से भारी, मध्यम उद्योगों को काफी बढ़ावा दिया जाय ।मान्यवर, इस दिशा में हमारी सरकार ने लगभग 100 बिन्दुओं पर ध्यान दिया और सरलीकरण किया है । नियमों और अधिकारों को जिला स्तर तक पहुंचाया है । आप सब को मालूम होगा कि चाहे पिकप रहा हो या यू0पी0एफ0सी0 वहां दो तरह के उद्यमी ऋण लेने के लिये जाते थे । एक तो वह हुआ करते थे जिनके पास तमाम काला धन है, वह कुछ ऋण लेकर उसे उसके साथ सफेद करना चाहते थे और एक वह उद्यमी जो कि उत्साहित होकर उद्योग लगाने के लिये ऋण लेने जाते थे । सारी खिड़कियों पर वहीं उद्यमी रहते थे जो काला धन सफेद करना चाहते थे। एक उद्यमी जो प्रोत्साहित होकर उद्यम लगाना चाहते थे, सोचते थे कि एक समय खाना न खाकर पैसा बचा लें उद्योग लगाने के लिये, उनको सफलता नहीं मिल पाती थी। अब तक तानाशाही उद्यमियों के सामने चक्रव्यूह के सातों द्वार बनाकर खड़ा रखती थी उसको हमारे अर्जुन रूपी यह उद्यमी नहीं भेद सकता था । हमने नियमों का सरलीकरण करके चक्रव्यूह के सारे द्वारों को समाप्त कर दिया है ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, पहले जिलों में 25 हार्स पावर तक की विद्युत सेंक्शन होती थी 100 हार्स पावर के लिये लखनऊ में यू0पी0एस0ई0बी0 के चक्कर काटने पड़ते थे। हमारी सरकार ने जिले की प्राधिकृत समितियों को यह अधिकार दिया है कि वह इसे सेंक्शन करें । पिछली सरकार में जब कोई उद्यमी जैनरेटर लगाना चाहता था, बिजली उपलब्ध नहीं होती थी उसे 6-6 महीने चक्कर लगाना पड़ता था और जैनरेटर नहीं लग सकता था ।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहें ।

श्री मयंकर सिंह-

लेकिन मान्यवर, इस सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अब किसी उद्यमी को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जेनरेटर सेट लगाने के लिये एक पोस्टकार्ड लिखकर डाल दें वह यू0पी0एस0ई0बी0 को मिलेगा और वही अनुमति मान ली जायेगी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उद्योगों को विकसित करने के लिये उद्योगों को बढ़ाने के लिये औद्योगिक आस्थानों को तमाम सुविधा दे रहे हैं । औद्योगिक आस्थानों की

स्थापना के लिये 17 प्रतिशत से अधिक धन व्यय नहीं किया गया है यह कहा गया, तो मैं बताना चाहूंगा कि 51 प्रतिशत इसमें व्यय करके उद्योगों को आकर्षित किया गया है ।

(मेजों की थपथपाहट)

निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक आस्थान बनाने की सुविधा सरकार ने दी है। अब वह हमसे कदम मिलाकर औद्योगिक आस्थान का निर्माण कर सकते हैं । मान्यवर, इसी तरह से पिकप में इस आगामी वर्ष में 120 करोड़ का लक्ष्य रखा है । उद्यमी से उद्योग लगाने के लिये उत्तर प्रदेश विद्युत निगम जो लघु उद्योगों के लिये धन देता है वहां 20 वर्ष का लक्ष्य 170 करोड़ निर्धारित किया गया है यह एक रिकार्ड है। मान्यवर, मैं लघु उद्योगों के बारे में बताना चाहूंगा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा हमने इस वर्ष 38 हजार 424 दस्तकारी इकाइयां, 20 हजार 38 लघु उद्योग स्थापित किये हैं । आगामी वर्ष में इस योजना में पूरे 15 हजार लघु उद्योग, एक लाख 50 हजार लघु स्तर के उद्योग स्थापित कराने का हमारा लक्ष्य है । इससे 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । मान्यवर, 25 सितम्बर को महर्षि दीनदयाल का जन्म दिवस और 2 अक्टूबर, को पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हमने 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में उद्योग विभाग ने लघु उद्योग का उद्योग सप्ताह मनाया जिसमें सारे जिला केन्द्रों पर उद्यमिता विकास द्वारा प्रशिक्षण दिया गया । उद्योग का प्रदर्शन करने के लिये खादी ग्रामोद्योग, रेशम हथकरघा की प्रदर्शनी लगायी गयी । तमाम कार्यक्रम इसमें लिये गये । तमाम मंत्रियों ने इसमें भाग लिया । सामने बैठे विधायकों ने भाग लिया । 3 हजार उद्यमियों ने अपने विवेक से उद्योगों का चुनाव किया । आठ सौ इकाइयों का स्थायीकरण और तीन हजार इकाइयों का अस्थाईकरण पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ यह उस एक सप्ताह के कार्यक्रम की देन थी । उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में शिविर लगाकर प्रशिक्षण दिया गया है । पूरे प्रदेश में 56 हजार नये उद्यमियों ने व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है । जिला उद्योग केन्द्रों को सुदृढ़ किया गया है । जिला उद्योग, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग की सेवा नियमावलियां जो आज तक नहीं बन पायी थीं वह लगभग तैयार हो गयी हैं । जो रुग्ण इकाइयां हैं उनके पुनर्वासन के संबंध में हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है । जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था बीमार को चलायें कैसे और चलती इकाइयों को दौड़ायें कैसे इस पर बड़ी तेजी से अमल हो रहा है ?

लघु उद्योग निगम उद्यमियों को विपणन में और कच्चे माल को देने में सहयोग करता है । 1991-92 में पिग आइरन तथा अन्य धातुयें 1.31 लाख मीट्रिक टन

वितरित की गयीं हैं । इसी तरह से बुड रेजिन, टाइटेनियम ट्राईआक्साइड आदि का वितरण 1992-93 में किया जा रहा है । विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत 1991-92 में 4 सौ लाख रुपये की सहायता प्रदान की गयी है । इसके अतिरिक्त निगम द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों की क्रय प्रक्रिया में 53.26 लाख मूल्य की निविदाओं में भाग लिया गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण चीज है हथकरघा लगभग 80 हजार परिवार इस व्यवस्था में जुड़े हुये हैं जिसमें से अधिकांश अल्पसंख्यक वर्ग के हैं । मान्यवर, कहावत है कि कभी कोई सावन मास में अन्धा हो गया था तो उसे बारहवों मास वही मौसम दिखायी पड़ता था । हमारे विपक्ष के उधर बैठे हुए लोगों के जमाने में, जो बुनकरों की तरक्की के लिये केवल कल्पना करके हम पर हमला करते हैं, उनके जमाने में बुनकरों की बड़ी बुरी दशा थी । पिछले वर्ष अप्रैल का जमाना मुझे याद है। विधान सभा के सामने बुनकर टेन्ट लगाकर अनशन चला रहे थे कि अक्तूबर, नवम्बर का भुगतान करा दिया जाय । मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अप्रैल का महीना है फरवरी मास तक भुगतान पूरे प्रदेश में हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट) यह निश्चित कर दिया गया है कि कोई भी बुनकर ऐसा नहीं मिलना चाहिये जिसका एक महीने से अधिक का भुगतान बकाया हो । यदि कहीं के बारे में आप बतायेंगे तो बहुत गम्भीरता से उसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी मेरा एक निवेदन है कृपया माननीय सदस्यों की बात सुन लें, सब बातों की जानकारी करके उत्तर भाषण में आप कहना चाहें तो कह दें ।

श्री मयंकर सिंह -

मान्यवर, बुनकरों की जो समस्यायें हैं, हम उनमें मूलभूत सुधार करना चाहते हैं । वह अभी तक सादी धोती बनाते थे। हमने उनको डिजाइन दी है कि अब इस पर धोती का निर्माण करो । मान्यवर, पिछले वर्ष केवल 30 करोड़ रुपये के वस्त्रों का विक्रय हुआ था । इस साल 41 करोड़ रुपये के वस्त्रों का विक्रय हुआ है। तो मान्यवर, पावर लूम के संबंध में कहना चाहता हूं कि इस बार सरकार ने यह तय किया है कि जहां बुनकर हथकरघे पर आधारित हैं तो उनके पावर लूम की दिशा में प्रोत्साहित किया जायेगा और सहायता की जायगी । इसी तरह से यूपिका का योगदान रहा है । मैं आपको बताऊं कि 25 दिसम्बर को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्म दिन और पूज्य महात्मा गांधी के जन्म दिन पर 65 प्रतिशत

की छूट देकर गरीबों को वस्त्र उपलब्ध कराया गया था । मान्यवर, निर्यात का बहुत बड़ा महत्व होता है, हमारे प्रदेश में बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण वस्त्र बनते हैं, उनका निर्यात विदेशों में किया जा सकता है। इसके बारे में एक प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें 1472 लोग लाभान्वित हुये और रिजर्व बैंक से नये लोगों ने अपना पंजीकरण कराया विदेशों में निर्यात करने के लिये उसका मान्यवर, बड़ा लाभ हुआ । मान्यवर, खादी ग्रामाद्योग गांवों में जो पूज्य बाबू के स्वप्नों को साकार करता है, पूज्य बाबू के द्वारा चलाये गये चर्खों का उद्देश्य यह था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, छोटी-छोटी पूंजी से छोटे-छोटे उद्योग तैयार किये जायं ।

खादी ग्रामोद्योग ने ग्रामीण स्तर पर कार्य किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके । आज रेशम के मामले में हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस बार सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि निजी क्षेत्रों में सहतूत की खेती का प्रोत्साहन देंगे और रेशम उत्पादन में हम इस प्रदेश को स्वावलम्बी बनायेंगे । मान्यवर, इलेक्ट्रानिक्स के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत में दूसरा है और इलेक्ट्रानिक्स को गांव गांव तक पहुंचाने के लिये इलेक्ट्रानिक विभाग एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया है, जिसमें वैज्ञानिक शामिल किये गये हैं । हमारा यह प्रयास है कि गांव गांव तक टेलीफोन के उपकरण पहुंचे इसके लिये 110 लाख रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस दिशा में पूरे भारत में हम ऋणी हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विभाग ऐसे दूरभाष का जो जिले पर इक्सचेंज पर बिना तार के बिना खम्भे के 30-40 किलो मीटर तक टेलीफोन का उपयोग हो सकेगा । मान्यवर, टेलीफोन तो लगवायेगा केन्द्र सरकार, लेकिन हम उपकरण तैयार कर प्रदेश को दे देंगे । मान्यवर, यह उपलब्धि हमारी होगी । मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करूंगा मान्यवर, बड़ी हास्यास्पद स्थिति उस समय हो जाती है जब आप विचार करें कि इस सदन में कोई पैजामा नीचे पहन कर और ऊपर ब्लाउज पहनकर आ जाय तो कैसा लगेगा ? मान्यवर, आज देश और प्रदेश की जनता को ऐसा ही प्रतीत हो रहा है क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीचे पायजामा पहनाया गया है और दिल्ली में केन्द्र सरकार को ब्लाउज के रूप में ऊपर पहनाया गया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

जब माननीय मंत्री जी को पायजामा और ब्लाउज पसन्द आया है तो उस पर आप क्या करेंगे ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर मुझे किसी के पुरुषार्थ पर सन्देह नहीं है परन्तु अगर ब्लाउज वाली सरकार प्रसव पीड़ा के डर से सहयोग ही करना बन्द कर दें तो कैसे काम चलेगा ?

श्री विजय सिंह राणा-

आप तो सन्यासी वाली पार्टी के हैं आपको प्रसव पीड़ा का क्या पता ?

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी काफी समय हो गया ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था बदली है, समय प्रणाली बदली है । विभिन्न विभागों के सचिव हैं जैसे खादी रेशम के भाटी जी हैं, वी0के0 मेहरोत्रा आदि हैं, कहीं भी, कोई भी माननीय सदस्य उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में सुझाव देंगे तो जिला उद्योग केन्द्र पलक पांवड़े बिछाये है । आप सुझाव तो दें, सहयोग तो लें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं लघु उद्योग का बजट लघुता के साथ आपके निदेशानुसार रख रहा हूं लेकिन बहुत ही अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मंत्री जी जो उद्योग विभाग के भी मंत्री हैं इस समय उपस्थित होते । यदि आ जायेंगे तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि कुछ नीतियां आपके सामने रखें, कुछ प्रश्नों का उत्तर दें । मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि माननीय नेता विरोधी दल जो पूर्व में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने अनुपस्थित रहकर पुराने विभाग की और उद्योग की अवहेलना की है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, नेता विरोधी दल ने वही किया जो मा0 उद्योग मंत्री जी ने किया है ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर मैं लघु उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं । मैं चाहूंगा कि विपक्ष के जो तमाम विद्वान सदस्य हैं, उनसे कुछ सुझाव मिलें, हमने ग्यारह बसन्त उधर ही उनके साथ बैठकर बितायें हैं। उनसे जो कुछ मार्गदर्शन और सुझाव मिलेंगे उनका मैं स्वागत करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, उद्योग मंत्री का बड़ा सारगर्भित भाषण सुना ।

श्री उपाध्यक्ष,

श्री तिवारी जी कृपया प्रस्ताव रखें ।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-3

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, नत्थी 'ड' अनुदान संख्या- पूरा पढ़ेंगे ।

श्री हरिशंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-3 उद्योग-विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग के अन्तर्गत) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

श्री मयंकर सिंह -

मान्यवर, जो आप लोगों को प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजा है तो उसकी आशायें आपसे हैं । आप को इसलिये नहीं भेजा है कि आप खड़े हो जायं और कह दें कि मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि उद्योग मंत्री की तरफ से कुछ बढ़ियां और महत्वपूर्ण बात कही जायेगी लेकिन सरकार की तरफ से कोई बढ़ियां बात नहीं कही गयी ।

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी, पहले सदस्यों को सुन लें, बाद में कुछ कहें ।

श्री मयंकर सिंह -

मान्यवर, इसीलिये मेरा अनुरोध है कि उद्योग के दरवाजे खुले हैं । मान्यवर, हर दिन देख रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम सरकार कर रही है, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं । पिकप के द्वारा 120 करोड़ रुपये व्यय किया जा रहा है । और वित्त निगम 170 करोड़ रुपये व्यय करने जा रहा है तो इसमें आपको सहयोग करना चाहिये । आप उद्यमी ढूढ़ें अपने विधान सभा क्षेत्र में अपने जिले में आप उद्योग स्थापित करावें । 15000 लघु उद्योग, एक लाख पचास हजार लघुतर उद्योग 6 लाख लोगों को रोजगार देंगे मैं सोचता हूं कि इसमें आपका सहयोग मिले इसमें आपके इधर उधर के सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिये, उद्योग स्थापित करायें आपकी जै जैकार होगी, क्षेत्र का विकास होगा यह सारे काम महत्वपूर्ण है और यह उद्योग विभाग ही कर सकता है ।

मान्यवर, अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा 1500 उद्यमियों को 150 लाख रुपये का मार्जिन मनी देने का निश्चय किया गया है, चाहे उद्योग लगाये, छोटे-छोटे काम करें । ऐसे अल्प संख्यक वर्ग के 1500 उद्यमियों को 150 लाख रुपये मार्जिन मनी अल्प संख्यक वित्त निगम द्वारा दिया जायेगा । 100 नये छात्र-छात्राओं को व्याज रहित धन देने की योजना है, इसके साथ ही 2500 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी अब दूसरे सदस्यों को अवसर दीजिये ।

श्री मयंकर सिंह -

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । 22.65 करोड़ रुपया प्राप्त करने का लक्ष्य है जिनसे उद्योग लगेंगे । इस तरह से 10,000 अतिरिक्त इकाई की स्थापना होगी और 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा । मान्यवर, आज इस तरह से हमारी सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिये उद्योगों के मार्ग को जो कंटिका का मार्ग था, राजपथ की तरह सुगम बनाया है, जिससे उद्योगों का विकास हो सके । लेकिन मान्यवर, क्या करें जनता धोती थी, केन्द्र सरकार की इस पर सहायता कम हो गयी है। और जानकारी मिली है कि केन्द्र सरकार सहायता समाप्त करना चाहती है

माननीय सदस्य उद्योग शून्य जिला घोषित करने की मांग करते हैं । 1986-87 में केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों को दिया जाने वाला अनुदान समाप्त कर दिया यही तो दिक्कत है लेकिन मान्यवर, आप देखें कि वर्ष 1986-87 से लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री कांग्रेस के रहे हैं तो प्रधान मंत्री केन्द्र सरकार में कांग्रेस के रहे और संयोग से दोनो उत्तर प्रदेश के थे, जनता दल के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे तो केन्द्र में भी प्रधान मंत्री जनता दल के रहे और संयोग से दोनों उत्तर प्रदेश के थे, सजपा के मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के थे और केन्द्र में भी प्रधान मंत्री सजपा के रहे और संयोग से दोनों उत्तर प्रदेश के थे लेकिन केन्द्र से अनुदान नहीं दिला सके क्योंकि उत्तर प्रदेश में उद्योग विकसित हो इसकी कसिस नहीं थी, वेदना नहीं थी लेकिन मान्यवर, इधर बड़ी कसिस है, बड़ी वेदना है ।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही सारगर्भित भाषण दिया, भारतीय जनता पार्टी का नारा, न अत्याचार, न भ्रष्टाचार हम देंगे ऐसी सरकार । लेकिन ठीक इसके विपरीत है बड़ी अपेक्षायें थी मान्यवर यह सरकार जो नारा देकर आयी कि न अत्याचार, न भ्रष्टाचार हम देंगे ऐसी सरकार । लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कृपया सुन लें आज क्या हो रहा है, अत्याचार भ्रष्टाचार भुगत रहे हैं प्रदेश के लाल । जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसके बारे में कहा गया कि उनकी नीतियों का फल है उत्तर प्रदेश में उद्योग का विकास नहीं हुआ । इस भारत के निर्माता स्व0 पंडित जवाहर लाल नेहरू जिनके द्वारा प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछा दिया गया उनके द्वारा स्थापित उद्योगों को आप संजाने संवारने का काम कर रहे हैं। आज तक कोई भी सरकार कोई भी बड़ा उद्योग नहीं लगा पायी जिससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता। राम रोटी इन्साफ की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई थी, आशायें बनी थीं, हर खेत को पानी हर हाथ को काम । लेकिन इस बजट से बड़ी निराशा हुई । अभी कुछ ही दिन पहले ईद हुई, हमारे गोरखपुर के उन बुनकरों की बात कहना चाहता हूं जिनके बकाये का एक भी पैसा इस ईद के अवसर पर भुगतान नहीं किया गया उनकी बकाये राशि का भुगतान नहीं हुआ । उन्हें कब तक भुगतान करायेंगे । जैसे ऋण पर इन्ट्रेस्ट लेते हैं क्या उनके बकाये का इन्ट्रेस्ट सहित भुगतान करायेंगे ? बेरोजगारी की बात माननीय मंत्री जी ने की मैं पूर्वांचल से चुनकर आया हूं । पूर्वांचल के नौजवान जैसे ही रोजगार लायक होते हैं रोजगार के लिये बड़े बड़े महानगरों में भटकने लगते हैं । इस पलायन को रोका जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी पूर्वांचल के हैं आप भी पूर्वांचल के हैं कहीं यह मिली जुली कुश्ती तो नहीं है ।

श्री हरिशंकर तिवारी-

मान्यवर, जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा । गोरखपुर में 18.1 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या 56.4 प्रतिशत, महराजगंज में 23.7 प्रतिशत ग्रामीण 85.9 प्रतिशत शहरी, देवरिया में 25.9 और शहरी 40.6 प्रतिशत बस्ती में 26.4 शहरी हो गयी 34 प्रतिशत सिद्धार्थनगर 20.8 प्रतिशत ग्रामीण शहरी 46.4 प्रतिशत आजमगढ़ 24.6 ग्रामीण शहरी 54.4 प्रतिशत मऊ में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या हो गयी 53.2 प्रतिशत । इस बात का यह स्वतः प्रमाण है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये यह सरकार ने कुछ नहीं किया नारा दिया हर खेत को पानी हर हाथ को काम । बजट के भाषण के समय कहा कि इन उद्यमियों को अभिमन्यु के 7 वें गेट पर लाकर फंसा देंगे तो फंसाने का काम यह सरकार कर रही और कुछ नहीं कर रही है । सिंगल विन्डो सिस्टम लागू किया गया क्या मंत्री जी सहमत होंगे कि उस सिस्टम से लाभ होगा जो संस्थायें ऋण बांटती हैं? जब तक उनमें भ्रष्ट अधिकारियों को 15 से 20 प्रतिशत तक ऋण न दिया जाय तब तक ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है। वह देंगे तभी आप ऋण प्राप्त कर सकेंगे । यूपिका की बात कही गयी । आप मंत्री जी हमारे साथ इसी हजरतगंज में जो शो रूम है चले चलिये वहां खरीदारी कर लीजिये आपने कहा कि खरीद पर छूट 65 प्रतिशत कर दी गयी । लेकिन मान्यवर, यह केवल धोखा है । अभी माननीय मंत्री जी ने उपभोक्ता सेन्टर की बात कही तो आप उसमें चले जाइये वहां पर खरीद करें तो आपको उन बुनकरों की जो बेचने की दर है उसमें भी 25 प्रतिशत छूट पर भी उससे अधिक महंगा सामान आप पायेंगे । माननीय मंत्री ब्लाउज और पैजामा की बात कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में खाद का कारखाना बन्द है, उस कारखाने को चालू करें तो जो किसानों की गाढ़ी कमाई है वह इसमें खर्च हो रही है । इसमें 15 करोड़ रुपये रेलवे को खाद के लिये देना पड़ा है। इसे चालू करने में साढ़े अट्ठारह करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और उससे बचत होगी 63 करोड़ रुपये की और 5 करोड़ इससे मिलने वाली छूट पर इसका लाभ होगा और यह इसलिये होगा कि डेढ़ लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन प्रतिवर्ष पैदा होगी । माननीय उपाध्यक्ष जी यह सरकार किसान विरोधी है इसलिये खाद के कारखाने को चालू कराने के लिये केन्द्र के पास फाइल नहीं भेज रही है । यदि वह इसे केन्द्र के पास भेजती तो कोई पत्र लिखती और मैं उन्हें बधायी देता । मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी बड़ी गर्वोक्ति के साथ टेक्नोलोजी की बात कर रहे थे।

मान्यवर अभी नोयडा में एक इलेक्ट्रानिक टेक्नालोजी का कारखाना कोई मिस्टर मल्होत्रा लगा रहे थे लेकिन इनके अधिकारियों की मंशा पूरी नहीं कर सके इसलिये उनके सामने इन्होंने कठिनाइयां पैदा कर दी और उनका कार्य पूरा नहीं हो

पाया उन्हें अभिमन्यु की तरह सातवें द्वार पर रोक दिया । मान्यवर, वित्तीय सहायता की बात आप अभी कर रहे थे । आप कह रहे थे कि उद्यमियों को उद्योग विकास निगम से सहायता मिलती है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सहायता उन्हें ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती है और यदि ठीक प्रकार से दी जाये तभी उद्योग लगेंगे अन्यथा उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल पायेगा । मान्यवर, आज उद्योगों की दर गिर रही है और वह घटी है जो प्रति व्यक्ति आय है वह भी अन्य प्रदेशों से कम हुई है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह जो समस्या है इसे आप अवश्य दूर करें तभी हर खेत का पानी और हर हाथ को काम का आपका नारा सफल हो जायेगा । एक बात और है कि प्रदेश में सिर्फ यूनिट की संख्या अधिक है इसके क्या कारण हैं आपको देखना होगा और इसके लिये कोई सरल उपाय आपको बनाने होगे और भविष्य में इस प्रकार की यूनिटें समाप्त हो जायेंगी । मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने सहकारिता की बात कर रहे थे। मान्यवर, सहकारी समितियों के नाम-से बहुत से फर्जी उद्योग लग जाते हैं तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता हो उसको रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करायी जाये ।

हमारे पूर्वांचल में सभी बैंकों में फिक्सड डिपाजिट की काफी राशि पड़ी है। मैं चाहूंगा कि आप उस राशि को पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिये उद्यमियों को सस्ते सूद की दर से ऋण उपलब्ध करायेंगे और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि पूर्वांचल के अतिरिक्त उस धन को कहीं और खर्च नहीं किया जायेगा, यदि आप ऐसा करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्रदेश और देश को मिलेगा । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में इस प्रदेश के निगमों की स्थिति को भी लाना चाहूंगा, आज बिल्कुल सफेद हाथी बने हुए हैं । इस सम्बन्ध में एक सीमेंट निगम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसमें चुर्क चुनार और डाला की भागीदारिया स्थापित की गयीं । जिस समय इसका सृजन हुआ, इसकी कुल उत्पादन क्षमता 25.60 लाख की थी । 1988-89 में इसके उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 11.79 और उत्पादन हुआ 11.34 इसी प्रकार 1989-90 में लक्ष्य रखा गया 14.60 और उत्पादन हुआ 9.20, वर्ष 90-91 में लक्ष्य रखा गया 7.56 और उत्पादन हुआ 7.07 उसके बाद वर्ष 1991-92 में लक्ष्य था 9.20 और उत्पादन हुआ 4.32 । इस तरह से मान्यवर आप स्वयं देखेंगे कि यह सफेद हाथी किस तरह से उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन में सहायुक है ।

मान्यवर, एक निगम और है आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जिसकी अभी तमाम सम्मानित सदस्य चर्चा कर रहे थे और आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। मान्यवर, इसकी जब 1976 में स्थापना हुई और 1981 में उत्पादन जब शुरू हुआ तो लक्ष्य रखा गया था 7500 ट्रैक्टरों के निर्माण का और 2500 डीजल इंजनों का। लेकिन इसकी दुर्व्यवस्था के चलते 1990 के वित्तीय वर्ष के अन्त में इसमें 57.6 करोड़

का घाटा हुआ जबकि जिस समय यह शुरू हुआ था, उस समय इसकी अंश पूंजी 7.5 करोड़ रुपये की थी । माननीय मुख्य मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जो अवकाश प्राप्त आई0ए0एस0 अधिकारी हैं, उनको कहीं नियुक्त नहीं किया गया है । मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा और पूरे सदन को आश्चर्य होगा कि आटो ट्रैक्टर्स कारखाने के पतन के सबसे प्रमुख कारण ये आई0ए0एस0 अधिकारी थे, इन्हीं को अब चित्रकूट विकास निगम का चेयरमैन बना दिया गया है ऐसे अधिकारी जिन्होंने 60 करोड़ का घाटा कारखाने को दिलाया, उनको फिर अवकाश प्राप्त करने के बाद नियुक्त कर दिया गया, मैं उनका नाम यहां नहीं लेना चाहता । मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी जांच करवायेंगे ।

यह जांच की वस्तु है कि सरकार के सामने कौन सी ऐसी विवशता थी कि उन अवकाश प्राप्त आई0ए0एस0अधिकारी को फिर से निगम में नियुक्त कर दिया गया, जिन अधिकारियों के चलते, भ्रष्टता के नाते आज 12-13 सौ कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पड़े हुये हैं, करोड़ों की सम्पत्ति इस गरीब प्रदेश की स्वाहा हो गयी, उस अधिकारी को क्यों समायोजित किया गया ? मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि इस लूट करने वाली नौकरशाही के साथ यदि राजनेताओं का सरक्षण है, तो आप उसे समाप्त करके फैली दुर्व्यवस्था को समाप्त करें, तभी जाकर पूर्वांचल का, इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सकेगा, अन्यथा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी किसी न किसी से संरक्षण प्राप्त इसको चारागाह बनाते रहेंगे । इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको चारागाह बनाने से रोकें । एक कवि की पंक्तियों में मैं निवेदन करना चाहूंगा:-

"आग लगा दूं उस पूरी व्यवस्था को, जिसे किसी गरीब के आंसुओं का गम नहीं
सिक्कों पर तोल दें जो अपने जमीर को, ऐसी सरकार भी किसी तवायफ से कम नहीं है"

श्री मयंकर सिंह-

आपको तवायफ याद आ रही है ।

श्री हरिशंकर तिवारी-

और आपको ब्लाउज पायजामा याद आ रहा है । मान्यवर, मैं तो चाहता था कि केन्द्र सरकार इनको साड़ी पहना दे ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, यहां ब्लाउज और पायजामा बार-बार आता है, आप दोनों लोग आपस में बंटवारा कर लें, कौन किसके हिस्से में आता है ?

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, पूर्वांचल में बुनकरों की जो दशा है, वह बहुत बुरी है । आपके जनपद में भी जो बुनकरों की दशा है, आप स्वयं उसके भुक्तभोगी होंगे । आज गोरखपुर में प्रोसेसिंग हाउस के अभाव में बुनकर अपने उत्पादन की वस्तु बेचने के लिये और सूत खरीदने के लिये दर-दर भटक रहा है, मैं मांग करता हूं कि पूर्वांचल में गोरखपुर में प्रोसेसिंग हाउस लगाया जाय, जिससे बुनकरों की गिरती दशा में सुधार लाया जा सके । इसी प्रकार मान्यवर, जो भारी उद्योग हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, जिनकी सहायक यूनिट्स लगी हों । आपके जनपद के बगल में मनकापुर है, वहां लगे उद्योग से प्रदेश की गाढ़ी कमाई की बचत होती है लेकिन उस आई0टी0आई0 में सारा का सारा उत्पादन दक्षिण भारत से आता है, हमें इससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन चूंकि यहां पर एक यूनिट खुली हुयी है, इसलिये मैं कह रहा हूं कि यह केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजें, जिस तरह से उत्तरांचल बनाने के लिये इन्होंने केन्द्र को संस्तुति भेजी है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस प्रदेश को पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने के लिये इस तरह का काम करेंगे ?

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि जो उद्योग शून्य जिले हैं, उनके लिये मानक निर्धारित करें और उत्तर प्रदेश में जहां इन्सलरीज नहीं लगी है, उनको लगायें, ताकि उद्यमियों को लाभ मिले । आज उद्योगों की स्थिति यह हो गयी है कि उनको कच्चे माल की उपलब्धता नहीं हो पाती है और कच्चे माल की सुविधा देने के लिये जो ऋण मिलता है उनका उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है । क्षेत्र के चयन के मानकों को निर्धारित किया जाय । गोरखपुर में एक खाद का कारखाना लगा था, जिसके कारण उसे पिछड़ा क्षेत्र नहीं माना जाता था । परन्तु अब वह कारखाना बन्द हो गया है । इसलिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप वहां के लोगों को सब्सिडी देंगे ? यदि आप ऐसा करेंगे तो वहां नये उद्यम लगेंगे, जिससे देश और प्रदेश का भला होगा । अब एक नारा दिया गया है स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ । राम का नारा लेकर यह सरकार आई है...

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी आप पीठ की तरफ मुखातिब होकर अपनी बात कहें ।

श्री हरिशंकर तिवारी-

अगर यह नारा चरितार्थ रहेगा तो इस प्रदेश का वह सबसे काला दिन होगा। आज नई टेक्नालोजी का जो लाभ प्रदेश को मिलना चाहिये, वह नहीं मिल सकेगा। माननीय मंत्री जी अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिये आप ऐसा नारा देकर इस प्रदेश को आदिम युग में पहुंचाना चाहते हैं । जब यह देश धर्म और जातियों में बंटकर टुकड़े-टुकड़े हो गया था । आज गांवों की आबादी पलायन कर रही है ।

इसे आप रोकें । इसका एक उपाय है । गांवों में आप अधिक से अधिक कुटीर उद्योग लगावें और गांधी जी के सपनों को साकार करें । तभी जाकर गांवों से लौगों का पलायन रुक पायेगा अन्यथा रोजगार हेतु शहरों की ओर पलायन होता रहेगा । चाहे आप सप्ताह मनायें या कुछ मनायें । आपने जो सप्ताह मनाया है, आप बतायें कि इस बीच कितने उद्योगों का पंजीकरण हुआ और कौन-कौन से उद्यमी यहां आये? आपने एक बात कही कि हमारे उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है। आपने जो यह बजट पुस्तिका दी है, इसके प्रस्तर-11 पर आपने कहा है कि वर्ष 1991-92 में 30038 नई लघु औद्योगिक इकाइयां (फरवरी, 1992 तक) एवं 38424 दस्तकारी इकाइयां लगाई हैं । इस हिसाब से प्रत्येक जनपद में 90 इकाइयां लगनी चाहिये ।

(समय 5 बजे)

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किस के विधान सभा क्षेत्र में 90 नयी औद्योगिक इकाइयां लगी हैं नहीं तो इस तरह से सदन को गुमराह करने के लिये यह बात कही गयी है ? कोई माननीय सदस्य कह दे कि उसके विधान सभा क्षेत्र में 90 नई इकाइयां लगी हैं तो मैं बधाई दूंगा । नहीं तो इस प्रकार सदन को गुमराह करने का प्रयास न करें । वर्ष 90 से 92 तक 27 मध्यम और भारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं तो वह कहां हुईं, इसका उल्लेख इस बजट पुस्तिका में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी इस समय इस पर चर्चा सीमित करें क्योंकि आपको उत्तर भाषण देना है उसमें भी कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री हरि शंकर तिवारी-

ठीक है मान्यवर, आदेश का अनुपालन कर रहा हूं । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जा बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । इस बजट की उपलब्धियों के बारे में मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं । जो उपलब्धियां हैं उसको इन्होंने सबसे पहले बता दिया है । नवीन उद्योगों की स्थापना के लिये एक ही स्थान पर समस्त सामग्री उपलब्ध कराने के लिये सिंगिल टेबिल प्रणाली लागू की गयी है आज तक आजादी के बाद सन् 1947 के बाद पहली बार सिंगल टेबिल प्रणाली अपनायी गयी है। यह हमारी कल्याणकारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है । अनुसूचित जाति, जनजाति,

---

नोटः- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने के लिये विशेष सुविधा देकर प्रेरित किया गया है । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कई योजनायें तैयार की गयी हैं । इतना ही नहीं औद्योगिक इकाई कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के लिये आवश्यक योजनायें तैयार की गयी हैं और अध्यादेश पारित कर दिया है । औद्योगिक अधिष्ठान पंजीकरण की अवधि जो एक साल होती थी उसको बढ़ा कर इस सरकार ने 5 साल कर दिया है। इससे जो व्यापारियों को परेशानी होती थी वह नहीं होगी और उनका शोषण नहीं होगा ।

उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम द्वारा जो सुविधा 5 लाख तक की मिलती थीं वह अब 20 लाख कर दी है । सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने से जो पहले उद्यमी दर-दर की ठोकरें खाते थे, अब एक ही जगह पर सुविधा उनको मिल जायेगी, कमीशन देना पड़ता था । लेकिन यह कल्याणकारी सरकार ऐसी आयी है, जिसके शासनकाल में यहां पर कमीशन खोरी नहीं है । आज उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता इस बात को कह रही है कि उत्तर प्रदेश के दो ही सिंह- कल्याण सिंह, मयंकर सिंह । मान्यवर, इस सरकार के कर्तव्यों के बारे में यह जनता यह कह रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

56 हजार उद्यमियों के उद्योग लगाने की योजना है । बुनकरों को एक माह में भुगतान करने की योजना इन्होंने रखी है । पहले बुनकरों को भुगतान के लिये दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी । हमारी सरकार ने यह गारन्टी ली है कि बुनकरों को एक महीने में भुगतान कर दिया जायेगा । 100 छात्र-छात्राओं को ब्याज रहित ऋण दिया है और 25 सौ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं 10 हजार अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना की है जिसमें 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा । पावर सैंग्शन प्रणाली में अनुबन्ध होने के बावजूद पंखा बत्ती वालों को एक महीने में और उद्योग के लिये पावर तीन महीने में देने का विचार किया है । मान्यवर, इतना ही नहीं, इन्होंने उद्योग बन्धु की उच्च स्तरीय समिति की बैठक...(लाल बत्ती होने पर) अरे मान्यवर, आपने अभी से लाल बत्ती जला दी । मैं इस सरकार की उपलब्धियों को गिनाना चाहता हूं । आपने इतने जल्दी बत्ती जला दी। मान्यवर, यह नहीं सुनना चाहते, आप तो सुन लें । मान्यवर, उद्योग बन्धु की उच्च-स्तरीय समिति की बैठक माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी लेने जा रहे हैं जिसमें 96 मामलों में से 17 मामलों को निर्णीत किया गया है जो आज तक पिछली सरकार में पड़े हुये थे उनको निर्णीत किया है। इतना ही नहीं उद्योग लगाने के लिये उद्यमियों को

अनेक सुविधायें प्रदान की हैं जो सुविधायें अभी तक किसी भी सरकार के समय में नहीं दी गयी थीं। अभी माननीय मंत्री जी ये अनुदान मांगेंगे जो कि एक अरब, 40 करोड़, 80 लाख, 92 हजार रुपये रखा गया है। मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश की जनता के लिये इतनी छोटी सी मांग रखी है। यह श्रीं मयंकर जी की उपलब्धि है इतने छोटी धनराशि में इतने बड़े प्रदेश को साध लिया उनको इतनी सुविधायें उपलब्ध करायेंगे। मान्यवर, मैं समझता हूं आगरा के उद्योगों के लिये मुझे पूरी आशा है मंत्री जी ध्यान देंगे। पिछली सरकारों ने हमेशा आगरा जिले को उपेक्षित किया है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल-

जब से यह न्यायकारी सरकार आयी है, एक तरफ ही नहीं जितने जिले हैं उनकी तरफ ध्यान दिया है। हमारा नारा है सबको देखें, सबकी तरफ ध्यान देंगे। यह समदर्शी सरकार है। सबका कल्याण करेगी, सबके साथ न्याय करेगी।

*श्रीं स्वामी नाथ यादव-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं माननीय हरि शंकर तिवारी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी जब उद्योग का यह बजट पेश कर रहे थे मुझे लग रहा है वह अपने यहां भाषण कर रहे हैं। क्रान्तिकारी बात कही जा रही थी, लेकिन वही रटी रटाई बातें कही गयी पुराने दस्तावेजों से कुछ अंशों को निकालकर बजट तैयार कर दिया है जिसकी दुहाई पहली सरकार की दे रहे थे, तो यह भी वही लोग हैं बजट के पैरों को इधर से उधर कर दिया। यह कहते हैं कि अभिमन्यु की गति से चलेंगे तो आपकी औद्योगिक नीति के चलते कहीं औद्योगिक अभिमन्यु पीछे न रह जायें इसमें शंका है।

मान्यवर, पूर्वांचल का जो पिछड़ा हिस्सा है वह इस गरीब प्रदेश में निचले स्तर पर है। बजट के पूर्वांचल के विकास के लिये कोई बड़ी योजना नहीं रखी गयी है। इसमें आप असहाय अवस्था में हैं मुख्य मंत्री जी आ गये हैं, पूर्वांचल के विकास के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी कोई नीति बतायेंगे, इसमें पूरी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी की है। मान्यवर, जिला देवरिया में कोई बड़ा उद्योग 1947 के बाद हमारे जनपद में नहीं लगा। जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी, तो माननीय राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री थे, केन्द्र सरकार का उद्योग विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार का उद्योग विभाग दोनों ने देवरिया जनपद में दो दिन का कैम्प लगाया, उसमें यह विचार किया गया कि ग्रामीण अंचलों को विकास कैसे किया जाये ?

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी इसको जानते होंगे । एक दस्तावेज तैयार हो गया। कच्चा माल हमारे देवरिया में क्या मिलेगा इसको देखा गया तो यह पाया गया कि देवरिया में गन्ना ज्यादा होता है तो उसकी खोइयों से कागज का कारखाना लगाया जाये यह तय किया गया । उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री जी राम प्रकाश गुप्ता जी ने बड़ा कारखाना लगाने का प्रस्ताव 1977 में किया, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हो गया कि वह कारखाना अब तक नहीं लगा है आप कम से कम उस दस्तावेज को देख लेते तो तो अच्छा होता । यह राम प्रकाश गुप्ता जी ने प्रस्ताव दिया था। देवरिया में कच्चा माल ज्यादा मिल सकता है तो इस कारखाने को आप लगवा दें । इससे देवरिया जनपद का ही नहीं पूर्वांचल का विकास हो सकता ।

मान्यवर, गांव के कुटीर उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं आप बड़े उद्योग-पतियों के बल पर चुनाव में आ गये, गांव की तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। छोटे कुटीर उद्योग में पूर्वांचल बुन्देलखण्ड के बारे में मंत्री जी ने कहा कि हमारी नीति की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे । इन्होंने छोटे कुटीर उद्योगों के बारे में कोई स्पष्ट नीति की घोषणा सदन में नहीं की कि छोटे उद्योग किन-किन गांवों में लगेंगे और कितने गरीब लोग उससे लाभान्वित होंगे । तो मुख्य मंत्री जी स्पष्ट नीति की घोषणा करें । खादी ग्रामोद्योग का नाम लिया गया तो मान्यवर, कहना चाहूंगा कि यह पहली सरकार है 1947 के बाद, जिसने खादी पर जो 35 प्रतिशत छूट 2 अक्टूबर से लेकर दी जाती थी उसको 30 प्रतिशत छूट कर दी । यह जो प्रतिशत घटाया है यह पहली सरकार है ।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

ऐसे कैसे काम चलेगा ? स्वदेशी नीति के साथ इन्होंने ऐसा किया है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी बैठे हैं यह पूर्वांचल के बारे में कुछ घोषणा करेंगे । यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश का प्रधान मंत्री था इसलिये विकास नहीं हुआ । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आप पश्चिम के हैं। आप कहते हैं कि हम पूरे प्रदेश के हैं तो मेरा कहना है कि पश्चिम की ओर न देखकर अधिक से

अधिक पूरब की ओर देखें तो हमारा बड़ा भला हो जाता । मैं पूर्वांचल में औद्योगिक विकास हेतु बड़े उद्योगों को लगाये जाने की मांग करता हूं । इसके साथ ही माननीय तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, हमारी सरकार जबसे आयी है निश्चित रूप में हर क्षेत्र में एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है । यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में उद्योग विभाग में एक अमूल परिवर्तन करने का प्रयत्न चल रहा है और इस बजट के माध्यम से उसको परिलक्षित करने की कोशिश भी की गई है । औद्योगिक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है इसलिये मैं माननीय कल्याण सिंह जो उद्योग मंत्री भी है और अपने मित्र माननीय मयंकर सिंह को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं । पिछले वर्षों में जो औद्योगिक वातावरण प्रदेश में बनना चाहिये था वह नहीं बना इसकी सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर है जो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं । आप स्वयं देखें हमारे देश में हरियाणा है, पंजाब है, बंगाल है और अन्य तमाम प्रदेश हैं वह औद्योगिक क्षेत्र में हमसे काफी आगे बढ़ चुके हैं । जापान देश औद्योगिक क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में गलत नियोजकता के कारण, गलत प्लानिंग के कारण उद्योगों का विकास नहीं हो सका है। ऐसी जगह उद्योग लगा दिये गये जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं है।

अगर ऋण उपलब्ध हो गया, टर्म लोन प्राप्त हो गया तो वर्किंग कैपिटल नहीं मिली । वर्किंग कैपिटल मिल गई तो बिजली नहीं मिली । बिजली मिली तो यह बिडम्बना देखिये कि जब वह अपना प्रपोजल देकर वित्तीय निगम पहुंचा तो आपको आश्चर्य होगा कि केमिकल इंजीनियर मैकेनिकल प्रपोजल की बना रहा है तो कैसे सही प्रपोजल बनेगा ? पूंजी उपादान, कैपिटल सब्सिडी जो कायदे से एक साथ मिलनी चाहिये थी वह अब तक नहीं मिलती थी । इन चीजों का परिणाम यह होता था कि औद्यागिक यूनिट सिक हो जाती थी । जबसे हमारी सरकार आई है तब से इन कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि उद्योगपतियों के हृदय के कष्ट को समझने की कोशिश की गई है और वन विंडो सिस्टम चालू किया गया है । अगर इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा तो प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनेगा और उसके माध्यम से प्रदेश का विकास होगा। और प्रदेश के औद्योगीकरण में एक नया पृष्ठ जुड़ेगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस स्थान पर उद्योग लगाये जायं उस स्थान पर बिजली तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर जो भी देखा जाय । आज प्रदेश के अन्दर बिजली की कमी है । बुन्देलखण्ड जहां बिजली के संबंध में छूट है वहां बिजली मिलती नहीं है । मैं चाहता हूं कि एक ऐसा वातावरण बने कि उद्योगों के लिये बिजली उपलब्ध हो और उद्योगपति आयें और नये-नये उद्योग लगायें और उनके माध्यम से रोजगार का सृजन हो सके । इसी के साथ मैं जो बजट प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री भारत सिंह रावत-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद देता हूं । माननीय मंत्री जी का भाषण सुना और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के पास कोई उद्योग नीति है ही नहीं और उद्योग नीति में भी कहां कहां प्रदेश में क्या उद्योग लगा रहे हैं, इसकी चर्चा भाषण में नहीं हुई । यह सच है कि जो मंत्री जी इस भाषण को पढ़ रहे थे, जो आंकड़े दे रहे थे, वे इस विभाग के सहयोगी हैं और मुख्य मंत्री जी के पास विभाग है । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उद्योग नीति प्रदेश के लिये बतायेंगे कि किन-किन स्थानों पर उद्योग लगेंगे और कितने उद्योग लगेंगे और क्या सुविधा देंगे, इसकी चर्चा करेंगे ? मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको बतायेंगे ? मैं तो कहना चाहता हूं कि यहां पर उत्तरांचल प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को देखें, उद्योग लगेंगे कि नहीं, इसकी चर्चा नहीं है । मान्यवर, उत्तरांचल में बहुत से उद्योग लगने की सम्भावना है । उत्तरांचल के जनपद उद्योग शून्य हैं जैसाकि पिछली सरकार की नीति थी कि उद्योग शून्य जिलों में उद्योग लगेंगे, लेकिन इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है । इसका अफसोस है। मान्यवर, जो उत्तरांचल के उद्योग लगने हैं, वह फारेस्ट बेस वन आधारित उद्योग लगने थे । जड़ी बूटी आधारित उद्योग लगने थे । उन पर आधारित उद्योग लगने थे, वनों से होने वाली उपज पर आधारित उद्योग लगने थे; फलों पर आधारित उद्योग लगने थे, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की गई है, अफसोस है ।

मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके बारे में जबाब देंगे और वह बतायेंगे कि उत्तरांचल के लिये उनकी उद्योग नीति क्या है ? मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें खनिज भी हैं । यहां पर मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में खनिज सर्वे किया है, उत्तर प्रदेश में कहां-कहां स्थित है, इसकी चर्चा नहीं की । मैं उत्तरांचल के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर जो सर्वेक्षण हुआ था कुछ वर्ष पहले, कहा गया कि सोना मिलता है । वहां पर सोना नाम की एक नदी है। वहां पर बोक्षा जनजाति के लोग सोना निकालते थे, उसके बाद यूरेनियम, जो कि आणविक शक्ति का कच्चा माल है, वह उस क्षेत्र में पाया जाता है । जिप्सम और चूने के पत्थर की चर्चा वहां पर नहीं की गई । मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि पौड़ी जनपद में कोटद्वार में एक ग्रोथ सेन्टर स्वीकृत किया है। उसके लिये बधाई देना चाहता हूं । बजट में 30 लाख का प्राविधान किया गया है। मुझे अफसोस है कि उस ग्रोथ सेन्टर एवं विद्युत आपूर्ति के लिये 132 के0वी0ए0 का एक सब स्टेशन लगना है, उसे लगवाने की तत्काल कृपा करें जब तक सब स्टेशन नहीं बनेगा, बिजली प्राप्त नहीं होगी और तब तक उस सेंटर का कोई औचित्य नहीं है । मैं चाहूंगा कि वहां पर मुख्य मंत्री जी उद्योग लगाने के बारे में सोचें अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि आज छोटे किसान धीरे-धीरे भर्ती न खड़ा कर पाने के कारण मजदूरों का शोषण करते जा रहे हैं ऐसी स्थिति में मजदूर बनते जा रहे हैं और बड़ा किसान खेती से अपनी जीवन यापन के लिये उद्योग की जरूरत है, लेकिन व्यक्ति उद्योग लगाने चलता है तो उसके सामने हजारों समस्यायें मुह बाये खड़ी हो जाती हैं । सबसे बड़ी समस्या बैंक ऋण की है । जिस तरह से मछुए पानी को बांध कर मछली का शिकार करते है, उसी तरह से बैंक कर्मचारी बैंक की एरिया निश्चित करके ऋण लेने वालों से कमीशन खोरी करता है। इसलिये जब तक बैंक कर्मचारियों को दुरुस्त नहीं किया जायेगा कमीशन खोरी पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक किसी उद्योग के सफल होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता ।

(इस समय 5 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

ऋण बर्फ की सिल्ली की तरह गलती हुई ऋण लेने वाले के पास आकर आधी हो जाती है, तब उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है, वह सिर पर हाथ धर कर सोचता है कि अब इसका क्या करें फिर कुछ जोश करके जब वह बिजली के दफ्तर जाता है, तो वहां की तबाही देखकर उद्योग लगाने की रही-सही जोश उसकी वहीं समाप्त हो जाती है ।मान्यवर, जब तक बैंक की कमीशनखोरी पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक चाहे कुटीर उद्योग हों, चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, सफल नहीं हो सकता, सफल होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। आज खादी कमीशन से ऋण लेने के लिये संस्थानों के पंजीकरण के समय में भी घूस देना पड़ता है हर कदम पर घूस खोरी है। मान्यवर, बड़े उद्योगों को बजट में प्रोत्साहन देने के लिये कहा गया है फ्यूल इफसियन्ट लाइट कामर्सियल विहिकल्स अर्थात कम तेल खाने वाले व्यापारिक वाहन पर प्रोत्साहन के लिये टैक्स 12 प्रतिशत से घटा कर डेढ़ प्रतिशत कर दिया गया । आज टाटा मोबाइल्स, डी0सी0एम0 ट्वेटा किसके पास है ? क्या वह छोटे लोगों के पास है ? अगर आप जीप और ट्रैक्टर पर छूट देते तो अच्छा होता, क्योंकि उससे लोगों को रोजी रोजगार मिलता है। एक जीप में चार आदमियों को रोजगार मिलता है, चलाने वाले को, क्लीनर को, मालिक को और मिस्त्री को, इसी प्रकार से ट्रैक्टर लाइट विहिकल है । देहात में लोग ट्रैक्टर से माल ढोने का काम करते हैं, अपना रोजी रोजगार इससे कमाते हैं, इस पर टैक्स घटाना चाहिये था, लेकिन 25 हार्स पासर के ऊपर नहीं घटाया । यह ठीक उसी प्रकार से है, जैसे मोजे पर से सोहरत पाने के लिये टैक्स घटा लीजिये, लेकिन जूते पर से न घटाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सतीश भाटिया-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद यह पहला उद्योग से संबंधित बजट है। मैं इसका समर्थन करता हूं तथा श्री तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन प्रदेश के आधार पर यहां पर उद्योगों की न तो स्थापना हुई और न कभी गम्भीरता से विचार हुआ । श्री तिवारी जी ने बताया कि सीमेंट कारपोरेशन आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जितनी उसकी क्षमता थी, उससे कम उत्पादन हुआ या और जितने प्रकार के कारपोरेशन्स थे, उन सब में जो कमियां आईं ह्रास हुआ, उनमें पूर्व शासन की गलत नीतियों के कारण हुआ और यही बात है कि प्रदेश के अन्दर उद्योग का वातावरण है, उद्योग के लिये भूमि है, लेकिन जो इनका इन्स्ट्रक्चर्स है, जो सुविधायें हैं, उसमें थोड़ी सुविधायें और दे दी जायें जो हमारे बजट में किया गया है, तो 1992-93 में काफी उद्योग खड़े होंगे और उन उद्योगों के द्वारा काफी लोगों को कार्य भी मिलेगा ।

मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । प्रवासी भारतीयों के लिये जो केन्द्र सरकार ने आह्वान किया है, मैं चाहता हूं कि हमारे उद्योग मंत्री जी प्रवासी भारतीय उद्यमियों को बुलावें और उनको आमंत्रित करें और उनके सहयोग से यदि कोई उद्योग लग पाये, तो अच्छा होगा । मान्यवर, सिंगिल टेबुल प्रोग्राम बहुत बड़ी उपलब्धि है । अगर इसका ठीक ढंग से पालन किया गया, तो निश्चित रूप से उद्योग काफी संख्या में लगेंगे ।

मान्यवर, विद्युत पावर के संबंध में बताना चाहता हूं कि 100 हार्स पावर का कनेक्शन जिला स्तर पर देने की बात कही गयी है जो इस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि है । केन्द्र सरकार द्वारा नये उद्योगों पर सेन्ट्रल इक्साइज ड्यूटी में छूट है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से स्टेट ड्यूटी में प्रदेश छोटे-छोटे उद्योगों को छूट दी जाय ।

मान्यवर, सेल्सटेक्स में छूट की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही थी चूंकि उद्योग से संबंधित है इसलिये मेरा सुझाव है कि जीवन रक्षक औषधियों को जो सेल्सटेक्स से मुक्त कर दिया गया है यदि उसमें कुछ ऐसा होता कि सभी प्रकार की औषधियों पर सेल्सटैक्स कम कर दिया जाता और जीवन रक्षक औषधियों पर सेल्सटैक्स से मुक्त न किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। मान्यवर, टेल्को कम्पनी चिनहट में लगी हुई है पिछले 3 वर्ष से वह प्रारम्भ नहीं हुई उसका कारण यह था कि विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी । अर्थात् अब तक जो शासन व्यवस्था थी वह उस कम्पनी को विद्युत् आपूर्ति करने में अक्षम थी अब यह विद्युत् आपूर्ति हो गई तो उसमें कम से कम एक लाख नये उद्योगों को इसेलरी यूनिट लगाने का लाभ मिलेगा । मान्यवर, जो नये उद्योग लगते हैं उसमें 6 वर्ष तक सेल्स टैक्स में छूट है अर्थात् सेल्स टैक्स 6 वर्ष बाद कलेक्शन करें और इसके बाद जमा करना प्रारम्भ करें । बहुत से प्रदेशों में यह है कि सेल्स टैक्स इकट्ठा करते रहें और

सातवें वर्ष से देना प्रारम्भ करें । अपने शासन में यदि इस प्रकार का प्राविधान करने का सुअवसर एक. बार उद्यमियों को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा । कई सरकारों में प्रदेशों में ऐसा है, जैसे इन्होंने सेल्स टैक्स लेना प्रारम्भ किया और बीच में उनको ऐसा लगा कि सेल्स टैक्स न हम लेंगे न जमा करेंगे तो इस प्रकार की छूट का अवसर मिलता है इस प्रकार का अवसर हमारे प्रदेश में भी मिलना चाहिये।

मान्यवर, जितने उद्योग इस समय लगे हैं, उसमें सबसे ज्यादा रासायनिक उद्योग में निवेश है और फिर चीनी उद्योग में निवेश है। रासायनिक उद्योग में लगभग 358.39 करोड़ रुपये का निवेश है और चीनी उद्योग में 690.97 करोड़ का निवेश है । यदि नई चीनी मिलें लगाई जायं तो प्रदेश में जहां पर उद्योग लग जायेगा वहां पर चीनी का उत्पादन भी ज्यादा होगा और जो गन्ने की पेराई नहीं हो पाती, उसका भी निदान हो जायेगा ।

लाइसेंस प्रथा को भी हमारी सरकार ने समाप्त करना प्रारम्भ किया है और बहुत सारे लाइसेंस समाप्त भी किये हैं और कुछ लाइसेंस ऐसे हैं जिनको कहा गया है कि जिला स्तर पर होगा मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो इन्सपेक्टर राज है उसको भी समाप्त करने का प्रयास होना चाहिये । बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें कि इन्सपेक्टर्स का उद्योगों में जाना और वहां से उनको प्रतिमाह कुछ न कुछ नई-नई बातें बताना, यह बहुत गलत है जिसके कारण छोटे उद्योग हैं उनको बहुत असुविधा होती है। इस पर विचार होना चाहिये । इसके साथ मैं उद्योग आय-व्ययक का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री धनीराम वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो घोषणायें सदन में कीं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये जो कुछ कहा वह मात्र केवल ऐसे ही हैं जैसे एक मदारी दर्शकों को आकर्षित करने के लिये अपने झोले में तरह-तरह की चीजें निकालने के लिये कहा करता है और दर्शकों को आकर्षित करता है लेकिन अन्ततोगत्वा दर्शक निराश होकर चले जाते हैं क्योंकि उसकी पिटारी में वास्तविकता जो कहता है वह नहीं हुआ करता है। ऐसे ही जनता हमारे मंत्री की घोषणाओं से पूरी तरह से अन्ततोगत्वा निराश ही होगी। मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां पर 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है और कृषि ही मौसमी धन्धा है। आधे से ज्यादा दिनों में काश्तकार और उसके बच्चे, उसका परिवार बेकार रहता है। माननीय मंत्री जी ने कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे यह समस्या हल हो जाती । किसान जो गरीब तो था ही और गरीब होता चला जा रहा है उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। खेती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छोटी होती जा रही है ओर आबादी बढ़ रही है तो इन किसान बालकों का, किसानों की बड़ी आबादी को कैसे समायोजित किया जाय, कैसे रोजी रोटी उनको दी जाय ? मान्यवर, हम आप देखते हैं कि आज कुल्हड़ का धन्धा करने वाले बेकार हो गये हैं, पत्तल का धन्धा करने वाले लोग बेकार हो गये हैं वे लोग गांवों के रहने वाले हैं । जुलाहे का धन्धा बेकार हो रहा है, जितने यह कुटीर उद्योग धन्धे थे वह सब बेकार हो गये हैं । जितने भी लोग उसमें लगे हुयें थे, रोजीरोटी पाते थे, वह सब आज बेकार हो गये हैं । और उनकी रोजीरोटी के लिये सरकार ने कोई भी योजना सदन में प्रस्तुत नहीं की । अखिरकार इनको किस तरह से रोजी रोटी दी जायेगी ?

मान्यवर, इतना ही गरीबों की जनता धोती सस्ते मूल्य पर मिलती थी, सब्सिडी दी जाती थी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार केन्द्र सरकार पर दोषारोपण करती है और स्वयं उस सब्सिडी को भी समाप्त करने जा रही है और गरीबों को जो वह सस्ती धोती मिल जाया करती थी वह भी अब मिलने वाली नहीं है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, खेती से बहुत सी ऐसी चीजें बेकार फालतू चली जाती हैं जैसे पुवाल है उससे किसी प्रकार की दफ्ती बनायी जा सकती है, कुटीर उद्योग धन्धे पनप सकते हैं, बांसे से टोकरी बनायी जा सकती है। मान्यवर, इसी तरह से जो और भी खेती के उत्पादन हैं, उसमें बहुत सी चीजें नष्ट हो जाती हैं उनके सदुपयोग के लिये मंत्री जी ने कोई भी योजना तैयार नहीं की है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग की बड़ी बात नहीं कही गई है । मान्यवर, हमारे जनपद में बुनकरों द्वारा बना हुआ हथकरघा कपड़ा जो पर्दों के रूप में था इग्लैण्ड में, पुराने सोवियत संघ जिसे रसा कहते हैं उसमें और अमेरिका में उसकी बहुत मांग है लेकिन आज इटावा के बुनकर बेकार हो गये हैं और अब विदेशों में उन पर्दों की मांग कम हो गयी है और इसका कारण यह है कि वह पर्दा बनाने वाले जो बुनकर हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ।

उनको सूत की सुविधा उपलब्ध नहीं होती जब सूत नहीं उपलब्ध जोगा कैसे पर्दा बनायेंगे ? कैसे विदेशों में भेजेंगे ? विदेशी मुद्रा कैसे अर्जित होगी ? हथकरघा मजदूर बनाने वाले सब बेकार हो रहे हैं । उद्योगों में भूमि अर्जन का प्रश्न जो पैदा हुआ है पिछली सरकार ने भी कहा कि हम खेती योग्य भूमि का किसी उद्योग के लिये अर्जन नहीं करेंगे । मान्यवर, खेती का क्षेत्र कम हो रहा है और औद्योगिक क्षेत्र के लिये जमीनें ली जा रही हैं । खेती करने वाले काश्तकार खेती करने वाले लोगों को कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं है । उनकी जमीनें सस्ते पैसे पर ली जा रही हैं। मान्यवर, मेरा सुझाव है खेती योग्य भूमि जो है किसी उद्योग के लिये अर्जित न की जाय बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय लाइसेंस दिये जायें । लेकिन

उन पर यह प्रतिबन्ध भी रहे कि अच्छा माल उत्पादित कर विदेशों से स्पर्धा करें वहां बेचें जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो । यह घरेलू उद्योग धन्धे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय जिससे अपने देश प्रदेश की जरूरतें पूरी हो सकें और देश का किसान गरीब मजदूर जो है वह खुशहाल हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, जब आप बोल लेंगे तो फिर कौन बोलेगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय राज्य मंत्री रहेंगे ।

*मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

अभी चर्चा बन्द नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी जब बोलेंगे तो नीति की बात बोलेंगे ।

श्री कल्याण सिंह-

मैं एक बात स्पष्ट कर दूं अभी उद्योग से सम्बन्धित अनुदान पर चर्चा को विराम नहीं दिया जा रहा है । मेरे बोलने के बाद भी चर्चा चालू रहेगी और चर्चा में जो बिन्दु उठेंगे इस पक्ष से या उस पक्ष से उनका उत्तर राज्य मंत्री जी उद्योग विभाग देंगे । मैं बीच में केवल कुछ आधारभूत बात कहने के लिये आपकी अनुमति से इस महत्वपूर्ण चर्चा में हस्तक्षेप करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन् मैं यह मानकर चलता हूं कि विकास के औद्योगीकरण अतिआवश्यक हैं जिस प्रदेश और जिस देश का द्रुतगति से औद्योगीकरण नहीं होगा वह प्रदेश अथवा वह देश विकास की दौड़ में पिछड़ जायेगा । यह अपने देश और अपने प्रदेश के संदर्भ में और भी आवश्यक है कि प्रदेश का औद्योगीकरण द्रुतगति से हो इसलिये आवश्यक है कि आज विश्व भर में केवल खेती के ऊपर प्रति एकड़ जनसंख्या का भार सबसे अधिक है । खेती पर बढ़ती हुई जनसंख्या को हटाकर खेती से हटे हुए हाथ का वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराकर ही विकास की गति को तेज किया जा सकता है। मैं आज के इस अवसर पर कुछ बुनियादी बातें और कुछ आधारभूत बातें यहां पर रखना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि उन पर आपके सुझाव चाहिये आपका मार्गदर्शन चाहिये ताकि प्रदेश को औद्योगीकरण के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाया जा सके ।

श्रीमन् मैं अपनी बात चार खण्डों में बांटना चाहता हूं । पहली यह है कि आज अवसर है कि मैं आपसे राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के संदर्भ में कुछ चर्चा करूं।

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा यह है कि राष्ट्रीय नीति की उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े हुए प्रदेश के लिये भारत सरकार से क्या अपेक्षायें हैं ? तीसरा यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश के औद्योगीकरण के मार्ग में वर्तमान सरकार की बुनियादी नीति क्या हैं उसके अनुरूप वर्तमान सरकार का नियोजन क्या है एवं क्या उसकी सोच है? चौथा जो कुछ बातें की जायेंगी विविध प्रकार की वह चौथे खण्ड में रखने का प्रयास करूंगा। श्रीमन् मैं यह मानकर चलता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से अन्य प्रदेश से पिछड़ा हुआ है । और यह भी मानकर चलता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर उस प्रकार की क्षमता है। ऐसी आधारभूत बातें हैं जिससे औद्योगीकरण तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके । आज जो स्थिति है उस पर हमको विचार करके चलना होगा। आज कोई भी प्रदेश अकेले दूसरे प्रदेशों से अनदेखी करके औद्योगीकरण के क्षेत्र में आइसोलेशन में नीति निर्धारित करता है तो वह पिछड़ जाता है । इससे भी आगे कहना चाहता हूं कि जो औद्योगीकरण के क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में विश्व में परिवर्तन हो रहा है तो कोई भी देश आज विश्व में औद्योगीकरण और आर्थिक क्षेत्र में अनदेखी करके नहीं चल सकता है ।

आज एक दूसरे के प्रति सामंजस्य का भाव, एक दूसरे पर निर्भरता और पूरकता का भाव पैदा हो गया है । श्रीमन् इसी पृष्ठभूमि में जब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात सोचते हैं तो निश्चित तौर पर जिन बातों पर हमने इस औद्योगिक विकास पर प्रभाव डाला है, उन बातों पर विचार करना समीचीन होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बनायी गयी है, उसका प्रभाव अन्य प्रदेशों पर पड़ता है ओर सबसे अधिक प्रभाव उन प्रदेशों पर पड़ता है जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ गये हैं । उनमें उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, और भी प्रदेश हैं । आज राष्ट्रीय स्तर पर जो औद्योगीकरण की नीति बनायी गयी है, मैं आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हूं मैं उन संदर्भों का संकेत लेना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर बनायी गयी औद्योगीकरण की नीति का हम पर क्या प्रभाव पड़ा है ? जो औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति घोषित की गयी उन सब बातों को माननीय सदस्यों के सामने रखना प्रासंगिक मानता हूं । सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया कि 18 उद्योगों को छोड़कर अब बाकी किसी को भी उद्योग के लिये लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं आलोचना के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, केवल तथ्य रखना चाहता हूं। पहले यदि कोई उद्योग लगाना चाहता था, उस पर इस बात का प्रतिबन्ध रहता था कि अमुक क्षेत्र में आप उद्योग लगावें, अन्यथा लाइसेंस नहीं मिलेगा और तब पिछड़े क्षेत्रों को छांट लिया जाता था और वहां पर उद्यमी को विवश होकर अपना उद्योग लगाना पड़ता था । आज नीति घोषित हो गयी कि केवल 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी के सारे उद्योगों के लिये लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है मतलब डी-लाइसेन्सिंग पालिसी । श्रीमन् इस तरह से जो मूल्यों के नियंत्रण की बात थी, वह

धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है, एक यह परिवर्तन आया । नम्बर तीन है, अनुदान की नीति, यह भी धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है । इसी तरह से चौथी बात, कि निजी उद्यमियों को भी प्रोत्साहन दिया जायगा । पांचवीं और महत्वपूर्ण बात कि सार्वजनिक इकाईयों में निजी अंश पूंजी को भी लगाने की अनुमति दी जायेगी ।

श्रीमन् एक बात और करना चाहता हूं कि अभी 1992-93 का जो केन्द्र का बजट आया है, उसमें कुछ संकेत मिलते हैं, उसका पहला संकेत है कि अर्थ नीति नियंत्रित नहीं होगी जैसे अभी केन्द्र ने इस्पात से हटाया । इसी के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय यह हुआ और केन्द्र के बजट से यह संकेत मिला कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उद्योग नीति में परस्पर सामंजस्य बिठाया जायेगा । मैं यह कह सकता हूं कि एक जमाना था, जब राजनीति अर्थनीति को प्रभावित करती थी, देर ही से सही, लेकिन लोगों ने कटु सत्य को स्वीकारा है, अब अर्थ नीति राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, दिशा दे रही है, यह तथ्य है । हमारे सामने इसके कई उदाहरण है। श्रीमन यह बातें मैं किसी हेतु से रख रहा हूं । संक्षेप में मैंने भूमिका के बारे में जो बातें रखी हैं, वह इस नाते से रखी हैं कि उन संदर्भों के साथ हमको उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहिये? कैसी नीति अपनानी चाहिये ? कौन-कौन से मुद्दों को समावेश किया जाना चाहिये ? इस पर आपके बहुमूल्य अनुभवसिद्ध सुझाव अपेक्षित हैं। श्रीमन् केन्द्रीय सरकार की जो उद्योग नीति आई है, उसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि वह हमारे सामने क्या कठिनाइयां पैदा कर रही है ? जो पिछड़े राज्य हैं, स्वाभाविक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग नीति के इस आमूलचूल परिवर्तन के कारण अब पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़े प्रदेशों में किसी को भी पूंजी निवेश करने के लिये विवश नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब लाइसेंस की नीति समाप्त हो गयी। अब उद्योग कहां जायेंगे ? उद्योग वहां जायेंगे जहां पर मूलतः अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध होंगी, इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसेलटीज जहां पर होंगी वहां पर उद्यमी उद्योग लगायेंगे । इस नाते आज हमारी भारत सरकार से अपेक्षा है और इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं । पहला, भारत सरकार उत्तर प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार करे दूर संचार की सुविधाओं का विस्तारीकरण रेलवे लाइनों का विस्तारीकरण, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये अवस्थापना सुविधाओं का विस्तारीकरण, बैंकों से पिछड़े क्षेत्रों के लिये अभी तक जो दीर्घ कालीन ऋण सस्ते दर पर मिलता था, केन्द्र ने एक नरसिम्हा कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट का जो कुछ सार निकल करके आता है उसकी जो संस्तुतियां हैं यदि उन्हें ज्यों की त्यों मान लिया गया तो उसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे ।

विशेषकर पिछड़े प्रदेशों को इन संस्तुतियों में पिछड़े क्षेत्रों को सस्ते दर पर जो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध होता था उस व्यवस्था को समाप्त किये जाने का सुझाव दिया गया है इसलिये मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के संदर्भ में भारत सरकार को खुले दिमाग से विचार करना चाहिये और नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करते समय सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विश्वास में लेना चाहिये । नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट से हमारे पिछड़े प्रदेशों का क्या अहित होने जा रहा है उस पर हमारी बात को सुनना चाहिये । पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये पूर्व की भांति सस्ते दर पर दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था को यथावत् लागू रखा जाना चाहिये जो हमारी अपेक्षा है । श्रीमन् हमारी एक और अपेक्षा हम सब जानते हैं कि आज के युग में गैस औद्योगिक क्षेत्र के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह कच्चे माल के रूप में काम आता है अब जैसे प्राकृतिक गैस है, खास तौर से जो प्रदेश समुद्र से दूर हैं, जो प्रदेश देश की प्रमुख बाजारों से दूर हैं, जो प्रदेश देश की प्रमुख बैंकों से दूर हैं जैसे उत्तर प्रदेश है यहां के लिये गैस का प्राविधान करने का कच्चे माल के तौर पर हमारी सहायता करने हेतु हमारी भारत सरकार से अपेक्षा है ।

श्रीमन् आज गैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में प्लास्टिक इकाइयों में और विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने के काम में आता है । श्रीमन् उत्तर प्रदेश में एक एच0बी0जे0 गैस पाइप लाइन जाती है लेकिन आज हमको गैस नहीं मिल पा रही है ।

(समय 6 बजे)

इटावा जिले में औरैया गैस क्रेकर परियोजना जिस पर 2 हजार 4 सौ करोड़ रुपये का परिव्यय होना है, उत्तर प्रदेश शासन के खाते की जितनी बातें थीं सब हमने पूरी कर दी हैं । आज एच0बी0जे0 गैस पाइप लाइन से वहां गैस का आवंटन नहीं हो रहा है। इससे औद्योगिक विकास ठप्प होगा यह औरैया गैस क्रेकर परियोजना वह है जिसका शिलान्यास भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व0 माननीय राजीव गांधी ने किया था । हम अपने स्तर से सारी आवश्यकतायें पूरी कर चुके हैं, गैस प्राधिकरण लगातार कोशिश में है स्वीकृति नहीं मिल पा रही है । गुजरात में इसी प्रकार की गांधार परियोजना जो गैस पर चलने वाली है उसको केन्द्र सरकार की उप समिति ने स्वीकृति दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है चलो आगे काम करो। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात कर रही है या नहीं कर रही है लेकिन जोर देकर कह रहा हूं कि गुजरात की गांधार परियोजना को गैस दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के औरैया के कारखाने को गैस न दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्रीमन् सलेमपुर एरोनाटिक्स परियोजना के संचालन के लिये गैस की आवश्कयता है उसकी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है । मथुरा में रासायनिक इकाई बन्द पड़ी है, गैस नहीं मिल पा रही है इसी प्रकार गोरखपुर के अन्दर खाद का कारखाना है माननीय तिवारी जी बैठे हैं ।

श्री हरि शंकर तिवारी-

गोरखपुर का खाद का कारखाना बन्द पड़ा है ।

श्री कल्याण सिंह-

मैं वही कह रहा हूं दोनों में कोई अन्तर नहीं है । वहां पर खाद का कारखाना बन्द पड़ा है । भारत सरकार को आगे आना चाहिये खाद कारखाना चलाने के लिये, सिन्धी कारखाना बनारस के पास बन्द पड़ा है ।

*श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

इसमें भी भारत सरकार की गलती है कहेंगे ?

श्री कल्याण सिंह-

जब हम भारत सरकार में पहुंच जायेंगे तो यह शब्द नहीं बोलेंगे, इस समय भारत सरकार में कोई और है । वह दिन दूर नहीं है जब हम भारत सरकार में आयेंगे तो श्रीमन् यह मैंने संक्षेप में एक बात कही ।

भारत सरकार से उत्तर प्रदेश की क्या अपेक्षा है, ऐसी अपेक्षा नहीं है जो तर्कसंगत न हो, न्याय संगत न हो या व्यावहारिक न हो ।

अब मैं श्रीमन् तीसरी बात की ओर आता हूं । प्रदेश के औद्योगीकरण के क्षेत्र में वर्तमान सरकार की नीति उसका नियोजन, उसकी दिशा, उसका सोच स्पष्ट है, हमने समस्या को समझा है, बीमारी को समझा है हमने निदान किया है, इलाज भी करेंगे । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये 7 बातों की बहुत आवश्यकता है, छोटी-छोटी और भी बातें हैं लेकिन 7 मुख्य हैं । उसमें सबसे पहली आवश्यकता है कानून और व्यवस्था ठीक रखना काननू और व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो उद्योग लगाने वाले लोग उद्योग नहीं लगायेंगे । आज आपको लगता होगा कि मैं किसी पर चोट करने जा रहा हूं। मैं तो केवल संकेत कर रहा हूं । आप स्वयं समझदार हैं । लेकिन यह मानना पड़ेगा कि प्रदेश में अगर अराजकता रहेगी, जंगल का राज्य कायम हो जायेगा । चाहे कारण कुछ भी क्यों न हो, उस प्रदेश के अन्दर औद्योगिक विकास के लिये स्वच्छ वायुमण्डल नहीं बन पायेगा । श्रीमन् एक बहुत बड़ा व्यवधान है, लाल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फीताशाही का बन्धन और दूसरा व्यवधान है, तीसरा इन्स्पेक्टर राज, चौथा है विद्युत की आपूर्ति अनिश्चित अथवा अभाव और पांचवां है, अवस्थापना सुविधाओं का अभाव और छठवां है निर्यात व प्रोत्साहन नीति को आकर्षक न बनाना और सातवां है बिक्रीकर के फन्दे, मान्यवर, यह सात प्रमुख बातें हैं, जो किसी भी प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में बाधक बनती हैं ।

मैंने जैसा कहा कि छोटी-मोटी बातें कुछ और भी हो सकती हैं। इस सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था को ठीक करके प्रदेश के अन्दर उद्योग लगाने का माहौल पैदा किया है । एक सिंगल टेबिल सिस्टम की चर्चा बहुत हुई है। तीन स्तरीय समितियों का गठन कर दिया है। एक ही छत के नीचे उद्यमियों की शिकायतों और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है । लालफीताशाही के बन्धन को काटा है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह -

मान्यवर, 9 महीने में कितने उद्योग लगाये ?

श्री कल्याण सिंह -

मान्यवर, बिना ऊर्जा के उद्योग नहीं चल सकता । आज से नहीं उत्तर प्रदेश के अन्दर ऊर्जा का अभाव पिछले कितने वर्षों से चला आ रहा है। हम उसके लिये यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि विद्युत का उत्पादन बढ़े, विद्युत के पारेषण की व्यवस्था ठीक से हो । विद्युत के वितरण की व्यवस्था ठीक से हो उत्पादन पारेषण और वितरण । मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन तीनों के बीच सामंजस्य बैठाने का कभी प्रयास नहीं हुआ। मान्यवर, हमने विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाकर उसके पारेषण और वितरण की व्यवस्था में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया है और इसीलिये हमने निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया है कि वह अपना कैपटिव पावर प्लान्ट लगाये । हमने निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित करके कहा है कि वह बिजली का उत्पादन करें । आप बिजली का पारेषण, बिजली का वितरण स्वयं ही कर सकते हैं । उनकी बची हुई बिजली हम खरीदने के लिये तैयार हैं । यह आकर्षक मौका हम दे रहे हैं । इस समय निजीकरण की ओर विश्व दौड़ रहा है। अपना कोई उद्योग धन्धा लगाये, कैपटिव पावर प्लान्ट लगाना चाहता है हमने उसे अनुमति दे दी है। यह जिम्मेदारी ले ली है कि उनके पावर प्लान्ट से जितनी बिजली होगी, जितनी चाहे वह खर्च कर लें, बची हुयी जितनी भी होगी उसे हम ले लेंगे अपने और कामों में लगा देंगे। एक बड़ा ही अजीबो-गरीब नियम बना चला आ रहा था कि डीजल जेनरेटिंग सेट

के लिये यू0पी0एस0ई0बी0 से अनुमति लें, विद्युत बोर्ड से अनुमति लें, विद्युत बोर्ड से अनुमति लें तब डीजल जेनरेटिंग सेट लगायें । यह कहा जाता था कि यहां कागज सेट लगायें । यह कहा जाता था कि यहां कागज आने के बाद फाइल से दब गया, ता जिसे आज आवश्यकता है और कागज की मंजूरी साल डेढ़ साल के बाद पहुंचती है, तो इसमें हमने निर्णय लिया है कि कोई व्यक्ति डीजल जेनरेटिंग सेट लगाना चाहता है तो उसमें बोर्ड से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । केवल एक पोस्टकार्ड पर सूचना भर कर दे दें, कि हमने जेनरेटिंग सेट लगा दिया है। पोस्टकार्ड की सूचना के पीछे भी एक कारण है वह यह है कि हमको जानकारी रहनी चाहिये कि प्रदेश में कितने जेनरेटिंग सेट लगे हैं और उनके लिये कितने डीजल की आवश्यकता पड़ेगी कितने डीजल की व्यवस्था हम करें ? ऐसा न हो कि डीजल न होने की वजह से सेट बन्द हो जाय तो हर कठिनाई को दूर किया गया है। इसी तरह से अवस्थापना सुविधाओं के बारे में हम सचेष्ट हैं । अवस्थापना सुविधायें बढ़ाई जा रही हैं इसके साथ प्रशासन की नीति है ।

इस प्रशासन की नीति के लिये हमने एक व्यवस्था की है और शीघ्र ही वह व्यवस्था आपके और प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत कर दी जायगी । क्योंकि हम यह कहना चाहते हैं जब तक निर्यात प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तब तक अपने प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं हो पायेगा । मान्यवर, पिकप द्वारा वित्तीय सेवाओं के रूप में उद्यमी को पूर्ण पैकेज उपलब्ध कराने की बात कही है । पिकप सेल बनायी जायेगी उससे उद्यमियों को सहयोग दिया जायेगा । इसी प्रकार से औद्योगिक माडल टाउन स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है इसके लिये जापान से टीम आई थी उसके साथ विचार विमर्श किया, कई प्रदेश ऐसे हैं जो औद्योगिक माडल टाउन लगवाना चाहते हैं । इसमें उत्तर प्रदेश की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। माडल टाउन से उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी । श्रीमन्, हमने दृष्टिकोण बदला है जो हमारे प्रदेश के अन्दर पैसा लगायेंगे उसकी सहायता करने में हम यह नहीं मानेंगे कि हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं हम यह मानेंगे कि अगर प्रदेश के अन्दर कोई पूंजी निवेश करने आ रहा है तो वह हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। एक प्रकार से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो पूंजी निवेश करने आये उसके लिये हमने अधिकारियों से कहा है कि उसके साथ बी0आई0पी0 सा व्यवहार करना चाहिये । वह हताश होकर लौट न जाये । उसकी कठिनाइयों को दूर किये जाने में सहयोग किया जायेगा । मुझे विश्वास है कि प्रदेश के अन्दर औद्योगिक विकास की गति इस तरह से तेज होगी श्रीमन्, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं।

हमने इस सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है मेरा यह दावा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ठीक बन गया है लेकिनं दिशा स्पष्ट है, निगाह स्पष्ट है, तथ्य स्पष्ट है अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं । जो कुछ छोटी- मोटी उपलब्धियां हैं मैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा । हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के ऊपर जोर दिया है । जैसाकि मैंने बताया भारत सरकार की डि-लाइसेंसिंग पालिसी आ गई है अब जहां पर अवस्थापना सुविधायें होंगी वहीं पर पैसा लगेगा और उद्योग लगेंगे । हमने अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार पर धनराशि के आवंटन को बढ़ाया है । 1991-92 में अवस्थापना सुविधाओं के ऊपर केवल 18 फीसदी धनराशि खर्च की गई थी लेकिन वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जगत के बदलते परिप्रेक्ष्य को देखते हुये अवस्थापना सुविधाओं के विस्तारीकरण के लिये धनराशि 18 फीसदी से बढ़ाकर 48.6 फीसदी धनराशि कर दिया है । (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, मुझे बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का वित्तीय संस्थान पिकप सातवीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में घोषित किया गया है, मान्य किया गया है । चालू वर्ष में पिकप के द्वारा उद्योगों के वित्तीय पोषण का पूरा पैकेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्जिन बैलिंग लोन इंडीकेशन, एडवाइजरी सर्विसेज, कैपिटल फंड्स लीजिंग आदि की स्थापना की है । इन सारी व्यवस्थाओं में हम औद्योगिक इकाइयों को अपने सीमित संसाधनों में रखते हुये उनका वित्तीय पोषण करेंगे । श्रीमन्, जहां तक लघु उद्योगों का प्रश्न है, 6 महीने में 100 बिन्दुओं पर अधिकारों का प्रतिनिधायन कर दिया गया है, प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी उद्योग सक्रिय हो जायं इसके लिये सिंगिल विंडो लागू किया है। जिला औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत जो समितियां गठित की गई हैं, उन्होंने 9 हजार स्वीकृतियां जारी की हैं।

श्रीमन्, जैसा अभी मैंने इन्सपेक्टर राज की बात कही थी, हमने व्यवस्था की है कि अब कोई भी इन्सपेक्टर जब उसकी जेब खाली होगी तक जाकर इंसपेक्शन करने पहुँच जायगा, या जिस दिन घर पर बच्चों ने कोई फरमाइश की उस फरमाइस को पूरा करने के लिये पैसा ऐंठने की नीयत से इंसपेक्शन करने चला जायेगा, इस पर रोक लगा दी है । वर्ष में केवल 2 बार वह इंसपेक्शन करेगा । यदि तीसरी बार इंसपेक्शन की आवश्यकता हुई तो इंसपेक्शन पर जाने से पहले अपने से एक स्तर ऊंचे अधिकारी से उसे अनुमति प्राप्त करनी होगी । केवल जेब खर्च निकालने के लिये इंसपेक्शन करने नहीं जायेगा । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, एक बात मैं जनता वस्त्रों के बारे में कहना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि इसमें बड़ी बेइमानी और भ्रष्टाचार है । हमने पहली बार व्यवस्था की है कि

33 फीसदी धोतियां हम छपवाकर बिकवायेंगे और अगले वर्ष उसका 50 परसेंट का लक्ष्य रखा है और धीरे-धीरे शत प्रतिशत की ओर जायेंगे । नहीं तो वही सफेद धोती चलती रहती है, नई धोती बनती नहीं है और भ्रष्टाचार होता रहता है। श्रीमन्, निर्यात संबंधी जो सुविधायें दी हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने का परिणाम यह हुआ कि 1472 निर्यातकों को अपने द्वारा बनाये गये माल के निर्यात की सुविधा मिली है । इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिये एक निर्यात बन्धु की स्थापना की है । इसी प्रकार से श्रीमन्, अगर कोई नीति विषयक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी तो नीति विषयक परिवर्तन एक व्यक्ति के व्हिप के आधार पर नहीं होगा । उसके लिये हमने बोर्ड आफ ट्रेड का गठन कर दिया है। मैं रेशम उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं रेशम उद्योग को पनपाने, विकसित करने के लिये, क्योंकि इसके माध्यम से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, लघु किसान, सीमान्त किसान को लाभ पहुंचता है, इसलिये रेशम उद्योग को विकसित करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है और इसीलिये हमने 222 राजकीय रेशम फार्म स्थापित करने का फैसला किया है। हम इस उद्योग में निजी लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं ।

अगर कोई छोटा किसान अपने यहां पर रेशम के कीड़े पालने के लिये शहतूत के पेड़ लगाता है तो उसे प्रोत्साहन दिया जायेगा । उससे पैदा होने वाले कोये को खरीदने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं और जो रेशम उद्योग के मामले में फार्म चल रहे हैं, उसका निरीक्षण, परीक्षण करा रहे हैं, जो फार्म घाटे की स्थिति बना रहे हैं, जिनके अन्दर नियोजित पूंजी के अनुसार परिणाम ठीक नहीं आ रहे हैं, हम ऐसे फार्म को समाप्त करके निजी क्षेत्र में लेंगे । निजी क्षेत्र किसान और मजदूर से चलेंगे । उनको तकनीकी जानकारी और आर्थिक सहायता देकर करायेंगे । कोये के भण्डारण की सुविधा के लिये बहराइच और इटावा में भण्डारागार बनाने का प्राविधान कर रहे हैं । इसके लिये 406 करोड़ रुपये प्रारम्भ में स्वीकृत किये हैं, और श्रीमन्, लघु उद्योगों, छोटी इकाइयों के बारे में मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। एक बात कहना चाहता हूं कि छोटी इकाई लगती है और ठीक कहा तिवारी जी ने या किसी और ने कहा कि सारे आंकड़े फैला दिये जायं तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ी औद्योगिक इकाई दिखाई देना चाहिये । मैं सहमत हूं ठीक है। लेकिन परम्परा चली आ रही है, हमने इस परम्परा को तोड़ने का निर्णय किया है। प्रत्येक साल ऐसी इकाई जो रुग्ण हो गयी है या बन्द हो रही है, एक व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करायेंगे । यहां पर श्रीमन् मैं एक बात की और घोषणा करना चाहता हूं । बताना चाहता हूं कि प्रदेश में आद्योगिक विकास के लिये माहौल बनाने का परिणाम यह हुआ है कि पूरे प्रदेश के अन्दर जुलाई, 91 से फरवरी, 1992 तक पूरे देश के अन्दर उद्योग लगाने के लिये 3972 मेमोरेण्डम प्रस्तुत किये गये ।

मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इनमें से 265 मेमोरेण्डम उत्तर प्रदेश में लगाने के लिये आये हैं । यह वह पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में 17 प्रतिशत है, महाराष्ट्र में 15 प्रतिशत, गुजरात में 10 प्रतिशत है। बताना यह चाहता हूं कि सरकार ने जो कुछ बुनियादी कदम उठाये हैं, और उद्यमियों को जब यह विश्वास दिलाया कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर औद्योगिक वातावरण बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर 100 करोड़ की छूट उपकरण में दी गई है। जब-जब वादों के विवादों में फंसोगे, सही तथ्यों में नही जाओगे, टैक्स लगा दिया जाय 20 प्रतिशत टर्न ओवर नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं है, टैक्स शून्य पर आ जायेगा, इसलिये कुछ चीजों पर टैक्स घटाये हैं, कुछ को समाप्त किये हैं । बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री जी ने कुछ पर प्रकाश डाल दिया है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर औद्योगिक वातावरण पैदा हो रहा है ।

श्रीमन् मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम औद्योगिक इकाइयों से रोजगार को जोड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के अन्दर नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि उन आंकड़ों में जाकर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं । सरकार की नीति, सोच और दिशा बताना चाहता हूं । एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि औद्योगिक दृष्टि से कौन जिला पिछड़ा है या कौन क्षेत्र पिछड़ा है ? इसका आधार और इसका मानक जिला इकाई बनाया गया है, इकाई माना गया जिला और इसमें सब बैठे हैं, सब जानते हैं, या सोच अव्यवहारिक थी, कि एक ही जिले के अन्दर एक क्षेत्र में औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित हो जाता है और तीन क्षेत्र ऐसे हैं, जो अविकसित हो जाते हैं, किसी जिले के अन्दर कोई उद्योग लग गया, तो यह मान लिया गया कि वह जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो गया । जहां पर पूरे देश के क्षेत्र का असंतुलन है, विकास की दृष्टि से और जहां पर प्रदेश के अन्दर क्षेत्रीय असंतुलन चला आ रहा है विकास की दृष्टि से वहां पर जनपद में भी क्षेत्रीय असंतुलन है विकास की दृष्टि से इसलिये हमने बुनियादी निर्णय लिया है, उद्योग लगाने की दृष्टि से जो पिछड़े इलाके हैं उनमें उद्योग लगाने की दृष्टि से बिजली से रिबेट देने की दृष्टि से, हमने अब पिछड़ेपन की इकाई जिला नहीं मानी जायेगी, पिछड़ेपन की इकाई प्रत्येक विकास खण्ड माना जायेगा । श्रीमन्, हमने प्रदेश के अन्दर बुनकरों की समस्या को देखते हुसे 20 हजार बुनकरों के लिये आवास कर्मशाला बनाने का निर्णय लिया है। हम हडको से ऋण लेंगे, उसमें पूंजी का अंशदान देंगे । 50 फीसदी केन्द्र की ओर से और 50 फीसदी उत्तर प्रदेश की ओर से 20 हजार बुनकरों को 1992-93 में आवास सहित कार्यशाला उपलब्ध करायेंगे । श्रीमन् दो तीन बातें कहकर मैं अपनी बातें समाप्त करने जा रहा हूं । जो हमारी सोच है, जो हमारी दिशा है अभी तक

तो लोग उसके शिकार बनते रहे हैं, राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकारीकरण को बल देते रहे हैं । औद्योगिक क्षेत्र की बात कहें या निजी क्षेत्र की बात कहें हम दकियानूसी व्यवस्था का शिकार रहे हैं । अब प्रदेश की अर्थ नीति बदल रही है। निजीकरण को प्रोस्ताहन दिये बगैर देश का हित नहीं हो सकता है और न ही प्रदेश का हित हो सकता है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर, आर्थिक क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने की प्राथमिकता कम होनी चाहिये । इस संबंध में छोटे-छोटे वाक्य हैं । 1- जनता जहां चाहे वहां, 2-पूंजीपति जहां चाहे वहां, 3-सरकार जहां चाहे प्रबन्ध करे ।

रेलगाड़ी सरकार चलायेगी, आर्डनेन्स फैक्ट्री सरकार चलायेगी, पानी की दुकान चाय की दुकान भी सरकार चलायेगी, इसी स्थिति के फलस्वरूप यह देश बिखर गया। इस उल्टी प्रक्रिया को समाप्त करते हुये निजीकरण को औद्योगिक क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे और उनको सहायता भी देंगे । इसीलिये हमने निजी क्षेत्र में पूंजीनिवेश किये जाने के लिये आमंत्रित किया है। उनके साथ सम्पर्क बनाये रखा है । हम कोशिश कर रहे हैं कि वह प्रदेश में आकर पूंजी निवेश करें । जितने बड़े उद्योग हैं वह अगर बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं तो उनको भारी सहायता मिलती है लेकिन छोटी इकाइयों को यदि वह रुग्ण हो जायं, अस्वस्थ हो जायं, उनको स्वस्थ करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता । हमारा संकल्प है कि जो रुग्ण इकाइयां हैं, जो अस्वस्थ इकाइयां हैं, उनको स्वस्थ करने का काम हम पहले करें । जो इकाइयां खड़ी हो गयी हैं, जो बीमार चल रही हैं उनको देखने का काम दौड़ाने का काम यह सरकार करेगी । हमारी प्राथमिकता है डी0 आई0 एफ0 आर0 की तरफ से भारत सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है यदि वह रुग्ण इकाइयों को नहीं मिलेगी तो उन इकाइयों को चलाने के लिये भारत सरकार को कोई व्यवस्था सोचनी चाहिये । अगर भारत सरकार सहायता नहीं देगी तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि छोटी इकाइयों, रुग्ण इकाइयों को चलाया जा सके यह व्यवस्था हम करेंगे ।

हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर बड़े उद्योग लगते हैं, हम कहेंगे कि बड़े उद्योग यहां लगायेंगे लेकिन इस उद्योग के काम में आने वाले जो कल पुर्जे बनते हैं उसके निर्माण के लिये जो इन्सेलियरी यूनिट्स होगी वह सामान वह उनसे खरीदें । इससे बड़े उद्योगों का विकास होगा साथ ही जो इन्सेलियरी यूनिट स्थापित करेंगे, बड़े उद्योग यहां से सामान खरीदेंगे तो यह बड़े और छोटे उद्योगों का सामंजस्य बैठेगा, यह नीतिगत प्रश्न है बाकी तो हमारे राज्य मंत्री उत्तर दे देंगे। श्रीमन् 92-93 वर्ष को लघु औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वासन वर्ष के रूप में हम मनायेंगे । हम इसलिये करेंगे कि छोटी-छोटी इकाइयां जो अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त होकर बन्द होती जा रही हैं यह चालू हों क्योंकि हमारी मान्यता है कि बड़े उद्योग बड़ी पूंजी खाते हैं रोजगार कम देते हैं छोटे उद्योग कम पूंजी खाते हैं बड़े उद्योगों

की तुलना में लेकिन बड़े रोजगार देते हैं। हमारी जो प्राथमिकता का क्रम है सबसे पहले कुटीर उद्योग धन्धे, लघु उद्योग धन्धे, मध्यम उद्योग धन्धे और सबसे बाद बड़े उद्योग धन्धे । इस देश और प्रदेश की हालत जो खराब हुई प्राथमिकता की प्रक्रिया उलटी चली गई । पहला स्थान बड़े उद्योग धन्धे, दूसरा स्थान मध्यम उद्योग धन्धे, तीसरा लघु उद्योग धन्धे, चौथा कुटीर उद्योग धन्धे जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही गई ।

हमने इस बात को आज से नहीं बहुत पहले से महसूस किया इसकी प्रक्रिया को हमने नई दिशा दी, प्राथमिकताओं का क्रम तय किया। मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मुझे 4 बातें रखनी थीं । पहली राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक नीति के प्रश्न पर, दूसरे राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के प्रश्न में जो कठिनाइयां हमारे सामने आ गयीं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये भारत सरकार से क्या अपेक्षायें हैं ? तीसरी बात कही थी सरकार के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दृष्टि से नीति नियोजन दिशा और सोच क्या है ? चौथी बात यह थी कि विविध बातें जो रह जायेंगी वह उसमें आ जायेंगी । मैं बिन्दु-बिन्दु का उत्तर देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । जो नीतिगत बातें थी बुनियादी बातें थीं उसको एक व्यापक संदर्भ में रखने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि इन बुनियादी बातों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय नेता और सदस्यगण गम्भीरता से चिन्तन मनन करेंगे । प्रदेश के औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के लिये यहां पर गरीबी को मिटाने के लिये, हर दीन दुखियों की आंख के आंसू पोछने के लिये एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे चूंकि इस विषय पर हम दलगत राजनीति में नहीं चलते हैं यह विषय प्रदेश के कल्याण का, प्रदेश के औद्योगिक विकास का है, दलगत बातों से बहुत ऊपर है, आलोचना के लिये कुछ कहेंगे, आप आलोचना को आप सुझाव के तौर पर रखेंगे । हमारी आलोचना में से अच्छे सुझाव निकलते हैं । आपके सुझावों का लाभ उठाने के लिये हम यहां पर बैठे हैं । हब मैं अपनी बात को बिराम दे रहा हूं। मुझे इतना समय दिया इसके लिये धन्यवाद ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण दिया और सत्ता पक्ष के लोग भी वही बातें दोहरायेंगे इसलिये विपक्ष के लोगों को पहले आप सुन लें ।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय हरिशंकर तिवारी जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, पूरी दुनियां में 165 देश हैं । हमारा 150वें नम्बर पर आता है यानि 149 देश हमसे धनी हैं और 15 देश हमसे गरीब हैं, इसका क्या कारण है ? मान्यवर, मैं जो सोच पाया हूं मान्यवर, हमारे यहां ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों की अभी कमी है। दुनियां में जितने प्रकार के फल होते हैं वह अकेले हमारे देश में होते हैं, दुनियां में जितने प्रकार का अन्न होता है वह अकेले हमारे देश में होता है,

दुनिया में जितने प्रकार का खनिज पदार्थ होता है उतने तरह के खनिज पदार्थ अकेले हमारे देश में, धरती के नीचे होता है और दुनियां में सबसे मंहगा यूरेनियम धातु है. पूरी दुनियां में जितनी यूरेनियम है उसका एक तिहाई भाग हमारे देश में पाया जाता है, हमारे यहां पहाड़ हैं, झरने हैं, जंगल हैं यह सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद हम गरीब हैं, तो यह क्यों हैं ? इसका कारण यह है कि जो हुकमरान हैं, वह गरीब पिछड़े हुए लोगों को कुचलते रहते हैं ।

जब तक देश का बहुसंख्यक वर्ग इन लोगों को कुचलता रहेगा तब तक यह देश तरक्की नहीं कर सकता । मान्यवर, एक उदाहरण दूंगा । जापान में 1942 में बम्बार्डमेंट करके उसे बरबाद कर दिया गया । आज उस जापान की हालत क्या है? न तो उसके पास लोहा है और न ही कोयला। वह हमारे देश से लोहा और कोयला ले जाता है । कच्चे लोहे से लोहा बनाता है, स्टील बनाता है और फिर स्टील के बर्तन बनाकर वह हमारे ही देश को बेचता है, और इन सब चीजों को करने में उसके यहां रोजगार मिलता है । मान्यवर, अगर यही प्रक्रिया हमारे यहां होने लगे, स्टील बनने लगे और फिर उससे बर्तन बनने लगे तो लोगों को इससे रोजगार मिलता । श्रीमन् सबसे सस्ता है श्रम । कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, आगरा का जो क्षेत्र है वहां पर बड़े पैमाने पर जूता बनता है, यह जूता मोची बनाते हैं, कारीगर बनाते हैं यह चमड़ा उनको व्यापारी देते हैं उससे लाभ लेते हैं यह जूता जो वहां के कारीगर बनाते हैं अगर उसकी कीमत 100 रुपये आती है वही जूता जब उनसे व्यापारी खरीदकर अपनी मुहर लगा देता है तो वह उपभोक्ताओं को 100 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेंचता है। मान्यवर, वहीं जूते जो हमारे छोटे कारीगर बनाते हैं विदेशों में निर्यात किया जाता है मोहर लग कर, वहां कारीगर मंहगा है, हमारे यहां कारीगर सस्ता है, उसी जूते की कीमत वहां 550 रुपये हो जाती है। जो जूते बनाने का काम कारीगर करते हैं उनकी तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता है । यह जो सिले हुये कपड़े हैं, दिल्ली में देखें कई हजार लोग ऐसे हैं जो मोहर लगाकर सिले कपड़े का निर्यात करते हैं उन कपड़ों को छोटे-छोटे दर्जी सिलते हैं । लेकिन कारीगरों के हाथों से सिले कपड़े होकर मोहर लगकर वह बिचौलियों के माध्यम से ऊंचे दामों पर बिकते हैं और उसका सारा लाभ उन्हीं बिचौलियों के हाथों में चला जाता है ।

हमारे यहां आजमगढ़ जनपद में, मऊ जनपद में बनारसी साड़ियां बनती हैं, ज्यादातर साड़ियां मऊ और बुलन्दशहर में बनती हैं छोटे कारीगर बनाते हैं उस पर बनारसी साड़ी की मुहर बड़े व्यापारी की लग जाती है। जो साड़ी मऊ और मुबारकपुर में 500 रुपये की मिलती है वही साड़ी बनारस में मोहर लगकर 1000 रुपये में मिलती है और वही साड़ी महाराष्ट्र में 1500 में बिकती है। यह कौन लोग हैं यह सारे के सारे विचौलिये यह सारा लाभ लेते हैं? यह न तो उत्पादन करते हैं न

उपभोग करते हैं, बल्कि यह बिचौलिये यह सारा लाभ लेते हैं । यह न तो उत्पादन करते हैं न उपभोग करते हैं बल्कि यह बिचौलिये केवल यहां का माल उठाकर मोहर लगाकर दूसरी जगह बेच देते हैं तो जितनी उत्पादन लागत है उससे ज्यादा पैसा यह अपने लाभ में खा जाते हैं । मेरा यह सुझाव है कि अगर इन चीजों को इनकी अहमियत को जानकर कोई व्यवस्था यह सरकार करे उनको कच्चा माल उपलब्ध कराये उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की विपणन की व्यवस्था हो यह बिचौलिये समाप्त होंगे उसका ज्यादा लाभ कारीगर और उपभोक्ता को मिलेगा, कारीगरों को लाभ जयादा मिलेगा । यह जो दस्तकार हैं गरीब लोग हैं क्यों यह उपेक्षित है ? मोची हो, चाहे दर्जी हो, या कोई और दस्तकार हों, यह जो बनाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा बिचौलिये उठाते हैं । कच्चा माल वह देते हैं चाहे चमड़ा कपड़ा या रेशम हो जब कारीगरों से सामान लेने की बात होती है तब सामान नहीं लेते हैं जिससे उनके यहां स्टाक हो जाता है और वह कारीगर खाने के लिये मोहताज हो जाते हैं फिर वही व्यापारी उनसे सामान सस्ते दामों पर ले लेते हैं।

एक चीज मुख्य मंत्री जी ने कही है मैं तो कहना चाहता हूं कि कठोर निर्णय लेने होंगे तभी देश में उद्यमी आयेंगे । जब आंध्र में एन0टी0 रामाराव की सरकार थी उन्होंने अत्यन्त कठोर निर्णय लिये थे कि वहां हड़ताल नहीं हो सकती पब्लिक सेक्टर में नहीं हो सकती उसका असर प्राइवेट सेक्टर में भी पड़ा आज सारे उद्योग आन्ध्र की ओर जा रहे हैं । केन्द्र की नीति बनी है जहां उद्यमियों को जितनी सहूलियतें मिलेंगी वहीं उद्यमी जायेंगे। इसके बारे में कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे । जो निर्णय लेंगे उनका अनुपालन भी कड़ाई से करायेंगे ताकि हड़ताल न होने पाये । मान्यवर, आजमगढ़ में सनेदा में एक औद्योगिक स्थान के लिये 64 एकड़ जमीन एक्वायर की जानी थी, वहां लोग उद्योग लगाने के लिये तैयार हैं, इसके लिये वहां के डी0एम0 ने जमीनें एक्वायर करके संस्तुति के लिये भारी उद्योग विभाग को लिखकर भेजा, लेकिन यहां से संस्तुति नहीं मिल पा रही है, इस तरह से मान्यवर आप सोचें कि क्या न्याय होगा ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, माननीय राज्य मंत्री जी का भी भाषण मैंने सुना। मैंने सोचा था कि आलोचना नहीं समालोचना करनी चाहिये, परन्तु मजबूर होकर मैं माननीय हरिशंकर तिवारी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उस पर बल दे रहा हूं ।

मेजर जे0पी0 सिंह -

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग बजट पर बोलने का अवसर दिया। अभी हमने मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना खासतौर से औद्योगिक नीति के बारे में जो बातें उन्होंने रखीं, वास्तव में वह सराहनीय हैं । हमारे गांवों में बहुत

निर्धन गरीब किसानों के बच्चे, जो उस स्थिति से ऊपर उठाना चाहते हैं, कोई इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसकी बात भी मुख्य मंत्री जी ने रखी, वह भी एक सराहनीय बात है । हर हाथ में काम, हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को मकान, हर गांव में विद्युतीकरण, यह हमारी सरकार करेगी, मुख्य मंत्री जी की जो नीति है, हमें विश्वास है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे । मान्यवर, प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और अब गांवों में जाकर देखें कि गरीब लोगों द्वारा भी छोटे-छोटे उद्योग लगाये जा रहे हैं, गांव का जो शिक्षित वर्ग है, पहले वह शहरों में जाने की कोशिश करता था, नौकरी के लिये, आज ऐसी सुविधा दी गयी है, कि एक विन्डो सिस्टम के अन्तर्गत कर्जा लेकर वह भी अपना उद्योग लगा सकता है ताकि उसके रोजगार की व्यवस्था हो सके। प्रदेश में सुई से लेकर बड़े भारी उद्योग लगाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है, वह वास्तव में सराहनीय है । हमारे प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में, चाहे टेलीफोन हो, टेलीविजन हो, बिजली के कार्य हों, उसमें भी हमारे मुख्य मंत्री जी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आज हर क्षेत्र में छोटे-बड़े उद्योग लगाने जा रहे हैं ।

खादी के मामले में हम आगे बढ़ चुके हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारों के समय में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये जो सूत आया करता था, वह गरीब बुनकर को नहीं मिल पाता था और उसे दलाल/बिचौलिया ले लिया करते थे । काश्मीर से ऊन आया' करती थी जिससे कालीन बनाकर यहां से भेजी जाती थी, मान्यवर, जो लाइसेसिंग प्रणाली यहां पर आयी है, जिसमें उद्योगों को मुफ्त कर दिया गया है, वह वास्तव में सराहनीय कार्य है, इससे लोगों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी । मान्यवर, मैं मुरादाबाद जनपद की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वहां से साढ़े 3 सौ करोड़ रुपये का निर्यात होता है, वहां ब्रासवेयर इन्डस्ट्रीज लगी हुई है, उसके लिये मेरा अनुरोध है कि हर कच्चा माल मुहैया होनी चाहिये, वहां पर लकड़ी का काम भी होता है और भी कई छोटे-छोटे उद्योगों का काम होता है, जैसे सम्भल में सीघों का उद्योग मान्यवर, वहां की पीतल नगरी को पुरानी सरकार द्वारा गलत लोगों को आवंटित कर दिये जाने के कारण सरकार को बहुत हानि हुई है। वहां कुछ ऐसे औद्योगिक स्थान हैं, जिन पर सरकार का काफी पैसा लगा है, उसको ठीक तरह से लोगों को आवंटित करना चाहिये । यू0पी0एस0आई0डी0सी0 व पिकप द्वारा जो लोन दिया जाता है, उनमें सुधार किया जाय ताकि सही लोगो को लोन मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करते हुये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

माननीय अध्यक्ष जी आपने श्री हरिशंकर तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय मंत्री जी ने जो बजट पढ़ा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के संबंध में बहुत सी चीजों की जानकारी दी । इसके साथ ही साथ मैं इसके विपरीत कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जहां भी औद्योगिक क्षेत्र व नगरी बसाई जाती है तो वहां पर किसी न किसी वर्ग के किसानों को उजाड़ कर यह काम किया जाता है। ऐसे किसानों के रिहैबिलिटेशन व उन्हें रोजगार देने के लिये सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । किसानों की जमीन को कौड़ियों के हिसाब से ले लिया जाता है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र है। 1979 में इसका अधिग्रहण शुरू हुआ था और मात्र 33 पैसे मीटर के हिसाब से मुआवजा लोगों को मिला था और आज भी बहुत से किसान इसके लिये अदालतों के चक्कर काट रहे हैं । इसके बाद यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ने इसे 40 रुपये से लेकर 125 रुपये प्रति गज के हिसाब से उद्योगपतियों को बेच दिया। उद्योगों को बढ़ाने के लिये प्रापर्टी डीलिंग लाइसेंस का मैं विरोध करता हूं । नोयडा में यू0पी0एस0आई0 डी0सी0 ने सिकन्दराबार में जो औद्योगिक क्षेत्र बसाया, आज 22 व 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी पानी के निकास के लिये कोई साधन वहां पर नहीं है वहां पर बरसात का पानी, पेपर मिल, बाइफ्रूट लि0 जिसमें तेजाब मिला होता है, इस गन्दे पानी की निकासी न होने के कारण वह वहां फैल जाता हे । कई पशु इसे पीकर मर जाते हैं। 14 गांवों की फसल नष्ट होती हैं ।

1972 में जो सड़कें बनी थीं, उनकी मरम्मत नहीं हुई है । उनमें 2-2 फिट गड्ढे पड़ गये हैं । 14 गांवों की जमीन ली गई परन्तु एक भी लड़के को रोजगार नहीं दिया गया । जो नये उद्योग लग रहे हैं, वह भी रोजगार नहीं दे रहे हैं, केन्द्र सरकार की राजाज्ञा का भी इस संबंध में अनुपालन नहीं हो रहा है। बाल श्रमिक आज भी वहां कार्य कर रहे हैं । ट्रांसेसिया कारपेट लि0 में आज भी सैकड़ों बाल श्रमिक 300-400 रुपये में कार्य कर रहे हैं । मिनिमम वेज भी नहीं दिया जा रहा है ।

(समय 7 बजे)

मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन अगर माननीय मुख्य मंत्री जी, किसी भी एजेन्सी से जांच करा लें । कानपुर और लखनऊ में जितने उच्च अधिकारी बैठे हैं उनके घरों में जो कारपेट पड़े हैं, उनमें से कितनों ने पैसा देकर लिया है? कितनों के पास रसीद है ? वहां पर बाल श्रमिकों का शोषण होता है 15-15 वर्षों से बाल श्रमिक लगे हुए हैं उनका पेमेंट ठीक से नही होता है । आज तक यहां

पर कोई अधिकारी उस फैक्ट्री में जाने की हिम्मत नहीं करता है, फैक्ट्री के गेट से बाहर गाजियाबाद और दिल्ली में बात कर लखनऊ लौट आते हैं। ट्रांसेसिया कारपेट वालें यहीं आकर उनके घरों के नक्शे ले जाते और उस हिसाब से कारपेट बना कर पहुंचा देते हैं । उसकी एवज में वह बाल श्रमिकों का शोषण करते हैं, जो 15 वर्षों से श्रमिक काम कर रहे हैं उनको साढ़े चार सौ पांच सौ रुपया मजदूरी दी जाती है। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

दूसरा वायोफोर्ट की बात है जो तेजाब बनाते हैं उसमें भी यही हाल है। चूंकि समय कम है मैं एक मिनट में अपनी बात खतम करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बजट भाषण में कहा इंसपेक्टरी राज खतम हो गया है। हो सकता है मुख्य मंत्री जी ने कहीं किया हो उसके लिये उनको बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन एक सप्ताह 10 दिन पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी अगर इंसपेक्टर ने छुट्टी कर ली तो फैक्ट्री से माल बाहर नहीं जा सकता है कई छोटी छोटी इकाइयों वालों ने मुझे बताया कि इंसपेक्टर आफिस मांगता है, अलग से टेलीफोन मांगता है, उसको लेने के लिये मालिक की कार उसके घर तक 40-40 और 50-50 कि0मी0 जाती है और घर तक छोड़ कर आती है तो इंसपेक्टर जब तक बाउचर पर साइन नहीं करेगा सामान बाहर नहीं जा सकता है तो इंसपेक्टरी राज कैसे खतम होगा मैं नहीं समझ पाया हूं? हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार कर लें क्योंकि इंसपेक्टर राज अभी भी कायम हैं।

इसके अलावा श्रमिकों के आवास की कोई योजना किसी फैक्ट्री मालिक ने नहीं बनायी है । जो श्रमिक काम करते हैं उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है उनके रहने का प्रबन्ध नहीं है । इस बजट में इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि सस्ती दरों पर सस्ते किराये पर मिल मालिक मकान उनको दें। श्रमिकों के हित के लिये उनके बच्चों के लालन-पालन के लिये, शिक्षा के लिये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये । मैं ज्यादा समय न लेकर माननीय हरिशंकर तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय जागेश्वर जी आप एक मिनट में अपनी बात कह लेंगे ।

*श्री जागेश्वर प्रसाद-

अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । हमारा फतेहपुर माननीय वी0पी0सिंह का क्षेत्र है जो प्रधान मंत्री रहे हैं उनका क्षेत्र अंधेरे में पड़ा हुआ है। वहां से 6 विधायक हैं। हमारे यह सभी क्षेत्र उद्योग में पिछड़े हुए हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खागा, विशुनपुर जहां से मैं आता हूं, हंसवा फतेहपुर, जहानाबाद और बिंदकी इनकी ओर भी ध्यान दिलाता हूं । मेरा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र है वह आपके बार्डर में पड़ता है बहुत पिछड़ा हुआ है । वहां गरीब बुनकर लोग हैं जिनकी आबादी कम से कम 20, 25 हजार है इसी तरह से किसनपुर में भी 20, 25 हजार गरीब बुनकर हैं। खड्डा है जहां माननीय मुख्य मंत्री जी को लोग याद करते हैं मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को किसी दिन वहां ले जाऊंगा वहां सड़क में गड्ढे पड़े हुये हैं जो खड़ंजा लगा है वह भी खराब हो गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी सामने बैठे हैं वह बहुत मेहनती और कर्मठ हैं, वह हमारे यहां आयेंगे तो मालूम होगा । हमारे फतेहपुर की जो सड़कें हैं वह पैसे के अभाव में और गड़बड़ हो गयी हैं । हमारे क्षेत्र में अभी तक किसानों का गन्ना सड़ रहा है । वहां पर एक चीनी मिल लगाये जाने की बात थी । मैं समझता हूं हमारे मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, वहां चीनी मिल जरूर लगवायेंगे । मंत्री राजेन्द्र सिंह हुये थे, वह वहां गये थे, दस साल हो गये हैं । जमीन पड़ी है, तार लगा हुआ है लेकिन अभी वहां चीनी मिल नहीं बनी है । मान्यवर, आपकी पार्टी के बहुत ज्यादा आदमी वहां रहते हैं । वहां पर विद्युत व्यवस्था नहीं है विद्युत के अभाव में लोग अंधेरे में रहते हैं । आपकी पार्टी के आदमी व्यापारी लोग वहां पर रहते हैं । बिजली नहीं लगवा सकते तो कम से कम तब तक के लिये जनरेटर ही लगवा दें ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें । मंत्री जी कह रहे हैं मेरे कक्ष में बता दें ।

श्री जाग्रेश्वर प्रसाद-

हमारे यहां पर 20 सड़कें हैं, जहां पर खड़ंजा लगा हुआ है, उसको ठीक करवा दें । कच्ची सड़कें बाद में देख लीजियेगा। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम किशन ददाजू-

हमारे उद्योग मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अनुदान संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जो 1 अरब, 40 करोड़, 80 लाख 92 हजार रुपये रखा गया है। यह बजट बहुत अच्छा है । विपक्ष के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे । मान्यवर, पिछले वर्ष 1991-92 में 9,000 इकाइयां स्वीकृत हुई थीं जिसके माध्यम से 20 हजार लोगों को काम दिया गया । इस वर्ष 1992-93 के बजट में 10 हजार इकाइयां लगायी जायेंगी, जिनमें 30 हजार लोगों को रोजगार दिया जायेगा । मान्यवर, फिरोजाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिसमें आठ हजार छोटे-बड़े लघु उद्योग हैं । नये उद्योग लगेंगे परन्तु हमारे यहां ताजमहल आड़े आ जाता है । गैस की व्यवस्था हो जाय । गैस वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एच0बी0जे0 गैस पाइप लाइन द्वारा गैस उपलब्ध करायी जाय । भारत सरकार हमको गैस नहीं दे रहा है । अगर हमको गैस दे दी जाय तो ताजमहल से जितना पैसा प्राप्त होता है उससे ज्यादा फिरोजाबाद के कांच उद्योग से प्राप्त किया जा सकता है । कांच उद्योग फिरोजाबाद का प्रमुख उद्योग है ।

श्री अध्यक्ष-

इसके बाद समाप्त करें ।

श्री राम किशन ददाजू-

मान्यवर, विद्युत की बहुत कटौती की जाती है । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि विद्युत कटौती को खत्म कर दें और फिरोजाबाद को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दें तो फिरोजाबाद और उसके आस-पास के जिलों का चौमुखी विकास होगा । मैं इतनी बात कह कर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*डा0 रामसिंह (हमीरपुर)-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय उद्योग मंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्योग बजट रखा है उसमें बुन्देलखण्ड के बारे में कोई प्राविधान नहीं दिया है । मान्यवर, हमारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र हर मामले में चाहे विद्युत हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे उद्योग सब मामलों में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि हमारे जनपद हमीरपुर में, यह उद्योग शून्य जिला है, जिसमें हमारा विधान सभा क्षेत्र राठ है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में गौरा पत्थर और ग्रे नाईट पत्थर बहुत मात्रा में पाया जाता है। वहां गौरा पत्थर की फैक्ट्री लगाई जाये । खिलौने और पाउडर बनाने की फैक्ट्रियां लगाई जायं राठ विधान सभा क्षेत्र में एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाय । दूसरी बात मेरे क्षेत्र में एक सहकारी चीनी मिल है जो कम से कम 15 साल से बन्द पड़ी है मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस बीमार इकाई को पुनः चालू कर दिया जाय, तो मेरे क्षेत्र में किसानों का विकास बहुत तेजी से हो सकता है । मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा कि प्रत्येक ब्लाक स्तर पर उद्योग लगाये जायें तो मैं निवेदन करूंगा सलीला राठ में उद्योग लगाये जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री किशोरी लाल (जौनपुर)-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण दिया । उसमें पूर्वांचल के बारे में देखा तो निराशा हाथ लगी । पूर्वांचल में मान्यवर, जौनपुर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है वहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुरवीक्षण नहीं किया ।

एक सतहरिया इण्डस्ट्रियल स्टेट है जिसको पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी उपेक्षित किया है वहां न तो अधिशासी अधिकारी बैठते हैं और न ही वहां विद्युत आपूर्ति समय से हो पाती है न ही कोई सिंडिकेट बैंक है, न ही कोई सरकार बाहरी उद्यमियों को ला पा रही है । मैं उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सतहरिया इण्डस्ट्रियल स्टेट का जो वर्णन किया गया है वहां यदि अधिशासी अधिकारी नियुक्त नहीं होंगे और विद्युत आपूर्ति नहीं होगी तो कोई कार्य नहीं हो सकता है । पिछली सरकार ने कई करोड़ रुपया खर्च किया है । काफी जमीन एक्वायर की गयी है, उस इण्डस्ट्री को चलाने के लिये तो इसमें उपरोक्त बातें ध्यान देने की आवश्यकता है । दूसरी बात मान्यवर, मैं उद्योग मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जो उन्होंने कुटीर उद्योग धन्धों का वर्णन किया है ।

लेकिन कुटीर उद्योग धन्धे तभी आगे बढ़ेंगे जब उनमें जो सामान बनता है वह बड़े उद्योग न बनायें । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कुटीर उद्योग के माध्यम से जो कुल्हड़, पतली आदि बनती हैं उसको बढ़ावा देने के लिये होटल और जो रेस्तरां हैं उन पर शर्त लगायी जाय कि वह कुछ मात्रा में कुल्हड़ और पतली आदि बरतन अपने यहां रखें और उनका प्रयोग करें । इससे कुटीर उद्योग का विकास होगा और उसके साथ साथ गांवों का विकास होगा । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि उद्योग ऐसी जगह पर लगाये जायं जहां पर रा-मटीरियल अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके । ऐसा देखा गया है कि उद्योग लगा दिये जाते हैं लेकिन रा-मटीरियल दूर-दूर से लाना पड़ता है जिससे उत्पादित सामान की लागत बढ़ती है ।

लघु उद्योग जो हैं जैसे चमड़ा उद्योग इसमें चमड़े पर भी टैक्स है और जूतों पर भी टैक्स लगाया जाता है जिससे प्राफिट कम हो जाता है । प्राफिट को बिचौलिये भी खा जाते हैं । पूर्वांचल के कालीन उद्योग में विचौलियों का बहुत बड़ा हाथ है, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह बैंकों को निर्देशित करें ताकि बिचौलियों को हटांया जा सके और वह जो रुपया खा रहे हैं वह बचे साथ ही साथ यह भी निवेदन है कि बुनकरों को अधिक से अधिक सहायता दें ताकि यह उद्योग आगे बढ़ें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री अध्यक्ष-

मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मेरे पास विपक्ष के 16 माननीय सदस्यों के नाम हैं और सत्तारूढ़ के 6 माननीय सदस्यों के नाम हैं मैं-3 माननीय सदस्यों को इधर से और 1 माननीय सदस्य को उधर से बुलाऊंगा तब विनियमित हो जायेगा ।

*श्री बाबूराम यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी कृपा का आभारी हूं जो आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने की अनुज्ञा प्रदान की । मान्यवर, अभी उद्योग मंत्री जी, अपने मित्र का भाषण सुना उनका बजट भाषण इतना सरस था कि सारा सदन झूम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया। उनका बजट भाषण भावनात्मक था ओर उससे काम चलने वाला नहीं है। उद्यम को बढ़ाने के लिये प्रयास करना पड़ेगा ।

जो बजट भाषण पढ़ा गया उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसमें वास्तविकता नहीं है । इस सरकार को 10 महीने हो गये हैं, 9 महीने में परिणाम सामने आ जाता है लेकिन 10 महीने हो गये कोई परिणाम सामने नहीं आया। पूरे प्रदेश में कोई नया उद्योग नहीं लगा । बजट साहित्य से पता चलता है कि 53 भारी उद्योग थे जिसमें से अब 44 उद्योग रहे गये हैं । पंजीकरण की संख्या 89-90 में 2 लाख 16 हजार बतायी गयी है और 90-91 में 2 लाख 86 हजार बतायी गयी है। पंजीकरण तो हुआ लेकिन इकाइयां कितनी स्थापित हुईं यह देखने की बात है ? फिरोजाबाद में तमाम यूनिटें कोयला प्राप्त करके केवल बेचने के लिये हैं कार्यरूप में वह मौके पर काम नहीं कर रही हैं । सरकार ने कहा है कि औद्योगीकरण के जरिये वह नौजवानों को रोजगार प्रदान करेगी । और बहुत बड़ी संख्या बता दी । मान्यवर, औद्योगीकरण के लिये क्या हुआ प्रदेश में, 10 महीनें में इस सरकार के रहते हुये कोई औद्योगीकरण प्रदेश का नहीं हुआ, न कोई कदम आगे बढ़ा । माननीय राज्य मंत्री जी के बाद माननीय नेता सदन बोलें वह भी उद्योग मंत्री हैं । उनका पहले भी बजट भाषण हो चुका है । अर्थनीति राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति अर्थनीति को प्रभावित करती है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले औद्योगिक वातावरण बनाया जायगा । वह कितना बना 10 महीने में, यह सबके सामने है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले शान्ति व्यवस्था कायम होनी चाहिये बड़े उद्योगों के लिये बाहर के बड़े उद्योग आयेंगे उसके लिये सारे आंकड़े प्रस्तुत हो चुके हैं । कहीं 30 परसेंट, कहीं 40 परसेंट और 70 परसेंट अपराधों में वृद्धि हो गयी । उद्योग कैसे लगें, शान्ति व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो रही है। मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने डिलाइसेंसिंग का उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि लाइसेंसिंग से छूट देश और प्रदेश के बहुत बड़े हित में है वरना व्यूराक्रेसी उद्योगपतियों की आधी खाल लाइसेंस देने में खींच लेती है। यह बहुत बड़ा उपाय है जो लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने के लिये किया है। मैं कहना चाहता हूं कि धीरे से उसकी आलोचना तो कर दी मुख्य मंत्री जी ने लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जो डिलाइसेंसिंग हुई है उसके लिये जो लाइसेंस दिये हैं उद्योगपतियों को, अधिकारी उलझे हैं । मुख्य मंत्री जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र दें दें । इस वर्ष कितने रजिस्ट्रेशन हुये बड़े उद्योगों में? कितने मध्यम में हुये और कितनी इकाइयों को ऋण दिया? इसका कोई उल्लेख नहीं है। कहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे । बेरोजगार मिल सकता है, लेकिन नौजवान परेशान हैं, दुखी हैं । औद्योगीकरण की नीति के लिये टकटका रहा है, लेकिन वह

खोखली निकली। मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी आज नेता सदन हैं, कभी हमारे साथ इधर बैठते थे तो खेती को उद्योग का दर्जा देने की बड़ी वकालत करते थे, लेकिन आज कोई जिक्र नहीं किया । मैं जानता हूं कि इनको किसानों से कोई वास्ता नहीं है, खेती से कोई वास्ता नहीं है ।

मान्यवर, ग्रामोद्योग और खादी उद्योग की बात राज्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने कही । मैं कहना चाहता हूं कि खादी उद्योग आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये खुद खादी पहनने की हिम्मत नहीं करते । खादी पहनने से मतलब नहीं, उद्योग को बढ़ावा देने से मतलब नहीं , यूनिट्स लोन के लिये चल रही हैं, जिसमें 4 परसेंट ब्याज है । मैं कहना चाहता हूं कि आप 100 यूनिटों की जांच करा लें। 10-5 तो चलती मिलेंगी बाकी नहीं मिलेंगी क्योंकि वे लोन के लिये चल रही हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हथकरघा की बड़ी दयनीय दशा है । इसकी इतनी खराब स्थिति कभी नहीं रही । लोग भूखों मर रहे हैं । एक बात कह कर समाप्त करूंगा कि एक आदेश हुआ है सरकार से कि जो धान की मिल हैं उनमें से पूर्वांचल में लेबी समाप्त कर दी है । इससे मिल मालिक घाटे में हैं और मिलें बन्द होने के कगार पर हैं । डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल अंतर आता है। इनका चावल लाने ले जाने पर 10 से 15 रुपये क्विंटल का अन्तर पड़ता है। इससे इटावा और मैनपुरी की चावल मिलें बन्द हो जायेंगी, क्योंकि पूर्वांचल में लेबी फ्री है और इनको 7 प्रतिशत लेबी देनी पड़ती है। इसी के साथ मैं माननीय तिवारी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री कृष्ण कुमार नवमान-

माननीय, अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने उद्योग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश का उद्योग बहुत पिछड़ता चला जा रहा है और उस पिछड़ने के कई कारण थे, दानव उन उद्योग के सामने विशाल रूप से खड़े हो गये थे । मुरादाबाद का बर्तन उद्योग हरियाणा की जगाधरी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अलीगढ़ का ताला उद्योग दिल्ली, गुजरात और मद्रास की ओर चला जा रहा है। बनारस का साड़ी उद्योग चंदेरी (मध्य प्रदेश) जयपुर और बंगलौर की ओर बढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश से उद्योग और उद्योगपति प्रदेश से पलायन कर रहे थे, उसका कारण था कि कई महादानव उत्तर प्रदेश के उद्योग के सामने खड़े हो गये बिगड़ी हुई कर प्रणाली, बढ़ी हुई ब्याजदर, ब्यूरोक्रेट्स और बिजली ये 4 महादानव थे और मान्यवर, कर प्रणाली को माननीय वित्त मंत्री ने सुधार करने की दिशा में कदम उठाया है, हम उनके आभारी हैं । बढ़ी हुई ब्याज दरें जो हैं उन्हें कम करना जरूरी होगा, जो केन्द्रीय सरकार ही इस पर जोर डाल सकती है और बिजली व्यवस्था अत्यन्त बिगड़ी हुई है। पनकी का बिजली

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घर बन्द है, कासिमपुर का बिजलीघर बन्द है। इस हालत में बिजली की दरें बढ़ती चली जा रही हैं । यह दशा आज उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था की है। विगत सरकारें इसके लिये जिम्मेदार हैं । उसके अपराध बोध विपक्षी दलों के चेहरों पर स्पष्ट प्रतीत होता है । मान्यवर, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज हम विचार कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार दीर्घा खाली है, दर्शक दीर्घा खाली है, सभी विपक्षी दलों के नेतागण गायब हैं ।

मान्यवर, कार्य दिवस का जो सर्वोत्तम समय होता है, उसे ये विपक्षी नेता तिल का ताड़ बनाकर हुल्लड़बाजी में बरबाद कर देते हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हुये दर्शक वह इमेज लेकर जाते हैं कि उनके चुने हुये जन प्रतिनिधि ये केवल हुल्लड़बाजी करते रहते हैं । यह अच्छी छाप नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस सरकार ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और बिगड़ती दशा को रोका है और फिर से सुदृढ़ संकल्प ले कर सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं और अच्छी दिशा में ले जाने के लिये अच्छी इमानदारी दर्शायी है मैं उसके लिये इनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं । मेरा सुझाव है कि उद्योगपतियों को निर्यात की ट्रेनिंग दी जाय। आज जो कुटीर उद्योग में लगे उद्योगपति अपनी वस्तु के निर्यात के लिये दिल्ली और बम्बई के व्यापारियों की ओर निहारते हैं, उससे उन्हें बड़ी परेशानी और हानि होती है । मान्यवर, अगर निर्यात अच्छा होगा तो अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद के उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा उद्योग बढ़ेगा ।

मान्यवर, उद्योगपति अगर कुछ सरेन्डर करना चाहता है तो सरेण्डर नहीं कर पाता । उसको बहुत भटकना पड़ता है। उद्योगपति को जनरेटर लगाने के लिये सुविधा होना चाहिये, सरेण्डर करने के लिये सुविधा होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

आप एक वाक्य में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान-

मान्यवर, नई टेक्नालोजी पर भी ध्यान देना चाहिये । उद्योगपति भी कड़ी मेहनत करता है किन्तु उसको सम्मान मिलता है । उसको चोर कहा जाता है, चोर की निगाह से देखा जाता है। उसको सम्मान की निगाह से देखना चाहिये। मान्यवर, इन्हीं शब्दो के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, सरकार की औद्योगिक नीति से सबसे ज्यादा हम लोगों को कष्ट है, मेरे क्षेत्र में नोयडा भी ग्रेडर नोयडा भी है और इसकी सबसे अधिक कीमत किसानों को चुकानी पड़ती है । सन् 1976 में नोयडा क्रियेट हुआ था, तब 56 गावों का

नोटीफिकेशन हुआ था । अब 1991 में 109 गांवों की जमीन का ग्रेटर नोयडा के लिये नोटीफिकेशन किया गया है। नोयडा में मात्र 16 गांवों को सुविधा प्रदान की गयी है। 40 गांवों में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रेटर नोयडा में 109 गांव लिये गये हैं उसमें यू0पी0एस0आई0 की जमीन थी, कृषि की जमीन थी, वह सब ग्रेटर नोयडा ने ले लिया । मान्यवर, नोटीफिकेशन के बाद जमीन का उपयोग नहीं बदल सकते, जमीन को बेच नहीं सकते, जमीन को कोई इस्तेमाल किसान नहीं कर सकते हैं । नोयडा में किसान आज भी गुलाम हैं । यदि उनको ट्रैक्टर लेना है, कर्ज लेना है, तो वे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, 109 गांवों का जो नोटीफिकेशन हुआ है उसमें किसानों का कुछ बचा नहीं है। किसानों से 3 रुपये 86 पैसे प्रति गज की दर से जमीन ली गयी आज उसको आज नोयडा 850 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बेच रहे हैं ।

मान्यवर, हम लोगों को बरबाद करने के लिये औद्योगीकरण किया जा रहा है। जो आप करना चाहते हैं, वह कर रहे हैं। वहां पर चार हजार यूनिट लगे हैं, परन्तु यदि स्थानीय लोगों की संख्या 40 आदमियों की भी हो तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। सब यूनिटें बाहर के लोगों को दी गयी हैं । यह जो जमीन नोयडा को दी जा रही हैं उससे इस प्रदेश का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह दिल्ली के पास है और दिल्ली का सेठ 40 मिनट में अपने घर से आ जा सकता है। तो यह सब उसकी सुविधा के लिये सारी जमीन एक्वायर की जा रही है। इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं है। किसानों के बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। ज्ञान प्रकाश जी चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में थे ।

(इस समय 7 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इन्होंने एक लेन्थ पालिसी क्रिएट की थी उसके तहत वह सारी जमीन डेवलेप करेंगे और 60 प्रतिशत जमीन किसान को दे देंगे जो किसान बेच देगा । मेरी सूचना है कि साढ़े आठ सौ के हिसाब से बेच रहे हैं तो वे एक तिहाई हमको दे दें और दो तिहाई खुद ले लें यह मैं यह मैं कह रहां हूं तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मैं क्या समाप्त करूं ? 165 गांवों के किसान समाप्त होने वाले हैं उन लोगों के पास कुछ नहीं रह जायेगा । उन लोगों के हाथ में कटोरा आने वाला है उनको दुनिया में कोई बचा नहीं रहेगा । वह कानून के तहत क्या करेंगे, मैं नहीं

जानता। मान्यवर, अगर किसानों के बच्चों की हिस्सेदारी नहीं होगी जिनकी जमीन उसमें जा रही है तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिये मेरी मांग है कि उनको लिया जाय । इसी के साथ माननीय हरिशंकर तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करतां हूं ।

श्री लीला राम शर्मा-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तिवारी जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सही कहा कि केन्द्र सरकार यदि रेल की बड़ी लाइन बना दे, गैस पहुंचा दे बिजली दे दे और सस्ते ब्याज पर ऋण दे दे तो हम यहां पर उद्योग लगा सकते हैं। मेरा कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी दो बातें और कहने को भूल गये एक तो यह कि एक तो केन्द्र सरकार विदेशी माल यहां पहुंचा दे और दूसरे विदेशी उद्यमी भी यहां पहुंचा दें तो वाकई में हमारे यहां इंडस्ट्री लग सकती है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि इन्सपेक्टर राज हम खत्म कर रहे हैं। इन्सपेक्टर मिलों में सिर्फ दो दिन जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि दो दिन क्या अगर एक दिन भी साल में जाय तो उसका राज खत्म नहीं होगा । उनके राज को खत्म करने के लिये कानून में परिवर्तन लाना पड़ेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि कानून में जब तक परिवर्तन नहीं लायेंगे तब तक इन्सपेक्टर राज खत्म नहीं हो सकता है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में एक ही इंडस्ट्री पनप सकता है वह है टूरिज्म की। मान्यवर, कहा गया है कि टूरिज्म के लिये जो होटल बनाये जायेंगे वह इंडस्ट्री के तहत लिये जायेंगे । लेकिन इस बजट में टूरिज्म के सिलसिले में, होटलों के सिलसिले में कोई बात उजागर नहीं की गयी है इसलिये पहाड़ की उपेक्षा की गयी है। पहाडों में कहीं भी उद्योग नहीं हैं। मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि सेक्रेटरी अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं तो मुझे विश्वास है कि उनको पहाड़ों के विषय में ज्ञान होगा ? एक इन्फ्रक्ट्रक्चर बनाना होगा कि पहाड़ों में कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है ? अंत में एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने यह ऋण देने के लिये सरलीकरण कर दिया है और अब एक ही बिन्डो से 20 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से मिल जायेगा । इस संबंध में हलवी के साथ कहना चाहता हूं कि वह अपने किसी मित्र को एक डायरी देकर किसी उद्योग को लगाने के लिये भेज दें और वह उसमें रोजाना दिनचर्या तथा खर्च दर्ज करता रहे तो माननीय मंत्री जी को पता लग जायेगा कि एक ही बिन्डो से किस प्रकार 20 लाख रुपये मिले, उस उद्यमी को कितना चक्कर काटना पड़ा और कितना खर्च हुआ? आपकी आज्ञा से मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आज महत्वपूर्ण विभाग का बजट पेश हुआ है इस पर चर्चा जितनी विस्तार से होनी चाहिये थी उतनी विस्तार से नहीं हो पा रही है। उद्योग मंत्री माननीय मुख्य मंत्री हैं मुख्य मंत्री जी के पास बहुत से विभाग हैं और तमाम

प्रशासनिक काम है उनसे उनको फुर्सत मिल पाना कठिन है। उद्योगों को विकसित करने की दिशा में उसकी नीतियों को सही रूप से लागू करने के लिये जो कार्य हैं उसमें वह अधिक समय दे नहीं पाते हैं यह सर्वविदित है । वैसे माननीय अध्यक्ष और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर होते तो मैं ठीक से बात कह देता। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने की बात है नीतियों को सही ढंग से लागू करने की माननीय मुख्य मंत्री की इच्छा है तो उद्योग विभाग छोड़ दें । उद्योग विभाग के जो राज्य मंत्री माननीय मयंकर सिंह जी हैं उनको कैबिनेट मंत्री बनाकर उनको उद्योग विभाग दे दें उससे निश्चित रूप से उद्योगों का विकास होगा । मैं राज्य मंत्री जी को जानता हूं उनमें अदम्य साहस है कार्य करने की क्षमता है उनसे व्यक्तिगत बातें जब होती हैं तो देखता हूं कि उद्योगों को विकसित करने की आकांक्षा उनमें है। मेरी भावना को आप मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा देंगे। उद्योगों के लिये 2-3 नीतियों का बनना आवश्यक है जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले उसका विकेन्द्रीकरण हो । 1977 में जनता पार्टी की सरकार यहां भी थी तथा केन्द्र सरकार में थी उस समय की सरकारों की धारणा थी कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो ।

केन्द्र में जो उस समय उद्योग मंत्री जार्ज फर्नांडीज साहब थे उन्होंने नीति बनायी थी अगर हिन्दुस्तान में किसी भी जगह नया उद्योग लगेगा चाहे भारी उद्योग हो या मध्यम हो, देहाती ग्रामीण इलाकों में लगेगा उसका पालन उस समय हुआ था। आज मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर नोएडा यह सब आज उद्योगों के केन्द्र हो गये हैं यह दिल्ली के चारों तरफ है, मैं यह नहीं कहता कि वहां न लगें पूर्वांचल बुन्देलखण्ड यह ऐसे इलाके हैं जो आज भी विकास की धारा से कोसों दूर है । एक प्रतिबन्ध लगा दें चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हों वह उद्योग एक निश्चित क्षेत्र एरिया में लगे, जैसे पूर्वांचल में लगे । हमारे बलिया को ले लीजिये मंगल पाण्डेय का जनपद है, चित्तू पाण्डेय का जनपद है, लोकनायक जय प्रकाश नारायण का जनपद है, भूतपूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी का जनपद है, वहां कुछ भी नहीं है। प्रदेश के विकास के लिये जब तक इन उद्योगों का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा जब तक पूर्वांचल को उद्योगों से सुसज्जित नहीं किया जा सकता तथा यह विभाग कोई माने नहीं रखेगा। बड़े-बड़े कारखाने जब तक नहीं लगेंगे, तब तक लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं । जो सामान बनेगा महंगा मिलेगा जनता को फायदा होगा नहीं । ऐसे उद्योगों का जाल बिछे जिससे लोगों को रोजगार मिले सस्ता सामान मिले । पूर्वांचल में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये उसके हर क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये प्रक्रिया शुरू की जाय । प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से ऊपर उठाना चाहते हैं तो माननीय राज्य मंत्री जी को माननीय मुख्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बना दें उद्योग विभाग छोड़ दें निश्चित रूप से प्रदेश विकसित हो जायेगा उद्योगों की दृष्टि से ।

श्री लाज कृष्ण गांधी-

मान्यवर, आपने मुझे इस उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर जो बजट प्रस्तुत किया गया है, बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, विद्वान मनीषियों की यह सोच है और सही भी है सत्ता परिवर्तन से कोई समाज का परिवर्तन नहीं होता है। दो तीन सरकारें आयीं और चली गयीं लेकिन व्यवस्था परिवर्तन से स्थायित्व होता है और इसके लिये भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है वह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है। आज मान्यवर, एक ही टेबिल से सब कुछ हो जाता है । मेरे विद्वान साथी ने कहा कि यह जो उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है यह एक मदारी की तरह है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह वास्तव में सही है। हमारे उद्योग मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है वह किसी मदारी से कम नहीं है । इसमें 70 प्रतिशत लोगों ने उद्योग लगाने के लिये प्रस्ताव किया है उसे हम स्थापित करायेंगे और इसके लिये हमारे उद्योग मंत्री बधायी के पात्र हैं । मान्यवर, सहारनपुर जनपद में काष्ठकला (वुड कासविंग) के ऊपर जो सेल टैक्स लगा है उसे हटा दिये जाने का सुझाव देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें ।

श्री लाज कृष्ण गांधी-

मान्यवर, मुझे थोड़ा सा समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

नहीं, कृपया समाप्त करें ।

श्री लाज कृष्ण गांधी-

अन्त में मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्ततु किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री श्याद अली-

मान्यवर, आपने मुझे हरिशंकर तिवारी जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये में आपका बड़ा आभारी हूं। मैं तो सिर्फ एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, जब से सदन में मैं चुनकर आया हूं तब से एक ही आवाज में मैंने ए0टी0एल0 के कर्मचारियों के बारे में प्रश्न उठाया है। आज उद्योग की बात आयी है। तो एक तरफ तो आप उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप प्रतापगढ़ की स्थिति को देख लें वहां ए0टी0एल0 लगा था

जो अच्छी तरह से चल रहा था उसको पिछली सरकार ने कौड़ियों के भाव बेच दिया था । चुनाव सभा में माननीय मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह जी ने माननीय वित्त मंत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने और माननीय राजनाथ सिंह ने और जो उसे क्षेत्र के विधायक चुने गये थे उन्होंने यह वायदा किया था कि जो 1300 कर्मचारी वहां पर भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं उसे वापस करायेंगे । मान्यवर, आज यह सरकार ए0टी0एल0 के कर्मचारियों के बारे में क्या निर्णय ले रही है वह लोग भूख से मर रहे हैं ? मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर उनका खून सड़कों पर बहेगा तो उसकी छाप इस सदन में भी आयेगी । आज वह लोग भूख से रो रहे हैं, ऐसा कोई विधान सभा का सदस्य नहीं है जिनके पास वह न गये हों । माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं पहले तो वह कहते थे कि सिपानी बहुत धूर्त है और आज 15 दिनों से आपकी आवाज भी बदल गयी है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने भी इस बात को महसूस किया था कि जो भी ए0टी0एल0 के कर्मचारियों के साथ हुआ था वह गलत हुआ है, माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या निर्णय लेने जा रही है ? अभी दो दिन पहले इस विषय पर चर्चा भी हुई थी और यह कहा गया था कि ए0टी0एल0 के अधिकारी हैं वह अय्यासी कर रहे हैं, उन्हें उन कर्मचारियों की चिन्ता नहीं है, आज वह भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं । मैं आपसे कहना चाहूंगा, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से कहना चाहूंगा कि आज आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि आप उनके विषय में क्या फैसला ले रहे हैं ? बातें बहुत हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा । हमारा जनपद प्रतापगढ़ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहां भी उद्योग लगाये जायं, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह -

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । इस सरकार की कथनी और करनी में क्या फर्क है, उसके बारे में आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । अभी यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं । मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जनपद शाहजहांपुर में हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पिपरौला में एक खाद कारखाना लग रहा है। पिछली सरकार ने वहां 55हजार बीघा का रेट रखा था, अब इस सरकार ने उसको घटाकर 41 हजार रुपये कर दिया है । मान्यवर, यह व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों को ही प्रोत्साहन दे रही है । उद्योग लगाना एक ठीक चीज है, लेकिन इस तरह भेदभाव करना उचित नहीं है। मैं माननीय उद्योग राज्य मंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे पिछड़े क्षेत्र का विकास करें और जो 14 हजार रुपया बीघा कम कर दिया है, उसे पुनः 55 हजार रुपया किया जाय । एक बात और कहना चाहता हूं, जिन लोगों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की जमीनें ली गयी हैं, उनको आज तक नौकरियां नहीं दी गयी हैं। वहां कहीं लुधियाना वालों की नौकरी लग गयी है, कहीं किसी और की लग रही है, मैं नहीं समझता कि यह यहां के लोगों को क्या प्रोत्साहन देंगे ?

मान्यवर, शाहजहांपुर के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे यहां छोटे उद्योग के अन्तर्गत राइस मिल और क्रेशर मिल हैं, उसकी स्थिति यह है कि पुलिस की सांठगांठ आतंकवादियों से होने के कारण कोई भी मिल वाला वसूली होने से बच नहीं सका है, उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मेरी बात को सत्य मानकर एक सदन की कमेटी वहां भेज दी जाय, जो पता लगा ले कि वहां पर वसूली हुई कि नहीं ? अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह हम सब जानते हैं, आप भी अब देख रहे हैं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अब विकास ब्लाक वाइज किया जायेगा । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कांठ ब्लाक है, वहां कोई उद्योग नहीं है, मैं चाहूंगा कि वहां पर उद्योगों की स्थापना की जाय । मान्यवर, एक बात और बताना चाहता हूं कि जिला उद्योग केन्द्र कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों के बीच मिलीभगत होने के कारण, सांठगांठ होने के कारण किसी को लोन नहीं मिल पा रहा है, सरकार पर नौकरशाही जबरदस्त तरीके से हावी है। मैं उद्योग मंत्री से चाहूंगा कि वह इस पर अंकुश लगायें। इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये आपका आभारी हूं । माननीय हरिशंकर तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् माननीय उद्योग राज्य मंत्री जी ने एक लम्बा प्रवचन दिया और मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया, वह भी मैंने सुना, वह चले गये, इसलिये मैं चाहता था कि वह यहां रहते, तभी मैं अपनी बात कहूं, इसलिये मैं बार-बार उस समय खड़ा हो रहा था। माननीय मंत्री जी ने शुरूआत ही इस बात से की कि 80 प्रतिशत किसान हैं। आज आबादी बढ़ती जा रही है और भूमि उतनी ही है, यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पायेगा । इसलिये आज आवश्यक है कि औद्योगीकरण किया जाय । श्री बाबूराम यादव जी ने कहा कि कृषि को उद्योगों का दर्जा दे दिया जाय । मेरी भी यही समझ है। यदि कृषि को उद्योग को दर्जा दे दिया जाता है तो इस प्रदेश का भला हो जायेगा। भारी उद्योगों की बात कही गयी । यह सही है कि भारी उद्योग लगाने से बेरोजगारी समाप्त

नहीं हो जायेगी । बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये सबसे अच्छा उद्योग कुटीर उद्योग है । इससे प्रदेश का विकास भी होगा और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा । लघु उद्योगों पर 1990-91 में 2347.66 लाख रुपये, 1991-92 में 2130.15 लाख रुपये, 1992-93 में 2401.08 लाख रुपये का बजट रखा गया। इसी प्रकार हस्तकला में 1990-91 में 67.94 लाख रुपये, 1991-92 में 57.21लाख रुपये तथा 1992-93 में 43.71 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया ।

हस्तकरघा उद्योग के लिये 1990-91 में 4460.63 लाख रुपये, 1991-92 में 4412.80 लाख रुपये तथा 1992-93 में 3290.04 लाख रुपये का बजट रखा गया है । इस प्रकार आप देखें, प्रति वर्ष बजट में कमी की गयी है। अब आप कहते हैं कि विकास करेंगे । कैसे आप विकास कर पायेंगे ? आटो ट्रैक्टर निगम, सीमेंट निगम व वस्त्र निगम को परिव्यय नहीं दिया गया है । 1992-93 में एक बात श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने कही और वह सच भी है कि पूर्वांचल हिन्दुस्तान का हृदय है। यदि आप हृदय के विकास की बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा कैसे हो पायेगी । आप पूर्वांचल को उद्योग शून्य क्षेत्र घोषित कीजिये और उसी प्रकार उद्योगों की परिकल्पना कीजिये । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभारी हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मेरे यहां कोसीकलां में एक व्यक्ति ने टायर का उद्योग खोला । उसके लिये उसे अनुमति भी मिल गयी ।

(समय 8 बजे)

मान्यवर, परिणाम क्या निकला कि जो उद्योग खोलने वाले थे, जिस उद्योग के लिये पैसा मिला था वह उद्योग खुला नहीं उसकी जगह वह मोटर साइकिल ले आये, दुनिया भर के वाहन ले आये जिस उद्योग को लगना था वह चला नहीं। उस आलम का परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्री फेल हो गयी, सारा सामान बिक गया। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार से उद्योग न चलायें, आंख बन्द कर उनको न छोड़ दें । जिस उद्योग की मैं बात कर रहा हूं उसके भाइयों में झगड़ा हो गया। सारे लोग लड़ पड़े एक भाई का कत्ल हो गया उसका भट्ठा बैठ गया तो कुर्सी पर बैठे हुए लोगों ने उसे देखा नहीं अगर देख कर दिया होता तो यह नौबत नहीं आती । अब इस सरकार के समय में सूर्य की किरण जरा दिखाई दे रही है। हमारे यहां सहतूत लगाने की बात आई रेशम उद्योग लगाने के लिये डी0आर0डी0 की मीटिंग में अधिकारियों ने कहा मेरे क्षेत्र में रेशम का उद्योग चल रहा है मैंने कहा कहां चल रहा है तो घरोटा न्याय पंचायत में बंजर भूमि उसके लिये दे दी गयी वहां पर एक भी सहतूत का पेड़ नहीं लगा । तो मैं उद्योग मंत्री को सुझाव दूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री किशोरी श्याम-

पहले लोगों ने इस प्रदेश का ढांचा बिगाड़ रखा है । (व्यवधान) अगर प्रदेश में उद्योग चलाने हैं तो उधर के लोगों से कहूंगा कि वह सहयोग करें ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री किशोरी श्याम-

मैं समाप्त कर रहा हूं । श्रीमन्, उद्योग मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जिस ढंग से उन्होंने बात रखी है उससे प्रदेश का भला होगा ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, मैं उद्योग विभाग की अनुदान संख्या 3,4,5,6,7 और 8 पर जो माननीय हरिशंकर तिवारी जी ने कटौती प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात रख रहा हूं । मान्यवर, आज हमारे प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अपनी नीति घोषित कर रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान के लिये मजदूर पैदा करने का कारखाना है विशेषकर पूर्वांचल ऐसा क्षेत्र है जिसने हिन्दुस्तान सहित विश्व को मजदूरों की आपूर्ति करने का काम किया है उसका मुख्य कारण यही था कि यहां औद्योगीकरण नहीं हुआ बेरोजगार लोगों को यहां काम नहीं मिलता था । आज पूर्वांचल के लिये कोई नयी घोषणा नहीं की गयी है। आज जैसा भाई श्याद अली जी ने कहा आटो ट्रैक्टर कारखाना कौड़ियों के दाम बिक गया है उस कारखाने के 1294 कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं ।

मैं इलाहाबाद में अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अब प्रदेश में जो औद्योगिक नीति होगी उसमें उद्योगों की स्थापना विकास खण्ड स्तर पर होगी । यह बहुत ही अच्छी बात है इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मान्यवर, हमारे जनपद में चायल क्षेत्र है, जो उद्योग शून्य है। वहां पर किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं है । वहां पर एक इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री खोलने की घोषणा भी गयी थी जिसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व0 राजीव गांधी ने पंजाब समझौते के अन्तर्गत

पटियाला भेज दिया था । उसके बाद कोई भी उद्योग की घोषणा नहीं की गयी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि वह हमारे जनपद में चायल क्षेत्र के अन्तर्गत विकास के लिये उद्योगों की घोषणा करे । मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद नैनी में रेमण्ड का एक कारखाना लगा जिसमें वहां के क्षेत्रीय लोगों की जमीनें चली गयीं । मैंने सुना है समझौते में यह तय हुआ था कि वहां के क्षेत्रीय लोगों की जमीनें चली गयीं । मैंने सुना है समझौते में यह तय हुआ था कि वहां के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, उनको नौकरी दी जायेगी । मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने की व्यवस्था करें, इसकी घोषणा करें । इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पिछली सरकार के जो विभाग थे, उनमें लेखन-सामग्री की आपूर्ति राजकीय मुद्रणालय के माध्यम से जाती थी परन्तु वर्तमान सरकार ने यह लेखन-सामग्री की आपूर्ति विभागाध्यक्षों के हाथ में सौंप दी है जिससे मुद्रणालय एवं विभागों को घाटा होता है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें । यह गलत बात है । नहीं-नहीं, अब नहीं, खत्म करें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने फैसला कर लिया है कि अपने विभागों के लिये लेखन-सामग्री की आपूर्ति राजकीय मुद्रणालय द्वारा करायेगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार भी लेखन-सामग्री आदि की आपूर्ति पहले की तरह राजकीय मुद्रणालय के माध्यम से अपने विभागों को कराये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हरिशंकर तिवारी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय हरिशंकर तिवारी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी उद्योग के संदर्भ में बात कर रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के मन में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये निश्चित रूप से छटपटाहट है। यह यथार्थ के धरातल पर वस्तुस्थिति को नहीं देखते हैं । जब तक उद्योग विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जायेगा, उद्योग कायदे से पनप नहीं सकते हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रम शक्ति है। अगर श्रम शक्ति का सही तरह से उपयोग किया जाता तो यह पूरे प्रदेश में उद्योग में नये आयाम स्थापित होते । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग राज्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि महाराजगंज क्षेत्र जो कृषि बाहुल्य जनपद है वहां अतुल्य वन सम्पदा है उद्योग के क्षेत्र में उद्योग शून्य जनपद हैं । जब तक इस क्षेत्र को उद्योग शून्य क्षेत्र घोषित नहीं करेंगे तब तक इसका विकास नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार

से प्रस्ताव करें कि वहां पर कृषि पर आधारित नये नये उद्योग लग सकते हैं । वहां कुछ ऐसे उद्यमी भी हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं परन्तु जब तक उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक उद्योग स्थापित करने में कठिनाई रहेगी । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महाराजगंज को उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार से प्रस्ताव करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हरिशंकर तिवारी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं । एक तो यह कि आपने स्वयं इस पर घोषणा की और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि खेती से उद्योगों को जोड़ा जायेगा । मान्यवर, इसके लिये यह नीति होनी चाहिये कि जो कृषि उत्पादन हैं, उस कृषि उत्पादन के ऊपर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर लगायें, और इसमें कहा है जैसे कुछ आलू के चिप्स के कारखाने हैं, तो आलू तो गांव में पैदा होती है और चिप्स उद्योगपति के यहां बनते हैं, मान्यवर आगरा और एटा दो जिले हैं यहां कोई उद्योग नहीं है वहां ताजमहल की वजह से कोई उद्योग नहीं लग पा रहा है वहां कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किये जायें। आगरा, अलीगढ़, मथुरा इन जिलों के बीच में फल उद्योग स्थापित किये जायं । इधर अमरूद, टमाटर आदि अधिक पैदा होता है तो जूस और जैली के कारखाने लगाये जायें इससे किसानों की प्रगति में सहयोग होगा, आप आगरा, अलीगढ़ और मथुरा के बीच में फल उद्योगों की स्थापना करायें । मान्यवर, 1988 से 89 के बजट को देख लें । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब बजट पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आगरा का उद्योग समाप्त हो रहा है वहां इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित किये जायेंगे । इलेक्ट्रानिक स्टेट बनाई जायेगी उसमें कुछ नहीं हुआ। इलेक्ट्रानिक उद्योग वहां लगाये जायें ।

मान्यवर, जब तक आप उद्योग के संबंध में नीति उदार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा खेत में कच्चा माल पैदा होता है आप नीति निर्धारण कर दें । कच्चा माल किसानों के खेत में पैदा होगा उससे संबंधित उद्योग देहात में लगेंगे । अगर यह नीति निर्धारण करे देंगे तो गांव के युवकों को प्रोत्साहन मिलेगा । गांव के युवकों को प्रोत्साहित करेंगे तो निरंतर जो बेरोजगारी बढ़ रही है वह दूर होगी। जो युवक परिवार पर भार बनकर बैठे हैं उस बेरोजगार नौजवान की दिशा मिलेगी इसलिये यह काम अवश्य करें ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा-

एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही

केन्द्रीय उद्योग नीति का सरलीकरण हुआ है उससे उत्तर प्रदेश के उद्योग प्रभावित हुये हैं जैसे बाप की औलाद नालायक निकल जाती है तो जब बेटा फेल होता है तो कहेगा बाप ने पैसा पढ़ने के लिये नहीं दिया, खाने को रोटी नहीं होती, है तो कहता है बाप ने नहीं दी, नौकरी नहीं मिलेगी तो कहेगा बाप ने नही दिलायी, फटा पाजामा पहनकर निकलेगा तो कहेगा बाप ने नहीं दिलाया वैसे ही यह सरकार नालायक औलाद की तरह है जो हर बात में कहती है कि केन्द्र सरकार ने यह नहीं दिया ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, आपने मुझे उद्योग बजट पर बोलने का मौका दिया इसके मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, टिहरी गढ़वाल उद्योग शून्य है वहां वन सम्पदा है, खनिज सम्पदा है जिससे कागज के उद्योग लग सकते हैं, सीमेंट उद्योग लग सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल में सीमेंट उद्योग लगाने के लिये कागज उद्योग लगाने के लिये जड़ी बूटी से उद्योग लगाने का प्रयास करें । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । आप विश्वास करें या न करें । हमारे यहां एक बिल्ली होती है, जो सांप को मार देती है और एक जड़ी होती है, जिससे सांप को जीवित कर देती है, तो ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटियां उत्तरांचल में हैं । यदि उनका सदुपयोग किया जाये तो हमारा प्रदेश दवाओं के मामले में आगे बढ़ सकेगा । मैं इतनी बात कहकर उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि टिहरी गढ़वाल जो उद्योग शून्य जिला है, पर उद्योग धन्धे लगाने की कृपा करें । धन्यवाद ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)-

मान्यवर, आपने उद्योग विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय हरिशंकर तिवारी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । माननीय उद्योग राज्य मंत्री मयंकर सिंह को मैं बहुत दिनों से जानता हूं । वह एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं । उद्योग मंत्री, मुख्य मंत्री हैं उनके पास बहुत से विभाग हैं जिससे वह इसको देख नहीं पाते हैं । मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । गाजीपुर जनपद में पिकप के कोलेबरेशन से गल्फा फर्म द्वारा एक स्टील की मिल लगने की बात थी 420 करोड़ रुपये की मिल लगनी थी, मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग जारी हो गया था लेकिन नयी पालिसी के कारण वह मिल न लग सकी । वहां पर डबुल लाइन ब्राड गेज है वहां मिल लगायी जा सकती है इस पर पुनर्विचार करें । इसी तरह से स्पिनिंग मिल की बात है मुख्य मंत्री जी ने स्पिनिंग मिलों की बात नहीं कही। इनकी हालत दयनीय है उनको कपास बाहर से मंगाना पड़ता है। यह मिलें बन्द हो रही हैं इनमें काम करने वाले मजदूरों की हालत खराब है। गाजीपुर जनपद में जो पूर्वांचल मिल है,

उसके सहकारी मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । जो हथकरघा बुनकर हैं इनकी हालत खराब हैं । 8 रुपये मजदूरी इनको दी जाती है जबकि मिनिमम वेजेज 18 रुपये हैं । बुनकरों की मजदूरी बढ़ाने के लिये आप व्यवस्था करें। गाजीपुर जनपद को उद्योग शून्य जिला घोषित करे ताकि वहां पर उद्योगों का विकास हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

पावर लूम जो लगे हैं उनकी हालत खराब हैं उनको बिजली नहीं मिल पा रही है इसी तरह से बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों की हालत खराब है हमारे जिले में एक औद्योगिक आस्थान लगाने की बात कही गयी थी तो उसकी व्यवस्था वहां करनी चाहिये । हमारे यहां कासिमाबाद में उद्योग केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें। हमारे यहां विकास खण्ड बाराचौर में उद्योग केन्द्र खोलें जिससे वहां के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके । आज ए0टी0एल0 के मजदूर की हालत दयनीय है इस ओर भी ध्यान दें इस पर शीघ्र निर्णय लें । आप खादी ग्रामोद्योग की बात करते हैं। इसमें जालसाजी करके पैसा ले लिया जाता है लेकिन मौके पर इकाई नहीं चलती है। इसको ठीक करने की व्यवस्था करें। नयी लाइसेंस नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों में उद्योग लग रहे हैं वह गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर देहात में लग रहे हैं जो पिछड़े जिले हैं वहां पर उद्योग लगाने की व्यवस्था करें । जिस हिसाब से औद्योगिक उत्पादन के दाम बढ़ जाते हैं उसके मुकाबले कृषि उत्पादनों के दाम नहीं बढ़ते हैं। औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के दामों में समान रूप से वृद्धि की जानी चाहिये। यू0पी0एफ0सी0 के माध्यम से कोल्ड स्टोरेजों को पिछड़े जनपदों को विशेष छूट देकर स्थापना की जानी चाहिये ताकि किसानों के आलू का भण्डारण हो सके और काश्तकारों को लाभ पहुंचे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

समाप्त करें ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने तथा बोलने से व्यवधान)

श्री लाखीराम जोशी-

मान्यवर, मुझे समय नहीं मिला है। माननीय सदस्य ने एक हैट सदन में दिखाया । मझे समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

यह प्रदर्शन आप न करें । यह उचित नहीं है । आप संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखें ।

श्री हरिशंकर तिवारी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री ने अभी अपने बजट भाषण में जिन बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । राष्ट्रीय उद्योग नीति में भारत सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति क्या अपेक्षायें हैं और औद्योगीकरण किस रास्ते से यह सरकार करने जा रही है, इन बातों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र विकास खण्ड को माना इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहूंगा । लेकिन जब गांव का विकास नहीं होगा, तब तक माननीय दीन दयाल उपाध्याय के सपनों को साकार नहीं कर सकेंगे । मान्यवर, महात्मा गांधी के आदर्श को, राष्ट्रपिता के आदर्शों की बात कि गांव की इकाई खुशहाल होगी, वह तब तक नहीं खुशहाल होगी, जब तक कि न्याय पंचायत स्तर पर उद्योग नहीं लगेंगे । गांव का नौजवान रोजगार के लिये शहर की ओर भागता है और गांव का कच्चा माल पूंजीपति औने पौने खरीद लेता है। जब तक गांव की इकाई न्याय पंचायत स्तर को मान कर विकास नहीं करेंगे तब तक गांव का नौजवान गांव के किसान द्वारा पैदा किये गये कच्चे माल को लाभ उसको नहीं मिल सकता । जिस देश की 85 परसेंट जनता गांव में रहती हो, वह खुशहाल नहीं होगी तो राम का नाम लेकर प्रदेश की जनता को धोखा देकर यह सरकार आयी है, उस राम राज को स्थापित नहीं किया जा सकता । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वांचल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, गोरखपुर में एक गीड़ा की स्थापना की घोषणा हुई है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गीड़ा की जमीन की समयवद्ध योजना निर्धारित कर दें । उनकी समयवद्ध योजना नहीं निर्धारित करेंगे तो आपका सपना साकार नहीं हो सकता । एक और निवेदन करूंगा कि जो इन्सपेक्टर राज खत्म करने की बात मुख्य मंत्री जी ने बतायी, उद्योगपतियों को 12 इन्सपेक्टरों की छतरी के नीचे उद्यम चलाने के लिये बाध्य होना पड़ता है। ये 12 इन्सपेक्टर एक माह में 2 बार इंसपेक्शन करने उद्यमी के कारखाने में जायं तो 24 बार हो गया । एक माह में 24 दिन इंसपेक्शन होगा और 6 दिन कार्य होगा। आप समझ सकते हैं कि कैसा थोथा नारा है ? इन्सपेक्टर राज समाप्त नहीं कर सकते । इसको निर्धारित कर लें कि जो इन्सपेक्टर होगा वह माह में एक दिन ही जायेगा, लेकिन इसके लिये भी समय निर्धारित करें अन्यथा इन्सपेक्टर राज से मुक्ति नहीं दिलवा पायेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं लालफीताशाही की बात कही कि यह बहुत बड़ी बाधा है उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये । मैं सहमत हूं लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं कही कि लालफीताशाही के शिकंजे से प्रदेश के पिछड़ेपन को कैसे दूर करेंगे? जब तक यह दूर नहीं होगा, भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा । आज भी आपके निगम लालफीताशाही में पड़ गये हैं । आपको अगोचर चाहे दिखाई देते हों लेकिन अगम

हैं। भ्रष्टाचार को तब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक लालफीताशाही पर अंकुश न लगा लें। मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने कहा कि 20,000 कार्यशालाओं की स्थापना करने जा रहे हैं। उनकी स्थापना ब्लाक स्तर पर हो तभी किसानों को लाभान्वित कर सकेंगे। और इस देश में 3,672 नये उद्योग पंजीकृत हुये हैं और प्रदेश में 652 पंजीकृत हुये हैं, ये तब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेंगे, जब तक कि न्याय पंचायत स्तर पर उद्योगों की स्थापना नहीं होगी। मंत्री जी जब हम लोगों के साथ बैठा करते थे, तो डिलाइसेंस की बात किया करते थे, अब जब केन्द्र सरकार ने लाइसेंस का सरलीकरण कर दिया तो माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं इसके उत्तर प्रदेश का उद्योग प्रभावित होगा।

आप पूरे उद्यमियों को सब्सिडी प्रदान करें, सेल्सटैक्स समाप्त करें, उनके द्वारा पैदा की गयी वस्तुओं का विक्रय सुनिश्चित करें, स्वतः उद्यमी इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में सहयोग करेगा। आप केवल केन्द्र सरकार को उत्तरदायी बता कर अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकते। स्वयं अपने वोट की लालच में प्रदेश को खंडित करने की अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी है। क्या किसानों के हित के लिये गोरखपुर के खाद के कारखाने को चलाने के लिये अपनी कोई संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी है ? किसानों की गाढ़ी कमाई का 100 करोड़ रुपया यदि गोरखपुर का खाद का कारखाना चालू कर दिया जाय, तो उससे 100 करोड़ रुपये की किसानों की बचत होगी, यह कभी नहीं जिक्र किया माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब तक दोषारोपण की प्रक्रिया चालू रहेगी, तब तक विकास का कोई काम नहीं होगा। माननीय राणा जी ने कहा था कि नालायक लड़का होता है वह परीक्षा में फेल होने का कारण अपने गार्जियन को देता है वही काम यह सरकार कर रही है। माननीय उद्योग मंत्री जी किसी ऐसे उद्यमी का नाम बतायेंगे जो बिना कमीशन के पिकप से लोन प्राप्त किया हो ? आपने मुद्रण और लेखन उद्योग की चर्चा की है जिसका मुद्रणालय इलाहाबाद में और सचिवालय लखनऊ में है। गोरखपुर और नैनीताल में मुद्रणालय खोलने की संस्तुति पिछली सरकार ने की थी क्या उद्योग मंत्री जी गोरखपुर और नैनीताल में मुद्रणालय खोल करके इस जटिल प्रक्रिया से त्रास दिलायेंगे ? मान्यवर, माननीय सम्मानित सदस्यों को एजेण्डा नहीं मिलता, बजट की कापियां भी समय से नहीं मिलती हैं, यह तभी दूर होगी, जब इसका विकेन्द्रीकरण होगा। पुनः मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपसे अपेक्षा करूंगा कि कटौती करके राशि एक रुपया कर दी जाय, ताकि इस धन का अपव्यय यह सरकार न कर सके।

श्री मयंकर सिंह -

मांननीय उपाध्यक्ष जी, पंडित हरिशंकर तिवारी जी ने कटौती के प्रस्ताव में हमें स्मरण कराया था, न अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, हर खेत में पानी, हर हाथ में काम। मान्यवर, हमको आपका बड़ा स्नेह मिलता रहा है।

बड़े भाई की तरह आपने हमको स्नेह दिया है। आज भी आप उसका पालन कर रहे हैं । इसके लिये धन्यवाद।

मान्यवर, अभी माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण में बुनकरों की बात कही उनकी वेदना सही है ।

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी, आप भी समय का ध्यान रखें ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, जब हर खेत को पानी देंगे तो देर तो लगेगी ही ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, यह कहा गया कि ईद का भुगतान नहीं हुआ है मैंने कहा कि पहले 3-4 महीनों में भुगतान होता था और अब एक माह पहले की शिकायत नहीं मिलेगी कि भुगतान नहीं हुआ है । ईद 5 अप्रैल को हुई है और आज 9 अप्रैल है मात्र 4-5 दिन हुये हैं, मार्च का भुगतान नहीं हुआ होगा । मैं माननीय सदस्य गोरखपुर को विश्वास दिलाता हूं कि सारा पैसा गोरखपुर परियोजना का भुगतान के लिये भेज दिया गया है। जब आप जायेंगे 11-12 तारीख को तो दिखवा लें कि परियोजना में पैसा पहुंच गया है और प्रदेश में एक भी बुनकर बाकी नहीं मिलेगा जिसको फरवरी का भुगतान नहीं हुआ हो, यह व्यवस्था हो गयी है। मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने कहा कि पूर्वांचल के लिये कोई विशेष बात नहीं कही गयी है । मान्यवर, रेशम परियोजना के अन्तर्गत 7.50 करोड़ रेशम परियोजना पर पूर्वांचल में व्यय किया जा रहा है इसका व्यय लगभग 2.50 शून्य करोड़ होगा । इसके अतिरिक्त बी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत रेशम उद्योग को प्रारम्भ किया जा रहा है पूर्वांचल में एक दो बातें आपकी निश्चित स्वागत योग्य रही हैं। मान्यवर, अगर खाद नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा । कोई भी सरकार अगर खाद के कारखाने और खाद के उत्पादन को नजरन्दाज करती है तो वह किसान विरोधी सरकार है । गोरखपुर का खाद कारखाना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित होता है उसको व्यवस्था देखनी चाहिये । मैं कहता हूं कि वह वास्तव में किसान विरोधी सरकार है । मान्यवर, उद्योग लगाने का काम बैंकों पर निर्भर है और वह भी आपकी ब्लाउज वाली सरकार पर निर्भर है। मान्यवर, जनता वस्त्र में अब छपी छपाई धोती भी दी है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब कुछ कहना बाकी रह गया है ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, अब मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा । माननीय तिवारी के गोण्डा के बारे में बताऊंगा । गोण्डा के विकास के लिये सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है। किशन

गोपाल जी और माननीय राणा साहब ने इलेक्ट्रानिक उद्योग की बात की । मान्यवर, आगरा एक ऐसी जगह है जहां वास्तव में उद्योग पिछड़ रहा है। वहां एक शहनशाह और सहारा की मुहब्बत को जिन्दा रखना है ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं तो समझता हूं कि माननीय राणा जी ही आगरा के बारे में जानते हैं लेकिन आपको भी अनुभव है ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, प्रेरणा तो वहीं से लेता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा-

"एक दौलतमंद ने लेकर दौलत का सहारा, गरीबों की मुहब्बत का उड़ाया है मजाक"।

श्री मयंकर सिंह-

1992-93 में निगम द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी । इसके अतिरिक्त दूरसंचार परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कम्युनिकेशन उपकरण उत्पादन की कार्यवाही की जायेगी। इस चालू परियोजना हेतु कुल आवश्यक रुपये 475 लाख अंश पूंजी में से रुपये 110 लाख द्वितीय किश्त का प्राविधान वर्तमान वर्ष में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की मांग आदि के अध्ययन एवं व्यापार मेलों में भाग लेने के लिये 10 लाख का प्राविधान किया जा रहा है तो इस तरीके से मान्यवर, आगरा के बारे में आज प्रातः ही गम्भीर चिन्तन किया गया कि औद्योगिक दृष्टि से आगरा पिछड़ रहा है वहां प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना की जाय । माननीय स्वामी नाथ यादव जी, माननीय रवीन्द्र कुमार जी, माननीय रावत जी ने खनिज के बारे में बात कही विदेशी टेक्नालाजी के द्वारा सोने की खोज की जा रही है पूरी कोशिश में लगे हैं कि महान उपलब्धि हाथ में आये। माननीय राम ललित जी, सतीश भाटिया जी, धनीराम वर्मा जी, वर्मा जी, मेजर साहब, भाटी जी और जागेश्वर जी के महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं, श्याद अली साहब के महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं, ए0टी0एल0 पर चर्चा की बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष-

चर्चा हो चुकी है। अब आप माननीय तिवारी जी से कटौती के बारे में कहें।

श्री मयंकर सिंह-

पिछड़े जिलों की बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, केन्द्र सरकार पिछड़े जिले घोषित कर रही है नहीं कर रही है, इस घोषणा के बाद उस मानक में इस राज्य में परिवर्तन हो ही गया । उत्तर प्रदेश में विकास खण्डों को

पिछड़ा घोषित करने की बात हुई । अब हम विकास खण्ड देखेंगे उसमें शर्तें होंगी जिनके कारण वह पिछड़ा है या नहीं है इससे केवल वही ब्लाक प्रभावित होगा जहां उद्योग होंगे शेष ब्लाक पिछड़े होंगे । कानपुर गाजियाबाद जिले में भी कुछ ब्लाक ऐसे निकलेंगे जो पिछड़े होंगे उसमें जो मिलने वाली सुविधायें हैं उसकी लालच में प्राप्त करने की दृष्टि से व्यक्ति उसके बगल में लगायेगा ताकि जो एक जगह केन्द्रित हो रहे थे वह समाप्त होकर औद्योगिक संतुलन होगा और उद्योग चारों तरफ बढ़ेंगे । तिवारी जी ने बताया हम बिल्कुल सहमत हैं, होता भी यह है कि राम रूपी उद्यमी को जब सीता रूपी लक्ष्मी को इस लालफीता शाही के दरवाजे पर कही कोई माया रूपी मृग, मारीच, रावण हरण किया करते थे, इस सिंगल बिंडो सिस्टम के द्वारा इस मारीच मृग को अवरुद्ध किया गया है। मान्यवर, जब यहां कोई बात होती है तो उधर से राम का नाम ले लिया जाता है । अजामिल बड़ा पापी था अंतिम समय में नारायण कहकर मोक्ष को प्राप्त हुआ । बाल्मीकी राम-राम करते हुए डाकू से महर्षि हो गये और मुझे तो यह चिन्ता है कि राम-राम कहते हुये आप भी मोक्ष को न प्राप्त हो जाओ ।

श्री विजय सिंह राणा-

जब अजामिल का उद्धार नहीं हो पाया तो हमारा कैसे होगा ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, जो पूर्व उद्योग मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह और राम गोविन्द चौधरी जी ने हमारे बारे में जो सबल संस्तुति की है उसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। अन्त में मान्यवर, मैं माननीय हरिशंकर तिवारी जी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है, से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और जो लिखा हुआ है, उसे भुला दें एक नयी स्वस्थ परम्परा डालकर क्योंकि एक अच्छी बात आयी है, उसका समर्थन करते हुए कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री हरिशंकर तिवारी-

मान्यवर, इन्होंने हमारे सुझावों को नहीं माना है इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,18,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,05,81,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,92,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह कि अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,84,40,000 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,19,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,59,57,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 9-4-1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप की जनपद देवरिया में नहरों में पानी न

छोड़े जाने से फसलों को हुई क्षति एवं किसानों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी श्री बलराम यादव की जनपद आजमगढ़ एवं सीमावर्ती जनपद फैजाबाद में विद्युत आपूर्ति की कटौती के कारण पावरलूमों के ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तीसरी श्री अंगद यादव की जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के मिर्जापुर ब्लाक के ग्राम कौल में हुये अग्निकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की जनपद गाजीपुर के थाना कासिमाबाद के अन्तर्गत ग्राम महुवारी नकटू तथा कैरी ग्रामों में हुई डकैती की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, पांचवीं सूचना श्री अखिलेश, की गोरखपुर नगर के थाना कैन्ट के अन्तर्गत श्री शशि शंकर त्रिपाठी, की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, छठीं सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में हुये व्यवधान से उत्पन्न स्थिति के संबध में, सातवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल में अर्द्धनिर्मित जखौली भारी मोटर-मार्ग को पूरा कराये जाने के संबंध में, आठवीं सूचना श्री रिजवानुहक की जनपद मुरादाबाद के भगतपुर व भूड़ापाडा विकास खण्ड में पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा कराये जाने के संबंध में, नवीं सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की मा0 विधायकों व उनके परिजनों की जानमाल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री भारत सिंह रावत की जनपद गढ़वाल के कोटद्वार भाभर में स्टाम्पों पर खरीदी गयी भूमि का नियमितीकरण कराये जाने के संबंध में, ग्यारहवीं सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ में नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फ्री बोरिंग योजना में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, बारहवीं सूचना श्री जाहिद हुसैन की जनपद मुरादाबाद के नागमती थाने से अस्पताल ले जाते समय दो मुलजिमों के हथकड़ी सहित भाग जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा तेरहवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय व श्री स्वामी नाथ यादव की जनपद मिर्जापुर के थाना अदलहाट में गंगा नदी में नाव डूबने से 8 व्यक्तियों की हुई मृत्यु के संबंध में है।

पहली सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप जी की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। दूसरी सूचना श्री बलराम यादव जी की है। 8-4-92 को इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था किन्तु विषय की महत्ता को देखते हुए इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है। तीसरी सूचना श्री अंगद यादव जी की है, इसे भी केवल वक्तब्य के लिये स्वीकार किया जाता है। चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जी की है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। पांचवीं सूचना अखिलेश जी की है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । छठीं सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर जी की है । इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

जनपद फैजाबाद के नगरपालिका क्षेत्र अकबरपुर में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(मद संख्या 11 पर श्री पवन कुमार पाण्डेय जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी आप वक्तव्य पढ़ दें ।

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, सम्प्रति 431 महाविद्यालय संचालित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

यदि आप लोगों की अनुमति हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

(प्रदेश में सम्प्रति 431 महाविद्यालय संचालित हैं जिसमें से 55 राजकीय महाविद्यालय हैं । उपरोक्त 431 महाविद्यालयों में से 93 महिला महाविद्यालय हैं। जिसमें से 6 राजकीय महिला महाविद्यालय हैं । फैजाबाद जनपद में 7 अशासकीय महाविद्यालय पूर्व से उपलब्ध है और मिल्कीपुर में एक अशासकीस महाविद्यालय को प्रारम्भ किये जाने की मान्यता प्रदान की गयी है । उपरोक्त 8 महाविद्यालय में से एक फैजाबाद में स्नातकोत्तर स्तर का राजा मोहन गर्ल्स महाविद्यालय केवल महिलाओं के लिये है । अन्य सभी में छात्रों के साथ छात्राओं के पढ़ने की भी समुचित सुविधा उपलब्ध है । अकबरपुर में एक स्नातकोत्तर स्तर का महाविद्यालय पूर्व से संचालित है जिसमें लगभग 1900 छात्र हैं तथा महिला छात्राओं की संख्या इस महाविद्यालय लगभग 570 है। अकबरपुर से 24 किलो मीटर की दूरी पर टाण्डा में स्नातकोत्तर स्तर का एक महाविद्यालय संचालित है जिसमें कुल छात्रों की संख्या लगभग 1400 है जिसमें 303 महिला छात्राऐं हैं । अकबर पुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य स्नातकोत्तर स्तर का महाविद्यालय परुइया आश्रम में है जिसमें कुल छात्रों की संख्या लगभग 1900 है जिसमें से महिला छात्राऐं लगभग 280 हैं ।

महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु लगभग 10.00 एकड़ भूमि की तथा भवन निर्माण हेतु लगभग रु0 2.00 करोड़ की आवश्यकता होती है इसके अतिरिक्त आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय हेतु लगभग रु0 12.00 लाख प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है । सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति अकबरपुर में, जहां पूर्व से ही एक स्नातकोत्तर स्तर का महाविद्यालय संचालित है और जिसमें छात्राओं के पढ़ने की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है, राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने का सम्प्रति औचित्य नहीं है ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल के लिये अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भू-स्वामियों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

(मद संख्या 12 पर श्री मातवर सिंह कण्डारी जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सिंचाई मंत्री जी आप वक्तव्य पढ़ें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी नहीं हैं, इसलिये आप किससे पढ़वायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

संयुक्त जिम्मेदारी के नाते कोई भी मंत्री पढ़ सकता है ।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के लिये ...

श्री उपाध्यक्ष-

यदि आप लोगों की सहमति हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

(जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के लिये मार्च, 1992 तक विधिवत् 30.139 एकड़ भूमि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा विभाग को हस्तान्तरित की गयी। इस भूमि में से 29.189 एकड़ भूमि के प्रतिकर का भुगतान कृषकों को वर्ष 1984 से 1987 के मध्य किया जा चुका है। शेष 0.95 एकड़ भूमि का प्रतिकर कृषकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया । यह भूमि वर्तमान में विभाग के कब्जे में नहीं है ।

इसके अतिरिक्त 54.188 एकड़ भूमि के एवार्ड जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा माह जुलाई/अगस्त 1991 में घोषित किये गये थे. इसका प्रतिकर काश्तकारों द्वारा दरें कम बताकर स्वीकार नहीं किया गया । इस प्रतिकर के लिये माह 3/91 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को रु0 125.00 लाख का भुगतान किया गया। यह भूमि मार्च 1992 तक विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त 0.91 एकड़ भूमि बांध मार्ग एवं पेय जल योजना की विभाग के पास है। यह भूमि काफी समय से विभाग के पास चली आ रही है। इस भूमि के लिये भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति में न होने के कारण इस भूमि के प्रतिकर का भुगतान मार्च, 1992 तक कृषकों को नहीं किया गया है।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद की पुलिस चौकी सहनिन्दा की पुलिस द्वारा कथित रूप से फर्जी मुकदमें कायम करने के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या 13 को माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में मेनहोलों के ढक्कन पत्थर के लगवाने तथा खराब हैण्ड पम्पों को शीघ्र ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न संख्या-50 के उत्तर में कहा है कि अस्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कर दिया जाता है किन्तु अस्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराना धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है। दूसरी बात यह कही गई है कि सीवर में जो मेन होल होते हैं, वे चोरी चले जाते हैं।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। आप इस सूचना को देखें इसमें दो विभाग लिखे हैं ।

श्री किशन गोपल-

माननीय सदस्य जी आप बैठ जायं । यह आपका कसूर नहीं है । यह मेरा दुर्भाग्य है कि आप आगरा में रहते हैं । ऐसा करके आपने तो मेरी भी किरकिरी कर दी है । सीवर पर जो मेन होल होते हैं, वे लोहे के बने होते हैं और उनकी चोरी हो जाती है । तो मैंने मंत्री जी से मेनहोल के ढक्कन पत्थर से लगाने का अनुरोध किया इसी तरह से हैण्डपम्प के बारे में भी कहा लेकिन धनाभाव के कारण ठीक कराना सम्भव नहीं है, कहा गया । मान्यवर, आगरा में पेय जल की ज्वलन्त समस्या है वहां के नागरिक बूंद-बूंद के लिये तरस रहे हैं, पाइपों का जहरीला पानी पी रहे हैं अगर समय पर हैण्ड पम्प ठीक नहीं कराये गये तो लोग प्यासे मर जायेंगे ।

मेनहोलों की खराब हालत के बारे में मुख्य नगर अधिकारी को लिखा गया वहां के माननीय सभासद लक्ष्मीनारायण अग्रवाल को कई पत्र लिखे । 2-12-91 को पत्र दिया सीवर की समस्या ठीक करने के लिये 19-9-91 को दिया, हैण्ड पम्प ठीक करने के लिये भी लिखा और फिर 14-3-92 को अन्तिम पत्र दे रहा हूं। मैंने भी इस मामले को 301 में यहां उठाया । 11-3-92 को भी मैंने कहा जिसमें हैण्डपम्प और सीवर के ढक्कन बदलने को कहा । मान्यवर, 18-3-92 को सीवर का ढक्कन खुला होने के कारण अग्रवाल उसमें स्कूटर के सहित गिर गये और उनका फ्रैक्चर हो गया । प्रशासनिक अधिकारी को 5 पत्र 5 महीने तक लिखने के वावजूद कुछ नहीं किया । उनके निकम्मेपन के कारण यह काण्ड हुआ तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

इसके अलावा सुभाष रलहन में 10 हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, आर0बी0 रोड में 3, कांधारी चौराहे में 7 प्रतापनगर कक्ष नं0 35 के सभी हैण्डपम्प खराब हैं। इसी तरह कक्ष नं0 31,30,28,27,26 है और टीचर्स कालोनी के हैण्डपम्प खराब हैं। आगरा पश्चिम क्षेत्र में हैण्डपम्प और सीवर के ढक्कनों की स्थिति खराब है। मैंने इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। मेरे पास नगर विकास मंत्री जी का पत्र आया है। पेय जल की समस्या के बारे में कहा गया है कि कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा 2-12-91 को मुख्य मंत्री जी 20 पत्रों के साथ मेरे पास जवाब आया है। आगरा पश्चिम में खराब पड़े कुओं की सफाई और हैण्डपम्प के विषय में है मैंने अनेकों बार यह मामला उठाया है।

सदन में कोरम के अभाव की सूचना

श्री विजय पाल सिंह-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठें, कोरम का प्रश्न उठ गया है। इसलिये मैं पहले कोरम देख लूं। कोरम की घंटी बजायी जाय।

(कोरम की घंटी बजाई गयी।)

(कोरम की घंटी बजनी समाप्त होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

कोरम के अभाव में मैं सदन को स्थगित करता हूं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन रात्रि के 9 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

9 अप्रैल, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा।
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 6ठें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर का संलग्नक

प्रान्तीय खण्ड गोण्डा			विभागीय निर्माण इकाई गोण्डा		
क्रमांक	नाम	तैनाती की तिथि	क्रमांक	नाम	तैनाती की तिथि
		सहायक अभियन्ता			
	सर्वश्री			सर्वश्री	
1	जंगबहादुर सिंह	जुलाई, 87	1	सच्चिदानन्द	जुलाई, 1988
			2	मेवा लाल	अगस्त, 1988
		अवर अभियन्ता			
	सर्वश्री			सर्वश्री	
1	राजेन्द्र सिंह	21-7-89	1	राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	1-7-89
2	एस0एन0चौधरी	30-6-86	2	ईश्वर चन्द्र गुप्ता	18-7-87
3	ए0एन0 औझा	10-10-87	3	गिरिजा शंकर दत्त पाण्डेय	7-7-82
4	अयोध्या शरण गुप्ता	31-1-90	4	सुरेश चन्द्र	28-6-86
5	रामजी मिश्रा	18-7-86	5	रवीन्द्र कुमार शुक्ला	30-7-86
6	ज्ञान प्रकाश	30-6-86	6	बाबू नकछेद प्रसाद द्विवेदी	23-6-90
7	सलाउद्दीन	22-9-86	7	हरिशंकर सिंह	21-7-90
8	हरिश्चन्द्र यादव	25-4-89	8	लालजी श्रीवास्तव	26-7-90
9	सुभाष चन्द्र गुप्ता	15-7-86	9	सजीवन लाल	14-7-90
10	चक्रधर प्रसाद	5-7-86			
11	बच्चा लाल	3-7-90			
12	ओ0पी0सिंह	22-8-87			
13	देवचरन मित्तल	7-8-91			
14	एस0पी0सिंह	23-8-91			
		लिपिक			
	सर्वश्री			सर्वश्री	
1	राम लाल	19-7-88	1	ओम प्रकाश श्रीवास्तव	18-8-88
2	सिद्धनाथ शुक्ला	30-6-86	2	गंगा सागर दुबे	18-8-88

विधान सभा

क्रमांक	नाम	तैनाती की तिथि	क्रमांक	नाम	तैनीती की तिथि
3	जगदम्बा प्रसाद तिवारी	18-7-87	3	गंगा राम तिवारी	18-8-88
4	जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	20-9-88	4	प्रह्लाद राम वर्मा	19-7-88
5	मुअज्जम अली	19-7-88	5	राजेन्द्र प्रसाद	9-6-88
6	शीतला प्रसाद पाण्डेय	18-8-88	6	बकरीदी अहमद	20-9-88
			7	वेद प्रकाश पाण्डेय	16-6-87
			8	मनीराम तिवारी	28-6-85

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-91 का संलग्नक

जनपद आजमगढ़ में बुढ़नपुर-दीदारगंज-बरदह मार्ग तथा कप्तानगंज-अहरौला मार्ग पर प्रश्नगत वर्षों में मरम्मत पर दिये गये धन का विवरण (लाख रुपये में)

क्र0सं0	मार्ग का नाम	वर्ष 85-86	वर्ष 86-87	वर्ष 87-88	वर्ष 88-89	वर्ष 89-90	वर्ष 90-91
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बुढ़नपुर-दीदारगंज-बरदह मार्ग ।	2.96	3.57	4.87	4.87	5.62	4.56
2	कप्तानगंज-अहरौला मार्ग	4.45	1.18	2.52	4.07	2.92	3.15

नत्थी "ग"

देखिये अता0प्र0सं0 98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

कास्तकारों की संख्या जिन्हें पर्चियां दी गई:-

गांव का नाम	कास्तकारों की संख्या
1-उमरपुर दियरा 618	652
2-उमरपुर दियरा पश्चिम नौबरार	294
3-हांसनगर	107
4-नैनीजोर नौबरार	81
5-नैनीजोर 1845	178
6-नैनीजोर दियरा पश्चिम	290
7-जवही	502
8-सपही	279
9-ईसरपुर नौबरार	6
10-कवलपति छपरा उर्फ दूबे छपरा	53
11-पोखरा	51
12-नेवादा दियरा	209
13-दियरा भागर	198

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अता0प्र0सं0 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर)

छठे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-108 का संलग्नक

प्रश्नगत निर्धारित मानक

किलो मीटर की दशा	कंकड़ वाटर बाउण्ड (घ0मी0)	स्टोन वाटर बाउण्ड		लेपित सतह का प्रकार
		स्टोन (घ0मी0)	मोरम (घ0मी0)	सतह ग्रिट घ0मी0
1	2	3	4	5
ए	7	3.5	7	3.5
बी	14	7	7	3.5
सी	21	10.50	7	7.00
डी	35	14	7	7.00

विधान सभा प्रदेश

नत्थी "ड"

(देखिये अता0प्र0सं0 117 व 118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79-80 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 6ठे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री हरि नरायन, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 117 व 118 के उत्तर का संलग्नक

(अतारांकित प्रश्न संख्या 117 का संलग्नक)

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति का स्थान	नियुक्ति का स्तर
1	2	3	4	5	6
1	श्री सतीश कुमार	कम्पाउन्डर	12-9-90	राजकीय किशोर गृह, मुरादाबाद	मण्डलीय उप निदेशक मुरादाबाद ।
2	श्री हरिपाल सिंह	समाज कल्याण सुपरवाइजर	28-9-91	जिला समाज कल्याण कार्यालय, बिजनौर ।	तदैव
3	श्री राम नरेश	समाज कल्याण सुपरवाइजर	28-9-91	जिला समाज कल्याण कार्यालय, बिजनौर ।	तदैव
4	श्री ललित कुमार चौधरी	कनिष्ठ लिपिक	28-9-91	उप निदेशक, समाज कल्याण कार्यालय, मुरादाबाद ।	तदैव
		(अतारांकित प्रश्न संख्या 118 का संलग्नक)			
1	श्री प्रेम शंकर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1-9-90	मण्डलीय उप निदेशक कार्यालय, मुरादाबाद ।	तदैव
2	श्री मदन सिंह	तदैव	1-9-90	जिला शरणालय व प्रवेशालय, मुरादाबाद ।	तदैव
3	श्री धर्मपाल सिंह	तदैव	1-9-90	मण्डलीय उप निदेशक कार्यालय, मुरादाबाद ।	तदैव
4	श्री महेन्द्र सिंह	तदैव	1-9-90	राजकीय उन्नयन बस्ती, मुरादाबाद।	तदैव

नत्थी "च"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 89 पर)

सुशील कुमार
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी।

अशा0पत्रांक 5952
जिलाधिकारी निवास, उन्नाव
दूरभाष-357209, 357400
कार्यालय-357207, 357300
दिनांक 25-1-92

प्रिय महोदया,

बाल विकास एवं पुष्टाहार परियोजना में अपेक्षित प्रगति नही हो पा रही थी जिसकी विस्तृत समीक्षा करने पर पाया गया कि जनपद में बाल विकास एवं पुष्टाहार कार्यालयों में स्वीकृत 6 वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध एक भी वरिष्ठ लिपिक कार्यरत नहीं है तथा स्वीकृत 9 कनिष्ठ के विरुद्ध 5 कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं। परियोजना कार्यालयों में लिपिकीय कर्मचारियों के अभाव में क्षेत्रीय कर्मचारियों को कार्यालय कार्य करना पड़ता था और वे क्षेत्र में भ्रमण पर नहीं जा पाते थे जिसके कारण इस कार्यक्रम की प्रगति अवरुद्ध हो रही थी । परियोजनाओं में उचित ढंग से कार्यक्रम का क्रियान्वयन न होने के विषय में आप द्वारा भी अपने अर्द्धशासकीय पत्र 1560 दिनांक 27-9-91 के द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई थी ।

अतः बाल विकास एवं पुष्टाहार परियोजना के कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने के उद्देश्य से निम्न तदर्थ नियुक्तियां कर ली गई हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	नियुक्त कर्मचारी का नाम व पता	अनुबन्ध के आधार पर पूरे नियत वेतन	नियम समय
1	कनिष्ठ लिपिक	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्रीकृष्ण श्रीवास्वत ग्रा0पो0 रतीपुर, रायबरेली ।	1000	29-2-92
2	कनिष्ठ लिपिक	श्री राम कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री शिव गोपाल श्रीवास्तव 535 आवास विकास उन्नाव ।	1000	29-2-92
3	कनिष्ठ लिपिक	श्री अतुल कुमार निगम पुत्र श्री राम कुमार निगम गिरिजाबाग, उन्नाव ।	1000	29-2-92

अनुरोध है कि उपर्युक्त नियुक्तियों का अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें तथा इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति भी करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह0/-
सुशील कुमार

कु0 वृन्दा स्वरूप
निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार
उ0प्र0, लखनऊ ।

नत्थी 'छ'

देखिये अता0प्र0सं0 151 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 6ठे गुरुवार हेतु निर्धारित श्री राम लखन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 151 के उत्तर का संलग्नक

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	कि0 मी0 संख्या	खपत की मात्रा (मै0 टन में)
1	जाब संख्या-141	बी0एम0एस0	371 से 373, 376, 377	281.34
		बी0यू0एस0जी0	381, 383, 393, 375	53.40
			388 (8100 वर्ग मी0)	11.00
2	जाब संख्या-090	-तदैव-	404	14.08
		बी0 एम0	401, 404	102.54
3	रखरखाव	एम0एस0एस0	351, 352, 407(800मी0) 409 (2310 वर्ग मी0)	46.10
		दाग मरम्मत	343,से346,388,394 से 398, 408 से 420	6.75
4	एफ0डी0आर0 1991-92	दाग मरम्मत	388 एवं 394 से 398	0.40
5	जाब संख्या 288	गुलजार बन्दी	372,373,376,384 से 387, 392	14.00
6	डिपाजिट कार्य	जिलाधिकारी कार्यालय में 5 से0 मी0 मोटा बी0एम0	1392 वर्ग मीटर	8.57

कुल खपत 358.18 मै0 टन

नत्थी 'ज'

(देखिये अता0प्र0सं0 158 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 97 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 6ठे गुरुवार के लिये श्री श्रीराम, सदस्य विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर का संलग्नक

(अ) दिनांक 16-12-1990 में उप अभियन्ता से सहायक स्थानिक अभियन्ता पद पर हुई विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नलिखित उप अभियन्ता पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये:-

1-श्री ए0 के0 कान्त
2-श्री बी0 डी0 शर्मा
3-श्री एस0 डी0 पाठक
4-श्री कपीश चन्द्रा
5-श्री एस0 सी0 गुप्ता
6-श्री अशोक कुमार गोयल
7-श्री वीरेन्द्र कुमार जैन
8-श्री सी0 पी0 एस0 गौतम
9-श्री गिरिजा शंकर दीक्षित
10-श्री छेदी राम यादव
11-श्री रमेश कुमार सक्सेना
12-श्री ओम प्रकाश लाल
13-श्री यू0सी0 पाठक
14-श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
15-श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह
16-श्री पी0डी0 वर्मा
17-श्री मुरली मनोहर सक्सेना
18-श्री सन्तोष कुमार मिश्रा
19-श्री आर0 पी0 शुक्ला
20-श्री पुरुषोत्तम कुमार शर्मा
21-श्री पी0 के0 जैन
22-श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय
23-श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी
24-श्री अरविन्द कुमार जैन
25-श्री सुरेन्द्र नाथ
26-श्री आर0 एन0 मेहरोत्रा
27-श्री सत्यवीर रस्तोगी

विधान सभा

28-श्री बी0 बी0 सचान
29-श्री इन्द्र राज माकड़
30-श्री रिआज अहमद
31-श्री गिरधारी सिंह
32-श्री जगदीश प्रसाद

(ब) दिनांक 16-1-1991 में उप अभियन्ता से सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर हुई विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नलिखित उप अभियन्ता पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये :-

1-श्री आर0 एन0 उपाध्याय
2-श्री कुलदीप सिंह
3-श्री एस0 एन0 एल0 निगम
4-श्री वी0 बी0 सक्सेना
5-श्री गोविन्द प्रसाद
6-श्री कामेश्वर शर्मा
7-श्री रवि शंकर शर्मा
8-श्री वी0 एन0 गंगवार
9-श्री इन्द्रदेव सिंह
10-श्री एच0सी0 वर्मा
11-श्री जे0 एस0 तोमर
12-श्री एस0 एन0 भटनागर
13-श्री ए0के0 भटनागर
14-श्री एस0 एस0 अहमद
15-श्री पारस नाथ सिंह
16-श्री तिलक राज सिंह
17-श्री राजीव कुमार
18-श्री ओम प्रकाश वर्मा
19-श्री समशेर सिंह
20-श्री कौशल किशोर
21-श्री वी0 डी0 द्विवेदी
22-श्री एच0 सी0 यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "झ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 197 का उत्तर पीछे पृष्ठ 116 पर)

गोमती नगर 2, लखनऊ स्थित श्रेणी-4 के आवासों के लिये प्राप्त कुल 33.201 मी0टन सरिया को निम्नलिखित स्थानों पर हस्तांतरित की गई का विवरण:-

2/89	4.45	मी0 टन	निदेशक, बेसिक शिक्षा के शिविर कार्य को पुन:
9/89	3.48	"	-तदैव-
9/89	3.54	"	डायट छात्रावास के लिये
3/90	0.7800	"	-तदैव-
9/89	0.0800	"	डायट मुख्य भवन के लिये
11/89	9.8600	"	-तदैव-
7/90	0.0100	"	-तदैव-
7/89	0.0629	"	हिन्दी भवन को
7/89	0.0203	"	-तदैव-
2/89	0.3200	"	32वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के लिये
6/90	0.0650	"	-तदैव-
7/90	10.1400	"	इलेक्ट्रानिक भवन राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ को ।
कुल योग-	32.8082 मी0टन		

पी0एस0यू0पी0-एल0 190 विधान सभा (289)-1993-572 (ई0टी0/आफसेट)।